खण्ड-349, अंक-1
सोमवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(23 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६—११
प्रश्नोत्तर	
ग्राम भठवा पांडेय, थाना बनकटा, जिला देवरिया निवासी, श्री सलगम गोंड की झोपड़ी जला देने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११
उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर फसल काटने से तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	११—१२
लखीमपुर नगर में शांति-व्यवस्था भंग होने तथा पुलिस निष्क्रियता के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१२
गोरखपुर की बांसगांव तहसील के मुख्यालय पर विधवा महिलाओं द्वारा धरना एवं अनशन के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१३
जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज, गोरखपुर के अनिश्चित काल की बंदी तथा छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१३—१४
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ४३ वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर, रखा गया)	१४
पुलिस अधीक्षक, देवरिया श्री अजय सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१४-१५
राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१५-१६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	१६—१८
बजट अनुदानों से संबंधित साहित्य विलम्ब से मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	
१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३८-चिकित्सा, अनुदान संख्या ३९-परिवार कल्याण, अनुदान संख्या ४०-सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या ७८-चिकित्सा विभाग का प्रश्न	१८—१९
पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	१९—१४४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१४४
लखनऊ नगर में दूषित पेयजल की आपूर्ति के संबंध में नियम ५१ के अंतर्गत वक्तव्य	१४५—१४७
कानपुर जिले के बेहमई ग्राम में डाकुओं द्वारा कई व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य एवं चर्चा	१४७—१७८
नत्थियां	१७९—१८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ फरवरी, १९८१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में ११ बज कर ४ मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०५

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कुदेसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	केशोराम, श्री	बदायूं
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	खरपत, श्री	वाराणसी
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	खुर्शीद अहमद, अन्सारी श्री	मुरादाबाद
ऊर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खुर्शीद अहमद, श्री	बहराइच
ऊदल, श्री	वाराणसी	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय ए० सी० ग्राइस, श्री	कानपुर	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
कमला देवरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गया सिंह, श्री	उन्नाव
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
कल्याण सिंह, श्री	बरेली	गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर	गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली	चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
		चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
छेदी लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री — फैजाबाद
गीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़

धर्मबीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
नन्द किशोर सिंह श्री — देवरिया
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू) — बलिया
निर्मल कुमार, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह चौधरी — इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत

बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मोहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद मुफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री — गोरखपुर
(उर्फ लल्लन जी)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन बारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रमा कान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राजकुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपत्ति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
राम धनी, श्री — गाजीपुर

राम नरायन, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	इलाहाबाद
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर

उपस्थित सदस्य

सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच	हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर	हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र कीपल, श्री	सहारनपुर	हरदेव, श्री	बलिया
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद	हीरद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
सूर्यनाथ, उपाध्याय श्री	जौनपुर	हरी शंकर, श्री	हरदोई
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर	हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रति प्रेषित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ फरवरी, १९८१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर, प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला पशुधन अधिकारी, नैनीताल द्वारा फ्रीजों की नीलामी

*१—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी हैं कि पशुधन अधिकारी, किच्छा द्वारा अगस्त, १९८० में केवल ३००० (तीन हजार) रुपए में ११ (ग्यारह) फ्रीजों का नीलाम किया गया हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री बतायेंगे कि इन फ्रीजों को नीलाम करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह))—

जिला पशुधन अधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनांक २९ जून, १९८० को ९ (नौ) निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी फ्रीजों का रु० ३,७५० में नीलाम द्वारा निस्तारण किया गया था। पशुधन अधिकारी, किच्छा द्वारा कोई नीलाम नहीं किया गया था।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर ये फ्रीज नीलाम नहीं किए गये थे तो, ३,७५० रुपये में ये फ्रीज किसको बचे गये थे ? मेरी निश्चित जानकारी हैं कि ये ११ फ्रीज थे, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की ही सूचना को सही मान लेता हूं कि ये ९ थे, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक फ्रीज की क्या कीमत हैं और इनको बेचने की क्या आवश्यकता पड़ गयी थी और ये किसको बेचे गये ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मैंने अपने उत्तर में बता दिया हैं कि ये निष्प्रयोज्य और अनुपयोगी थे, कई वर्षों से खराब पड़े थे, उनक वर्किंग ठीक नहीं थी और खास तौर से दवाओं को रखने के लिए उचित नहीं थे। विभाग की ओर से भी कुछ इन्सट्रक्शन्स थे कि जब पहले वाले डिस्पोज आफ हो जायेंगे, तब नये खरीदे जा सकेंगे, तो इनमें जो खराब थे उनको हटा दिया गया।

श्री ऊदल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फ्रीज कब खरीदी गयी थी और कितने-कितने रुपये में खरीदी गयी थी और किस सन् में इसको नीलाम किया गया था ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, यह विभिन्न तारीखों में खरीदी गयी थी जो कि १९५२ से लेकर ६८ के बीच हैं। उस समय इनकी कीमत करीब रु० १०,००० के थी और नीलाम हुआ हैं रु० ३,७५० में।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, शासन की यह नीति हैं कि सरकारी चीजों की जब नीलामी की जाय, तो उसकी जो ओरिजनल कास्ट होती हैं, उससे १५ फीसदी कम में नीलाम न की जाय, यदि ऐसा हैं, तो शासन के आदेश का इस नीलामी में परिपालन हुआ हैं या नहीं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, शासन को यह भय हो गया था कि दिन प्रतिदिन उनकी कीमतें गिरेंगी और कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र उन्हें नीलाम कर दिया गया था ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, जो फ्रीज १९६८ में १० हजार में खरीदी गयी थी, उस समय, अब उसकी कीमत क्या हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, उनकी खरीद की कीमत १६,६९३ रुपये थी । मान्यवर, इस समय की कीमत के संबंध में सूचना की आवश्यकता हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जैसा माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि यह शासन की नीति हैं कि किसी चीज की नीलामी जब की जाय, तो वह ओरिजनल कीमत से १५ फीसदी से नीचे में नहीं की जा सकती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस नीलामी के बारे में क्या अखबारों में टेन्डर दिया गया, अखबारों के माध्यम से टेण्डर दिया गया ? यदि हां, तो किसी टैक्निकल इक्सपर्ट ने अपनी राय दी थी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, विभागीय नियमों के अनुसार जब तक पुरानी चीजें हटाई नहीं जाती हैं, तब तक नई लेना चूंकि सम्भव नहीं था, इसलिए टैक्निकल आदमियों की राय जो पी० डब्ल्यू० डी० के असिस्टेन्ट इलैक्ट्रिकल इंजीनियर को अनुपयुक्त घोषित किया गया था से अमर उजाला और उत्तर उजाला इन दोनों अखबारों में प्रकाशित करा कर नीलाम कराया गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि १९५२ से लेकर ६८ के बीच की ये तारीखें हैं । मान्यवर, हमेशा यही होता हैं कि माननीय मंत्री जी के मातहत लोग जो हैं ये जो सूचना दे देते हैं वही वह यहां पर सुना देते हैं । मेरी निश्चित जानकारी हैं कि वे फ्रीज बहुत अच्छी थीं, काम में आ सकती थीं । जिन्हें अपने आदमियों को दिया हैं । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन आदमियों को यह दी गयी हैं, एक तो उसका नाम पता दें और इसकी जांच भी करा दें ? अभी भी वह फ्रीज काम में लाई जा रही हैं ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

किसको यह नीलामी दी गयी, अगर जानकारी हो तो बता दें ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, नीलामी में कई लोग बोली बोले थे, लेकिन रामपुर के व्यक्ति को यह नीलामी दी गयी थी । अगर माननीय सदस्य को जानकारी हो तो नाम बता दें ।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम नवादा में हरिजनों के लिये गृह निर्माण

*२—श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड, जैंतीपुर के ग्राम नवादा में विकास खण्ड की तरफ से बनवाये गये हरिजन आवास गृह कब्जा देने के पहले ही ढह गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस उपेक्षा एवं धन के दुरुपयोगों के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

शाहजहांपुर जनपद के विकास खंड जैंतीपुर के ग्राम नवादा में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से १५ निर्बल वर्ग आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था जिसमें से ९ आवास गृह वर्षा आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण हो गये थे तथा शेष ६ पर कार्य चल रहा था । इसी बीच लगातार घनघोर वर्षा के फलस्वरूप इन ६ मकानों के ढह जाने से आंशिक क्षति हुई । किवाड़/चौखट, बल्ली, पटान आदि सामग्री का नुकसान नहीं हुआ । परन्तु कच्ची ईंट तथा उसकी चुनाई व पटाई के श्रम की क्षति हुई । यह क्षति दैवी आपदा (अतिवृष्टि) के कारण हुई, जिसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विभिन्न पदों पर नियुक्ति

*३—श्री दीनानाथ (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वर्तमान कुलपति डा० अतर सिंह, यादव ने अपने कार्यकाल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों हेतु विज्ञापन संख्या १-१९७८ से विज्ञापन सं० १-१९८० तक एक वर्ग विशेष को वरीयता देने का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या इससे कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमों परिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान कुलपति के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन काल में शासन को की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं पशुधन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी जिले के स्थान विशुनपुर चौंकी में खाद्यान्न योजना के गेहूं की चोरी

*ठ—श्री जमुना प्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी विकास खंड,देवा में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत विशुनपुर चौंका नामक स्थान पर रखे ७४ बोरे गेहूं की चोरी की जिसकी रिपोर्ट देवा थाने में दिनांक १५-७-८० को दर्ज भी करायी गयी थी, के संबंध में विभागीय जांच खंड विकास अधिकारी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन से कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाये गये तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। प्रशनगत मामले में सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई, देवा) तथा खंड विकास अधिकारी, देवा द्वारा जांच करवाई गयी थी और उन जांच रिपोर्टों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा संबंधित पंचायत सेवक को निलम्बित कर दिया गया है। जांच रिपोर्टों में भिन्नता होने के नाते मामले को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया है।

पंचायत उद्योग, भोलेपुर, जिला फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*५—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंचायत उद्योग, भोलेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत ७-७-८० को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इन आरोपों के विषय में क्या कोई जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

नियोजन एवं वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

जी हां।

शिकायत की जांच की गई। आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह शिकायत जिसमें गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोप थे, इसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, विमल प्रसाद तिवारी जी के पत्र दिनांक ७-९-८० के साथ राम भरोसे लाल, अध्यक्ष, भोलेपुर का शिकायती-पत्र दिनांक ७-७-८० शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी थी। श्रीमन्, जिन लोगों ने आरोप लगाये थे, जब आरोप अधिकारी गया, तो सामने नहीं उपस्थित हुए। उनकी, मान्यवर, यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह हाजिर हों। इसीलिए जांच निराधार पायी गयी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो पंचायत उद्योग के बारे में शिकायत थी, उसमें अनियमितता के बारे में पंचायतराज अधिकारी स्वयं भी शामिल थे, तो उनके द्वारा जांच कराये जाने का क्या औचित्य था ? किसी उच्च अधिकारी से जांच क्या नहीं करा सकते थे ? जो स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल था, उसके द्वारा जांच कराने का क्या औचित्य था ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर उसी के खिलाफ शिकायत थी जो कि मैं नहीं जानता, तो भी यह शिकायत करने वाले की जिम्मेदारी नैतिक और कानूनी रूप से थी कि रूबरू उसी पर आरोप लगाता। लेकिन जब हाजिर ही नहीं हुआ, तो जांच किससे करते ?

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय पर शासन द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे, या केवल रिपोर्ट मांगी गयी थी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, रिपोर्ट मांगी गयी थी। उद्योग खोलने का सवाल था। लेकिन बाद में वह गांव नगरपालिका में मिला लिया गया। इसलिए उद्योग होना ही नहीं था। नगरपालिका में गांव मिला लिया गया, इसलिए उद्योग नहीं बना।

श्री हुकम सिंह—

माननीय तिवारी जी की बात से साफ है कि उक्त पंचायतराज अधिकारी के भी विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो जब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों, और वह उस काण्ड में स्वयं ही शामिल हो, तो शासन के लिए क्या औचित्य था कि उसी अधिकारी से जांच कराये ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह स्पष्ट जांच किसी अधिकारी के बारे में नहीं थी। एक आरोप था कि उस गांव में उद्योग नहीं खोला गया। जांच के दौरान मालूम हुआ कि गांव के नगरपालिका का सीमांकन हो गया है और वह गांव नगरपालिका में मिला लिया गया है इसलिए उद्योग का प्रश्न नहीं उठता। जिन्होंने जांच की दरख्वास्त दी थी, वे हाजिर नहीं हुये और न स्पष्ट कर सके कि किस चीज की जांच की जाय ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने गलत सूचना दी है। भूलेपुर के नगरपालिका में सम्मिलित किये जाने के पूर्व की शिकायत है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने लाख रुपये का सामान इस उद्योग में विभिन्न विभागों को दिया गया ? एक बात, और दूसरी बात एक विधायक की शिकायत पर भी उस पंचायतराज अधिकारी को जांच के लिए देना, क्या एक विधायक का अपमान नहीं है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं माननीय विमल प्रसाद तिवारी से कि यह फैशन हो गया है किसी के खिलाफ रास्ता चलते शिकायत देना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आप मंत्री जी की भाषा पर गौर करें।

एक सदस्य—

मंत्री जी को बरखास्त किया जाय।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मेरी भावनाओं को आघात लगा है। मेरे ऊपर माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष—माननीय तिवारी जी, आप बैठें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मंत्री जी इसे वापस ले या सिद्ध करें नहीं, तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

मंत्री जी माफी मांगें।

(श्री विमल प्रसाद तिवारी के पुनः बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप बैठ जायं। मुझे कहने दें। आपको कोई बात कही गई, मैं खड़ा हुआ हूं कहने के लिए आप मुझे कहने दीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दिया। हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में प्रश्न वह महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे कार्यकारिणी के ऊपर इस सदन का महत्वपूर्ण अधिकार रखना होता है और प्रश्नों द्वारा बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। प्रश्नों को यह सदन सदासर्वदा अत्यन्त महत्व देता आया है और उसी महत्वपूर्ण ढंग से प्रश्नों को उत्तरित किया जाता है। जब कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया, तो प्रश्न स्थगित होते हैं। शासकदल और विरोधी दल दोनों उनके महत्व को बराबर स्वीकार करते हैं। मंत्री का यह कहना कि राह चलते शिकायत करते हैं, या फैशन हो गया है, यह अत्यन्त अनुचित है।

(मेजों की थपथपाहट)

और मंत्री जी को यह शब्द वापस लेना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपके कहने के अनुसार अपने शब्द को वापस लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल दंडलवी—

मान्यवर, यह माफी मांगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा मकसद विमल प्रसाद तिवारी के आरोप से नहीं था । आरोप लगाने वाले श्री राम भरोसे लाल हैं । तिवारी जी का खत था उसके साथ । आरोप लगाने वाले की यह जिम्मेदारी थी कि जांच करने वाले अधिकारी जब वहां गये, तो उसके सामने हाजिर होते । वह हाजिर नहीं हुए और आरोप का स्पष्टीकरण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न जो पूछा जा रहा है, उसमें यह स्पष्ट था कि यह शिकायत उस अधिकारी के बारे में है और अगर उसी अधिकारी के बारे में ही शिकायत थी, तो क्या उसी अधिकारी को ही जांच के लिए नियुक्त करना उचित था ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, उसी अधिकारी के बारे में शिकायत नहीं थी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि श्री राम भरोसे लाल द्वारा जो शिकायत थी, तो क्या उनको कोई लिखित सूचना दी गई अधिकारियों द्वारा कि वह मौके पर जांच के समय मौजूद हों या कोई पत्र भेजा गया कि वह अपने तथ्य लेकर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर हों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जांच रिपोर्ट के अनुसार मान्यवर . . .

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है ।मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा पत्र भेजा गया था ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, जांच अधिकारी ने पंचायत उद्योग भोलेपुर, फर्रुखाबाद के अभिलेखों का अवलोकन किया, मंत्री एवं व्यवस्थापक के स्पष्टीकरण प्राप्त किये तथा शिकायतकर्ता श्री राम भरोसे लाल, अध्यक्ष, पंचायत उद्योग, भोलेपुर से भी सम्पर्क कर उनसे उनके द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि करने को कहा गया, परन्तु उन्होंने समयाभाव बताकर जांच अधिकारी के साथ पंचायत उद्योग भोलेपुर जाने में असमर्थता बता कर जांच अधिकारी के साथ पंचायत उद्योग, भोलेपुर जाने में असमर्थता प्रकट की । मान्यवर, खबर दी गयी और वह आये ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं पुनः यह कहना चाहता हूं अब यह फैशन इन अधिकारियों के लिए हो गया है कि वह कभी नहीं बुलाते । इसमें कहीं यह साबित नहीं है कि इन्होंने बुलाया । रजिस्ट्री डाक से या किसी तरह से कम्प्लेनेन्ट को सूचित करते, लेकिन यह नहीं किया गया, तो क्या पुनः इसकी जांच करायेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जवाब में ही है कि जांच अधिकारी ने सम्पर्क किया और कहा कि फैक्ट्स के साथ हाजिर हों लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट की ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो आरोप पत्र है, उसमें मुख्य-मुख्य क्या आरोप हैं, पढ़ कर सुना दें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

आरोप पत्र श्रीमन् उस गांव में उद्योग न खुलने के संबंध में है . . . ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आरोप पत्र में यह नहीं है, मान्यवर । उसको पढ़ कर सुनायें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

उत्तर न हो तो स्थगित कर दें, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

देख लेने दें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

आरोप पत्र श्रीमन् इसमें नहीं है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जब आरोप पत्र ही नहीं है, तो किस आधार पर सदन को यह उत्तर दे रहे हैं कि यह आरोप है कि उद्योग न खुलने के सम्बन्ध में है ?

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

जो आरोप कर्ता हैं भरोसे लाल, जब अधिकारीगण उनसे मिले, तो अधिकारियों ने यह कहा कि अगर आप आरोप लगायेंगे, तो इसका अंजाम बुरा होगा, इसीलिए वह नहीं मिले ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस ढंग की कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, ये मंत्री जी ने अपने अफसरों के कृकृत्यों पर लीपा-पोती न करें। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

[सोमवार, दिनांक २३ फरवरी, १९८१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

सीतापुर जिले की ग्राम सेविका स्व0 श्रीमती शान्ता भटनागर की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि

*१—श्री अनवार मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कैंसर रोग से मृत ग्राम सेविका, श्रीमती शांता भटनागर मिश्रिख ब्लाक (सीतापुर) के उत्तराधिकारी, श्री राकेश कुमार भटनागर को जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा अभी तक न किये जाने से संबंधित माननीय सदस्य, खुर्शीद अहमद का हस्ताक्षरित कोई पत्र उन्हें दिनांक ४ अक्तूबर, १९८० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य, श्री खुर्शीद अहमद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ। सरकारी सेवकों की सामूहिक बीमा योजना से संबंधित स्वर्गीय श्रीमती शान्ता भटनागर के दावे की धनराशि के भुगतान हेतु चेक बीमा निगम से ८-९-८० को प्राप्त हुआ था और रु० १२,२८९.७० पैं० का चेक सं० बी० जेड०/७७ ६०१२१३, दिनांक १-१०-८० को ही श्री राकेश कुमार भटनागर के नाम संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकार को भेजने हेतु काट दिया गया था। श्री राकेश कुमार भटनागर को अब भुगतान प्राप्त हो चुका है।

प्रसंगगत मामले में भुगत्न संबंधी कार्यवाही हो चुकी है। अतः किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र जिला बस्ती के उप-निदेशक के स्थानान्तरण की मांग

*२—श्री राम आसरे पासवान—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर उप निदेशक, उद्यान के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति है जो पिछले २४ वर्षों से (बीच में दो वर्ष छोड़कर) यहीं कार्यरत रहे हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे दिनों तक एक ही स्थान पर रखने का क्या औचित्य है ? क्या इन्हें तत्काल स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी हां ।

पूर्वी क्षेत्र के जलवायु में उत्पादित औद्यानिक फसलों के तकनीक तथा उनके प्रयोगों में अत्यन्त उपयोगी अनुभव के कारण ।

जी नहीं ।

वर्तमान नीति के अनुसार तत्काल स्थानान्तरण सम्भव नहीं है ।

श्री राम आसरे पासवान—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चहता हूं कि वह २२ वर्षों से जनपद बस्ती में एक ही स्थान पर लगातार कार्यरत रहे हैं, तो क्या यह शासन की नीति के खिलाफ है या उचित है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

यह कार्य अनुसंधान से संबंधित है । इस प्रकार की संस्थायें केवल पश्चिम में सहारनपुर और पूर्व में बस्ती में हैं । हर जिले में उनको भेजा नहीं जा सकता । उनके कार्य की संस्तुति और प्रेज आई०सी०ए०आर० ने किया है । जलवायु और कार्य को देखते हुये उनको वहां रखना जरूरी समझा गया ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ऐसी कार्यशालायें केवल दो हैं, सहारनपुर और बस्ती में । वह बहुत ही योग्य कोई अधिकारी हैं, तो क्या उनकी योग्यता का लाभ पश्चिम में सहारनपुर को भी देने की कृपा करेंगे या २४ साल से बस्ती में ही उनकी योग्यता का फायदा उठाते रहेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह पोस्ट खासतौर से बस्ती के लिए एडवरटाइज हुई थी और उसी पोस्ट के अगेंस्ट उनका एप्वाइंमेन्ट हुआ था । दूसरी बात यह है कि पूर्व की जलवायु की दृष्टिकोण से वहां पर जो आम है, बेर है, गुआवा है उनकी रिसर्च में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । आज तक उस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है इसलिये कोई ऐसी बात नहीं है अगर कोई सदस्य की शिकायत माननीय सदस्य को है, तो कृपा करके बता दें । हम जांच करा लेंगे और कार्यवाही करा लेंगे ।

आर्थिक आधार पर आरक्षण नीति लागू किये जाने पर विचार

*३—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज से विषमता दूर करने के लिये आर्थिक आधार पर आरक्षण नीति लागू करने की सोच रहे हैं ? यदि हां तो यह योजना कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

यह विषय शासन के विचाराधीन हैं।

लेकिन चूंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण और व्यापक नीति विषयक प्रश्न हैं, अतएव इस पर निर्णय लेने और उसे लागू करने में समय लगना स्वाभाविक हैं। फलस्वरूप कोई निश्चित समय देना सम्भव नहीं हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १९८० के प्रथम सत्र में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि यह प्रश्न विचाराधीन हैं। प्रथम सत्र १९८१ के तारांकित प्रश्न में भी यह उत्तर हैं कि प्रश्न विचाराधीन हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह टाल् विचाराधीन हैं या वास्तविक विचाराधीन हैं। नम्बर दो शासन के सामने दो सीधे दृष्टिकोण हैं एक तो बैसाखी रहित समाज की रचना और दूसरा दृष्टिकोण हैं कि शासन का प्रथम कर्तव्य हैं कि दीन, दुखी निर्बलों की सहायता करना यानी आर्थिक दृष्टिकोण पर आरक्षण तो इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न बहुत व्यापक हैं।

अपनी आयु के ८ महीने बिता चुके हैं, ४ साल ४ महीने शेष हैं। ४ साल ४ महीने में कौन सा दर्द हैं जिसमें उनकी नजर टिकी हुई हैं, कृपया यह भी बता दें ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

बाजपेयी जी का प्रश्न बड़ा व्यापक हैं। पहला प्रश्न जो इन्होंने उठाया हैं, वह वास्तविक रूप से विचाराधीन हैं। जहां तक आर्थिक विषमता दूर करने का प्रश्न हैं, शायद आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी कि कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणा पत्र में हमने आई०आर० डी० का प्रोग्राम रखा था। आर्थिक विषमता दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लाक में हम ६०० परिवारों को लेंगे जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आर्थिक विषमता दूर करने के लिये २४ आर्थिक प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं। निराश्रित विधवाओं और बूढ़ों को पेन्शन देने की योजना हैं। भूमिहीनों के लिये भी हम काम कर रहे हैं। उनको हम बैंक से लोन दिलवा रहे हैं ताकि वे अपना कार्य कर सकें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मैंने तीन प्रश्न किये थे। पहला प्रश्न वास्तविक या काल्पनिक का था, जिसका उत्तर इन्होंने दिया कि वास्तविक हैं। दूसरा मैंने कहा था कि जैसा कि सरकार का कर्तव्य हैं कि वह हर गरीब की सहायता करे तो क्या आप उनके लिये आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की नीति को अपनायेंगे ? यह स्पष्ट बतायें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने बहुत साफ कहा कि हमारी नीति में आर्थिक विषमता दूर करने के लिये भूमिहीनों और गरीबों को मदद देने में जातीयता का कोई आधार नहीं रखा गया हैं। केवल आर्थिक आधार रखा गया हैं। जो भी योजना चलाई जा रही हैं, वह केवल आर्थिक आधार पर चलाई जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न बहुत साफ है कि आरक्षण के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है, तो उत्तर मिला कि विचाराधीन है। भारतीय संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षण का प्राविधान है और हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा भी घृणित काम करने जा रही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बदलने पर भी पुनर्विचार कर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिनको आज आरक्षण मिल रहा है, क्या उनमें भी सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है कि जो लोग एक विशेष आर्थिक स्तर के नीचे है उनको तो आरक्षण रहेगा और जो उस स्तर के ऊपर चले जायेंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा ? और जो जातियां आरक्षण की सीमा में नहीं है यदि उनका भी आर्थिक स्तर उसके नीचे हो तो क्या उनको भी आरक्षण दिया जायेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक बात मैं साफ कर दूं कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण जातिगत नहीं है। जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रश्न है, यह है और रहेगा। हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो आरक्षण दे रहे है वह देते रहेंगे।

जहां तक आप सहमत होंगे, यह आपके शासन काल में हुआ था। यह बात गवर्नमान्ट के सामने रखी गयी कि बहुत से यादव एवं कुर्मी में धनी मानी लोग है, उनको क्यों दिया जाय ? यही सब मामले शासन के विचाराधीन है। इस पर जब निर्णय लेंगे, तो आपको जानकारी हो जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि नम्बर (१) क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति पर शासन सहमत है या नहीं ? नम्बर (२) अगर सहमत है तो टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या है ? इसका जवाब मुझे दे दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि इस आरक्षण का अर्थ केवल उनके दिमाग में नौकरी से है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उत्तर देने दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर देने का कोई स्तर तो होगा या ये केवल बकवास ही करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने बोलने का स्तर देखते हैं या केवल दूसरे की बात को ही बकवास कहते हैं। कृपया आप बैठें। आप स्वतः ही प्रश्न पूछेंगे और स्वतः ही उत्तर देंगे और दूसरे का स्तर देखेंगे और बकवास कहेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने बहुत साफ कहा कि आरक्षण की नीति, जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है कि वह शासन के विचाराधीन है, जहां तक आर्थिक विषमता का सवाल है, तो आर्थिक विषमता समाज में दूर की जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंनी जी यह देखते हुए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि आर्थिक दृष्टि से मामला शासन के विचाराधीन है। संविधान के जो रिजर्वेशन हैं, उनको सोशल और एजूकेशनल बैकवर्ड के नाम से जोड़ दिया, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से सूबे की सरकार की कोई बातचीत हुई है, कोई विचार-विमर्श हुआ या कोई मीटिंग हुई, उसको क्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

यही तो स्वयं मैंने कहा कि शासन के विचाराधीन है, केन्द्र सरकार ने जो नियम बनाये हैं आर्थिक आधार पर यही बात शासन के विचाराधीन है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शब्दों की हेराफेरी में सदन को बहलाने का बहुत प्रयास किया। मेरा स्पष्ट निवेदन है कि उन्हें चार साल और ४ महीने की जो अवधि आपकी अवशेष है, तो क्या विचार कर लेंगे इस पर यह स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें कि आप कब तक इसकी घोषणा करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति)—

मान्यवर, ...

श्री मोहन सिंह—

अरे आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, अभी तो आपको बहुत बोलना है।

श्री लोकपति—

यह हमारा सौभाग्य है। मान्यवर, आरक्षण नीति भारत सरकार के संविधान में जो प्रस्तावित है उससे तो इसका संबंध नहीं है। प्रश्न यह है कि जो आरक्षण नीति इस प्रदेश में अपनायी गयी, वर्तमान सरकार क्या उसको आर्थिक विषमता के आधार पर मानने को तैयार है। वर्तमान सरकार की यह नीति है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिये।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न और .. .. ।

श्री अध्यक्ष—

अब क्या प्रश्न बाकी है। उन्होंने तो एक ऐसी बात कह दी, इतना स्पष्ट उत्तर दे दिया, अब कुछ नहीं, आप बैठिये।

*४—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[४ थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अंतर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम किशनी, जिला सुल्तानपुर में नाले व पुल निर्माण की मांग

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किशनी तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के निकट नाले व पुल बनाने हेतु शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं।

धनाभाव के कारण फिलहाल इस पुल का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि सन् १९७७ के चुनाव में और सन १९८० के चुनाव में स्वर्गीय संजय गांधी ने पब्लिक में इस बात का ऐलान किया था कि यह पुल बन जायेगा, पैसे वगैरह को बजट में शामिल करते हुए इस पुल का निर्माण करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह पुल जिला परिषद् के अन्तर्गत है। इस पर विचार हुआ और इसके लिए धन भी स्वीकृत किया गया था। जिला परिषद् को लिखा गया था कि २५ प्रतिशत अंशदान जिला परिषद् दे। जिला परिषद् ने २५ प्रतिशत अंशदान देने में अपनी असमर्थतता प्रकट की, इसलिए इसका निर्माण नहीं हो सका। इस बात की कोशिश होगी अगर अगले बजट में हो सके इसका निर्माण कराया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

जिला परिषद सभी भंग हैं। जिला परिषद् भी आप ही हैं और आप भी आप ही हैं। सब चीजें आप में ही इस वक्त मर्ज हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला परिषद इस पुल को बनाये क्या आप स्वयं जिम्मेदारी लेकर इसको बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, काम करने का तरीका है। जिला परिषद् उस पुल को सरेन्डर कर दे पी० डब्लू० डी० को, तो शासन उस पर विचार करेगा। या तो जिला परिषद् अपना अंशदान दे या पूर्ण रूप से उसे सरेण्डर कर दे, तो सरकार विचार करेगी।

उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन एवं ज्येष्ठता सूची

*६—श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)—

विधान सभा के ४-८-८० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान विभाग के उद्यान शाखा में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों जो अभी तक केवल ग्रुप तीन तथा ग्रुप दो में ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं, की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगे कि इनको ग्रुप एक अनुमोदित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उद्यान विभाग के उद्यान शाखा में कार्यरत ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों की सूची, जो वर्ग दो में लोक सेवा आयोग, उ० प्र० से अनुमोदित हैं, तथा वर्ग-३ में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सूची संलग्न है। इन सबको प्रोन्नत कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर वर्ग ३ से वर्ग २ में तथा वर्ग २ से वर्ग १ में नियमित करने हेतु प्रस्ताव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७९ पर)

उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन एवं ज्येष्ठता सूची

*७—श्री रामजी राम (अनुपस्थित)—

विधान सभा के ४-८-८० के अतारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोन्नति कोटे से जो १० कर्मचारी वर्ग एक में तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं उनको अनुमोदन के लिए लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कब-कब भेजा गया ? यदि नहीं भेजा गया तो उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को किस आधार पर उनसे पहले स्थायी किया गया ? क्या मंत्री जी इस अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को यथाशीघ्र नियमित कराने की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अभी तक नहीं भेजा गया।

अभी तक किसी को स्थायी नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले के गोसाईंपुर खुटहा शाहगंज मार्ग के निर्माण की मांग

***८—श्री जंग बहादुर—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री खुटहन विकास क्षेत्र जौनपुर जनपद के पिछड़ेपन को ध्यान में रख कर ग्रामीणों के सुविधा तथा ग्रामों के विकास के लिये खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत शाहगंज—खुटहन मार्ग को खुटहन-मोहिउद्दीनपुर मार्ग को सोरैया प्रा० पा० के पास के गोसाईंपुर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी नहीं । इस मार्ग के निर्माण के संबंध में क्षेत्र विकास अधिकारी से छानबीन कराने पर ज्ञात हुआ कि सोरैया प्रा० पा० और गोसाईंपुर के बीच सरकारी नलकूप रोड बनी है । गोसाईंपुर से खुटहन-शाहगंज रोड तक चक रोड है जो वर्तमान समय ६ फिट चौड़ी है । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क के निर्माण कराये जाने की स्थिति से सड़क के किनारे के लघु सीमान्त एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के खेत की भूमि अधिग्रहण करना होगा जो इस योजना के अन्तर्गत संभव नहीं है ।

श्री जंग बहादुर—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोसाईंपुर से खुटहन शाहगंज रोड तक चक रोड है, जो वर्तमान समय ६ फिट चौड़ी है । मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह १६ फिट चौड़ी है । ६ फिट चौड़ी नहीं है, जैसा कि उत्तर में आप ने बताया है और किसानों की जमीन की अधिग्रहण का कोई प्रश्न नहीं उठता । क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मान कर इस चक रोड को बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, अगर जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है तो लिख कर दे दें । इस योजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण करने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ता है और मुआवजा देने का प्राविधान इस योजना में नहीं है । अगर जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है तो सड़क बनेगी ।

***९—श्री मिचसेन—**

[२४ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

***१०—श्री राम आसरे वर्मा—**

[२० वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र, विकास परियोजनाओं के कर्मचारी

***११—श्री पंचानन (अनुपस्थित)—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक समादेश, क्षेत्रीय विकास परियोजना में विभिन्न विभागों के कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के कर्मचारियों के लिए राम गंगा परियोजना जैसी व्यवस्था लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना में विभिन्न विभागों के कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इन सबके लिये एक ही प्रकार की व्यवस्था है। चूंकि रामगंगा तथा शारदा सहायक परियोजनाओं में एक से शासकीय आदेश लागू हैं, अतः व्यवस्था भिन्न होने का प्रश्न नहीं उठता है।

देवरिया जिले के कृषि रक्षा अनुभाग के लिपिक श्री रामायन प्रसाद पर चलाया गया मुकदमा

*१२—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया के अधीन कृषि रक्षा अनुभाग के लिपिक श्री रामायन प्रसाद जो भारतीय दण्ड संहिता के धारा ४२०, ४६७ के अन्तर्गत अभियुक्त हैं, तथा इसके ही अन्तर्गत १९७४-७५ में ६२ दिन कारावास के बन्दी रहे और जमानत पर हैं, को सेवा में बहाल करके स्थायी घोषित कर दिया गया है तथा साथ ही पदोन्नति भी दे दी गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, यह सवाल ७ अगस्त, १९८० को किया गया था जब विधान सभा की बैठक हो रही थी और यह फरवरी, ८१ चल रहा है। ६ माह का समय हो गया है अभी सूचना एकत्र की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बी० एन० सिंह जो विशेष पुलिस अधीक्षक (अनुसंधान), लखनऊ ने ३१ मई, १९७५ को कृषि निदेशक श्री ब्रह्मसिंह को चार्जशीट दिया है उसमें उन्होंने क्या-क्या आरोप लगाये हैं और किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ लगाये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी इसमें सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सूचनायें तो इसी में दी हुई हैं, क्या सूचनायें एकत्र करनी हैं ? जो जेल में रह चुके हैं, उनको बहाल कर दिया गया है और प्रमोशन दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। जैसे अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न को स्पष्ट किया उससे लगता है कि उसमें काफी समय लगेगा। इसलिये इसको अभी स्थगित किया जा रहा है और तब तक सूचना एकत्र करके स्पष्ट उत्तर दिया जाय।

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक (सिंचाई विभाग) की छटनी

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक (सिंचाई विभाग) की छटनी

*१३—श्री मोतीलाल दहलवी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या ५२२०/५४-१-सी० ए०डी० ९/१३७९, दिनांक १२-१२-७९ के द्वारा छटनी शुदा भूतपूर्व सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों (सिंचाई विभाग) को कृषि विभाग में नियुक्त करने के आदेश हुए थे और इस आदेश के तहत लगभग २०० छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक कृषि विभाग में नियुक्त भी किये गये ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग से कुल कितने सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की छटनी हुई और उनमें से शेष सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को उसी शासनादेश के तहत कृषि विभाग में अभी तक नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी नहीं ।

सिंचाई सचिव के कक्ष में दिनांक ११-६-७९ को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार २०० छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक (सिंचाई विभाग) कृषि विभाग में नियुक्त किये गये थे ।

शासनादेश संख्या ५२२०/५४-१-सी०ए०डी० ९/१३७९, दिनांक १२-१२-७९ के तहत सिंचाई विभाग से अवशेष छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को कृषि विभाग में नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल दहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि कुल कितने लोगों की छटनी की गई थी । उसका जवाब नहीं दिया गया इस बात को छिपाया गया है । मैं जानना चाहूंगा कि जो इन दो सौ लोगों को लिया गया, उनके लेने का क्या मापदंड था ? इन दो सौ लोगों को ही क्यों लिखा गया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, सिंचाई विभाग के कृषि प्रसार निरीक्षकों को कृषि विभाग में नियुक्त किया गया । वे सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल चला रहे हैं । मान्यवर, ये टनीशुदा नहीं हैं । सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल आपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं । जिस जी० ओ० का हवाला दिया गया है कोई ऐसा जी० ओ० नहीं निकाला गया है कि उनको सर्विस में लिया गया । यह तो कार्मिक का जी० ओ० है जिसके जरिये इन व्यक्तियों की योग्यता और उम्र में छूट देते हुए दूसरे विभागों में काम करने की उन्हें अनुमोत दी गई । इस बीच में सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अन्तर्गत जो बात हुई उसके अनुसार आपस में यह तय हुआ था कि कृषि विभाग में जो पद सृजित होंगे उनमें ⅔ पद उनमें से लिये जायेंगे । इस तरह से सात सौ और कुछ पद वहां नये रखे गये जिनमें से २०० को लिया गया । इस संबंध में एक निवेदन और कर दूं कि सम्बन्धित व्यक्तियों ने हाई-कोर्ट में रिट दाखिल कर दी है । इस सम्बन्ध में इससे अधिक बताना सम्भव नहीं होगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि छटनीशुदा कर्मचारी कितने थे जो कृषि विभाग में लेने से बच गये हैं ? सरकार उनको लेने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, यह कृषि से संबंधित प्रश्न है और आपका प्रश्न बहुत व्यापक है ।

श्री ऊदल—

मैं कृषि के बारे में पूछ रहा हूं छटनी शुदा कर्मचारी कितने थे और उसमें से कितने ले लिए गये ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, यह छटनीशुदा कृषि विभाग के नहीं हैं ।

श्री मोतीलाल दहलवी—

मान्यवर, सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है, तो आप इसको मान कर कि चाहे वह कृषि विभाग का हो या सिंचाई विभाग के हों, यह जो सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक थे, जो १९७५ से कार्य कर रहे थे, उनकी छटनी की गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की छटनी हुई । वह लोग १५ दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं । आपने कहा कि उनको लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है । उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसको देखते हुए क्या इन दो सौ लोगों की तरह बाकी को भी कृषि विभाग में लेने का विचार करेंगे ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, यह बी० एस० सी० ए० जी० स्नातक नौजवान हैं, उनको कृषि विभाग, क्षेत्रीय विकास, गन्ना विभाग आदि में लिया जा सकता है । कार्मिक विभाग ने एक जी० ओ० इश्यू किया था, जिसमें क्वालीफिकेशन और एज रिलैक्स करने की बात थी । कार्मिक विभाग को पुनः लिखा जा रहा है कि छूट दी दी जाय । उसके बाद शासन विचार करेगा कि जगह होने पर कहीं इनको रख लिया जाय ।

श्री मोतीलाल दहलवी—

मान्यवर, जो प्रश्न हमने किया था, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया । मैं जानना चाहता हूं कि जो सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक छटनी किये गये उनकी संख्या क्या थी और २०० लोग जो लिये गये क्या उन्हीं में से थे, अब शेष कितने रह गये हैं, जिनको कृषि विभाग में लेना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, टोटल संख्या की सूचना इस समय नहीं है लेकिन इतना अवश्य है कि २ सौ कर्मचारी ले लिये गये हैं । मेरा अनुरोध यह है कि इस प्रश्न को ज्यादा डिस्कसन के लिए एलाऊ न करें क्योंकि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है । जब मामला कोर्ट में होता है तो उसके सम्बन्ध में कोई बात कहना सदन में उचित नहीं होगा ।

*१४--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[३ रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मत्स्य विभाग के निदेशक

*१५--श्री ऊदल--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालन विभाग में इस वक्त मार्च १९८० से कोई निदेशक नहीं हैं ? यदि हां तो इसका कारण क्या हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री सीताराम निषाद)--

जी नहीं । मत्स्य विभाग में इस वक्त श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना निदेशक मत्स्य के पद पर कार्यरत हैं ।

श्री ऊदल--

क्या यह सही हैं कि फरवरी, १९८० से लेकर अगस्त, १९८०तक यह जगह खाली थी ?

श्री सीताराम निषाद--

१-४-८० को श्री वाई० आर० त्रिपाठी की सेवा समाप्ति के बाद यह स्थान रिक्त था ।

श्री ऊदल--

जब स्थान रिक्त हुआ, तो उसके बाद इसे भरने के लिए क्या प्रयास किया गया ?

श्री सीताराम निषाद--

पहले यह नीति विषय प्रश्न था कि प्रशासनिक सेवा से यह पद भरा जायेगा । बाद में उस पर पुनर्विचार हुआ कि विभाग में अनुभवी लोगों में से ही चयन करके नियुक्त किया जाय । उसके लिए एक चयन समिति बनाई गयी और ३-१०-८० को उस चयन समिति ने वरिष्ठतम उप निदेशक, श्री सक्सेना का चयन करके नियुक्त किया हैं ।

*१६--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम विकास समितियों के गठन की मांग

*१७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास कार्य-क्रम के समन्वय तथा कार्यान्वियन के लिए जिलों में ग्राम विकास समितियों का गठन पर सरकार विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस समय इस पर कोई विचार नहीं हो रहा हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी हैं कि सलाहेकार समिति न सही, लेकिन भारत सरकार के निदेश पर कोई जिला या ग्राम अभिकरण के स्वरूप का गठन किया गया हैं ? यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या हैं और उसको क्या-क्या काम सौंपे गये हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी वही जिला स्तर पर जिला अभिकरण बना हैं। जिसमें प्रोजेक्ट अफसर, जिला अधिकारी और विकास खण्ड के अधिकारी लोग, यही सारे स्थानीय सरकारी अधिकारी उसमें रखे गये हैं और यह भी भारत सरकार के निर्देशन में बनाया गया हैं।

*१७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस अभिकरण को आपने कौन-कौन काम दिये हैं ? इस बारे में मैं स्वयं बतना चाहता हूं कि उसको आपने रुपया देकर लोनिंग की व्यवस्था की हैं, तो क्या सरकार ने इस बात की भी कोई जानकारी करने की कोशिश की हैं कि जो आपने ब्लाकों को ५-५ लाख रुपया दिया हैं, उसका यूटीलाइजेशन नहीं हो सका हैं, क्योंकि आप लोन बैंक से और अनुदान इनसे दिलाना चाहते हैं ? यदि यह बात सामने आई हैं तो इसके समाधान के लिए सरकार ने कोई रास्ता निकाला हैं या नहीं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया हैं कि रुपया यूटीलाईज नहीं हो रहा हैं। अभी तो शुरू-शुरू में यह योजना लागू की गई हैं।

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय, मेरठ के लिपिक श्री माम राज सिंह के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

*१८—श्री मन्जूर अहमद—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी डेरी डेवलपमेन्ट के कार्यालय मेरठ में पचास हजार रुपये के गबन के संबंध में दिनांक ११-८-७९ व १९-९-७९ को सिविल लाइन थाना मेरठ में अलग-अलग दो रिपोर्ट लिखाई गई हैं ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या हैं और अब क्या मुलजिमान के खिलाफ अलग-अलग क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, मेरठ ने दिनांक ११-८-७९ को रु० २०,२२७.४५ (रु० बीस हजार दो सौं सत्ताईस तथा पैसे पैंतालिस मात्र) तथा दिनांक १९-९-७९ को रु० १,९९०.७४ (रुपये एक हजार नौं सौं नब्बे तथा पैसे चौंहत्तर मात्र) के राजकीय धन के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिविल लाईन, मेरठ में अलग-अलग लिखायी।

दिनांक ११-८-७९ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में श्री मामराज सिंह, वरिष्ठ लिपिक ने कर्मचारियों के नाम फर्जी भुगतान दिखाकर रुपये २०,२२७.४५ पैसे का गबन किया तथा दिनांक १९-९-७९ की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रुपये १,९९०.७४ पैसे के फर्जी भुगतान दिखाकर गबन किया।

उक्त दोनों ही मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-४०९ के अन्तर्गत अलग-अलग मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं। पुलिस द्वारा विवेचना जारी हैं। पुलिस कार्यवाई के अतिरिक्त मुलजिम श्री मामराज सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई हैं जिसमें गबन के आरोपों के आधार पर श्री मामराज सिंह, को निलम्बित किया गया हैं तथा विभागीय कार्यवाही जारी हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

इस केस में लगभग एक वर्ष से ज्यादा हो गया, अभी तक मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने क्या कोई कार्यवाही की ? और सरकार ने निलम्बन के अलावा और क्या कार्यवाही की ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि पुलिस की कार्यवाही तो अलग हो रही है और पुलिस को इसके बारे में लिख भी दिया गया है कि वह शीघ्र कार्यवाही करे, लेकिन उसकी कार्यवाही का इंतजार न करते हुए विभाग ने उसका निलम्बन करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाग के दीगर अधिकारी, जिनकी गफलत के कारण उनके नीचे के अधिकारी द्वारा इतना बड़ा गबन कर लिया गया है, उनके खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सरकार का प्रयास यह है कि शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मंगवा ली जाय और उस पर फाइनल निर्णय शासन ले लें।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

एग्रो कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की बैलेंस शीट

*६९—श्री राम लाल वर्मा—

दिनांक २८ मई, ७९ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत बैलेन्सशीटें किस वर्ष तक की बनकर सम्प्रेक्षित हो चुकी हैं तथा शेष कब तक बन जावेंगी ? यदि अभी तक कोई भी बैलेन्शसीट नहीं बनाई जा सकी तो क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एग्रो कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (ई० पी० एफ० ट्रस्ट) की प्रथम बैलेन्सशीट वर्ष १९७२-७३ की बन गई है, जिसका सम्प्रेक्षण शीघ्र ही कराया जावेगा। वर्ष १९७३-७४ की बैलेन्सशीट का कार्य प्रगति पर है। इसके बाद के वर्षों की बैलेन्सशीट बनाने के लिए संबंधित लेखे-जोखे तैयार किये जा रहे हैं और बैलेन्सशीट भी शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने का प्रयत्न निगम द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट की स्थापना अगस्त, १९७३ में हुई थी जबकि कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखे-जोखे मई, १९७१ से ही बनाने पड़े और कार्य प्रारम्भ करने के लिये लेखे, जोखे के आंकड़े एकत्रित करने में तथा औपचारिकतायें बरतने में काफी समय लग गया, जिसमें विलम्ब हुआ जिसके लिये किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

कृषि सेवा वर्ग प्रथम के कर्मचारियों की पदोन्नति

*२०—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशक संगठन के अन्तर्गत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग प्रथम (विकास) के पदों पर वर्ष १९७२ से लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित तथा वर्ष १९७६ से स्थायी सदस्यों की पदोन्नति श्रेणी २ में क्यों नहीं की गई है जबकि ११६ ऐसे सदस्य जो अधिनस्थ कृषि सेवा वर्ग १ में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होते हुए शासनादेश संख्या ए-५७२ (१२)/(१)-२९९ (१४३)/७७ दिनांक १२-५-७० (३० सदस्य) तथा संख्या ए-२०५/१२ (१) १२८९/७८ दिनांक १२-२-८० (८६ सदस्य) के द्वारा पदोन्नति किए गए हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश प्रसारित नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-२ में ११३ ऐसे कर्मचारियों को, जो अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-२ में स्थायी थे तथा जिन्होंने १५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, परन्तु लोक सेवा आयोग से वर्ग-१ में अनुमोदित नहीं थे, जनहित में तदर्थ रूप से पदोन्नति की गई। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-१ में लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष १९७२ में अनुमोदित सदस्य उक्त ११३ कर्मचारियों की प्रोन्नति के समय कृषि सेवा श्रेणी में प्रोन्नति हेतु सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार अर्ह नहीं थे क्योंकि उस समय वे अस्थायी थे एवं उन्होंने १५ वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर मण्डल में अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति

**१—श्री केदार नाथ सिंह—

प्रश्नकर्ता को सम्बोधित शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक १-१-८१ के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि शासन के समक्ष कौन सी कठिनाई उपस्थित हो गई है, जिसके कारण गोरखपुर मंडल की ३३ तदर्थ रूप से नियुक्त, सत्र १९७९-८० की अध्यापिकाओं की सेवायें शासन द्वारा नियमित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है ?

उप मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री निर्मल कुमार)—

शिक्षा सत्र १९७९-८० में प्रसंगत अध्यापिकायें मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अल्पकालीन व्यवस्था में सत्रान्त तक के लिये ही नियुक्त की गई थी। प्रवक्ता तथा स्नातक वेतनक्रम के इन पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से होती है। आयोग से नियमित चयन होने तक शिक्षा निदेशक द्वारा केन्द्रीय स्तर पर, गुणांक के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती है। प्रसंगत अध्यापिकायें केन्द्रीय स्तर पर गुणांक के आधार पर नहीं चुनी गई थीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी थी, उन्होंने सेवा कार्य भी किया था और फिर हटा दिया गया। अब प्रदेश के पर्वतीय अंचल में उन अध्यापिकाओं को रखा जा रहा है, जिनको हटा दिया गया था, तो फिर मैदानी इलाके में जहां कहीं भी स्थान रिक्त हों उनकी उपयोगिता को देखते हुए एडहाक बेसिस पर पुनः नियुक्त न करने का कारण क्या है, जब तक कि वे नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं हो जाती हैं ?

श्री निर्मल कुमार—

जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों की बात है वहां पर विशेष परिस्थितियां हैं। वहां पर मैदानी क्षेत्रों से कोई जाना नहीं चाहता है। जहां तक मैदानी क्षेत्रों की बात है यहां गुणांक के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया वह सच्चाई से परे है। मैं एक सूची पेश कर रहा हूं। मैदानी क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, अभी हाल ही में। ३-१०-८० को ४, १०-१२-८० को २३ तथा २६-१२-८० को १४ नियुक्तियां हुई हैं तथा १७-१-८१ को १ नियुक्त हुई है, तो यह जो नियुक्तियां हो रही हैं, इनका क्या औचित्य है जब कि इनसे ज्यादा गुणांक वाली अध्यापिकाओं को छोड़ दिया गया है ?

श्री निर्मल कुमार—

जो नियुक्तियां मैदानी क्षेत्रों में होती हैं वे शैक्षिक सत्र भर के लिए होती हैं और जैसा कि आपको ज्ञात होगा इस तरह की तदर्थ नियुक्तियों को करने का अधिकार निदेशक को है जो समय और आवश्यकता को देखते हुए की जाती हैं और ये तदर्थ नियुक्तियां गुणांक के आधार पर की जाती हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

निदेशालय में मनमानी तौर पर नियुक्त हो रही हैं। गोरखपुर में इसी तरह की नियुक्त हुई हैं। गुणांक के आधार पर नियुक्त वहां नहीं हुई हैं और किन्हीं विशेष कारणों से नियमों का उल्लंघन करके ये नियुक्तियां हुई हैं तो क्या माननीय मंत्री इसके लिये जांच कराने का आदेश देंगे ?

श्री निर्मल कुमार—

कोई अनियमितता हुई है तो उसको दिखवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जो अध्यापिकायें पहले सेवा कर चुकी हैं उनको प्राथमिकता न दे कर उनको दी गयी जिनके प्रार्थना-पत्र बाद में निदेशालय को मिले। पुरानी अध्यापिकाओं को वरीयता न देकर नई अध्यापिकाओं की नियुक्ति किस आधार पर कर दी गयी जब कि उनकी पहले से कोई सेवा भी नहीं थी और गुणांक भी कम थे ? और अगर सरकार इस बात को समझती है कि इस प्रकार की नियुक्तियां तदर्थ रूप से मनमानी तरीके से की गयीं या सत्तारूढ़ दल के लोगों की सिफारिश पर की गयी हैं, तो क्या सरकार इस मामले में जांच कराने की कृपा करेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

जहां तक ३२ अध्यापकों और अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रश्न है ये तदर्थ रूप में हुयी थी। उस समय गुणांक के आधार पर नहीं। अब आदेश है कि अब जो प्रार्थना-पत्र आमंत्रित हैं इनको गुणांक के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। संभव है कि जो अध्यापक और अध्यापिकायें सेवा निवृत्त हों जब प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे उस समय उन्होंने अपने-अपने प्रार्थना-पत्र न दिए हों।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि आवेदन-पत्र भी आ गये थे, तो जब नियुक्तियां की गईं तो उनके पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं विचार किया गया ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो स्थान रिक्त हैं या आगे होने वाले हैं, उन पर इन ३२ लोगों को नियुक्त कर दिया जायेगा, प्राथमिकता के आधार पर ?

श्री सच्चिदानन्द—

यदि वे गुणांक की योग्यता में ठीक आते हैं तो अवश्य ही उनको नियुक्त किया जायेगा।

दंगाग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक जुर्माना लगाये जाने पर विचार

**२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री किरन पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने प्रदेश के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में कोई विशेष टैक्स लगाने का निर्णय हाल में लिया है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा का आधार क्या होगा ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

सरकार का विचार है कि प्रदेश के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों से सार्वजनिक जुर्माना वसूल किया जाना जनहित में होगा। इस प्रश्न से संबंधित विधिक प्राविधान का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जुर्माना अंग्रेजों के समय क्योंकि तब लोग आजादी की लड़ाई में काम करते रहे, लगाया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि आज दंगा कुछ निश्चित लोग करते हैं, सरकार को पता लगाकर उन्हें दन्डित करना चाहिए न कि उस क्षेत्र के, जहां दंगा होगा, वहां के सब लोगों पर टैक्स लगाया जायेगा। वह कौन से तथ्य सरकार जनहित में समझ रही है, जिनके अनुसार सबके ऊपर टैक्स लगाया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जो प्राविधान आपने बताया कि अंग्रेजों के समय से ऐसा होता चला आ रहा था, तो उनमें और आज की परिस्थितियों में अन्तर है। कैसे दंगा रोका जाय और सामान्य नागरिक अपने कर्त्तव्य को ज्यादा अच्छी तरह से निर्वहन कर सके इन परिस्थितियों को सोचकर कि वह अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे और सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके, इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा प्रश्न यह था कि दंगा होता है और दंगा कुछ लोग करा देते हैं, तो जो लोग शान्ति और व्यवस्था के दोषी हैं, उनको दन्ड मिलना चाहिए। वह कौन से कारण या बिन्दु, शासन के सामने हैं जिनके कारण सामूहिक जुर्माना लगाने की बात कही गई। अगर यह जुर्माना व्यवस्था लागू होगी तो उसका आधार क्या है ? कोई भेद होगा, कोई विभेद होगा इसका क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यही तो सब जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर विचार हो रहा है। यदि पूरा विचार हो गया होता, तो उसे बता ही देता।

श्री गौरी शंकर भैया—

जो अधिकारी दंगाग्रस्त क्षेत्रों में आन ड्यूटी होंगे, क्या उनके ऊपर भी कोई टैक्स लगाने की बात सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इससे संबंधित तो था कि जहां दंगा होता है वहां के अधिकारियों पर अधिक से अधिक जिम्मेदारी अंकित की जाती है, उन्हें दन्ड दिया जाता है।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

अलीगढ़ में भीषण दंगा हुआ था क्या उस समय की सरकार ने कोई टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था तथा दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समय के शासन के एक घटक ने इसका विरोध भी किया था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, एक बार पहले विचार तो हुआ था दंगे को रोकने के लिए। इस बार मैं कोई विशेष जानकारी नहीं है। आप आज्ञा देंगे तो विचार करके बता दूंगा।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम प्रधान, दोकनहा, जिला रायबरेली द्वारा लिखित कथित पुस्तक "ग्राम सभा प्रगति की ओर"

१—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत खोले गये ब्लाक को दोकनहा ग्राम सभा में २६ जनवरी, ७८-७९ एक किताब (ग्राम सभा प्रगति की ओर) ग्राम प्रधान द्वारा निकाली गयी जिसमें पंचायत की आमदनी करोड़ों रुपयों में दिखायी गयी है यदि हां तो सन ७२ से विशेष आडिट कराकर इस धन का पता लगाया जायेगा कि यह धन कहां-कहां और कितना खर्च हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी—

२६ जनवरी, ७८ या ७९ में "ग्राम सभा प्रगति की ओर" नाम की किताब, प्रधान ग्राम सभा, दोकनहा द्वारा नहीं निकाली गयी है। अतः इस संबंध में विशेष आडिट का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र खुटहन में खाद्यान्न योजना के मजदूरों की मजदूरी

२—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन में खाद्यान्न योजना के अंतर्गत वर्ष १९८०-८१ में कार्य विकास खंड अधिकारी द्वारा कराया गया था ? यदि हां तो मजदूरों को अब तक मजदूरी दी गई ? यदि नहीं तो क्या कारण है ? क्या शीघ्र उनकी मजदूरी दिलाये जाने की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जून, १९८० तक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण न हो सका था। अब इसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है।

कृषि विश्व विद्यालय, गोरखपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं स्थानान्तरण

३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रधानाचार्य कृषि विद्यालय कैनहिया गोरखपुर का स्थानान्तरण चन्द माह पूर्व गंभीर आरोपों के आधार पर हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसे पुनः निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय गोरखपुर का स्थानान्तरण सितम्बर १९८० में किया गया था, जिसे पुनः विचारोपरान्त जनहित में निरस्त कर दिया गया।

४—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि गत वर्ष अधीनस्थ कर्मचारियों ने तथा गत माह प्रश्नकर्ता ने उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध रिश्वत अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री एम० एन० राय, प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय कैनहिया, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) को सौंपी गई है तथा माननीय सदस्य के पत्र व कुछ अन्य शिकायती पत्रों पर जांच सतर्कता अधिष्ठान से करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय उद्यान, चौबटिया में चेरी का उत्पादन

५—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय उद्यान चौबटिया में पिछले चार वर्षों में कितनी चेरी का उत्पादन हुआ तथा इसका निस्तारण किस प्रकार किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

चेरी का कुल उत्पादन ५५४ किलो १०० ग्राम हुआ । इसका निस्तारण समीपवर्ती लोगों एवं चौबटिया आने वाले पर्यटकों में नकद बिक्री द्वारा किया गया ।

औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चौबटिया, अल्मोड़ा में कर्मचारियों को प्रदान की गयी पी-एच० डी० की कथित सुविधा

६—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चौबटिया (अल्मोड़ा) में पिछले पांच वर्षों में कितने विभागीय कर्मचारियों को पी० एच० डी० करने की सुविधा राजकीय व्यय पर उपलब्ध की गयी है ? क्या मंत्री जी उनके नाम और जनपद भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । राजकीय व्यय पर किसी कर्मचारी को पी० एच० डी० करने की सुविधा नहीं दी गयी । अतएवं, उनके नाम बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति

७—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित छः खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं ? उनके केन्द्रों से उत्तीर्ण कितने प्रशिक्षार्थियों को उद्योग

विभाग में रोजगार दिया गया तथा किस पद पर ? क्या मंत्री जी अलग-अलग केन्द्रों का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रदेश में छः खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, देहरादून एवं नैनीताल में स्थित हैं।

इन केन्द्रों से उत्तीर्ण ७ प्रशिक्षार्थियों को वर्ग-३ के पद पर रोजगार दिया गया।

केन्द्रवार विवरण निम्नवत् है—

आगरा केन्द्र—२

मेरठ केन्द्र—५

फल संरक्षण केन्द्र के इन्चार्ज को पदोन्नति की मांग

८—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फल संरक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश के कितने इंचार्ज अपने वेतनमान का अधिकतम कितने वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं ? क्या पदोन्नति की कोई अवधि उद्यान निदेशालय में निर्धारित है ? क्या इन्चार्ज फल संरक्षण केन्द्र को वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर डी० एच० ओ० के पद पर कार्य करने का मौका नहीं दिया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

फल संरक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश के चार इंचार्ज अपने वेतनमान का अधिकतम पा रहे हैं। इनमें से एक चार वर्ष से और तीन एक-एक वर्ष से। पदोन्नति के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है क्योंकि पदों की उपलब्धता के आधार पर दो कैडर के पदों पर पदोन्नति की जाती है। उद्यान तथा फल संरक्षण की अलग-अलग शाखा तथा कैडर होने के कारण संबंधित शाखा में ही पदोन्नति के पात्र होते हैं। अतः जिला उद्यान अधिकारी (डी० एच० ओ०) के पद पर कार्य करने का मौका दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग विभाग द्वारा रानीखेत में बुलायी गयी गोष्ठी

९—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९८० में निदेशक उद्यान द्वारा एक गोष्ठी रानीखेत में बुलाई गई थी जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में जिला उद्यान अधिकारियों तथा मण्डलीय उद्यान उप निदेशकों द्वारा भाग लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गोष्ठी किन परिस्थितियों में हुई तथा इस बैठक की कार्यवाही का सभापति निदेशक द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आँड्योनिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती तथा सहारनपुर के शोध सहायकों की शैक्षिक योग्यता

१०—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ एवं वरिष्ठ शोध सहायक के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है ? आँड्योनिक प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती तथा सहारनपुर का जो शोध सहायक कार्यरत हैं और इस शैक्षिक योग्यता को पूरी नहीं करते हैं क्या उन्हें तत्काल स्थानान्तरित कर उनके स्थान पर विभाग में उपलब्ध बी० एस-सी० (एजी०) या एम० एस-सी० (एजी०) द्वारा स्थान की पूर्ति की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कनिष्ठ एवं वरिष्ठ शोध सहायकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि है ।

आँड्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती एवं सहारनपुर में जो शोध सहायक कम शैक्षिक योग्यता रखते हैं वे प्रोन्नति कोटे के अंतर्गत पदोन्नत हुए हैं । फिलहाल इन लोगों के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के फल संरक्षण खण्ड के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारी

११—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग में फल संरक्षण खण्ड से कितने कर्मचारी विभाग के बाहर राजकीय सेवा में गये हैं ? क्या उनकी सभी सेवा शर्तें नियमानुकूल की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पांच ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आलू फार्म, जोशीमठ के भूतपूर्व आलू विकास अधिकारी के कार्यकाल में कथित गबन

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोशीमठ राजकीय आलू फार्म के भूतपूर्व आलू विकास अधिकारी द्वारा ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितने और दिनों की

सेवी की गयी ? क्या अतिरिक्त अवधि में कोई भारी गबन उक्त अधिकारी द्वारा किया गया ? यह मामला कब प्रकाश में आया तथा निदेशक द्वारा इसकी सूचना कब शासन को भेजी गयी ? क्या अवकाश प्राप्त उक्त अधिकारी निदेशक ने गुलावटी बुलन्दशहर फार्म पर भी कार्य किया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । ५८ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद वे राजकीय सेवा में नहीं रहे ।

माह अप्रैल १९७८ में उनके आहरण एवं वितरण की लेखा सम्प्रेक्षण के समय कुछ वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आयी जिसकी सूचना निदेशक उद्यान से अगस्त, १९७९ में प्राप्त हुयी थी । उक्त अधिकारी ने निदेशक उद्यान के गुलावटी बुलन्दशहर स्थित फार्म पर शासकीय सेवा में रहते हुए कोई कार्य नहीं किया ।

कृषि विभाग, गोरखपुर के कथित प्रसार सेवा अधिकारी

१३—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग दो वर्ष से प्रसार सेवा अधिकारी, गोरखपुर लखनऊ में बैठ रहे हैं और प्रसार सेवा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर में स्थित है तथा रुपया चार सौ प्रति माह भवन किराया दिया जा रहा है ? ऐसा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रसार सेवा अधिकारी का कोई राजपत्रित पद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के कतिपय विकास खण्डों के अन्त्योदय परिवारों को दिया गया अनुदान

१४—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड अजमतगढ़, हरैया तथा बिलरिया में वर्ष ७८-७९ तथा ७९-८० में अन्त्योदय कार्यक्रम में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गयी और यह धनराशि क्या सभी ग्राम्य सभाओं को दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खण्ड को वर्ष ७८-७९ में ३९,४०४-०० रु० तथा वर्ष ७९-८० में १,३१,०००-०० रु० विकास खण्ड हरैया को वर्ष ७८-७९ में ९,०२२-४० रु० तथा वर्ष ७९-८० में १,६७,६६०-०० रु० तथा विकास खण्ड बिलरियागंज को वर्ष ७८-७९ में १,५३,२०२-७० रु० तथा वर्ष ७९-८० में १,८५,०००-०० रु० की धनराशि अलग-अलग दी गयी । ग्राम सभाओं को नियमानुसार अनुदान नहीं दिया जाता है बल्कि अनुदान अन्त्योदयी परिवार को दिया जाता है । यह अनुदान अन्त्योदयी के ऋण बही खाते में समायोजित कर दिया जाता है ।

विकास खण्ड हरैया एवं अजमतगढ़ जिला आजमगढ़ में खाद्यान योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

१५—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष ७९-८० में आजमगढ़ जनपद के हरैया तथा अजमतगढ़ ब्लाकों में अलग-अलग कुल कितनी सड़क का निर्माण खाद्यान्न योजना में किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष १९७९-८० में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड हरैया में कुल ३१ तथा विकास खण्ड अजमतगढ़ में १६ सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है।

उद्यान निदेशक द्वारा उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, रानीखेत का दौरा

१६—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान निदेशालय का मुख्यालय रानीखेत में है? यदि हां, तो विगत वर्ष में निदेशक अपने मुख्यालय पर कब-कब और कितनी अवधि के लिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां

विगत वर्ष में निदेशक निम्नलिखित तिथियों में रानीखेत मुख्यालय गए थे :—

२०-५-७९ से २१-५-७९ दो दिन

१८-६-७९ से २०-६-७९ तीन दिन

२२-६-७९ से २४-६-७९ तीन दिन

६-७-७९ से ७-७-७९ दो दिन

खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा के प्रधानाचार्य का रिक्त पद

१७—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा का पद कब से और किन परिस्थितियों में रिक्त है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

९-१-८० से है क्योंकि यहां के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण कार्य के हित में नव-सृजित खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून में कर दिया गया है।

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता

१८—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के उद्यान एवं फल संरक्षण शाखाओं में बने वर्ग एक, वर्ग दो तथा वर्ग तीन के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ? क्या सीधी भर्ती में उसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में उद्यान एवं फल संरक्षण शाखाओं में वर्ग एक, वर्ग दो तथा वर्ग तीन के पदों पर सीधी भर्ती के लिये पृथक-पृथक शैक्षिक अर्हताएं हैं जो निम्न हैं :—

उद्यान शाखा

वर्ग-१ उद्यान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ।

वरीयान-२ वर्ष का अनुभव ।

वर्ग-२ कृषि स्नातक, वरीयान उद्यान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा बी० एस० सी० (कृषि) के साथ दो वर्ष का अनुभव ।

वर्ग-३ हाई स्कूल के साथ डिप्लोमा या इण्टरमीडिएट (कृषि) या बी० एस०-सी० (कृषि)

फल संरक्षण

वर्ग १—बी० एस-सी० अथवा बी० एस-सी० (कृषि) के साथ १५ माह का फल संरक्षण में डिप्लोमा अथवा एम० एस० सी० (फ्रूट टेक्नालाजी) अथवा एम० एस० सी० (कृषि) उद्यान शास्त्र के साथ फ्रूट टेक्नालाजी का विशेष प्रश्न पत्र ।

वरीयान-२ वर्ष का अनुभव

वर्ग-२ बी० एस० सी० या बी० एस० सी० (कृषि) के साथ १५ माह का फल संरक्षण में डिप्लोमा या एम० एस-सी० (हर्टीकल्चर) के साथ फल संरक्षण का विशेष प्रश्न-पत्र ।

वर्ग-३ इण्टरमीडिएट कृषि अथवा इण्टर (साइन्स) के साथ ६ माह का फल संरक्षण में डिप्लोमा ।

जी हां ।

सहायक प्रभारी, फल संरक्षण केन्द्र, लखनऊ व कानपुर की नियुक्ति

१९—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक प्रभारी अटैच फल संरक्षण केन्द्र लखनऊ—कानपुर की नियुक्ति किस पद पर की गयी थी ? क्या ये पद शासन द्वारा स्वीकृत थे ? क्या इन लोगों को विभाग में जाने के बाद कोई पदोन्नति भी मिली है ? यदि हां, तो क्या ज्येष्ठता के आधार पर उक्त पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ग ३ में ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । बंकरी विषय में विशेष योग्यता रखने के कारण उन्हें तदर्थ-रूप से जनहित में पदोन्नति की गयी ।

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय का कार्यालय

२०—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए पृथक उद्यान निदेशालय की स्थापना शासन के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान निदेशक का मुख्यालय रानीखेत है परन्तु किन कारणों से उन्हें लखनऊ में रखा जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां

प्रदेश के मैदानी जनपदों के उद्यान कार्य तथा प्रदेश की आलू योजनाओं के समस्त कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने, शासन स्तर और अन्य विभागाध्यक्षों से वैकासकीय कार्यों के, संबंध में प्रभावी समन्वय स्थापित करने हेतु निदेशक का मुख्यालय लखनऊ रखा जाना आवश्यक है ।

श्री परमानन्द सिंह, बी० एफ० ए० आराजी लाइन, वाराणसी का शिकायती-पत्र

२१—श्री पंचानन—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमानन्द सिंह, बी० एफ० ए० आराजी लाइन्स, वाराणसी का शिकायती पत्र दिनांक १-१०-८० निदेशक, पशुपालन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रमुख शिकायत वर्ष १९६४-६५ से संबंधित अवशेष वेतन रु० ४५६.०० के भुगतान न किये जाने के बारे में है ।

निदेशक, पशुपालन ने उक्त अवशेष वेतन बिल को महालेखाकार को भेजा था, जिसे महालेखाकार ने कुछ आपत्तियां लगाकर जिला पशुधन अधिकारी, गोण्डा को उनके निराकरण हेतु लौटा दिया है । निदेशक, पशुपालन ने जिला, पशुधन अधिकारी, गोण्डा को बिल की आपत्तियों के तुरन्त निवारण करने हेतु निर्देश दे दिये हैं ।

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, लखनऊ द्वारा पौध की खरीद

२२—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ स्थित निदेशालय के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा पौध का क्रय किया जाता है ? क्या यह कार्य मण्डलीय स्तर पर नियुक्त उप निदेशक उद्यान द्वारा नहीं हो सकता है ।?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जी हां

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति

२३—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग १, २ व ३ की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है और विगत तीन वर्षों से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के जिन कर्मचारियों को इन वर्गों में पदोन्नति की गयी है क्या वे इस योग्यता को पूरी करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-१, २ व ३ की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्रमशः एम० एस-सी० (कृषि) (उद्यान), बी० एस-सी० (कृषि) एवं हाई स्कूल के साथ कृषि डिप्लोमा या इण्टर (कृषि) या बी० एस० सी० (कृषि) है । विगत तीन वर्षों में जिन कर्मचारियों को इन वर्गों में पदोन्नति दी गयी है वे प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत आते हैं । प्रोन्नति कोटे के लिए कोई शैक्षिक योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं है ।

उद्यान सचल दल, वाराणसी एवं गोरखपुर के लिये वाहन की खरीद

२४—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने सन १९७६ में उद्यान सचल दल वाराणसी एवं गोरखपुर की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दो वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या वे वाहन क्रय के पश्चात् वहां भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां

जी नहीं । उस समय योजना प्रारम्भिक अवस्था में थी । अतः इन्हें तत्काल रिलीज नहीं किया गया । बाद में उक्त दोनों जनपदों हेतु तीन वाहन सचल दल हेतु उपलब्ध कराए गए हैं ।

• उद्यान निदेशक की कार के पेट्रोल का खर्च

२५—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्यान की स्टाफ कार नं० ई० टी० टी० ६७७७ पर पिछले वर्ष में पेट्रोल तथा इसके अनुरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय हुयी तथा कितने किलोमीटर प्रति माह चली और उक्त गाड़ी का लाग बुक किसके द्वारा भरा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। इस नम्बर की कोई स्टाफ कार उद्यान निदेशक के पास नहीं है अतः विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के कृषि विभाग के कामदारों की सेवा समाप्ति

२६—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने कामदारों की सेवायें ३१ अगस्त, १९७५ को समाप्त कर दी गयी थीं ? ये कामदार उक्त तिथि को कितने वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कामदार के पद पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें इन्हें लिये जाने पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जनपद में दिनांक ३१-८-७५ को कुल २१ कामदारों की सेवायें समाप्त की गई थी। ये कामदार उक्त तिथि को कम से कम २ वर्ष २८ दिन, तथा अधिक से अधिक ९ वर्ष १ माह २६ दिन की सेवा पूरी कर चुके थे। इस जनपद में इस समय कामदार का कोई पद रिक्त नहीं है अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

२७—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में निर्धारित सेवा अवधि के अन्तर्गत जो शासन द्वारा स्वीकृत हैं कितने कर्मचारियों का स्थाईकरण नहीं किया गया है ? क्या स्थाई पद होने के बावजूद उपरोक्त वर्ग १, २ व ३ व ५ में से बहुत से कर्मचारी १० साल से अधिक कार्य पर हैं परन्तु आज भी वे अस्थायी हैं ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? क्या शासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में शासन द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत सेवा अवधि के अन्तर्गत ५५७ कर्मचारियों का स्थाईकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

स्थायी पद उपलब्ध होने के बावजूद वर्ग—१, २ तथा ३ के ऐसे कर्मचारी जो १० वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, का स्थायीकरण विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने, विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियां चलने, चरित्र प्रविष्टियां ठीक न होने अथवा और अन्य औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण अस्थायी बने हुए हैं। इसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं आता। शीघ्र स्थाईकरण की कार्यवाही किये जाने के शासन ने निर्देश दे दिये हैं।

राजकीय उद्यान, लखनऊ के अधीक्षक के विरुद्ध मूर्ति चोरी का कथित आरोप

२८—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान अधीक्षक, राजकीय उद्यान, लखनऊ की शैक्षिक योग्यता क्या है ? इनका चयन किस पद हेतु किया गया था ? क्या उद्यान विभाग में एम० एस० सी० (ए०जी०) हार्टिकल्चर सुलभ नहीं हैं ? क्या जागेश्वर मूर्ति चोरी काण्ड में यह अधिकारी गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां तो ऐसे अधिकारी की इतने जिम्मेदार पद पर नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या निदेशक उद्यान का भी नाम उक्त मूर्ति चोरी काण्ड में उक्त अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय उद्यान, लखनऊ के वर्तमान अधीक्षक की शैक्षिक योग्यता बी० एस-सी० (कृषि) एवं एम० एस-सी० (कृषि) है।

इनका चयन लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा आलू योजना में बीज उत्पादन अधिकारी (सीड प्रोडक्शन आफिसर), अल्मोड़ा के पद पर किया गया। इस पद का पदनाम शासन द्वारा बदलकर आलू विकास अधिकारी, अल्मोड़ा कर दिया गया। फलस्वरूप ये दोनों पद एक संवर्गीय हो गये।

उद्यान विभाग में एम० एस-सी० (एजी०) हार्टिकल्चर सुलभ हैं किन्तु संवर्गीय पद होने के कारण जनहित में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण किया जाता है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय उद्यान, लखनऊ के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक का मकान

२९—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक, राजकीय उद्यान, लखनऊ से सम्बद्ध वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, जो लखनऊ नगर के सुन्दरीकरण योजना के प्रभारी एवं वरिष्ठ सलाहकार थे, ने अपना एक निजी आलीशान पक्का भवन बादशाहनगर (फैजाबाद) रोड, लखनऊ कालोनी, के पास बनाया है ? यदि हां, तो इन्हें इतना धन कहां से और कैसे मिला ? क्या इस कर्मचारी द्वारा भवन अग्रिम धनराशि ली गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी स्थायी है या अस्थायी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

संबंधी तथा मित्रों से ।

जी हां ।

स्थायी हैं ।

विकास खंड, खुटहन जिला जौनपुर के लिये जीप की मांग एवं खाद्यान्न योजना

३०—श्री जंगबहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन के विकास क्षेत्र अधिकारी के लिये कोई जीप की व्यवस्था नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो विकास क्षेत्र खुटहन के पिछड़ेपन को देखते हुए शीघ्र वाहन की व्यवस्था की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जौनपुर जनपद के पुनर्जीवित विकास खंड खुटहन के विकास खंड अधिकारी को निकटवर्ती विकास खण्डों की जीप आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे विकास खंड खुटहन में विकास कार्य किया जाता हैं ।

३१—श्री जंगबहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९८०-८१ के लिए जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र के लिये खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कार्य करने हेतु कोई व्यवस्था अब तक की गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र ही धन की व्यवस्था करके कार्य प्रारम्भ कराने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । वर्ष १९८०-८१ के लिये जनपद स्तर पर इसके लिए योजना बनाई गयी हैं । इसके ऊपर अग्रिम कार्यवाही भी जनपद स्तर पर विचाराधीन हैं ।

३२—श्री प्रभुनारायण सिंह—

[२रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

३३—श्री राम आसरे वर्मा—

[२रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

३४—श्रीमती गौरी देवी—

[२रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों का निलम्बन

३५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल के उन्नाव जनपद में कृषि विभाग के ग्रुप तीन के कितने कर्मचारी इस समय निलम्बित हैं और उनके मामलों का निस्तारण

कब तक हो जायगा ? क्या इन निलम्बित कर्मचारियों को शासनादेश संख्या जी—२-१२६७/दस-५३४ (८०)-६९, दिनांक २४-८-७४ के अनुसार निलम्बित तिथि ६ माह तक वेतन का आधा तथा ६ माह के बाद तीन चौथाई निर्वाह भत्ते के रूप में नियमित रूप से दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ मण्डल में, उन्नाव जनपद में कृषि विभाग के ग्रुप-३ के ६ कर्मचारी इस समय निलम्बित हैं । इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इन ६ कर्मचारियों में से २ कर्मचारियों को निलम्बित हुए अभी ६ माह से कम ही हुए थे, अतः इनके निलम्बन भत्ते में इस समय अभिवृद्धि का प्रश्न नहीं उठता है । अन्य ४ कर्मचारियों में से ३ कर्मचारियों के निलम्बन भत्ते में अभिवृद्धि किये जाने के निर्देश कृषि निदेशक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं । शेष १ कर्मचारी के सम्बन्ध में कृषि निदेशक को अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस कर्मचारी के पक्ष में निलम्बन भत्ते में अभिवृद्धि किये जाने के निर्देश अभी तक नहीं भेजे जा सके हैं ।

जिला परिषद अधिनियम में किया गया संशोधन

३६—श्री रियासत हुसैन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६१ के बाद जिला परिषद् अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया और उन संशोधनों को कितनी बार न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम में दस बार संशोधन किया गया जिनको न्यायालय द्वारा एक बार भी अवैध नहीं ठहराया गया ।

आजमगढ़ जिले की डुमरी व लघुवाई मारूपुर सड़क का निर्माण

३७—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ के घोसी तहसील में खाद्यान्न योजना में बनी डुमरी-लघुवाई-मारूपुर सड़क पक्की कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरौंडिहा कृषि फार्म, जिला बस्ती की आडिट रिपोर्ट

२८—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थित अमरौंडिहा कृषि फार्म की आडिट रिपोर्ट वर्ष १९७५-७६, ७६-७७ एवं ७७-७८ द्वारा कई हजार का गबन पाया गया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त इंचार्ज का प्रोमोशन कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बस्ती में स्थित अमरौंडिहा प्रक्षेत्र का विभागीय आडिट वर्ष ७५-७६, ७६-७७ तथा ७७-७८ तक नहीं हुआ है। मात्र वर्ष ७५-७६ एवं ७६-७७ का आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की पार्टी द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट में कोई भी गबन नहीं पाया गया है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह सही है कि तत्कालीन फार्म इंचार्ज का प्रमोशन हो चुका है।

प्रदेश में बेरोजगार पशु चिकित्सक

२९—श्री नन्द किशोर सिंह—

विधान सभा के दिनांक ५ सितम्बर, १९८० के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७६ से १९७८ तक के पशु चिकित्सा स्नातकों के प्राप्तांक की सूची को सदन के पटल पर रखेंगे जो १७-१८ फरवरी, १९८० के चुनाव में आधारित थी तथा यह बताने का कष्ट करेंगे कि ३-४ साल से बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातक को सरकार सेवा में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष १९७६ से ७८ तक चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मथुरा प्रांगण, मथुरा तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृशि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (नैनीताल) से बी० बी० एस० सी० एण्ड ए० एच० की परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के संबंध में उनके प्राप्तांकों की सूची मेरे कक्ष में देखी जा सकती है।

बेरोजगार पशु चिकित्साविदों को विभाग में स्थान रिक्त होने पर आवश्यकतानुसार सेवा में लिये जाने हेतु वर्तमान नियमों/निर्देशों को दृष्टिगत करते हुए विचार किया जाता है।

प्रदेश में कृषि ग्राम सेवकों की नियुक्ति

४०—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या शासन को जानकारी है कि बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार दिलाने हेतु वर्ष १९७२ में बदायूं, फतेहपुर, बलिया एवं रायबरेली जिले में कुल ४४० कृषि स्नातक ग्राम

†छापी नहीं गयी।

सेवकों की नियुक्तियां की गयी थीं ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात हैं कि इन नियुक्त कर्मचारियों में से २२० की नियुक्ति संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा तथा अन्य जिलाधिकारियों के माध्यम से की गयी हैं ? क्या यह सत्य हैं कि इन कृषि स्नातक ग्राम सेवकों को अभी तक न तो कृषि विभाग से सम्बद्ध किया गया हैं और न ही किसी विभाग से ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष १९७२-७३ में ४४० पद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग ३ में कृषि ग्राम सेवकों के पद नाम से सृजित हुए जिनके विरुद्ध कृषि निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालयों को उनके नियुक्ति अधिकारियों द्वारा नियुक्ति हेतु भेजा गया। शासन के आदेशानुसार इन्हें ग्राम विकास विभाग के ग्राम सेवकों के संवर्ग में मिला लिया गया हैं।

भूमि संरक्षण विभाग, जिला बस्ती के श्री कुतबुद्दीन का वेतन

४१—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुतबुद्दीन भूमि संरक्षण जनपद बस्ती का १०-७-७१ से ४-१-७२ तक का जब वह जनपद देवरिया में कार्यरत थे, का बकाया वेतन अब तक नहीं दिया गया हैं ? क्या यह भी सत्य हैं कि उन्हें नया वेतन जो १-८-७२ से लागू हुआ हैं उसे भी नहीं दिया जा रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल इनका बकाया वेतन भुगतान और बढ़ोत्तरी तनख्वाह दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

श्री कुतबुद्दीन द्वारा बिना पूर्व अनुमति के लम्बी अवधि (१०-७-७१ से ४-१-७२) तक अनुपस्थित रहने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका हैं। इनके अनुपस्थित अवधि के लिए नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही हैं। अवकाश के संबंध में निर्णय हो जाने पर तदनुसार देय वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा। भूमि संरक्षण अधिकारी दुद्धी के आदेश दिनांक २८-१२-७२ द्वारा श्री कुतबुद्दीन का दिनांक १-८-७२ से लागू नये वेतनमान में वेतन निर्धारित किया गया था तथा उसी के अनुसार ही उन्हें वेतन दिया जा रहा हैं।

आगरा एवं इलाहाबाद मण्डलों के पशु चिकित्सकों का स्थानान्तरण

४२—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोहम्मद नबी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९८० में आगरा एवं इलाहाबा मंडलों में कितने पशु चिकित्सकों के स्थानान्तरण आदेश एक से अधिक बार किये गये और निरस्त किये गये? सबसे अधिक स्थानान्तरण और निरस्तीकरण के आदेश किन पशु चिकित्सकों के संबंध में हैं और उनकी संख्या क्या हैं तथा क्यों और किन परिस्थितियों में ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष १९८० में आगरा मण्डल में ६ तथा इलाहाबाद मण्डल में ८ पशुधन विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश एक से अधिक बार किये गये और निरस्त किये गये। आगरा मण्डल में डा० दामोदर गुप्त, पशुधन विकास अधिकारी, मैनपुरी (सम्प्रति सादाबाद, मथुरा) एवं इलाहाबाद मण्डल में डा० राज बहादुर, अतिरिक्त पशुधन विकास अधिकारी, जीरोरोड (इलाहाबाद), डा० सी० पी० पाठक, प्रभारी पशुधन विकास अधिकारी, जीरोरोड (इलाहाबाद) डा० शेष नारायण सचान पशु चिकित्सालय, हेवरा (इटावा) एवं धर्म वीर विमानी पशुधन विकास अधिकारी, मण्डलीय प्रयोगशाला, इलाहाबाद के संबंध में सबसे अधिक स्थानान्तरण-निरस्तीकरण के आदेश किए गये। प्रत्येक के संबंध में आदेश ४-४ बार निर्गत किये गये।

उपरोक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार, जनहित अथवा पारिवारिक परिस्थितियों वश किये गये।

विकास खण्ड, मलिहाबाद, जिला लखनऊ के ग्राम सेवक, स्व० श्री चन्द्र मोहन गुप्त की पेंशन एवं जी० पी० एफ०

४३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के मलिहाबाद में कार्यरत जिन ग्राम सेवकों की मृत्यु वर्ष १९६३ में हुई उनके नाम क्या हैं ? तथा क्या उनके आश्रितों को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी ०पी० एफ० का धन मिल गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक मिल जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

विकास खण्ड मलिहाबाद जनपद, लखनऊ में वर्ष १९६३ से कार्यरत ग्राम सेवकों में से केवल श्री चन्द्र मोहन गुप्त, ग्राम सेवक की मृत्यु हुई थी। विकास खण्ड मलिहाबाद के उक्त अवधि के लेखा अभिलेख गबन के केस में कोर्ट में जमा हैं, जिसके फलस्वरूप श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, स्वर्गीय ग्राम सेवक के आश्रितों को जी० पी० एफ० एवं पारिवारिक पेंशन आदि का भुगतान नहीं हो सका है। कोर्ट से अभिलेख प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। अभिलेख प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की बफर गोदामों से उठायी गयी खाद और खाद की कीमत में वृद्धि

४४—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों के बफर गोदामों से कौन-कौन सी खाद कितनी मात्रा में प्रत्येक जिले के कृषि अधिकारियों ने मई, १९८० में उठायी थी उठवायी हैं और १ जून से ८ जून, १९८० के बीच में किस मात्रा में खाद प्रत्येक जिले में उठायी गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रदेश के सभी जिलों के वफर गोदामों में लिए यूरिया डी० ए० पी० एवं म्यूरिट आफ पोटाश खाद कितनी-कितनी मात्रा में जिला कृषि अधिकारियों ने मई ८० और १-६-८० से ८-६-८० तक उठायी हैं उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८३ पर)

४५—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाने का आदेश ८-६-८० को सरकार ने किया था और कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक जिले को १८-६-८० को भेजा ? यदि हां, तो १० दिन का बिलम्ब करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रदेश में कपास, मूंगफली, सनई एवं सोयाबीन का उत्पादन

४६—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में काटन, मूंगफली, सनई, जूट, सोयाबीन आदि विभागों तथा उक्त फसलों के विकास पर ७४ से लेकर सन् ७९-८० तक कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त फसलों की पैदावार तथा क्षेत्र फल सन् ७४ से अब तक गिरा है ? इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष १९७४-७५ से १९७९-८० तक कपास, मूंगफली, सनई, जूट, सोयाबीन फसलों के विकास पर रु० ३,७९,१४,०८० खर्च किया गया। कपास, जूट, सोयाबीन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। मूंगफली के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अत्यधिक वर्षा अथवा भीषण सूखे की स्थिति में अनुकूल मौसम न होने के कारण कुछ गिरावट आई है। सनई के क्षेत्रफल में गिरावट नहीं आई है परन्तु वर्ष १९७९-८० के भीषण सूखे के कारण उत्पादन में कमी हुई। उपरोक्त के लिए कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फालिज रोग ग्रस्त कृषि निदेशक, डाक्टर हरिहर प्रसाद सिंह

४७—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, कृषि विभाग (श्री हरिहर प्रसाद सिंह) कृषि में पी० एच-डी० हैं और इनको नयी वैराइटी पैदा करने का बहुत ही बड़ा अनुभव प्राप्त है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं ? यदि हां, तो सरकार कृषि के लिए नयी नयी वैराइटी फसलों के लिए तैयार कराने के लिए इन्हें कानपुर कृषि विश्वविद्यालय या फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय या पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में भेजने पर विचार कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि निदेशक डा० हीरहर प्रसाद सिंह ने कृषि में पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त नहीं की है। इन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने १९७९ के दीक्षान्त समारोह में एग्रीकल्चरल कैमेस्ट्री में "डाक्टर आफ साइंस" की उपाधि प्रदान की है। उपाधि हेतु इनके शोध का विषय "स्टडीज आन स्वायल्स आफ दी गर्जेटिक अल्विवयम इन रिलेशन टू सुगर केन एण्ड व्हीट क्राप्स" रहा। सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष नहीं है।

४८—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि निदेशक, कृषि विभाग को ३-४ वर्ष से फालिज मार गया है और उनका दाहिना हाथ एवं शरीर कार्य नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में ऐसे निदेशक को जो अपना कार्य का संपादन न कर सकता हो और शरीर एवं हाथ से अक्षम हो सेवा में रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त निदेशक को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश करने को तैयार है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद बनाने के लाइसेन्स एवं खाद के नमूनों का विश्लेषण तथा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के भण्डार गृहों में खाद का भण्डारण

४९—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने लोगों को ८, ८, ८-१०, १०, १०-१५, १५, ७ १/२ आदि खादों को बनाने के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं जिसका स्वरूप डाई अमोनियम-फास्फेट की शक्ल से मिलता-जुलता है ? क्या मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली रसड़ा, बलिया में भी दिया गया है ? यदि हां, तो इनको किन-किन किस्मों की खाद कितनी मात्रा में सन ७७ से लेकर अब तक बनाने को द गयी ? क्या इनक सैम्पलिंग कभी कभी की गयी है या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस समय प्रदेश में कुल ११ उत्पादकों को उर्वरक मिश्रण ग्रेड्स १५:१५:७:५ १८:९:० तथा २०:२०:१८ के उत्पादन हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गमित किये गये हैं इनका स्वरूप निश्चित नहीं है। यह मिश्रण के उत्पादन विधि पर निर्भर करता है मिश्रण की सकल कैसी हो। इस समय ८:८:८ तथा १०:१०:१० उर्वरक मिश्रण ग्रेड्स के उत्पादन हेतु कोई भी उत्पादक पंजीकृत नही है।

जी हां मुजफ्फरनगर, रामपुर रायबरेली, तथा बलिया में भी कुल ५ उर्वरक उत्पादकों को उर्वरक मिश्रण उत्पादन हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं।

सन् १९७७ से लेकर अब तक उर्वरक मिश्रण ग्रेड १५:१५:७:५, १८:९:० एफ २०;२०;१० के उत्पादन हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र दिये गये हैं किन्तु विभाग द्वारा कोई मात्रा निर्धारित नहीं की जाती है ।

जी हां, मैसर्स यू० पी० पेस्टीसाइड एण्ड फर्टीलाइजर, मुजफ्फरनगर, मैसर्स अग्रवाल पेस्टीसाइड एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज मुजफ्फरनगर तथा मैसर्स केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डिया रामपुर के यहां से नमूने प्राप्त कर विश्लेषित करयें गये हैं ।

५०—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सन् ७४ से लेकर सन् ७७ तक कुछ लोगों के सैम्पूल लिये गये थे जो खराब पाये गये थे उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये थे उन्हें पुनः लाइसेंस दे दिये गये हैं ? इस लाइसेंसियों को आई० पी० ए०, आई० ए० एल० और इफको से कितनी मात्रा में खाद मंगाने का परमिट कृषि विभाग से सन् ७७ से लेकर १५-९-८० तक दिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष १९७४ से १९७७ तक मैसर्स केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इण्डिया, रामपुर तथा मैसर्स अग्रवाल पेस्टीसाइड एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फरनगर के यहां से प्राप्त नमूने निम्न स्तरीय पाये गये थे फलस्वरूप उनका निबंधन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये गये थे । किन्तु उपरोक्त मामले में क्रमशः उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार संबंधित उत्पादकों के क्रमशः संदर्भ नमूने तथा अन्य नमूने प्राप्त कर विश्लेषित कराये गये जो कि स्तरीय पाये गये फलस्वरूप उनका निबंधन प्रमाण-पत्र बहाल कर दिया गया ।

कृषि विभाग द्वारा किसी भी संस्था से किसी भी लाइसेंसियों को खाद मंगाने हेतु परमिट नहीं दिया जाता है अस्तु उक्त लाइसेंसियों को आई० ई० एल०, आई० पी० एल० तथा इफको से खाद मंगाने हेतु परमिट देने का प्रश्न ही नही उठता है ।

५१—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से खाद जो मंगाई जाती है, उसे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन रखता है जो वर्षों तक पड़ी रहती है उसी खाद को कृषि विभाग लेता है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुरानी पड़ी हुई खाद को ही रिपैकिंग कराकर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रसायनिक खाद पोर्ट से वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के विभिन्न भंडारगृहों में भण्डारण हेतु भेजी जाती है जिसका भण्डारण निकासी होने तक भण्डारगृहों में रहता है । उर्वरक की निकासी भारतीय खाद्य निगम के आदेशों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं एवं प्राइवेट पार्टियों को दी जाती है । खाद की निकासी स्टैण्डर्ड भार के बोरों तथा अन्य स्टैंडर्ड भार के बोरों तथा अन्य स्टैंडर्ड भार के अच्छे मजबूत बोरी में धरम कांटे पर शत प्रतिशत वजन के आधार पर दी जाती है ।

कृषि विभाग वाराणसी के कृषि अमीनों एवं चपरासियों की छटनी

५२—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में सन् ७५ के आस पास कृषि अमीनों एवं उनके चपरासियों की छटनी कर दी गयी थी और कहा गया था कि अन्य विभागों में जब जगह रिक्त होंगी तो वहां उन्हें जगह दी जायेगी ? यदि हां, तो वाराणसी कृषि विभाग में कितने अमीन व चपरासी छंटनी किये गये थे उनमें कितने को जगह दी गयीं ? और क्या यह सत्य है कि अब भी बीसों अमीन एवं चपरासी ऐसे हैं जिन्हें जगहें नहीं मिल पायी हैं और इस बीच भी नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो पुरानों को जगह न देने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, दिनांक १-९-७५ से कृषि अमीनों/चपरासियों के पद समाप्त हो जाने के कारण उन पर कार्यरत कर्मचारियों की छटनी कर दी गयी थी, लेकिन अन्य विभागों में पद रिक्त होने पर वहां उनको सेवा में पुनः लेने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

वाराणसी जनपद में ११३ अमीन व १७६ चपरासी छटनी किये गये थे, जिनमें से ८७ अमीन व १११ चपरासी सेवा में रखे जा चुके हैं और २६ अमीन व ६५ चपरासी अभी भी समायोजन हेतु शेष हैं। इस बीच कृषि विभाग में ऐसे पदों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है।

पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिया गया प्रक्षेत्र के नियंत्रण का अधिकार

५२—श्री रियासत हुसैन—

क्या पशुधन मंत्री को यह मालूम है कि पशुधन विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे परिक्षेत्र जो उप निदेशक (परिक्षेत्र) में शासन के आदेश से चलाये जा रहे थे, उनका विवरण बिना शासन के पूर्व स्वीकृति निदेशक पशुपालन ने कर दिया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे प्रक्षेत्रों का नियंत्रण, जो पहले उप निदेशक (प्रक्षेत्र) के अधीन था, का क्षेत्रीय अधिकारियों के नियंत्रण में रखने का संशोधित आदेश निदेशक, पशुपालन द्वारा माह अगस्त ७९ में विभागीय अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर तथा शासन की जानकारी में लाने के पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय सुविधाओं जैसे सामान्य समस्याओं के त्वरित हल एवं कार्यकलापों में प्रगति लाने, के उद्देश्य से किया गया।

५४—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विकास खण्ड खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत खाद्यान योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

५५—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत दिनांक ३१ अक्टूबर, १९८० तक खतौली जिला मुजफ्फरनगर में कितने कि० मी० मार्ग पूर्ण हो चुके हैं ? कितने निर्माणाधीन हैं ? एवं किन-किन मार्ग पर कार्य रोका गया है और क्यों ? कितने एवं कौन-कौन से मार्ग इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये हैं ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

३१-१०-८० तक विकास खण्ड खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में ३.७ किलोमीटर मार्ग पूर्ण हो चुके हैं एवं ४ किलो मीटर मार्ग निर्माणाधीन हैं। सठेड़ी से पुलत, गढनपुरा से केलाबड़ा एवं आढमपुर मौंचड़ी से पिपलहड़ा मार्ग पर ३०-११-८० के पश्चात् श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के समाप्त हो जाने के कारण कार्य रोक दिया गया है। विकास खण्ड खतौली में सठेड़ी से पुलत, २.२ किलो मीटर, गढनपुरा से केलावड़ा मार्ग ३.५ किलोमीटर एवं आढमपुर मौंचड़ी से पिपलहेड़ा, २ किलो मीटर मार्ग स्वीकृत किये गये थे।

इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स, बुढ़ाना रोड, मुजफ्फरनगर पर बकाया दुग्ध मूल्य एवं कमीशन की धनराशि

५६—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स बुढ़ाना रोड शहर मुजफ्फर-नगर की तरफ १२-११-८० को कितना धन बतौर कमीशन एवं कितना धन बाबत दूध की कीमत का बकाया है ? वह कब तक भुगतान हो जायगा ? क्या पूर्ण विवरण सहित सरकार देरी का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक १२-११-८० को मैसर्स इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स बुढ़ाना रोड, मुजफ्फरनगर पर दुग्ध मूल्य का रु० १०,१५,००० (रुपये दस लाख पंद्रह हजार मात्र) एवं कमीशन का रु० १,९०,००० (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र) बकाया था।

मैसर्स इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स लि० का लगभग ३५ लाख रुपये आर्मी परचेज छः लाख दस हजार मात्र) दुग्ध मूल्य एवं रु० २८,६९० (रुपये अठ्ठाईस हजार छः सौ नब्बे मात्र) कमीशन का भुगतान उल्लिखित बकाया राशि के समक्ष कर दिया गया है। शेष बकाया धनराशि का भुगतान मैसर्स इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स लि०, मुजफ्फरनगर द्वारा माह अप्रैल/मई, १९८१ में करने का आश्वासन दिया गया है।

[श्री बलराम सिंह यादव—]

मैसर्स इन्डोडैन मिल्क प्रोडक्ट्स लि० का लगभग ३५ लाख रुपये आर्मी परचेज आर्गनाईजेशन भारत सरकार पर बकाया पड़ जाने के कारण दुग्ध मूल्य एवं कमीशन के भुगतान में विलम्ब हुआ है।

५७—श्री मित्रसेन—

[२ रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर के श्री जवाहर लाल उपाध्याय का कथित स्थानान्तरण

५८—श्री उदल—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि शासन ने जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर (श्री जवाहर लाल उपाध्याय) का स्थानान्तरण फतेहपुर किया है, क्या यह भी सही है कि श्री उपाध्याय ने आदेश के बावजूद अपना चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां, तो शासन ने स्थानान्तरण आदेश को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। शासन द्वारा श्री जवाहर लाल उपाध्याय जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर का स्थानान्तरण फतेहपुर नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक कृषि निरीक्षक, श्री जनार्दन पाण्डेय, शाहजहांपुर का निलम्बन

५९—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन पाण्डेय, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक, जनपद शाहजहांपुर जो दिनांक १९-९-७४ से निलंबित हैं, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निस्तारण ६ वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक क्यों नहीं किया गया जब कि श्री पाण्डेय ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक ४-८-७९ को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री जनार्दन पान्डे, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक, शाहजहांपुर जिन्हें दिनांक १९-९-१९७४ को निलंबित किया गया था, के मामले में विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत निर्णय हो चुका है।

गोरखपुर, फैजाबाद व मेरठ के उप कृषि निदेशकों की गृहजनपद में नियुक्ति

६०—श्री उदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में उप कृषि निदेशक, गंडक, गोरखपुर, तथा उप कृषि निदेशक, फैजाबाद एवं उप कृषि निदेशक, मेरठ को उनके

जनपद में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकारी नियमों के मुताबिक क्लास टू व क्लास वन के किसी भी अधिकारी को उसके जनपद में नियुक्त नहीं किया जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

मण्डलीय स्तर के पदों पर तैनात हैं । तैनाती जनहित में की गई है ।

श्रेणी-१ व श्रेणी-२ के अधिकारी नियमानुसार सामान्यतया गृहजनपदों में तैनात नहीं किये जाते हैं ।

सहकारी मिल्क बोर्ड, कानपुर के श्री जी० पी० श्रीवास्तव द्वारा घी की चोरी

६१—श्री मोतीलाल दहलवी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड के एक अधिकारी मार्च सन् ८० में ८०० रु० मूल्य का ५६ किलो घी ३०० मूल्य के केन सहित चोरी से अपने घर ले गये और जब उसकी जांच चोरी प्रमाणित हुई तो बोर्ड के महा प्रबन्धक ने दोष सिद्ध अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के बजाय केवल घी का मूल्य जमा करा के छोड़ दिया ? यदि हां, तो महाप्रबन्धक द्वारा दोषी अपराधी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड में मार्च, १९८० में ८०० रुपये मूल्य के ५६ कि० ग्रा० घी ३०० रुपये मूल्य के कैन सहित चोरी होने की कोई घटना नहीं हुई । दिनांक १३-३-७८ को मौखिक शिकायत की गई थी कि श्री जी० पी० श्रीवास्तव चार्ज हैण्ड द्वारा ३६ कि० ग्रा० घी मय कैन डेरी से अनाधिकृत रूप से बाहर ले जाया गया । इसकी जांच की गई । जांच के आधार पर ३६ कि० ग्रा० घी का मूल्य ८०० रुपये श्री श्रीवास्तव के वेतन से वसूल कर लिया गया है तथा दण्ड स्वरूप श्री श्रीवास्तव की दिनांक १-७-१९७९ से वेतन वृद्धि रोक दी गई है । उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रधान प्रबंधक, सहकारी मिल्क बोर्ड कानपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अल्मोड़ा जिले के लिये आम, अमरूद एवं अटहल के मंगाये गये पौधे

६२—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अगस्त १९८० में अल्मोड़ा जनपद के लिये आम, अमरूद, कटहल व अन्य फलदार पौधे कितने पौधे व किन-किन जनपदों से मंगाये गये हैं ? इन पर लागत खर्च वाहन व्यय कितना पड़ा है ? अल्मोड़ा जनपद में क्या कोई ग्रीष्म कालिक फलदार नरसरी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कुल ३४,१७० फलदार पौधे लखनऊ, रामपुर तथा नैनीताल से मंगाये गये। इन पर लागत खर्च रु० ५०,०४४.३० तथा रु० १४,८०८.२० परिवहन पर व्यय किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

६३—श्री निर्मल कुमार—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के फलस्वरूप हटाया गया।]

अल्मोड़ा जिले के विकास खण्डों के पुनर्गठन संबंधी पत्र

६४—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव इस वर्ष आया हैं ? यदि हां तो नए विकास खण्डों का पुनर्गठन कब तक शासन करेगा और कौन-कौन नये बिकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

अल्मोड़ा जनपद में विकास-खण्डों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से पत्र प्राप्त हुये हैं, जिन्हें मण्डलायुक्त, नैनीताल को, भेजकर, उनसे संकलित प्रस्ताव मांगे गये हैं। मण्डलायुक्त से प्राप्त संस्तुति के अनुसार यदि पुनर्गठन आवश्यक पाया गया तो वर्तमान जनगणना का कार्य समाप्त होने के बाद विचार किया जा सकेगा। आयुक्त से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही यह सूचना दे सकना संभव हो सकेगा कि कौन नये विकास-खण्ड खोलने का प्रस्ताव हैं।

गोरखपुर के विकास खण्ड महाराजगंज के बी० ओ०, पी० बी० डी०, श्री मोहम्मद हनीफ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

६५—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या सरकार को ज्ञात हैं कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक महाराजगंज के बी० ओ० पी० बी० डी० के विरुद्ध कितनी शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को माह जुलाई ८० से अब तक प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई पूरा विवरण क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ब्लाक महाराजगंज के बी० ओ० पी० बी० डी० मोहम्मद हनीफ के विरुद्ध अब तक शासन को केवल एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ हैं। उक्त शिकायती पत्र के प्राप्त होते ही संबंधित बी० ओ०, पी० बी० डी० का स्थानान्तरण जनपद गोण्डा को कर

दिया गया था । प्रशासकीय समादेश प्रादेशिक विकास दल से शिकायतों की जांच कराई जा रही है । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हो सकी है ।

बांदा जिले के बदौंसा में विकास खण्ड के सृजन की मांग

६६—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद की नरैनी तहसील में एक नया विकास खण्ड बदौंसा की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

बांदा जिले की नरैनी तहसील में एक नया विकास-खण्ड 'बदौंसा' खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षा करने हेतु जिलाधिकारी को पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है ।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में कूपों का निर्माण

६७—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत वर्ष १९७७ से वर्ष १९८० तक कितने नए पेय जल कूप का निर्माण कराया गया ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत स्थित आठ (८) विकास खण्डों में वर्ष १९७७ से वर्ष १९८० तक कुल ३१७ (तीन सौं सत्रह) नये पेयजल कूपों का निर्माण कराया गया है । उनके नाम व पता की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

श्रीमती कमला कटियार, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी (विकास), लखनऊ के अवशेष बिल

६८—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) लखनऊ के पत्रांक १६६ स० लि० वि० ८०—८१ दिनांक १९ अप्रैल, १९८० के बावजूद अब तक श्रीमती कमला कटियार भू० पू० सहायक विकास अधिकारी (महिला) के अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) लखनऊ के पत्र के पूर्व ही श्रीमती कमला कटियार के अवशेष देयों का बिल पुनः अंकेक्षण हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था जो कुछ आपत्तियों सहित वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। बिल पुनः महालेखाकार को भेज दिया गया है। महालेखाकार के अंकेक्षण करने के पश्चात भुगतान कर दिया जायगा।

आगरा में यादगार सुलह कुल समारोह

६९—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेंगी कि दिनांक ३० अक्तूबर, १९८० से १ नवम्बर, १९८० तक आगरा में यादगार सुलह कुल समारोह के विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता पैदा करने की दृष्टि से किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रत्येक कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता या अध्यक्ष केवल एक ही राजनैतिक दल का था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह सही है कि कथित अवधि में समारोह का आयोजन राष्ट्रीय एकता पैदा करने की दृष्टि से किया गया था।

यह सही नहीं है कि समारोह से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता अथवा अध्यक्ष किसी राजनैतिक दल विशेष का था।

समारोह का उद्घाटन/अध्यक्षता माननीया प्रधान मंत्री/राज्यपाल महोदय ने की थी तथा अन्य कार्यक्रमों का उद्घाटन/अध्यक्षता केन्द्रीय शासन के माननीय सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा किया गया था।

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के कूपों की सफाई

७०—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने पेय जलकूप गत वर्ष सूख गए थे, जिनकी सफाई की गई है ? कूपों के नाम व पता क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला देवरिया के तहसील सलेमपुर में विकास खण्ड भटनी में ३८ भाटपार रानी में ४०, सलेमपुर में ४८, बनकटा में १८६, लार में १५३, बरहज में ४, भागलपुर में २५ पेयजल कूपों का जलस्तर कम हो गया था जिनकी सफाई सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मई व जून १९८० में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराई गयी है, कूपों के नाम व पता की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

†छापी नहीं गयी।

गोरखपुर जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

७१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक बृहमपुर, महराजगंज, मिठौंरा व धुधली में विगत वर्षों में खाद्यान्न येजना द्वारा अलग-अलग कुल कितनी लम्बाई में सड़कों पर मिट्टी का कार्य कराया गया और उस पर कितना खर्च पड़ा है ? क्या इसमें बरही से पोहापार तक की कोई सड़क है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है जिसकी पैमाइश भी इसी विभाग के क्रास सेक्शन द्वारा लेने पर मिट्टी कम आई है और ब्लाक बृहमपुर द्वारा मिट्टी के कार्य पर अधिक भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस दिशा में सड़क निर्माण के विषय में अब तक सा० नि० विभाग को सम्बन्धित विवरण क्यों नहीं भेजे गये ? पूरा विवरण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर के ब्लाक बृहमपुर, महराजगंज मिठौंरा व धुधली में विगत वर्षों में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सड़क निर्माण के कार्य हुए हैं—

विकास खण्ड का नाम	कुल कितनी लम्बाई में सड़कों पर मिट्टी का कार्य कराया गया	कितना खर्च पड़ा	
		गेहूं	चावल
१—ब्रह्मपुर	५५–८२७ कि० मी०	५७८५ कु०	१४९७ कु०
		९६ किग्रा०	६४ कि०
२—महराज गंज	१७१–२१९ कि० मी०	११२१–८६७	३४६·४२०
		मी० टन	मी० टन
३—मिठौरा	८२–४७० कि० मी०	३५५५ कु०	२२२० कु०
		७. कि०	१५ कि०
		३७० ग्रा०	८८० ग्रा०
४—धुधली	४२–८२ कि० मी०	३९४९ कु०	६९० कु०
		५४ कि०	७० कि०
		१३६ ग्रा०	६०० ग्रा०

विकास खण्ड बृहमपुर में बरही से बोराबार सम्पर्क मार्ग १२ कि० मी० लम्बाई में स्वीकृत किया गया था और ११ कि० मी० की लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया गया। विकास खण्ड द्वारा इस मार्ग पर किए गए मिट्टी के कार्य का क्रास सेक्शन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। इस सम्पर्क मार्ग के मिट्टी के कार्य का सत्यापन जिला परिषद्, गोरखपुर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर के अभियंताओं के संयुक्त टीम द्वारा कराया गया लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई कि उक्त मिट्टी के कार्य पर अधिक भुगतान किया गया है।

शाहजहांपुर के ग्राम नवादा में क्षतिग्रस्त हरिजन आवास गृह

७२—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैंतीपुर के ग्राम नवादा में विकास खण्ड की तरफ से बनवाये गए हरिजन आवास गृह, कब्जा देने से पहले ही ढह गए हैं ? यदि हां तो सरकार इस उपेक्षा एवं धन के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

शाहजहांपुर जनपद के विकास खंड जैंतीपुर के ग्राम नवादा में खंड विकास अधिकारी के माध्यम से १५ निर्बल वर्ग आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था जिसमें से ९ आवास गृह वर्षा आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण हो गये थे तथा शेष ६ पर कार्य चल रहा था। इसी बीच लगातार घनघोर वर्षा के फलस्वरूप इन ६ मकानों के ढह जाने से आंशिक क्षति हुई। किवाड़/चौखट, बल्ली, पटान आदि सामग्री का नुकसान नहीं हुआ। परन्तु कच्ची ईट तथा उसकी चुनाई व पटाई के श्रम की क्षति हुई। यह क्षति दैवी आपदा (अतिवृष्टि) के कारण हुई, जिसके लिये कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है।

७३—श्री सत्यपाल सिंह—

[१ ले गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३६ के अन्तर्गत उत्तरित]

अल्मोड़ा जिले की बांझ गाय एवं भैंस का कथित निर्यात

७४—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद से इस वर्ष कितनी बांझ भैंस व गायें अल्मोड़ा जनपद से बाहर को गई हैं ? क्या शासन ने कोई नई तकनीक गाय व भैंसों के बांझ न रहने की निकाली है और उसका उपयोग गायों में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अल्मोड़ा जनपद से इस वर्ष बांझ गाय या भैंस अल्मोड़ा से बाहर भेजने की सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। शासन ने गाय व भैंसों के बांझ न रखने की कोई नई तकनीक नहीं निकाली है। बांझपन एक बहुकारणिक रोग है। सामान्य रूप से बांझ पशुओं की चिकित्सा सुविधा पशु चिकित्सालय और पशु सेवाओं में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विशेष शिविर गाय और भैंसों के बांझपन की चिकित्सा हेतु इस जनपद में भी आयोजित किये गये।

गोरखपुर जिले के खोराबाद के खण्ड विकास अधिकारी, श्री बलराम जी श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

७५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी खोराबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता की कितनी शिकायतें शासन को माह जून १५,

१९८० से अब तक प्राप्त हुई हैं ? क्या इन शिकायतों में एक शिकायत यह भी है कि ये इसी वर्तमान ब्लाक से कुछ साल पूर्व भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितता में हटाए गए थे और पुनः इसी ब्लाक में नियुक्त कर दिये गए ? यदि हां, तो क्यों और क्या इन्हें तत्काल हटा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक २९-६-८० प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, गोरखपुर को जांच । हेतु भेजा गया है जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है

श्री बलराम जी श्रीवास्तव को शिकायतों के आधार पर वर्ष १९७० में विकास खण्ड खोराबाद (गोरखपुर) से मिर्जापुर स्थानान्तरित किया गया था । उनका निलम्बन समाप्त करके उन्हें गोरखपुर में समायोजित करने को कहा गया था । आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा उन्हें विकास खण्ड खोराबाद में स्थान रिक्त होने से तैनात किया गया । उनके स्थानान्तरण पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

सहकारी मिल्क बोर्ड कानपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

७६—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि उन्हें व मुख्य मंत्री को डेरी वर्क्स एसोसियेशन कानपुर के महामंत्री श्री राम लखन सिंह गौड़ ने अपने पत्र दिनांक ४ सितम्बर, १९८० के प्रमाण में नेशनल हेरल्ड व दैनिक जागरण समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न करते हुए यह जानकारी दी थी कि कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड के महा-प्रबन्धक ने बोर्ड के कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी धनराशि देकर पूरा वेतन प्राप्त करने के हस्ताक्षर कराके जालसाजी की है ? यदि हां तो उक्त कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड के महाप्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री राम लखन सिंह गौड़ महामंत्री डेरी वर्कर्स एसोसियेशन कानपुर मिल्क बोर्ड ने मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक ४-९-१९८० के साथ नेशनल हेराल्ड व दैनिक जागरण की कटिंग भेजी है जिसमें कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड के महाप्रबन्धक द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी धनराशि देकर पूरा वेतन प्राप्त करने के हस्ताक्षर कराके जालसाजी की कोई शिकायत नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले के विकास, खुटहन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

७७—श्री जंगबहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन में खाद्य योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७९—८० में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया ? इस योजना में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

विकास क्षेत्र खुटहन, जनपद जौनपुर में वर्ष १९७९—८० में निम्न सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया :—

(१) कौराडीह से पटेला मार्ग ।

(२) छताईकला से पक्की सड़क ।

(३) फिरोजपुर से रसिकापुर ।

(४) धमउर से नदौली ।

(५) नौली से कलापुर ।

(६) बनुआडीह से मरहट ।

(७) नौली से दरनारामपुर ।

इन सम्पर्क मार्गों पर कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का अधिकांश भाग दिया जा चुका है । शेष भाग का शीघ्र भुगतान किया जायगा ।

जिला पंचायतराज अधिकारी, श्री लक्ष्मण प्रसाद सब्बरवाल, जिला बाराबंकी का निवास स्थान एवं उनका कथित स्थानान्तरण

७८—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जिला बाराबंकी के पंचायतराज अधिकारी बाराबंकी में रहने के बजाय नित्य लखनऊ से आते जाते हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उन्हें किसी अन्य जगह तबादला करने पर विचार कर रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री लक्ष्मण प्रसाद सब्बरवाल जिला पंचायतराज अधिकारी, बाराबंकी लखनऊ से भी आते जाते थे किन्तु अब वे जिला मुख्यालय बाराबंकी में ही रहने लगे हैं । श्री सब्बरवाल को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण विचाराधीन नहीं है ।

बाराबंकी के जिला कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण

७९—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला कृषि अधिकारी का तबादला अगस्त सितम्बर, १९८० में हो गया था ? यदि हां, तो वह किन कारणों से रुक गया ? क्या शासन को पता है कि बाराबंकी कृषि विभाग में खाद एवं बीज वितरण तथा कीट नाशक दवाओं सम्बन्धी काफी घोटाले हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच के फलस्वरूप अभी तक जनपद बाराबंकी में १२ गबन के मामले प्रकाश में आये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है।

एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के सेक्रेटरी, श्री काशीनाथ पाठक की नियुक्ति

८०—श्री रामलाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० के सचिव श्री काशीनाथ पाठक का चयन सह कम्पनी (प्हार्टीकल्चरल कारपोरेशन) के लिये किया गया और काफी समय बाद नियुक्ति एग्रो में की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि श्री पाठक की नियुक्ति शर्तों के अनुसार योगदान के पूर्व जमानती बाण्ड एवं पुलिस से चरित्र का बेरीफिकेशन अनिवार्य था ? यदि हां, तो क्या पाठक ने उक्त शर्तों को पूर्ण किया ? श्री पाठक की परवीक्षा अवधि कब समाप्त हुई और उसकी समाप्ति पर निगम ने क्या निर्णय लिया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। श्री काशीनाथ पाठक का चयन यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से कम्पनी सेक्रेटरी के पद के लिए ही किया गया था और उनकी नियुक्ति एग्रो में ही की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्ति शर्तों के अनुसार श्री पाठक को योगदान देने से पूर्व एक अनुबन्ध पत्र देना था जो श्री पाठक द्वारा दिया जा चुका है। नियुक्ति आदेश में पुलिस से चरित्र के बेरीफिकेशन कराने का उल्लेख नहीं था।

श्री पाठक की एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक ८-६-१९७९ से समाप्त किये जाने के आदेश, एग्रो द्वारा दिनांक ११ जून, १९८० को निर्गत किए गए।

विधान सभा क्षेत्र, बांदा के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रम

८१—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांदा के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रम तथा ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत किन ग्राम सभाओं की भूमि पर उक्त सुधार कार्य चलाये जायेंगे ? और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बांदा जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांदा में ग्राम सभा सोहाना, पड़ई, माधोपुर, हटेटी पुरवा, गन्छा तथा भवानी पुरवा में २२९६ हैक्टर क्षेत्र भूमि संरक्षण कार्य हेतु चुना गया है और १२१ हैक्टर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है ?

[श्री बलराम सिंह यादव—]

ग्राम सभा-गन्छा हरदौली लड़कापुरवा, अलेहा, जनबारा, कोरारी, बारशहीहारी, बरर तथा खेबड़ा में ऊसर की समस्या के अन्तर्गत १०६ हैक्टर क्षेत्र है। उसमें सुधार कार्य चलाने के सिलसिले में भूमि का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला परिषदों के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग

८२—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रशासनिक आर्थिक एवं वैधानिक कठिनाइयों के नाते यह सम्भव नहीं है।

विकास क्षेत्र, बांदा में खाद्यान योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं पुलियां का निर्माण

८३—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांदा के अंतर्गत काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों में पानी के निकास के लिए पुलिया न बनने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जगह-जगह बरसात में कटी सड़कों में पुलिया बनाकर उन्हें यातायात के योग्य बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी—

काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों में पानी के निकास के लिये पुलिया न बनने का कारण इस हेतु कोई धनराशि का प्राविधान न होना था। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन इस कार्य को किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) कार्य जून १९८१ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

जिला कृषि अधिकारी श्री जे० एल० उपाध्याय, मिर्जापुर की अनुपस्थिति एवं पेट्रोल का खर्च एवं स्थानान्तरण तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

८४—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, ८० में जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर (जे० एल० उपाध्याय) ४ अक्तूबर, से १५ अक्तूबर तक जिले में अनुपस्थित रहे और दशहरा बकरीद की ४ दिन की छुट्टी रही? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि

१४ दिन अक्तूबर में उपस्थित थे जिसमें १५०० रु० का पेट्रोल जीप के लिये मुन्नी लाल एण्ड कम्पनी पेट्रोल पम्प तथा और पंपों से लिया है ? यह पेट्रोल कहां-कहां किस कार्य के लिये जीप का खर्चा दिखाया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। श्री जे० एल० उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर ४ अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक अनुपस्थित नहीं रहे, बल्कि श्री उपाध्याय जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचना देकर एवं अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय के बाहर दिनांक ७-१०-१९८० से १३-१०-१९८० तक रहें एवं दिनांक १८, १९ तथा २० अक्टूबर १९८० को दशहरा व बकरीद का अवकाश रहा। श्री उपाध्याय जनपद में १९ दिन उपस्थित रहें।

उक्त अवधि में मात्र ११५३.२२ रु० का कुल पेट्रोल/मोबिल/डीजल मेसर्स मुन्नीलाल एण्ड कम्पनी तथा अन्य से लिया गया है जो रबी अभियान हेतु जनपद के विभिन्न अंचलों की यात्रा में खर्च किया गया है।

८५—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर का ट्रांसफर फतेहपुर के लिये किया गया है उन्होंने चार्ज नहीं दिया और सरकारी आदेशों की अवहेलना की है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने कृषि सचिव को तीन पत्र मुख्य सचिव को दो पत्र तथा माननीय कृषि मंत्री को पांच पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी क्या उक्त अधिकारी को सरकारी आदेशों का अब तक २१/२ माह तक अवहेलना करने में सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि निदेशक के आदेश दिनांक १९-८-८० द्वारा श्री बी० डी० सिंह, जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर को स्थानान्तरन्त फतेहपुर को एवं श्री जे० एल० उपाध्याय जिला कृषि अधिकारी फतेहपुर का स्थानान्तरण मिर्जापुर को किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में श्री जे० एल० उपाध्याय ने मिर्जापुर जनपद में दिनांक २-९-१९८० को तथा श्री बी० डी० सिंह ने फतेहपुर जनपद में दिनांक ९-९-१९८० को जिला कृषि अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। तदुपरान्त कृषि निदेशक के आदेश दिनांक २६-९-१९८० द्वारा दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण को निरस्त करते हुये उन्हें अपने-अपने पूर्व पदों पर कार्यरत रहने के निर्देश प्रसारित किये गये।

यह सही है कि प्रश्नकर्ता विधायक ने उक्त सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित पत्र कृषि सचिव, मुख्य सचिव तथा कृषि मंत्री को लिखे थे।

चूंकि सर्वश्री जे० एल० उपाध्याय तथा बी० डी० सिंह ने कृषि निदेशक के उपरोक्त उल्लिखित आदेश दिनांक १९-८-१९८० के अनुपालन में तथा कृषि निदेशक के दूसरे आदेश दिनांक २६-९-१९८० के जारी होने के पूर्व ही क्रमशः जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर

[श्री बलराम सिंह यादव—]

के पद का कार्यभार दिनांक २-९-१९८० को तथा जिला कृषि अधिकारी, फतेहपुर के पद का कार्यभार दिनांक ९-९-१९८० को ग्रहण कर लिया था अतएव विचारोपरान्त कृषि निदेशक के उपरोक्त आदेश दिनांक २६-९-१९८० को जनहित में निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री जे० एल० उपाध्याय जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर ने शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं की अतएव उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

८६—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४-१०-८० से १५-१०-८० तक जिला कृषि अधिकारी मिर्जापुर जवाहर लाल उपाध्याय बिला छुट्टी के गायब रहे हैं जिसकी वजह से सितम्बर महीने की तनख्वाह कर्मचारियों को न मिलने की वजह से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के मंत्री एवं अध्यक्ष दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं श्री सारनाथ जायसवाल ने जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र मिलकर दिया और कृषि निदेशक को टेलीग्राम भेज कर सूचना दिया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कैश की चाभी जवाहर लाल उपाध्याय लेकर चले गये थे तब जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने कोषागार से दूसरी चाभी लेकर कृषि विभाग के सेफ को खोलवाकर अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास को अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त के समक्ष कैश का चार्ज दिलवाकर १३ अक्तूबर, १९८० को कर्मचारियों की तनख्वाह बंटवाया है ? यदि हां, तो जवाहर लाल उपाध्याय के खिलाफ क्या कर्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक ४-१०-१९८० को कर्मचारियों का वेतन वितरित किया गया। कुछ कर्मचारियों का वेतन दिनांक ४-१०-८० को वितरित न होने के कारण कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा वेतन वितरण की मांग अधिकारियों से की गई तथा तार द्वारा शासन को भी सूचना दी गई।

जी हां। यह सत्य है कि जिला अधिकारी ने कोषागार से दूसरी चाभी मंगाकर अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास) एवं (वित्त) द्वारा कैश-चेस्ट खुलवाकर शेष कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराया।

चूंकि श्री उपाध्याय बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहे और कैश की चाभी उनके द्वारा अपने पास रखना नियमानुसार था, अतएव उपरोक्त आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कृषि विभाग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण एवं प्रोन्नत्ति

८७—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कितने ऐसे अधिकारी प्रथम श्रेणी के तथा द्वितीय श्रेणी के हैं जिन्हें १२ वर्ष कार्य करते हो गया उन्हें कन्फर्म नहीं किया गया ? यदि हां, तो कन्फर्म न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि विभाग में श्रेणी-१ के ५ तथा श्रेणी-२ के ६७ ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें १२ वर्ष कार्य करते हो गये जो स्थायी (कन्फर्म) नहीं हैं। इन अधिकारियों के स्थायी न किये जाने के सामान्यतया निम्न कारण हैं :—

१—विभाग में स्थायी पदों का उपलब्ध न होना।

२—लोक सेवा आयोग से अधिकारियों का अनुमोदित न होना।

३—सम्बन्धित अधिकारी को अभी स्थायीकरण के उपयुक्त न पाया जाना।

४—अधिकारी विशेष के विरुद्ध निलम्बन अथवा और अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में।

८८—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको द्वितीय श्रेणी में अब तक रक्खा गया है और उनसे जूनियर लोगों को प्रथम श्रेणी में प्रमोशन दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

श्रेणी-२ से श्रेणी-१ में तदर्थ रूप से प्रोन्नति अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार की जाती है। जो अधिकारी प्रोन्नति के उपयुक्त नहीं पाये गये, उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है।

कृषि विभाग द्वारा खाद की खरीद

८९—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग केवल एफ० सी० आई० से ही फर्टीलाइजर लेता है ? यदि हां, तो आई० ई० एल० तथा गोरखपुर फर्टीलाइजर कम्पनी तथा दूसरी कम्पनियों से खाद न लेने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि गोरखपुर फर्टलाइजर कानपुर की कम्पनियों की खाद बहुत अच्छी है जो सिर्फ, कोआपरेटिव फेडरेशन को ही मिलती है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जी नहीं।

वाराणसी, शिवपुर रेलवे स्टेशन पर खाद की चोरी

९०—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में शिवपुर रेलवे स्टेशन पर एफ० सी० आई० का बैगन आता है और खाद खुले में महीनों खराब होती है चोरी चली जाती है उसकी बिल्टी विभाग लेकर ठेकेदारी प्रथा से खाद ढुलवाता है लाखों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इसको रोकने का क्या प्रबन्ध किया गया और सन ७४ से लेकर अगस्त, ८० तक कितने टन किस-किस प्रकार के खाद की बिल्टी मिली और गोदामों में कितना जमा हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की संस्था है जिसका सीधा संबंध प्रदेशीय सरकार से नहीं है ।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के उप-कुलपति पद पर डा० हरिहर प्रसाद सिंह, कृषि निदेशक की कथित नियुक्ति

९१—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन में निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में उप कुलपति बनाया गया था ? यदि हां, तो वहां न जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि निदेशक, कृषि विभाग (श्री हरिहर प्रसाद सिंह) को निदेशक के पद पर कन्फर्म भी नहीं किया गया है ? क्या सरकार इस निदेशक के बारे में जांच करायेगी कि इन्होंने फर्जी पी० एच० डी० की डिग्री कृषि में ले रक्खी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

डा० हरिहर प्रसाद सिंह को कृषि निदेशक के पद पर स्थायी कर दिया गया है । कृषि निदेशक की कृषि में पी० एच० डी० की डिग्री यद्यपि नहीं है, वरन वह "स्वाइल केमिस्ट्री" में आगरा विश्व विद्यालय से "डाक्टर आफ साइंस" है । अतएव इस बारे में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी जिले के ग्राम विक्रमपुर में गांव सभा का सृजन

९२—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव विक्रमपुर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी की जनता ने एक प्रार्थना-पत्र ५-१०-७८ को जिला पंचायत अधिकारी,

वाराणसी को दिया था कि गांव विक्रमपुर को गांव सभा खालिसपुर से अलग करके विक्रमपुर के नाम से गांव सभा बना दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य हैं कि विक्रमपुर की आबादी इस वक्त ७०० के करीब हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । गांव सभा खालिसपुर से ग्राम विक्रमपुर को पृथक करके ग्राम विक्रमपुर के नाम से स्वतंत्र गांव सभा बनाये जाने की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हैं । १९७१ की जनगणना के अनुसार ग्राम विक्रमपुर की आबादी ३८० हैं ।

उर्वरक के मूल्य में कथित वृद्धि एवं बढ़े हुए मूल्य पर उर्वरक की बिक्री

९३—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७५ में फर्टीलाइजर की कीमत भारत सरकार ने बढ़ा दी थी और निर्देश दिया था कि पहले से खरीदे एवं कम दामों पर खरीदे हुये फर्टलाइजर को सील मोहर कर दिया जाय और पुराने रेट पर ही किसानों को दिया जाय ? क्या यह आदेश कृषि विभाग, कोआपरेटिव तथा प्राइवेट खाद विक्रेताओं आदि सब पर लागू था ? यदि हां, तो ८ जून, १९८० को जो आदेश फर्टलाइजर की कीमत बढ़ाने का भारत सरकार ने प्रदेश को दिया था उसमें पहले की खरीदी हुई खाद के बारे में क्या निर्देश हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सन् ७५ में भारत सरकार द्वारा फर्टीलाइजर की कीमत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

९४—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि यह सत्य हैं कि प्राइवेट लाइसेंसियों ने किसानों से बढ़ी हुई कीमत पर सस्ते दामों की खरीदी हुई खाद को बेचा हैं उनके बारे में क्या कोई निर्देश कन्ट्रोलर फर्टलाइजर का था कि नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

निजी विक्रेताओं द्वारा दिनांक ८ जून, ८० के उपरान्त बढ़े हुए दरों पर उर्वरक बेचा गया । कन्ट्रोलर फर्टलाइजर के स्तर से पुराने मूल्य पर उर्वरक बेचने के कोई निर्देश नहीं थे ।

गाजीपुर एवं बलिया में अन्त्योदय परिवार को दी गयी धनराशि

९५—श्री राम नारायण—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर एवं बलिया जनपदों में वर्ष १९७५ से १९८० तक एकीकृत योजना एवं अन्त्योदय कार्यक्रम में किन-किन मदों

[श्री रामनारायन—]

में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन विकास खण्डों में खर्च की गयी है और एकीकृत योजना जिन विकास खण्डों में लागू की गई है उन क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक आधार क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि मण्डी, वाराणसी में नलकूप का निर्माण

९६—श्री उदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कृषि मंडी में एक ट्यूबवेल की बोरिंग बहुत दिनों से हो गयी है, लेकिन उसकी सफाई तथा टंकी अभी तक नहीं बन पायी है और न उसमें रोड ही बनी है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल की सफाई, टंकी तथा अन्दर की रोड कब तक बन जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

सड़क पर आंशिक रूप से कार्य हो चुका है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

गोरखपुर मण्डी के सचिव, श्री सुदर्शन सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

९७—श्रीमती गौरी देवी—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि दिनांक ११ जुलाई, १९७८ को तत्कालीन सदस्य विधान सभा श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा की गयी गोरखपुर मण्डी के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर से करायी गयी थी ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और जिला अधिकारी, गोरखपुर ने जांच आख्या क्या भेजी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जुलाई, १९७८ के पत्र द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह तत्कालीन विधान सभा सदस्य ने कुछ माह पूर्व अग्रसारित की गयी शिकायतों के बारे में अनुस्मारक दिया था जिसे जिलाधिकारी, गोरखपुर को जांच हेतु भेजा गया था। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायतों की जांच कराई थी। शिकायतों में तत्कालीन गोरखपुर मंडी के सचिव श्री सुदर्शन सिंह तथा व्यापारियों की सांठ-गांठ से मन्डी कर की चोरी तथा मन्डी समिति की आय को काफी क्षति पहुंचाने का उल्लेख किया गया था। जांच में शिकायतें निराधार पाई गई अतः किसी अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड, सांका, जिला बस्ती में मैं खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

९८—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार दिनांक ८-९-८० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री जी उत्तर में लिखे गये ८१ योजनाओं में प्रत्येक का नाम तथा उन पर व्यय की गयी खाद्यान्न की राशि, लम्बाई अथवा गहराई और कौन-कौन सी पूर्ण हुई तथा कौन-सी अपूर्ण हैं, सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत ८१ योजनाओं का नाम तथा राशि, लम्बाई अथवा गहराई और पूर्ण तथा अपूर्ण योजनाओं का विवरण संलग्न* है।

पंचायतीराज विभाग के कार्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण

९९—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि वेतन आयोग वर्ष १९७२ की आख्या के बाद भी पंचायतीराज विभाग में अभी तक ऐसे सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी हैं जो पुराने वेतनक्रम में ही वेतन पा रहे हैं और उनका वेतन निर्धारण विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इसके लिए कौन जिम्मंदार हैं ? तथा ऐसे कुल कितने कर्मचारी तथा अधिकारी हैं ? क्या उनकी सम्पूर्ण सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। चार कर्मचारियों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं हुआ हैं क्योंकि तीन की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो सकी हैं तथा एक अभी निलम्बित हैं। इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश निदेशक पंचायतराज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी कर दिये गये हैं। प्रसंगगत कर्मचारियों की सूची निम्नवत हैं :—

श्री शाहिद हुसेन, सहायक विकास अधिकारी।

श्री अवध बिहारी मिश्र, सहायक विकास अधिकारी।

श्री भगवान दीन रजक, सहायक विकास अधिकारी।

श्री भिनकान सिंह, सहायक आंकिक।

---

*छापी नहीं गयी।

२००—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि पंचायतीराज विभाग में वेतन आयोग वर्ष १९७२ की आख्या के बाद भी कई कर्मचारी तथा अधिकारी पुराने वेतनमान में ही कार्य करते हुए या तो सेवा निवृत्त हो गये या पद से त्याग पत्र दे दिये या उनकी मृत्यु हो गई लेकिन विभाग द्वारा उनका वेतन निर्धारण आज तक नहीं किया गया और बकाया उनको या उनके परिवार के सदस्य को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे व्यक्तियों का बकाया अविलम्ब भुगतान कराने तथा दोषी लोगों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। कुल ४४ अधिकारी/कर्मचारी ऐसे थे। इसमें पांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), चौदह पंचायत सेवक और २५ जिला परिषद सेवक थे। वेतन निर्धारण करने और अवशेष देयों का भुगतान शीघ्र करने और देरी करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु, निदेशक पंचायतराज उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित अधिकारियों को लिखा जा चुका है। शासन स्तर से भी निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रदेश के दुग्ध संघ एवं डेयरीज में घाटा

१०१—श्री उदल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर वाराणसी लखनऊ, अलीगढ़ तथा प्रदेश की दुग्ध डेरियां लाखों के घाटे पर चल रही हैं ? यदि हां, तो उनको ठीक करने की क्या स्कीम है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। प्रदेश में अधिकांश दुग्ध संघ डेरियां घाटे में चल रही हैं।

दुग्धशालाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है :—

(१) प्रत्येक दुग्ध क्षेत्र में कम्पेक्ट एरिया सुनिश्चित करके आनन्द पद्धति पर प्रारम्भिक सहकारी दुग्ध समितियां गठित एवं पुनर्गठित की जा रही हैं।

(२) दुग्धशालाओं के पुनर्गठन एवं विस्तार हेतु प्रदेश की २० हजार लीटर प्रतिदिन तथा उससे ज्यादा की क्षमता वाली डेरियों के पुनर्गठन को वरीयता दी जा रही है।

(३) प्रदेश के २२ जनपदों को आपरेशन फलड-२ प्रोग्राम के अन्तर्गत दुग्ध शाला विकास सम्बन्धी वृहद कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(४) प्रारम्भिक दुग्ध समितियों से दुग्ध उपार्जन में वृद्धि लाने हेतु दुग्ध शाला विकास विभाग एवं इन डेरियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की संयुक्त टीमें गठित की गयी हैं जिनमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग भी लिया गया है ।

(५) यह नीति भी अपनायी गई है कि फ्लश सीजन में उन्हीं सदस्यों से दूध लिया जाये, जिन्होंने लीन सीजन में दूध दिया है, एवं दूध की मात्रा लीन सीजन में दिये गये दूध की मात्रा से ढाई गुने से अधिक न हो ।

(६) सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा अधिक से अधिक दुग्ध संकलन एवं स्टाफ आदि पर हो रहे व्यय को व्यवसाय के आधार पर नियंत्रित करने के सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं ।

(७) प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन प्रदेश की एक शीर्ष सहकारी संस्था है जिसका प्रबन्ध निदेशक, दुग्ध आयुक्त को नियुक्त किया गया है ताकि अन्य दुग्ध सहकारिताओं के कार्य-कलापों में सक्रिय समन्वय स्थापित किया जा सके ।

१०२—श्री सत्यपाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के कर्मचारी श्री निर्दोष कुमार की जमानत की धनराशि

१०३—श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन/संतुलित पशु आहार मंडल के भूतपूर्व कर्मचारी श्री निर्दोष कुमार की छटनी दिनांक १-११-७६ को कर दी गई थी यदि हां, तो क्या उनके द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया हजरतगंज, लखनऊ में जमा की गई उनकी जमानत की धनराशि अब तक वापस नहीं की गई ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । निर्दोष कुमार द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि अभी तक वापस नहीं हो सकी क्योंकि उक्त धनराशि स्टेट बैंक में जमा है जिसकी वापसी श्री पी० एस० रावत, तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक (पशु आहार) एवं श्री निर्दोष कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से ही सम्भव है । श्री निर्दोष कुमार को लिखा जा चुका है परन्तु वह अभी तक कार्यालय में धन वापसी हेतु नहीं आये हैं फिर भी उन्हें दुबारा पत्र लिख दिया गया है कि वे जमानत का धन वापस लेने के लिए अपनी पास बुक दिनांक १५-२-८१ तक प्राप्त कर लें । यदि वह उक्त तिथि तक नहीं आते हैं तो उनकी पास बुक रजिस्टर्ड डाक द्वारा वापस भेज दी जायेगी ।

१०४—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[२ रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

विकास क्षेत्र, खुटहन, जिला जौनपुर के कर्मचारियों के आवासीय भवन

१०५—श्री जंग बहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह ज्ञात हैं कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन में ब्लाक कर्मचारियों के रहने की कोई आवासीय व्यवस्था अब तक नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो शीघ्र उनके आवास की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जौनपुर जनपद के विकास खंड खुटहन में कर्मचारियों के रहने हेतु आवासीय भवनों का निर्माण अभी तक नहीं कराया जा सका हैं । शासन ने विकास खंडों के कार्यालय भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई हैं । वर्ष १९८०-८१ के आय-व्ययक में निर्माणार्थ जो धन आवंटित किया गया हैं वह प्रदेश के विकास खंड कार्यालय भवनों के बनवाने में ही प्रयोग हो जायेगा । छठी पंचवर्षीय योजना में विकास खंडों के आवासीय भवनों के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव हैं और आगामी वर्षों में परिव्यय एवं धन उपलब्ध होने पर प्रदेश के अन्य विकास खंडों में आवासीय भवनों के निर्माण के साथ-साथ खुटहन विकास खंड में भी आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा ।

कृषि बीज भण्डार, हरैया, जिला बस्ती के प्रभारी का स्थानान्तरण

१०६—श्री राम आसरे पासवान—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि बीज भण्डार हरैया, जनपद बस्ती के वर्तमान प्रभारी का स्थानान्तरण अपने गृह जनपद में रहने के कारण फैजाबाद मण्डल को किया गया हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना कार्यभार वहां संभाल लिया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, किन्तु उनकी पत्नी की अस्वस्थता के कारण मानवीय आधार पर उनका स्थानान्तरण ३१ मार्च, १९८१ तक रोक दिया गया हैं ।

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

१०७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली हैं ? यदि नहीं, तो सेवा नियमावली न बनाई जाने के क्या कारण हैं और यह कब तक बना दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसका परीक्षण इस कार्य हेतु गठित उप समिति द्वारा किया जाना है ।

हमीरपुर जिले के अर्जुन जलाशय की मछली के ठेके पर लगायी गयी स्टाम्प ड्यूटी

१०८—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन १९७४-७५ में तहसील चरखारी, जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत अर्जुन जलाशय में मछली शिकार के लिये खुली बोली में लगभग १५० क्विन्टल का ठेका मुबलिग ८४,००० रुपयों में श्री मिहीलाल अहरवार निवासी खास चरखारी जो कि हरिजन भी हैं दिया था ? उसकी जमानत की धनराशि ८,४०० रुपया नीलामी की शर्तों के अनुसार इकरारनामा लिखकर जमा कर दिया था ? कार्य नियमानुसार सम्पन्न होने के बाद भी इन्हें ८,४०० रुपया में से केवल २,४०० रुपया ही वापस किया गया और बाकी ६,००० रुपया नहीं वापस किया गया ? यदि हां, तो इन्हें पूरी धनराशि वापस न करने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । वर्ष १९७४-७५ में अर्जुन जलाशय का ठेका श्री मिही लाल को ८४,००० रु० पर देकर ८,४०० रु० की जमानत जमा कराई गई थी । उस समय श्री मिही लाल ने ४.५० रु० के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध भरा था । इन्होंने ४.५० रु० के जनरल स्टाम्प पर ८-११-१९७४ को यह भी लिखकर दिया कि यदि अनुबन्ध पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार ४.५० रु० से अधिक होती है तो अधिक धनराशि को वे ७ दिन के अन्दर सहर्ष जमा कर देंगे और यह कि यदि वे इस शर्त का पालन न करें तो स्टाम्प ड्यूटी को शेष देय धनराशि उक्त ठेके की जमानत से काट ली जाये ।

निरीक्षक, स्टाम्प एवं निबन्धन झांसी क्षेत्र द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य, चरखारी के कार्यालय का निरीक्षण करते समय अन्य अनुबन्धों के साथ श्री मिही लाल द्वारा भरे गए अनुबन्ध का भी निरीक्षण किया गया तथा सभी अनुबन्धों पर जितनी धनराशि का स्टाम्प कम था, उसको सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल करने के लिए लिखा गया । श्री मिही लाल से ६,२९४.५० रुपया के अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी वसूल करने एवं दण्ड के रूप में २०५.५० रुपया वसूल करने के निर्देश थे । इस आशय के लिए श्री मिही लाल को कई बार लिखा गया कि वह अतिरिक्त स्टैम्प एवं दण्ड की धनराशि को जमा करें । किन्तु स्वयं आश्वासन के पश्चात भी नियमानुसार उनके द्वारा ऐसा न करने पर सहायक निदेशक मत्स्य, चरखारी ने उनको जमानत की धनराशि ८,४०० रु० से उक्त धनराशि ६,५००.०० रुपया एवं विभागीय बकाया ७३४.१५ रुपया जो श्री मिही लाल की ओर देय था यानी कुल ७,२३४.१५ रुपया वसूल कर शेष धनराशि केवल १,१६५.८५ रुपया श्री मिही लाल को वापस की गई न कि २,४०० रुपया

जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है। इसके उपरान्त श्री मिही लाल ने जिला अधिकारी हमीरपुर से अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-११-७५ में लगाई गई अतिरिक्त स्टैम्प ड्यूटी एवं दण्ड के सम्बन्ध में जो विरोध किया उसे दिनांक २९-१२-७५ को अस्वीकार करते हुए उन्हें सूचित कर दिया गया था कि यदि वह लगाई गई स्टैम्प ड्यूटी एवं पेनाल्टी से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमानुसार न्यायालय में चाराजोई कर सकते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया।

१०९—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील चरखारी जनपद हमीरपुर में अर्जुन जलाशय से मछली के ठेकेदारों से कोई स्टाम्प ड्यूटी ली जाती रही है? यदि हां, तो स्टाम्प ड्यूटी के रेट क्या हैं तथा कब-कब यह ड्यूटी ली गयी और ऐसे स्टाम्प ड्यूटी देने वालों के नाम क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

स्टाम्प ड्यूटी की निश्चित धनराशि नहीं होती है, वरन ठेके के प्रकार और उनकी धनराशि पर निर्भर रहती है तथा उनका निर्धारण जिला स्टाम्प अधिकारी द्वारा किया जाता है। अर्जुन जलाशय के ठेकों के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी प्रत्येक ठेके में प्रत्येक वर्ष ली जाती रही है। सामान्यतयः वर्ष १९७४-७५ से स्टाम्प ड्यूटी देने वालों के नाम निम्नलिखित हैं :—

१९७४-७५	श्री मिही लाल अहिरवार।
१९७५-७६	श्री अशरफ खां।
१९७६-७७	(१) श्री मुहम्मद यूनुस।
	(२) श्री निसार अली।
१९७७-७८	श्री विवेक कुमार सिन्हा।
१९७८-७९	तदैव
१९७९-८०	श्री सुन्दर लाल यादव।

हमीरपुर जिले के ब्लाक कुरारा एवं सुमेरपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं तालाबों का निर्माण

११०—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक कुरारा एवं सुमेरपुर जिला हमीरपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने किलो मीटर किन-किन मार्गों का निर्माण किया

गया साथ ही तालाबों की किन-किन गांवों में खुदाई कराई गई और इन दोनों सड़कों तथा तालाबों में कितना खाद्यान्न बांटा गया ? क्या यह भी सही है कि अभी भी मजदूरों की मजदूरी बकाया पड़ी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

हमीरपुर जनपद के विकास खण्ड कुरारा तथा सुमेरपुर में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों तथा तालाबों की खुदाई का तथा बांटे गए खाद्यान्न का विवरण संलग्न* है ।

उपरोक्त विकास खण्डों में कार्य करने वाले किसी भी श्रमिक की मजदूरी देना अवशेष नहीं है ।

हमीरपुर जिले के विकास क्षेत्र हीरपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

१११—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र ३२१ हीरपुर के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों में पानी के निकास के लिए पुलिया न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जगह-जगह की कटी सड़कों पर पुलिया बनाकर यातायात के योग्य बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों में पानी के निकास के लिये पुलिया न बनाने का कारण इस हेतु कोई धनराशि का प्राविधान न होना था । अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन इस कार्य को किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला जालौन के ग्राम सेवक श्री राम शरण सिंह की ज्येष्ठता

११२—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन एवं विकास आयुक्त को तीन पत्र जिला विकास अधिकारी उरई (जनपद जालौन) से पत्रांक ४८२, दिनांक ४ मई, ७७, दूसरा पत्रांक ६०१५/स्था०—९ दिनांक २० मार्च, १९७८, तीसरा पत्रांक १०५६/स्था०—९, दिनांक १४ जून, ७८ प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

---

*छापी नहीं गयी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, तीनों पत्र प्राप्त हुए तथा श्री रामशरण सिंह, ग्राम सेवक का नाम ग्राम सेवक की ज्येष्ठता सूची ६८ में यथास्थान दर्ज कर दिया गया है।

हमीरपुर जिले के ग्राम सरसई में तालाब की खोदायी एवं मजदूरों की मजदूरी

११३—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी (श्री देवी राम) ने अभी हाल ही में ब्लाक कुरारा के बी० डी० ओ० को ग्राम सरसई के तालाब में जो काम के बदले अनाज योजना एवं सूखा योजना में खोदा गया था काम करने की बकाया मजदूरी देने को लिखा था ? यदि हां, तो अभी तक मजदूरों को मजदूरी न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार मजदूरी दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अब किसी भी श्रमिक की मजदूरी बकाया नहीं है।

फतेहपुर जिले के ग्राम दपसौंरा के सड़क का निर्माण

११४—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ब्लाक अमौली के अन्तर्गत से दपसौंरा ग्राम तक काम के बदले अनाज योजना में बन रही सड़क अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे कब पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जब भी ऐसे कार्यों के लिये धन उपलब्ध होगा, ऐसी सड़कें पूरी कराई जाएंगी।

हमीरपुर जिले के विकास खण्ड, सुमेरपुर एवं कुरारा में अन्त्योदय परिवारों को दी गयी सहायता एवं खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं मजदूरी

११५—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र सुमेरपुर और कुरारा में कौन-कौन से गांव किस आधार पर अन्त्योदय योजना में लिये गये और कितने लोगों को कितनी आर्थिक सहायता अब तक दी गई ? क्या यह सही है कि बाजार भाव से बहुत ऊंचे दरे पर खराब से खराब उपकरण और पशु इस योजना में आने वाले लोगों को खरीदवाये गये जिससे उनकी बड़ी आर्थिक हानि हुयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक आबाद राजस्व गांव से पांच निर्धनतम परिवारों का चयन सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा कराकर उन्हें आर्थिक सहायता दिये

जाने का प्राविधान है। तद्नुसार जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर और कुरारा के क्रमशः ६१ व ५८ गांवों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया तथा चयनित परिवारों में से क्रमशः २५ व ५० परिवारों को जनपद में उपलब्ध धनराशि में से अक्तूबर १९८० तक क्रमशः १,०१,५३६ रुपया तथा १,४३,०८३ रुपया की आर्थिक सहायता दी गयी। गांवों, लाभार्थियों के नाम एवं पृथक-पृथक दी गयी धनराशि का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

उक्त विकास खण्डों में अन्त्योदय परिवारों को ऊंचे दर पर खराब उपकरण तथा पशु क्रय कराये जाने का कोई विशिष्ट मामला/शिकायत इंगित नहीं की गयी है। अन्त्योदय परिवारों को उचित मूल्य पर अच्छे उपकरण प्राप्त हो, इस हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक जिला क्रय समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अन्त्योदय परिवारों की पूर्ण संतुष्टि तथा उनकी इच्छानुसार उपकरण क्रय कराये जाते हैं। जहां तक पशुओं के क्रय का प्रश्न है, सम्बन्धित पशुधन विकास अधिकारी द्वारा भली-भांति परीक्षणोंपरान्त दी गयी प्राविधिक संस्तुति पर ही पशु क्रय कराये जाते हैं। इस प्रकार उचित मूल्य पर अच्छे उपकरण व पशु अन्त्योदय परिवारों को क्रय कराये जाने का ही सदैव प्रयास किया गया है।

११६—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत विकास खंड सुमेरपुर और कुरारा में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ३० जून, १९८० तक कौन-कौन सा कार्य हुआ ? इनमें कितनी अधूरी हैं और कितने इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य और सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित विकास खंडों में कराये गये काम के बदले अनाज योजना में काम करने वालों का किस-किस गांव और किन-किन लोगों का अनाज मजदूरी का बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर तथा कुरारा में ३० जून, १९८० तक श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित थे :

कार्य का नाम	सुमेरपुर संख्या	कुरारा संख्या
१	२	३
सम्पर्क मार्ग	११	११
तालाबों का गहरा कराने का कार्य	३८	३५
बन्धियों	२	१

१	२	३
गूलों का निर्माण	२	३
जल निष्कासन	—	१
नाली		
कूपों की सफाई	—	८१
पंचायत घर की मरम्मत	—	१
तालाब घाट की मरम्मत	—	२
योग	५३	१३५

उपरोक्त कार्यों में से विकास खण्ड सुमेरपुर में ११ तथा कुरारा में २१ कार्य अधूरे हैं एवं दोनों विकास खण्डों में उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। इनमें कार्य करने वाले श्रमिकों में से किसी भी श्रमिक की मजदूरी बकाया नहीं है।

पंतनगर में गोलीकाण्ड

११७—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९७८ में पन्तनगर में हुए गोलीकाण्ड से घायल और मृतकों को मुआवजे की धनराशि कितनी है और अभी तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले में आलू से वोडका शराब के कारखाने का प्रस्ताव

११८—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आलू पर आधारित वोडका शराब का कारखाना जो फर्रुखाबाद में लगना है पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वोडका शराब का कारखाना निकट भविष्य में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना नहीं है।

कृषि विपणन निदेशालय एवं कृषि निदेशालय के पृथक्कीकरण की मांग

११९—श्री झिलमिट राम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन निदेशालय व कृषि निदेशालय तथा उसका बजट अलग-अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो अधिकारियों व कर्मचारियों को कृषि विभाग से उद्यान विभाग की तरह पृथक न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्रेणी-१ का राज्य कृषि विपणन अधिकारी का पद कृषि विभाग से पृथक कर दिया गया है । श्रेणी-२ एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी पृथक करने का मामला विचाराधीन है ।

कृषि विभाग के आडिट सेल के कर्मचारियों का स्थायीकरण

१२०—श्री रामलाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९८० में कृषि विभाग का आडिट स्कीम में कितने पद स्थायी घोषित किये गये हैं तथा कितने कर्मचारियों का स्थायीकरण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि विभाग के आडिट सेल में जनवरी, १९८० में कोई स्थायी घोषित नहीं किया गया । दिनांक ६-१२-७९ को १११ पद स्थायी घोषित किये गये थे जिनके विरुद्ध अब तक ५१ कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के अन्त्योदय परिवारों को दी गयी सहायता

१२१—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने ऐसे अन्त्योदय परिवारों को चयनित करने के बाद भी उन्हें मिलने वाली सहायता नहीं दी गई ? क्या यह सच है कि इसमें अधिकारियों द्वारा घपला किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर जनपद में कुल १९,१९५ अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया है । इसमें से ५,००५ परिवारों को सहायता प्रदान की गयी है । अधिकारियों द्वारा घपला किये जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है । सहायता दिये जाने का कार्य व्यावसायिक बैंकों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है जिसके कारण प्राथमिक रूप में विलम्ब हो रहा है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पंचायत लिपिक, स्व० श्री राम स्वरूप बबेले की पारवारिक पेंशन

१२२—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी हैं कि पंचायत लिपिक श्री राम स्वरूप बबेले की विधवा पत्नी को पत्रांक पंचायतीराज अनुभाग-१ सं० १५८७/२२-१-२८/७५, दिनांक २७-९-८० के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्ति को पेंशन दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । अभी तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान आदेश (एफ० पी० ओ०) महालेखाकार ,उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रसारित नहीं किया गया हैं ।

विकास खण्ड, रामनगर, जिला बरेली के चपरासी, श्री प्रताप सिंह की सेवा समाप्ति

१२३—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह चपरासी खण्ड विकास अधिकारी रामनगर, जिला बरेली में सन १९५७ से १९७० तक सेवा में थे, उन्हें सेवा मुक्त किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ? उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युएटी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

चूंकि यह अस्थायी कर्मचारी थे इनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण एक माह का नोटिस देकर इनकी सेवायें समाप्त की गयी थी अतः पेंशन तथा ग्रेच्युटी देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जिला लखीमपुर के सचिव पद पर नियुक्ति

१२४—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी हैं कि दिसम्बर, १९७९ अथवा जनवरी, १९८० में लखीमपुर जिले में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लखीमपुर-सचिव को सचिव पद के डिपुटेशन से कृषि विभाग में वापस कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही हैं कि इन सचिव महोदय को अब हाल में ही मण्डी समिति में पुनः सचिव अथवा किसी अन्य समान पद पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

कृषि उत्पादन मंडी समिति पीलीभीत में उन्हें सहायक सचिव के कनिष्ठ पद पर पुनः प्रतिनियुक्ति किया गया था परन्तु अब उन्हें मूल विभाग में वापस करने के आदेश कर दिये गये हैं ।

खण्ड विकास अधिकारी, देसही, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

१२५—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र विकास अधिकारी देसही, देवरिया के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं से सम्बन्धित जो शिकायती पत्र उनके कार्यालय के पत्र संख्या ३२४, दिनांक १२-७-८० के द्वारा सचिव, ग्राम विकास उत्तर प्रदेश को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था, जांचोपरान्त उस शिकायती पत्र में वर्णित कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

खण्ड विकास अधिकारी, देसही, देवरिया के विरुद्ध श्री खलील, प्रधान, ग्राम सभा देवरिया व बदधू खां आदि के हस्ताक्षर से दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की विस्तृत जांच सम्पन्न कराई गयी, किन्तु लगाए गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । ऐसी स्थिति में किसी अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

१२६—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विकास क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अधीन निर्मित सड़कों में भारी पैमाने पर अनियमिततायें की गयी हैं व फर्जी भुगतान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त विकास खंड के अन्तर्गत निर्मित व प्रयोग में न लायी जा सकने वाली सड़कों की पुनः मरम्मत के आदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । विकास खण्ड देसही, देवरिया में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग के निर्माण में किसी प्रकार की उल्लेखनीय अनियमितताएं प्रकाश में नहीं आयी हैं । इसी प्रकार फर्जी भुगतान का भी कोई उदाहरण अथवा प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है । वह सड़कें जो बाढ़ में टूट गई थीं, की मरम्मत करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है यथासम्भव ऐसी सड़कों की मरम्मत का कार्य उनके द्वारा किया जायगा ।

१२७—श्रीमती गौरी देवी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

रामगंगा कमाण्ड की प्रशासक, श्रीमती सुमिता काण्डपाल का टी० ए० एवं डी० ए०

१२८—श्री ऊदल—

क्या कमाण्ड एरिया डैवेलपमेन्ट मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कमाण्ड एरिया रामगंगा की प्रशासक श्रीमती सुनीता कांडपाल जब से नियुक्त हुई हैं कितना टी० ए०, डी० ए० दिल्ली हाल्ट का लिया हैं तथा कितने लीटर पेट्रोल उन्होंने खर्च किया हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रशासक, रामगंगा कमान्ड का पदभार श्रीमती सुमिता कांडपाल द्वारा दिनांक २-२-८० के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया। तब से दिनांक ३१-१२-८० तक सरकारी कार्यों हेतु जो यात्रायें की गई हैं तथा जिनमें नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय हैं, उसमें कुल ४२ दिनों का हाल्ट हैं तथा कुल यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते पर ८,७०३ रु० का व्यय हुआ हैं। ये यात्रायें वायुयान, ट्रेन तथा सड़क द्वारा की गई हैं। इनमें से सड़क द्वारा की गई यात्रा पर कुल २१८ लीटर पेट्रोल व्यय हुआ।

जालौन जिले की खाद्यान्न योजना के मजदूरों की मजदूरी

१२९—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत २५ जुलाई, १९८० तक किन ग्रामों के कितने मजदूरों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था तथा सम्पूर्ण बकाया मजदूरी कितना खाद्यान्न देना बाकी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद जालौन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत २५-७-८० तक १२३ ग्रामों के ९२६२ मजदूरों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया था जिसका विवरण संलग्न* हैं। सम्पूर्ण बकाया मजदूरी में ५७६ मै० टन खाद्यान्न का वितरण शेष था।

टिहरी गढ़वाल जिले के कोपड़धार एवं खलियान बांझ भेंड़ प्रजनन फार्मों की भेड़ों का विवरण

१३०—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में विगत तीन वर्षों सन १९७७, १९७८ तथा १९७९ में टिहरी जनपद में स्थित भेड़ फार्मों, कोपड़धार तथा कैलाश बांगर में किस नस्ल की भेड़ों की संख्या प्रत्येक फार्म में कितनी-कितनी रही हैं तथा इस चालू वर्ष १९८० में वह संख्या क्या हैं ? उपरोक्त फार्मों में इस समय कर्मचारियों तथा डाक्टरों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? तथा उन्हें कब तक भरा जायेगा ?

---

*छापा नहीं गया।

श्री बलराम सिंह यादव—

टिहरी गढ़वाल जनपद में कोपड़धार तथा खलियान बांगर पर स्थित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर दिसम्बर, १९७७, १९७८ तथा १९७९ के अन्त में और अक्टूबर, १९८० के अन्त में कार्यरत भेड़ों मेढ़ों और मेमनों की नस्लवार संख्या का विवरण तालिका के रूप में संलग्न है। कैलाश बांगर पर कोई भेड़ प्रक्षेत्र नहीं है। सन १९७७ से रिक्त चले आ रहे पशुधन विकास अधिकारी के पदों को जुलाई, १९८० में भरा जा चुका है। उपरोक्त प्रक्षेत्रों पर कोई पद रिक्त नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८६ पर)।

जालौन जिले में पशु का अवैध बध

१३१—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों में जालौन जनपद में कितने अवैध पशु बध हुए तथा कितनी शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुईं और इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जालौन जनपद की पशुवध शालाओं में पिछले दो वर्षों में कोई अवैध पशुवध नहीं किया गया। पशुधन विकास अधिकारी, कोंच (जनपद जालौन) के विरुद्ध अवैध पशुवध कराने के आरोप सम्बन्धी चार शिकायती-पत्र सन् १९८० में प्राप्त हुये, जो जांच में निराधार पाये गये हैं। नगरपालिका, कोंच की वधशाला के बाहर अवैध पशुवध का एक मामला पकड़ा गया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी गई थी।

हमीरपुर जिले के ग्राम टिकरौली में खाद्यान्न योजना के मजदूरों की मजदूरी

१३२—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले ग्राम टिकरौली, ब्लाक सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के प्रत्येक मजदूर से जुलाई, १९८० में उसकी मजदूरी से प्रत्येक से अनाज २ किलो काट कर मजदूरी दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम टिकरौली में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों में मस्टर रोल में अंकित मजदूरी के अनुसार समस्त मजदूरों की सही मजदूरी दी गई है। किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।।

शाहजहांपुर जिले में अन्त्योदय परिवारों को दी गयी डनलप सेट बुग्गी का मूल्य

१३३—श्री जगदीश सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत डनलप बैलगाड़ी काश्तकारों को पंचायत उद्योग मिश्रीपुर द्वारा २,७५० रु० एग्रो द्वारा २,४०० रुपये तथा जैतीपुर ब्लाक के एक एप्रूव्ड कारीगर द्वारा २,३०० रुपये में दी जा रही है ? यदि हां, तो इन कीमतों में भिन्नता होने का क्या कारण है ? डनलप बैलगाड़ी का मूल्य इतना अधिक क्यों रखा गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस जनपद में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत डनलप सेट बुग्गी पंचायत उद्योग मिश्रीपुर द्वारा २७०० रुपये में आपूर्ति की जा रही है। एग्रो की डनलप सेट बुग्गी की दर २७५० रुपये है, किन्तु उनके द्वारा इसकी आपूर्ति नहीं की गयी है। एग्रो अन्य स्थानीय सेट के साथ तैयार करके २४५० रुपये में आपूर्ति कर रहे है। जैंतीपुर ब्लाक के एप्रूव्ड कारीगर द्वारा गुड्इयर टायर ट्यूब, फुलसेन, कैपिटल रिम एवं एक्सिल के साथ २३०० रुपये में आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने डनलप सेट बुग्गी की दर २२७५ रु० अनुमोदित कराई थी किन्तु इसकी आपूर्ति उन्होंने नहीं की है। कीमतों में भिन्नता का मुख्य कारण बुग्गी में प्रयोग किये गये कम्पोनेन्टस के मूल्य में अन्तर है। डनलप सेट तथा अन्य सेटों के मूल्य में पर्याप्त अन्तर है। डनलप तथा अन्य टायर ट्यूब के मूल्य पहले से बढ़ गये है। अतः बुग्गियों का मूल्य भी स्वतः बढ़ गया है।

विकास खण्ड चौमुहां, जिला मथुरा में खाद्यान्न योजना के गेहूं के सम्बन्ध में लिखायी गयी रिपोर्ट

१३४—श्री चन्दन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जिला विकास अधिकारी श्री एस० एन० शर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्री पी० एस० राना, जो इस समय ए० डी० ओ० एम-१ चौमुहां के हस्तान्तरित आदेश नं० ३३८ दिनांक ३१-५-७९ द्वारा लगभग ४० हजार रुपये मूल्य के तीन सौ कुन्टल गेहूं के घोटाले से सम्बन्धित दिनांक ११-९-७९ को श्री लाला राम, सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम (मथुरा) द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा कथित एथार्टी लेटर नं० ३३८, दिनांक ३१-५-७९ श्री पी० एस० राना, खण्ड विकास अधिकारी, चौमुहां के नाम जारी नहीं किया गया है और न ही श्री पी० एस० राना, खण्ड विकास अधिकारी, चौमुहां के पद पर नियुक्त रहे है। यह बात अवश्य है कि भारतीय खाद्य निगम गोदाम, मथुरा से किसी फर्जी अधिकार पत्र संख्या ३२८, दिनांक ३१-५-७९ पर ३०० कुंतल गेहूं ट्रक नं० एच० आर० सी० ५६८० द्वारा किसी राम जी लाल नामक व्यक्ति जो खण्ड विकास अधिकारी, चौमुहां का प्रतिनिधि बताया जाता है, को उठाया गया है। इसकी रिपोर्ट श्री लाला राम, सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, मथुरा द्वारा दिनांक ११-९-७९ को पुलिस में की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने विकास खण्ड, चौमुहां के दो कर्मचारियों को निलम्बन हेतु दिनांक २८-३-८० की रिपोर्ट द्वारा लिखा। तद्नुसार दोनों सम्बन्धित कर्मचारियों को क्रमशः आदेश सं० ६११/तेरह-पी० सी० दिनांक ३-४-८० तथा ३४बी/कृषि/४, दिनांक ७-४-८० द्वारा निलम्बित कर दिया गया। मामला अभी पुलिस की जांच में है। पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जायगी।

पंचायतराज उद्योग, चिनहट लखनऊ के पंचायत निरीक्षक द्वारा सीमेण्ट का गबन

१३५—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी हैं कि पंचायत उद्योग चिनहट, लखनऊ के वर्तमान पंचायत निरीक्षक ने इसी वर्ष सीमेन्ट क्रय करने के नाम पर बैंक से पैसा निकाल कर गबन किया हैं तथा उद्योग के नाम पर प्राप्त सीमेन्ट को ब्लैक में दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मामले में प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप पंचायत निरीक्षक को सीमेन्ट के क्रय में अनियमितताएं किये जाने का दोषी पाया गया और उसे निलम्बित कर दिया गया हैं ।

फैजाबाद जिले में सिलाई मशीन का कथित आवंटन

१३६—श्री प्रियदर्शी जेतली, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री जियाराम शुक्ल, "विकल साकेती" श्री रूपराम दिनकर तथा श्री राम कुमार भार्गव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ में जनपद फैजाबाद में कितनी सिलाई मशीनें आई० आर० डी० स्कीम तथा कितनी सिलाई मशीने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन विभाग द्वारा खरीदी गई थी ? तथा अब तक ब्लाकों को दी गई मशीनों में से कितनी मशीनें खराब होने के नाते लौटायी गयी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फैजाबाद में आई० आर० डी० स्कीम तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन विभाग द्वारा वर्ष १९७७-७८ व ७८-७९ में कोई सिलाई मशीन नहीं खरीदी गयी । अतः मशीनों के खराब होने व लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास खण्ड, करनैलगंज व परसपुर, जिला गोंडा में सड़कों एवं पुलिया का निर्माण

१३७—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्यान्न पोषित योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास क्षेत्रों में कितनी किलोमीटर मार्ग किस-किस गांव सभा से किस गांव सभा तक स्वीकृत थी उसमें सन १९७९-८० वर्षों में कितनी सड़कें बनी व कितनी किलोमीटर सड़कें कहां-कहां की बाकी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

विकास खण्ड करनैलगंज एवं परसपुर में क्रमशः ३७.८८० कि० मी० एवं १६.७३८ कि० मी० सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं जिनका विवरण सूची-१ में संलग्न* हैं। वर्ष १९७९-८० में करनैलगंज में २३.०६५ कि० मी० तथा परसपुर में १६.७३८ कि० मी० सड़कों का निर्माण किया गया हैं। जिन सड़कों का निर्माण होना शेष हैं, उनका विवरण भी सूची एक में संलग्न हैं।

*(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८७ पर)।

१३८—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि सम्पर्क मार्गों में जल निकासी के लिए पुल-पुलिया व बिम्ब आदि का प्रबन्ध न होने के कारण जल भराव व बाढ़ के पानी गांवों के खेत में भरा हैं ? यदि हां, तो सरकार कौन-सा कदम उठाने जा रही हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हैं जिसके अनुसार खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई सड़कों पर बनने वाली पुलिया के कारण खेतों में अथवा आस-पास जल भराव की स्थिति आई हो क्योंकि जहां-जहां पुलिया बननी थी वहां स्थान छूटा हैं। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड परसपुर में सम्पर्क मार्ग परसपुर-मथईपुर खाडेराव पर तीन पुलियों का निर्माण हो चुका हैं।

१३९—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्रीय समितियों के गांवों में आगामी वित्तीय वर्ष में कौन-कौन गांव सभाओं की सड़कें मुख्य पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु "काम के बदले अनाज" योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

वित्तीय वर्ष १९८०-८१ हेतु विकास खण्ड करनैलगंज तथा परसपुर की जिन सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं उनका विवरण सूची-२ में संलग्न† हैं।

†(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८९ पर)।

विकास खण्ड, फूलपुर, जिला आजमगढ़ में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं कथित बकाया मजदूरी

१४०—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ विकास खण्ड, फूलपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७९-८० में किन-किन सड़कों का निर्माण और किन-किन गांवों में पोखरे खुदाई का कार्य कराया गया तथा इसमें अलग-अलग कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७९-८० में कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न† है ।

१४१—श्री लालसा—

क्या यह भी सही है कि फर्जी मस्टर रोल बिना बील्दयत व सकूनत के और फर्जी निर्माण कार्य दिखाकर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है तथा मजदूरों को काम के बदले अनाज न देकर केवल ३ रु० प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी गयी है और अभी बहुत से मजदूरों की मजदूरी भी बकाया है ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने गत माह जुलाई १९८० में मौखिक रूप से जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ का ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट किया था ? तो अब तक सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई ।

ग्राम सभा पाँडा, जिला बहराइच के प्रधान, श्री दूधनाथ के निलम्बन सम्बन्धी आदेश

१४२—श्री जटा शंकर सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९८० के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २१ दिसम्बर, १९७७ को निर्गत उक्त शासनादेश जिसका अनुपालन सन्दर्भित उत्तर में ३०-७-८० को किया जाना बताया गया है, से स्पष्ट है कि आदेश अनुपालन में दो वर्ष सात माह से भी अधिक समय लगा ? इस अपेक्षित लम्बे समय तक अनुपालन कराये जाने के लिए कौन दोषी है ? दोषी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

इस विलम्ब के लिये जिला मुख्यालय के सम्बन्धित सहायक को दोषी पाया गया । जिसके लिये उसे असुविधाजनक दूरस्थ स्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया और उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी गई ।

भूमि संरक्षण अधिकारी मंधना, कानपुर द्वारा लोअर गंगा कैनाल के कुलावों की नालियों का निर्माण एवं चकपोलों की खरीद तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की जांच

१४३—श्री उदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा कमान्ड परियोजना में लोअर गंगा कैनाल, कानपुर की १—इलाहाबाद पश्चिमी ब्रांच, २—रनजीतपुर राजबहा,

---

†छापा नहीं गया ।

३—कल्याणपुर राजबहा कानपुर में बी० एस० सं० सर्किल मन्धना ने क्रमशः कुलाबा नं० २०८, २१०, १८७, १८८ रनजीतपुर कुलाबा नं० ४, ६, १०, १२ तथा कल्याणपुर कुलाबा नं० १३, ८७, ८८ एवं ७९ को कुलाबा से ऊंचा करके पक्की नाली बनायी गयी है ? जिसमें कई लाख रुपया खर्च किया गया है और इस नाली से पानी नहीं जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि संरक्षण अधिकारी, मन्धना, कानपुर के सभी कार्यों की जांच करायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त नालियों की लागत का पैसा किसानों से वसूल होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

रामगंगा कमान्ड परियोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई मन्धना, कानपुर में लोवर गंगा कैनाल के पश्चिमी इलाहाबाद शाखा के कुलाबा संख्या २०८ व २१० पर तथा कल्याणपुर रजबहा के कुलाबा नं० १३ पर ही पक्की नाली का निर्माण कराया गया है। इन तीनों कुलाबों पर क्रमशः ९,९६८, १९,२७० एवं २८,४३५ रुपया व्यय किया गया है तथा कोई भी पक्की नाली कुलाबें से ऊंची नहीं बनायी गयी है अतः इन पक्की नालियों में पानी चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक इन नालियों पर हुए व्यय की किसानों से वसूली का प्रश्न है उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ के अन्तर्गत होने वाले प्रक्षेत्र विकास कार्यों, जिनमें पक्की नालियों के निर्माण का व्यय भी सम्मिलित है, की धनराशि सीमान्त एवं लघु कृषकों से क्रमशः २२ १/२ प्रतिशत तथा २५ प्रतिशत का अनुदान काटकर शेष धनराशि एवं अन्य बड़े कृषकों से पूर्ण धनराशि वसूल की जाती है।

१४४—श्री उदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि रामगंगा कमाण्ड परियोजना शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना एवं गण्डक कमाण्ड परियोजना में ४०, ४० एकड़ को अलग करके पत्थर का चेक पोल गड़वाया जा रहा है ? यदि हां, तो भूमि संरक्षण अधिकारी, मन्धना, जिला कानपुर ने अपने यूनिट में कितने रुपए के पत्थर के पोल मंगवाएं ? इसको क्यों गड़वाया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

रामगंगा, शारदा सहायक तथा गंडक कमान्ड परियोजनाओं में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। चकपोल कैनाल चकरोड के दोनों किनारे उनकी सीमायें बनाये रखने के लिये लगवाये जाते हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी, मन्धना द्वारा वर्ष १९७७ में केवल २०३ चकपोल १५०२ रुपये मूल्य के खरीदे गये हैं जिन्हें अभी तक नहीं गड़वाया गया है।

१४५—श्री उदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि रामगंगा, शारदा सहायक, गण्डक, गंडक कमाण्ड परियोजनाओं के कार्यों तथा उनके द्वारा किये गये खर्चों, की जांच कराने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

शारदा सहायक, रामगंगा एवं गंडक परियोजनाओं में किये गये कार्यों तथा व्यय की जांच शासन के अन्य विभागों की भांति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं में जांच आदि के लिये आंतरिक सम्परीक्षा की भी व्यवस्था है अत: अलग से जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम भठवा पांडेय, थाना बनकटा, जिला देवरिया निवासी, श्री सलगम गोंड की झोपड़ी जला देने के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

[समय १२ बजकर १२ मिनट ।]

*श्री हरिवंश सहाय—

महोदय, ग्राम भठवा पांडेय थाना बनकटा, जिला देवरिया के सलगम गोंड की झोपड़ी २३ जनवरी, १९८१ को प्रात: जला दी गयी जिसमें उसका सारा सामान जैसे कपड़ा, जेवर, बर्तन जलकर राख हो गया । उसके पश्चात उसको बुरी तरह से पीटा गया । सलगम गोंड का कहना है कि उसकी झोंपड़ी बेगार न करने के कारण फूंकी गयी है ।

गांव के असरदार लोग उससे व उसके परिवार वालों से जबरन बेगार लेते रहे हैं लेकिन सलगम इंटर में पढ़ता है जिसने इस अत्याचार का विरोध शुरू कर दिया । गांव वाले इसे नाना प्रकार से तंग करना शुरू कर दिए हैं ।

थाना बनकटा में रपट घटना की तोड़फोड़ कर दर्ज की गयी तथा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । सलगम व उसके परिवार वालों का जीवन खतरे में है । वह भाग कर अपनी रक्षा हेतु यहां आया हुआ है ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सलगम की रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर फसल काटने से तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर सीमा के रेखांकन के प्रश्न पर गम्भीर और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है । उत्तर प्रदेश के किसानों की भूमि कट कर बांसनगर दियरा में गंगा जी के उस पार इस वर्ष पड़ी है । उस पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने रबी के फसल की बोवाई कर ली है । फसल अब तैयार होने वाली है । उत्तर प्रदेश के किसान उन फसलों को देखने के लिए जा रहे हैं । मटर और चना तथा तिलहन की तैयार फसल को अब उत्तर प्रदेश के किसानों को काटने नहीं दिया जा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

हैं। बिहार के काश्तकार जिनकी न तो यह फसल हैं और न तो जमीन हैं, वे इन फसलों को काट रहे हैं और उनकी सुरक्षा बिहार की पुलिस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों पर वहां की तैनात शस्त्रधारी पुलिस फायरिंग भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन मौन बैठा हैं। बिहार की शस्त्रवाहिनी पुलिस ने नाकेबंदी और घेराबन्दी करके हमारे प्रदेश के किसानों की फसल को कटवा रही हैं। त्रिवेदी फारमूले के अनुसार अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का रेखांकन नहीं हुआ हैं। हमारे प्रदेश से सर्वेक्षण के लिये गई हुई कर्मचारियों की टीम को भोजपुर (बिहार) के असामाजिक तत्वों ने बन्धक बना लिया हैं। बिहार का प्रशासन उन्हें छोड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रदेश की शस्त्रवाहिनी पुलिस लगाकर हमारे प्रदेश से आग्रह करता हैं कि प्रदेश की शस्त्रवाहिनी पुलिस लगाकर हमारे प्रदेश के किसानों की फसल की रक्षा करावें। हमारे प्रदेश के बन्दी रेवन्यू कर्मचारियों को छुड़वायें तथा सीमा रेखांकन के कार्य को शीघ्र करावें।

लखीमपुर नगर में शान्ति व्यवस्था भंग होने तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लखीमपुर नगर में जनजीवन पूर्णतया असुरक्षित हो गया हैं। दिनांक १-२-८१ को नगर के भीड़-भाड़ पूर्ण बाजार में एक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर लुटेरे घुस आये तथा रिवाल्वर से दुकानदार तथा उसके नौकर को घायल कर दिया। माल लूट ले गये।

इस घटना तथा पुलिस की निष्क्रियता के कारण सम्पूर्ण नगर में आम हड़ताल रही। पुलिस प्रशासन के प्रति घोर असन्तोष हैं। मान्यवर, ज्ञातव्य हैं कि गत ढाई माह के ही भीतर आधा दर्जन डकैतियां, एक दर्जन राहजनी, ६ हत्यायें, १२ चोरियां, एक डाक्टर का अपहरण, एक पत्रकार पर आक्रमण आदि की घटनायें घट चुकी हैं।

इसका मुख्य कारण पुलिस प्रशासन में व्याप्त गुटबन्दी हैं जिससे अराजकतत्वों को खुलकर नंगा नाच करने का मौका मिला हैं

मान्यवर, स्थिति शासन के संज्ञान में लाकर त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर की बांसगांव तहसील के मुख्यालय पर विधवा महिलाओं द्वारा धरना एवं अनशन के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील मुख्यालय पर विभिन्न गांवों की २७ विधवा महिलायें अपनी पेन्शन के लिए लगभग एक सप्ताह से धरना एवं अनशन पर बैठीं हैं। इन विधवा महिलाओं की आवास विवशता एवं आह को जिले का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। दिन प्रतिदिन इन विधवा महिलाओं की शारीरिक दशा खराब होती जा रही हैं। जन सामान्य में आक्रोश बढ़ रहा हैं जिससे स्थिति गम्भीर हो सकती हैं।

अतः लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग करती हूं।

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, गोरखपुर के अनिश्चितकाल की बन्दी तथा छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, जनपद गोरखपुर में स्थित जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज के प्रबंधक, श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने दिनांक १४-२-८१ से कालेज अनिश्चितकाल के लिये मनमाने ढंग से बन्द कर दिया हैं। इस कालेज के छात्रों की कुछ न्यायोचित मांग रही हैं जो निम्नांकित हैं—

१—कालेज में प्रति छात्र १२ रु० पुस्तकालय शुल्क लिया जाता हैं। और पुस्तकों का अभाव हैं। सन्दर्भ पुस्तकें नहीं हैं। इसे उपलब्ध कराया जाये।

२—प्रति छात्र ४ रु० प्रति विषय दर से भूगोल व सैन्य विज्ञान विषय का शुल्क लिया जाता हैं। इन विषयों का प्रयोगशाला भवन नहीं हैं। व्यवस्था की मांग की गई हैं। अन्य आवश्यक उपकरण भी नहीं हैं।

३—प्रति छात्र प्रति वर्ष २० रु० विकास शुल्क लिया जाता हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता हैं।

४—विद्यालय बी० ग्रेड घोषित हुआ हैं और इस पर वि० वि० आयोग से ७५ रु० छात्रों को धन उपलब्ध होता हैं। इसे प्रबन्धक निजी धन समझते हैं। उचित व्यवस्था की जाये। तीन रुपया प्रति छात्र चिकित्सा शुल्क लिया जाता हैं। इसका कोई खर्च नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

५—सैन्य विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय के पूरे प्राध्यापक नहीं हैं, व्यवस्था की जाय ।

६—इसके अलावा छात्र अपने संघ की मांग कर रहे थे । प्रबन्धक ने विद्यालय बन्द कर दिया, छात्रों की परीक्षा १४ अप्रैल, १९८१ से घोषित हैं । इससे नाराज हैं । जिलाधिकारी, गोरखपुर से छात्रों का एक दल दिनांक १४-२-८१ को सम्पर्क किया और स्थिति स्पष्ट किया । विद्यालय खुलवाने का आश्वासन दिया । परन्तु अब तक विद्यालय नहीं खुला हैं । छात्र आन्दोलित हैं । छात्र पढ़ना व छात्र संघ बनाना चाहते हैं । प्रबन्धक अनेक बहाने बनाकर स्थिति को दूसरा रूप देना चाहते हैं ।

ऐसी दशा में मुख्य मंत्री से यह मांग करता हूं कि विद्यालय खुलवाया जाय एवं छात्र संघ बनाने का आदेश दिया जाय अन्यथा स्थिति और विषम हो जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ४२वां प्रतिवेदन†

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा का ४२ वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

पुलिस अधीक्षक देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[१२ बजकर २३ मिनट ।]

श्री अध्यक्ष—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक ३ फरवरी, १९८१ को पुलिस अधीक्षक देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना हैं कि ३० जनवरी, १९८१ को जब वे एक मीटिंग में भाग लेने पडरौना (देवरिया) जा रहे थे और कसया उप नगर में चाय पीने के लिये रुके तो वहां उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना मिली कि उसका लड़का थाने में बन्द हैं । इस सूचना पर जब वे थाने में गये और जिस समय गिरफ्तार छात्रों से बात कर रहे थे उसी समय पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्री अजय सिंह वहां आ गये और उनके प्रति, यह बताये जाने पर भी कि माननीय विधायक श्री ओझा लाकअप पर गिरफ्तार छात्रों से बात कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक ने उनके पास आकर, अपशब्दों का प्रयोग किया तथा उन्हें जबरदस्ती वहां से हटवा दिया और धमकियां दीं ।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी, जो राज्य मंत्री गृह, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के पत्र के साथ उक्त पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह के स्पष्टीकरण के रूप में प्राप्त हुई हैं । पुलिस अधीक्षक ने अपने स्पष्टीकरण

---

†छापा नहीं गया ।

पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

मैं यह कहा हूँ कि नियमानुसार लाकअप में बन्दी अभियुक्तों के साथ बाहरी व्यक्तियों को बात करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने श्री ओझा द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए यह भी कहा है कि वे श्री ओझा के साथ विनम्र रूप से पेश आये बल्कि श्री ओझा ने ही रोष में उनके विरुद्ध बातें कहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपने अपना निर्णय सुनाना शुरू कर दिया लेकिन इस पर मेरी बातों को नहीं सुना है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसे मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न तभी पैदा होता है जब सदन के सदस्य की हैसियत से सदन के कार्य के सम्बन्ध में कोई रुकावट, धमकी या अन्य प्रकार से प्रभावित करने की चेष्टा की जाय। श्री ओझा का उक्त बन्दी छात्रों से थाने में मुलाकात करने हेतु जाना तथा उनसे बात करने का कोई सम्बन्ध उनके सदस्य के नाते सदन में किये जाने वाले किसी कार्य से नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य, श्री ओझा ने सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई किसी धमकी का उल्लेख अपनी शिकायत में नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उनके सदन में किये जाने वाले किसी कार्य को अनुचित रूप से प्रभावित करने की चेष्टा की गई है।

अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। जहां तक पुलिस अधीक्षक द्वारा अशिष्ट व्यवहार करने तथा धमकी देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधानसभा ने दिनांक ७ फरवरी, १९८१ को माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की एक सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि ३० जनवरी, १९८१ को तारांकित प्रश्न संख्या ११ से सम्बन्धित अपने अनुपूरक प्रश्न द्वारा उन्होंने माननीय मंत्री से यह जानना चाहा था कि अतिवृष्टि से गिरने वाले मकानों के लिये आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी आदेश किस तारीख को निर्गत किये गये थे और वे आदेश क्या हैं, जिसके उत्तर में माननीय राजस्व

[श्री अध्यक्ष—]

मंत्री ने अपने लिखित उत्तर के विपरीत उत्तर दिया तथा सदन की स्पष्ट घोषणाओं के अनुरूप कोई आदेश व निर्देश किया जाना न बताकर गोलमोल उत्तर दिया, और इस प्रकार उन्होंने सदन से वस्तुस्थिति को छुपाकर सदन का अवमान किया है।

मैंने इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उक्त तारांकित प्रश्न संख्या-११ के लिखित उत्तर और उसके सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उनके द्वारा दिये गये उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है। उनका कहना कि माननीय सदस्य के उक्त अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी शासन के आदेशों के निर्गत किये जाने की तारीखें बताना सम्भव नहीं था, क्योंकि लिखित उत्तर में जिन आदेशों का उल्लेख था, वे अलग-अलग आदेश कई तिथियों में निर्गत किये गये थे और माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया था कि वे किस आदेश के निर्गत होने की तिथि पूछना चाहते हैं, तथा वे आदेश क्या थे, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने लिखित उत्तर में ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

ऐसे मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब जानबूझकर सदन को गुमराह किया जाय या कोई तथ्य छिपाया जाय। प्रश्नगत मामले में माननीय राजस्व मंत्री का ऐसा कोई आशय प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त श्री देहलवी ने अपनी सूचना में ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय राजस्व मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः मैं इस मामले को सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य स्थगन का प्रस्तावों की सूचनाएं

[१२ बजकर २७ मिनट।]

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन की आज ७ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। एक सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री विजय सिंह रामा, श्री गोपी नाथ वर्मा की है, जो दिनांक २० फरवरी, १९८१ की शाम को भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री छेदा सिंह चौहान की कानपुर लखनऊ मार्ग पर हत्या कर दिये जाने से जनप्रतिनिधियों में व्याप्त असुरक्षा एवं असंतोष के सम्बन्ध में है पर मैंने केवल वक्तव्य देने का निर्देश दिया है। बाकी सब अस्वीकार किया है।

व्यवधान

श्री विजय सिंह राना—

माननीय, हमारा बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। महत्वपूर्ण तो रोज ही होता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, ऐसी हत्या रोज नहीं होती।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री दलगंजन सिंह एवं श्री शंकर सिंह की है। यह जनपद जालौन के ग्राम उमरी, थाना रामपुर तथा अन्य गांवों में पानी के संकट के कारण दंगों में ५० व्यक्तियों को मारा जाना तथा कई के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी, श्री कुबेर भंडारी एवं जसवन्त सिंह विष्ट की है, मथुरा जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी (श्री आत्माराम) द्वारा व्यापक शोषण, उत्पीड़न एवं विविध भ्रष्टाचार के संबंध में। चौथी है श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की, दिनांक २०-२-८१ को गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यापक को पुलिस द्वारा पीटे जाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को २८-२-८१ तक बन्द कर दिये जाने तथा बसों को चलाये जाने के सम्बन्ध में। नियम ५१ में भी इसकी सूचना दी गयी है उस पर विचार किया जायेगा। पांचवीं, श्री मोहन सिंह की है। विगत २० फरवरी, १९८२ को मेरठ जिले से २५ किलोमीटर दूर ग्राम मुबारकपुर के एक ही परिवार के ७ सदस्यों की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में। छठी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, बिहार प्रदेश की पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर घुसकर गोलीबारी से स्थिति विस्फोटक हो जाने के सम्बन्ध में। सातवीं, श्री गोपी नाथ वर्मा की है, दिनांक २०-२-८१ को थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद स्थित अकबरपुर से श्री दिनेश एवं उनकी मां को जबरिया पकड़ने, श्री दिनेश की निर्मम पिटाई करने तथा उनकी मां का अपहरण कर लिये जाने से व्याप्त असुरक्षा एवं आक्रोश के सम्बन्ध में। ये सभी अस्वीकार की गयी।

(व्यवधान)

यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है इसलिए अस्वीकार हुआ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, छेदा लाल चौहान वाले विषय पर वक्तव्य दिलाने के लिये स्वीकार किया है, इसके लिये मेहरबानी है कि उसके लिये, मान्यवर, शासन से कह दिया है। लेकिन, मान्यवर, केवल वक्तव्य से सप्लीमेन्ट्री का अवसर नहीं मिलेगा और यह बड़ा अहम विषय है। लखनऊ के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम सूबे में जिस तरह से यह मर्डर हुआ है और जैसी खबर है, बड़ा गम्भीर विषय है। तो जो वक्तव्य है, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये कि इसमें सप्लीमेन्ट्री करने का अवसर मिल जाय, मान्यवर, इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष—

जब वक्तव्य आयेगा तब जैसी परिस्थिति होगी, उसे देख लेंगे।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, २ मिनट में मेरी बात सुन लें। २० तारीख को बिहार प्रदेश से एक महिला, जिसके साथ उसका लड़का भी था, अकबरपुर बस स्टेशन से जा रही थी कि बस स्टेशन के टैक्सी ड्राइवर ने जबरियन उसे फैजाबाद रोड पर ले जाकर उसके लड़के को बुरी तरह से मारा और रास्ते में बांधकर गड्ढे में फेंक दिया। महिला को पकड़ लिया और उस महिला का आज तक पता नहीं है। उसका एफ० आई० आर० लिखा गया है। लेकिन उसको वहां के सरकस लोग दबाना चाहते हैं। मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिला दें। महत्वपूर्ण मामला है। दूसरे प्रदेश की महिला का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको कहने का अवसर दे दिया। सुन लिया। कार्य-स्थगन के विषय पर अस्वीकार हुआ। इस विषय को उठाना चाहते हैं, तो पता लगायें कि किस तरह से उठा सकते हैं।

अब १९८०-८१ के आय-व्ययक को लेते हैं।

बजट अनुदान से संबंधित साहित्य रिपोर्ट विलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बजट अनुदान पर बहस शुरू हो गयी, लेकिन जो विभाग की रिपोर्ट हैं समय से पिजन होल में नहीं मिलतीं। आज जो बहस हो रही है, इसकी भी रिपोर्ट समय से नहीं मिली और कल राजस्व विभाग की बहस है, पटल कार्यालय से मालूम हुआ कि अभी अभी आयी है। तो इसमें मान्यवर, कुछ व्यवस्था हो जाय कि एक हफ्ते नहीं तो ३/४ रोज पहले मिल जाय तो हम अध्ययन कर लें।

श्री अध्यक्ष—

शुक्रवार को ही साहित्य आ गया था और पिजन होल में रख दिया गया था। समय से पहले साहित्य बट जाय, यह अच्छा है। मैं चाहूंगा कि शासन इस ओर ध्यान दे।

श्री लोकपति—

मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि सम्मानित विधायकों के कमरे में ही भेजा जाय। अगर किसी को नहीं मिली, तो खेद है।

श्री उदल—

हमारे कमरे में नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग पड़ोसी हैं । पता लगा लें ।

१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २८—चिकित्सा अनुदान संख्या २९—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या ४०— सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या ७८—चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय

[१२ बजकर २५ मिनट ।]

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति—)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७९,२२,८९,००० रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,११,७४,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४,७९,८८,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७८-चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,०७,११,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन, स्वास्थ विभाग का यह दूसरा बजट मुझे आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के सम्मुख रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इसके पूर्व में कुछ कहूं सितम्बर,

[श्री लोकपति—]

१९८० में जब स्वास्थ्य विभाग का बजट मैंने इस सदन में रखा था तो कुछ घोषणायें की थीं। आपकी आज्ञा से मैं सदन को पहले उन पर क्या कार्यवाही हुई है, से अवगत कराना आवश्यक समझता हूं। श्रीमन, पहला था कि सभी जिला अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की जायेगी। १९८०-८५ के दौरान ११२ जनरेटर लगाये जायेंगे। इस वर्ष अभी २ हैं और ६ का प्राविधान है। इस प्रकार ६ जनरेटर इस वर्ष लग जायेंगे। जनरेटर के अतिरिक्त सभी जिला अस्पतालों में अतिरिक्त फीडर लाइन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान शैय्याओं से जिनकी संख्या २८ हजार है, इसको बढ़ाकर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति से यह संख्या १ लाख ८ हजार पहुंचे यह हो गई है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष ५०० चिकित्सालय जिनमें ४०० आयुर्वेदिक और १०० यूनानी हैं। जिसके अन्तर्गत २ हजार शैय्यायें बढ़ी हैं। २५० होम्योपैथिक जिसके अन्तर्गत १ हजार शैय्यायें बढ़ी हैं। यहां लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है तो जो वर्तमान चिकित्सालय हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय और जो वहां का महिला चिकित्सालय है उसमें से कुछ शैय्यायें उसमें सम्बद्ध कर दी जायेंगी। लखनऊ में बलरामपुर, सिविल हास्पिटल, वहां का महिला चिकित्सालय और महानगर चिकित्सालय में एक हजार शैय्याओं की व्यवस्था हो रही है। जो हमारे वर्तमान चिकित्सालय हैं जो शैय्याओं की कमी है उनकी मरम्मत और उनमें नयी शैय्यायें बनाने की इस वर्ष २०० अतिरिक्त बढ़ाने का प्राविधान है। लगभग १२ नये चिकित्सालय जिला सदर पर कायम किये जा रहे हैं। जिनकी अन्तर्गत लगभग १५ सौ शैय्यायें अतिरिक्त होंगी। श्रीमन, हमारे आगरा जिले में जहां वर्तमान मेडिकल कालेज है, वहां से उसको स्थानान्तरित कर, क्योंकि जिस जगह वह है बहुत घनी आबादी के बीच हो गया है तो उसको ले जाकर आगरा मेन्टल हास्पिटल जहां है उसके समीप नया मेडिकल कालेज और उसके साथ उसके नये चिकित्सालय की व्यवस्था के लिए शासन ने तय किया है तथा उसके लिए प्राविधान कर दिया गया है। जो वर्तमान चिकित्सालय है वह आगरा का डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बना दिया जाएगा और जो जिला चिकित्सालय आगरा का है उसको इमरजेंसी हास्पिटल के रूप में बदल दिया जायेगा। इससे श्रीमन लगभग २ हजार शैय्यायें अतिरिक्त बढ़ेंगी। इस प्रकार से इस वर्ष हम लगभग ८ हजार शैय्यायें अतिरिक्त बढ़ाने जा रहे हैं। जहां तक यह भी इस सदन को बताया गया था कि जो दवाइयां सरकारी अस्पतालों में वितरित की जायेंगी उसमें सरकारी मोहर होगी, तो इस सम्बन्ध में वर्ष १९८१-८२ में जो दवाइयां खरीदी जायेंगी उनमें यह मोहर लगेगी। समस्त चिकित्साधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सी० एम० ओ०, डी० सी० एम० ओ० हैं, उनको साल में कुछ दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात बितानी पड़ेगी। श्रीमन, इस वर्ष १०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण होगा। पिछले सदन में हमने कहा था कि लगभग तीन सौ केन्द्र ऐसे हैं जहां भवन नहीं हैं और हमारा प्रयास होगा कि उन केन्द्रों पर भवन दे दिये जायें। तो श्रीमन, ३ वर्षों में हम इसे पूरा करेंगे। इस वर्ष १०० भवनों का निर्माण करना है। जो चिकित्सालय उच्चीकृत हों वहां

पैथालाजी, सर्जरी और कार्डियालाजी की व्यवस्था की जाये, इस सम्बन्ध में मुझे खेद है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो उच्चीकृत होंगे वहां कार्डियालाजी की व्यवस्था नहीं हो पायेंगी। मगर तहसील स्तर पर जो उच्चीकृत चिकित्सालय होंगे वहां पर कार्डियालाजी की व्यवस्था होगी। पैथालाजी, कार्डियालाजी, नाक, कान आंख आदि की जो व्यवस्था है, होगी। वह भी तहसील स्तर पर होगी।

इस वर्ष गोरखपुर मेडिकल कालेज में टिपिकल डिजीज इंटेन्सिव इन्वेस्टीगेशन सेंटर की स्थापना हो रही है। वह क्षेत्र ऐसा है कि वहां किसी न किसी प्रकार की महामारी प्रति वर्ष होती है तो यह महामारी क्यों उभरती है उसका क्या कारण है और उसका निराकरण कैसे होगा, इसकी जानकारी के लिये यह केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। अभी हमारे देश में इस प्रकार का एक केन्द्र पूना में है और दूसरा अब गोरखपुर में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष इसका प्राविधान किया गया है।

तहसील स्तर पर ३० शैय्याओं के चिकित्सालय बनाये जायेंगे। इसमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी। इस वर्ष १० करोड़ रुपया इसके लिये रखा गया है। सन २००० तक ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, यह अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य की दिशा में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और ८०-८१ और ८१-८२ को मिलाकर साढ़े ३ हजार अतिरिक्त सब सेंटर्स खोलने की बात है। इसी के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग ९० नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात है। इसी वर्ष इसी उद्देश्य के अन्तर्गत १०० एलोपैथिक डिस्पेंसरीज शासन खोलने का प्रयास कर रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, श्रीमन, अधिकांश हमारे चिकित्सालय डाक्टरों से शून्य हैं वहां डाक्टर नहीं हैं। सी० पी० एम० टी० की जो परीक्षा होती है उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिये अलग से संवर्ग बना दिया जा रहा है ताकि वहां के लोग सीधे पर्वतीय क्षेत्रों में जा सकें और तत्काल वहां पर हम डाक्टर्स उपलब्ध करा सकें। इसके लिये मामला शासन के विचाराधीन है कि इनकी उपलब्धि के लिये कुछ एडहाक एप्वाइन्मेन्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में से जो डाक्टर्स बनकर निकलें, उनकी नियुक्ति की जाय।

फूड एडल्ट्रेशन के बारे में कहा गया था तो उसके लिये एक इकाई की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ८२-८३ के बीच जब आपके समक्ष बजट पेश करूंगे तब तक इस इकाई की स्थापना कर चुके होंगे।

नर्सेज के लिये उनके रहने के लिये स्थान का प्रबन्ध किया जा रहा है और इस साल ४ नर्सेज के होस्टल हम बनाने जा रहे हैं।

यह भी कहा गया था कि प्रति व्यक्ति एक रुपया प्रतिमाह हम दवाई की व्यवस्था करेंगे। मुझे दुख है कि मैं इसमें असफल रहा। मगर हमने १९७९-८० का १३ करोड़ ६७ लाख का बजट था एलोपैथिक का, उसको बढ़ाकर २२ करोड़ ६४ लाख रुपया १९८१-८२

[श्री लोकपति—]

के बजट में कर दिया है जो लगभग ५० पैसे प्रति व्यक्ति प्रति माह पड़ेगा। जहां तक एम्बुलेन्स सर्विसेज का प्रश्न है, जहां हमारी एम्बुलेन्स खराब हो गई है उनको बदला जा रहा है। मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस की मैंने घोषणा की थी। जो हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जहां दुर्घटनायें हो जाती हैं तो उस स्थान से नजदीकी चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिये हम इस वर्ष एमरजेंसी मोबाइल एम्बुलेंस चलाने जा रहे हैं जिसमें एक छोटा सा इमरजेंसी अस्पताल भी रहेगा। इस वर्ष हम ऐसी १२ गाड़ियां चलायेंगे।

मेडिको लीगल सैल स्टेट के मुख्यालय पर कायम किया जा रहा है। निदेशालय के विकेन्द्रीकरण की नीति तय हो गई है। अभी हम कार्यरूप में नहीं ला सके हैं लेकिन निकट भविष्य में इसको कार्यरूप दे दिया जाएगा। प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में चिकित्सकों को चेतावनी दे दी गई है। अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया है और एक मौका दिया है। पी० एम० एस० एसोसियेशन ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस स्तर पर इसको देखेंगे कि सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करें। उनके आश्वासन को देखते हुए अभी हमने प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की है। उनसे हमारा सम्बन्ध बना रहता है और वे हमको हर माह रिपोर्ट देते रहते हैं। हमको आशा है कि हम प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करने में सफल हो सकेंगे।

नियमितीकरण का कार्य करीब-करीब समाप्त प्राय है। कुछ कार्य किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, वह भी एक आध महीने में पूर्ण हो जायेगा।

जिला परिषद् व नगरपालिकाओं की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, पिछली बार सदन में हमने कहा था कि हम उसको ले रहे हैं। इस तरफ हमने कदम बढ़ाया है और २६ चिकित्सालय इस वर्ष हम ले रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अस्पतालों को अनुदान दिया जाता है वह वर्ष के अन्त में दिया जाता है। हमने सदन में यह कहा था कि हम परम्परा तोड़ेंगे। श्रीमन, अक्टूबर, १९८० में लेखा अनुदान परिग्रह पारित हुआ और नवम्बर-दिसम्बर तक हम प्रदेश के चिकित्सालयों को दवा का जो अनुदान था, उसका ९९ प्रतिशत वितरित कर चुके हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें आपके सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। मेडिकल कालेज को अब हम विशेष काम का जैसे सर्जरी तथा अन्य विज्ञानों की स्पेशियेलिटी के अनुसार बनाने जा रहे हैं। झांसी मेडिकल कालेज को नेत्र विज्ञान का केन्द्र बनाने जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अपने प्रदेश में प्रति वर्ष अन्धेपन की बीमारी फैलती जा रही है। इसका अन्वेषण, इसका निदान और इस पर अनुसंधान, इसकी जिम्मेदारी हमने झांसी मेडिकल कालेज को दी है।

इसी तरह आगरा मेडिकल कालेज को मूत्र विज्ञान, इससे संबंधित सभी बातों का उसकी स्पेशयेलिटी का सेन्टर बनाने जा रहे हैं और कानपुर में मान्यवर, कैंसर इंस्टीट्यूट है। छठी पंचवर्षीय योजना में उसका डेवलपमेन्ट करके इसको और बड़े इंस्टीट्यूट के रूप में परिणत करने का हमने कार्यक्रम बनाया है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज फरमोन्स मेडिसिन इसे और उच्चीकृत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे १३ मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, जहां मेडिकल कालेज हैं। उत्तर प्रदेश शासन उन मुख्यालयों को बढ़ाये जा रहा है। जितने हमारे कमिश्नरी के हेड क्वार्टर्स हैं, हर कमिश्नरी के हेड क्वार्टर्स में हम डाइलिसिस की यूनिट लगाने जा रहे हैं। सन् १९८०-८१ में दो लगी हैं कानपुर और बलरामपुर लखनऊ में, दो और अगले वर्ष में लगने जा रही हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री ऊदल जी ने कहा कि लगाई भी जायेंगी या ऐसे ही हैं, तो अब आप सुनिए। तो श्रीमन् उन्हीं मुख्यालयों में, वहीं हमारी पास एक्सपर्ट डाइलिसिस के ट्रेन्ड होंगे। अभी तक दो जगहें थीं बम्बई और दिल्ली। जैसे-जैसे हमारे एक्सपर्ट ट्रेन्ड होकर मिलते जायेंगे, हम इसको बढ़ाते जायेंगे और छठी पंचवर्षीय योजना में हर मुख्यालय पर डाइलिसिस को लगाने जा रहे हैं, जैसे-जैसे एक्सपर्ट मिलते जायेंगे, लगाते जायेंगे। इस वर्ष चार लगाने जा रहे हैं, विगत वर्ष में दो लगाया था। इसके लिये एक्सपर्ट तैयार करने के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं।

अब प्राविधान यह किया गया है कि औसतन एक अस्पताल में ५० एक्सरे प्लेट की आवश्यकता होती है, यह प्राविधान हमारे पास नहीं था। सन १९८१-८२ के बजट में हमने यह प्राविधान किया है कि ५० एक्सरे प्लेट औसतन एक एक्सरे मशीन पर दिये जायं। इस समय हमारे यहां लगभग ७० एक्सरे मशीन खराब हैं, जिनको बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है और प्रयास यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश की तहसीलों, प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला स्तर पर और उन जिलों में जहां अभी तक डिस्पेन्सरीज नहीं थीं, डिस्पेन्सरीज बनने जा रही हैं, वहां भी एक एक्सरे की मशीन उपलब्ध करायी जाय। इसकी संख्या ७३५ होगी और इन ७३५ स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे की सुविधा दे दी जाय।

पैथोलोजी की सुविधा हर जिला मुख्यालय में, हर तहसील मुख्यालय में और हर चार विकास खण्डों की बीच में, आपके जो उच्चीकृत चिकित्सालय बनने वाले हैं विकास खण्डों में, वहां दी जा रही है और श्रीमन् मैंने पिछली बार आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराया था कि हमारा बजट का ८० प्रतिशत भाग ग्रामीण अंचलों में ले जाया जायेगा। तो अब जो हमारे नये चिकित्सालय खुलेंगे वहां पर हम ग्रामीण अंचलों में उच्चीकृत चिकित्सालय तथा तहसील स्तर पर बच्चों के बाल चिकित्सालय भी स्थापित कर रहे हैं और जिला मुख्यालय पर बाल चिकित्सालय अलग से स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष ५० बाल चिकित्सालय स्थापित करने जा रहे हैं।

[श्री लोक पति—]

मैं सम्मानित सदस्यों से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि इस लेखानुदान को अपना समर्थन दें, इसे स्वीकार करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४० सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७८ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना, तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सब से पहले मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में घाघ की लिखी दो पंक्तियां पेश करना चाहूंगा—

"वैद्य रोगी, तरुण योगी, शूर पीठी घाव रे
कीमियागर भीख मांगे, इन्हें ना पतियाव रे।"

मान्यवर, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जन-जीवन से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जन-जीवन से संबंधित इन मुद्दों के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्राविधान किया जाय। लेकिन, मान्यवर, हमारे प्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा हैं। गरीबी की रेखा में जीने वाले लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ भगवान के ही भरोसे बैठे रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने भी वही रुख अख्तियार किया हैं भगवान के भरोसे वाला .....

श्री मोहन सिंह—

ये खुद भगवान भरोसे हैं ...

श्री राम आसरे वर्मा—

और इसमें कोई शक नहीं हैं कि माननीय मंत्री जी भगवान के भरोसे हैं। मान्यवर, सीतापुर (आइ) कैम्प में पांच व्यक्तियों की मृत्यु, हरदोई आइ कैम्प में १९ व्यक्तियों की रोशनी लौटी नहीं, मेरठ में १५ आदमी स्प्रिट पीने से मरे, आगरा, हलद्वानी में टिंक्चर से अनगिनत मौतें, आदि आदि, अखबारों की खबरें हैं ....

दवा की खरीद में दो करोड़ का घपला, काटन और पट्टी की खरीद में लाखों का घपला, आदमियों की जगह जानवरों की दवा की खरीद और जानवरों की जगह आदमियों की दवा की खरीद, दवा के फर्जी बिलों में लाखों रुपये की लूटमार, अस्पतालों के लिये खरीदी गई दवाओं की बाजार में बिक्री और अस्पतालों के लिये २० रुपये किलो तक सेव की खरीद, आदि ऐसी खबरें हैं जो नित्य प्रति अखबारों में छपती रहती हैं। यह माननीय मंत्री जी के विभाग के प्रशासन का दीवालियापन है और भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट नौकरशाही के कारनामों से प्रदेश का जन साधारण भी अवगत है और मंत्री जी तो विशेष रूप से अवगत हैं ही। उनकी नजर में तो मंत्री आज आये और कल चले जायेंगे, आने और जाने का सिलसिला उनके दिमाग में बना रहता है। इस सिलसिले को आधार मानकर वह जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में माननीय मंत्री जी का दिमाग मोड़ लेते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नौकरशाही के जो भ्रष्ट कारनामें हैं उनके सामने नत मस्तक न हों बल्कि उसके जबड़े तोड़ने के लिये अपनी कमर कसें और यदि नींद में हों तो जाग जायं। सन १९७४ का ग्लूकोस कांड जो कानपुर में हुआ था, उसे सब जानते हैं। उस कांड के बाद शासन ने एक मेहरा कमेटी गठित की थी उसने बड़ी लम्बी-चौड़ी सिफारिशें की थीं। लेकिन वह क्या हुई? वह लालफीते में बन्द करके इस सचिवालय के तहखाने में दफना दी गई। एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आयी और उसके बाद तीसरी सरकार आई। सरकारों का सिलसिला बदलता रहा लेकिन अधिकारियों ने उस रिपोर्ट पर सूर्य की रोशनी तक नहीं लगने दी। उस कमेटी की क्या संस्तुतियां थीं? उसने संस्तुतियां की थीं कि अस्पतालों के लिये कौन सी और कैसी दवायें खरीदी जांय, किस तरीके से दवा खरीदी जाय, नकली और घटिया दवाओं का बिकना कैसे बन्द किया जाय, दवाओं के कारखाने खोलने में सरकार उनकी किस तरह से रक्षा करे, अस्पतालों में दवाओं के रख-रखाव कैसे हो, दवाओं में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार किस तरह से बन्द हो, ये सब सिफारिशें मेहरा कमेटी ने की थीं। लेकिन ये सिफारिशें ज्यों की त्यों आलमारी में बन्द रहीं और शायद मंत्री जी के सामने भी ये सिफारिशें नहीं लायीं गई। यदि लायी गई होती तो अखबारों में छपी हुई सुर्खियां जिनका जिक्र किया गया है, वे न छपने पाती। मान्यवर, बीमारों, असहायों और अपाहिजों के साथ पिछले अनेकों वर्षों से बेइमानी और लूट चल रही है।

१९७५ के बाद यह सिलसिला बन्द हो जाना चाहिये था जब कि मेहरा कमेटी की सिफारिशें आ गई थीं लेकिन यदि यह सिलसिला बन्द हो जाता तो नौकरशाही की लूट-खसोट कायम नहीं रह पाती। मंत्री जी यह कहेंगे कि मेहरा कमेटी की सिफारिशें बूढ़ी हो गयी हैं और नये हादसों का इंतजार कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और चेतावनी के स्वर में कहना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो नये हादसे होते रहेंगे और उनका सिलसिला सामने आने तक मंत्री जी इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। नये मंत्री आयेंगे तो वह

[श्री राम आसरे वर्मा—]

नये हादसों की पृष्ठभूमि में नयी कमेटी बनायेंगे और फिर उसकी सिफारिशों का इंतजार करेंगे। मान्यवर, मंत्री जी आज नये संकल्पों के साथ अपने को जोड़ें और नये निर्णय लें।

मान्यवर, कई प्रदेशों में कितने ही कांड हुए, गुजरात में ग्लूकोज कांड हुआ उनकी जांच हुई और उसके आधार पर सुधार किये गये, बंगाल में डिस्टिल्ड वाटर कांड हुआ, उसकी जांच हुई और उसके बाद वहां पर उसका सुधार हुआ। दिल्ली, मद्रास आदि प्रान्तों में भी इस तरह के कांड हुए, उनके लिए समितियां बनाई गयीं और जो सिफारिशें उन समितियों ने की उनको लागू कर सुधार किया गया लेकिन हमारे प्रदेश में ग्लूकोज का वीभत्स कांड हो गया उसकी जांच के लिए कमेटी बैठी, उसकी सिफारिशों को सामने तक नहीं आने दिया गया जो कि शासन के लिए शर्मनाक बात है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने एक हाथी कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने पूरे देश में घूमघूम कर ड्रग कन्ट्रोल संगठनों का निरीक्षण किया और उसकी सिफारिशों को सभी प्रान्तीय सरकारों के पास भेजा गया कि वह अपने यहां औषधि नियंत्रण करने के लिए एक संगठन बनायें और इसके लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की बात भी कही गयी थी और कई प्रान्तों ने तदनुसार कार्यवाही भी की और उसकी सिफारिशों को माना, लेकिन हमारे प्रदेश में शायद उसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। मान्यवर, पिछले साल नेशनल हैल्थ काउंसिल की बैठक हुई थी और उस बैठक में स्वास्थ मंत्री, स्वास्थ सचिव, स्वास्थ निदेशक एवं अन्य कई अधिकारियों ने भाग भी लिया था। उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रदेश सरकारें अपने ड्रग कन्ट्रोल विभाग को ठीक से संभालें। हमारे प्रदेश के मंत्री और अधिकारी उस बैठक के निर्णयों से अवगत हो गये थे लेकिन उनको कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। बल्कि हमारे यहां ड्रग कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन को कमजोर किया जा रहा है और जिस तरह से नकली दवाओं का बोलबाला है, उसी तरह से यहां पर ड्रग को कन्ट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया तथा नकली दवाओं की तरह से माननीय मंत्री के इंस्पेक्टर भी नकली हैं... ड्रग कन्ट्रोलर भी नकली हैं, असिस्टेन्ट कन्ट्रोलर भी नकली हैं। नकली इस मायने में कि फार्मेसियुटिकल साइंस का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है और जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है तो वह नकली ही कहे जायेंगे। इस विभाग में सेवा शर्तों और वेतनमानों की स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है, उसको देखते हुए कोई भी तकनीकी व्यक्ति इसमें आना पसन्द नहीं कर रहा है। तमाम ड्रग इंस्पेक्टर के पद खाली पड़े हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। इस तरह से इसको दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है, जबकि दूसरे प्रान्तों में इसको मजबूत करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि नये-नये तमाम राजकीय चिकित्सालय खोले जायेंगे, शैय्यायें भी बढ़ाई जायेंगी, लेकिन मंत्री जी ने इस बात को नहीं बताया कि उन चिकित्सालयों में काम करने वाले प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट कहां से आयेंगे। हमारे प्रदेश में जो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं जो प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट निकालते हैं, एक इलाहाबाद का मेडिकल कालेज और दूसरा है फार्मेसिस्ट संस्थान आगरा, ये दोनों ही सन ८० से बन्द पड़े हैं। फार्मेसिस्ट कौंसिल आफ इंडिया से इन्हें मान्यता नहीं थी,

इसलिए बन्द पड़े हैं, लेकिन अपनी किताब में जो मंत्री जी ने बांटी है, उसमें मंत्री जी ने कह दिया है कि वह काम कर रहे हैं।

दूसरी बात, गत कई वर्षों से यह बात सदन के सामने कही जा रही है कि फार्मेसिस्टों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था शासन कर रहा है, लेकिन आज तक हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। सिर्फ बनारस में बी-फार्मा और एम-फार्मा का विद्यालय है। जो केन्द्र के हाथ में है। हमारे राज्य सरकार के पास कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, जिसमें से उच्च शिक्षा प्राप्त फार्मेसिस्ट निकल सकें। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि औषधि निरंत्रण प्रशासन और फार्मेस्युटिकल सर्विसेज को मेडिकल के स्थान पर फार्मेसिस्ट शिक्षा-विदों के सुपुर्द करें। ऐसा करने पर ही आप मेहरा कमेटी की रिपोर्ट या अन्य जो समितियां समय-समय पर बनाई गई हैं, उनकी रिपोर्टों की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर सकेंगे। इस सिलसिले में अच्छा होगा यदि एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाए और इस संयुक्त परामर्शदात्री समिति में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक औषधि नियंत्रक तथा अन्य सरकारी प्रतिनिधि हो एवं फार्मेस्युटिकल्स के प्रतिनिधि तथा फार्मेसिस्ट संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हों। यदि आवश्यक हो तो हमारे प्रदेश में औषधि परीक्षण संस्थान कायम कर दिया जाय। इससे परीक्षण के लिए यहां पर पूरे प्रदेश से चीजें आती हैं, उनके सही परीक्षण में मदद मिल सकेगी। आज इस सिलसिले में जो व्यवस्था है, उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, अभी पिछले साल १९७९ में केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश पारित किया था औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश इस आदेश के तहत चोर बाजारी को रोकने और मूल्यों पर नियंत्रण पाने की व्यवस्था की गई थी। तमाम जगहों पर तो इस आदेश को लागू कर दिया गया है लेकिन हमारे प्रदेश में इस आदेश को लागू नहीं किया गया। मान्यवर, इसे जानबूझकर दबाया जा रहा है, दबाने के पीछे निहित स्वार्थ काम कर रहा है। यह एक खबर छपी है दैनिक "आज" २ फरवरी, १९८१ के अखबार में "सरकारी दवाओं की खरीद में भारी घोटाला" इस शीर्षक के अन्तर्गत छपी इस खबर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। औषधि नियंत्रण के उक्त आदेश को राज्य में अभी तक लागू नहीं किया गया है। पता चला है कि इस आदेश को लागू न किये जाने के पीछे यह उद्देश्य है कि दवा सप्लाई वाली कम्पनियों को बड़े मूल्य दिलाकर मुनाफा कमाया जा सके। फरवरी और मार्च मास में औषधि नियंत्रक द्वारा लगभग २ करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों की खरीददारी की जानी है। इसी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि औषधि नियंत्रण का एक करोड़ ७० लाख रुपया व्यय भी कर दिया गया है और इस धनराशि में से १३ रुपया ७५ पैसे प्रति हजार की नियंत्रित दर से टेबलेट न खरीदकर २३ रुपया के दूने मूल्य पर खरीद की गई है। साइप्लोप्रीन की बड़े दर पर खरीदारी के मामले की जांच

[श्री राम आसरे वर्मा—]

भी की गई और कुछ लोग कानून के दोषी पाये गए लेकिन चूंकि अपने प्रदेश में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश लागू नहीं किया गया है इसलिए अपराध साबित हो जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने तमाम जिन बातों का जिक्र किया है, उसमें से लखनऊ का जिक्र करना चाहूंगा जो माननीय मंत्री जी ने यहां इंस्टेट्यूट खोलने की बात कही । राष्ट्रपति ने उसका शिलान्यास भी कर दिया लेकिन ऐसा आभास होता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर्स के दबाव में यह इन्स्टीट्यूट खतरे में पड़ गया है और अगर खतरे में पड़ने की स्थिति नहीं थी तो जैसा मंत्री जी ने कहा था कि कार्य जुलाई से शुरू होगा तो उस हिसाब से न तो उसकी तैयारियां ही हो रही हैं और न ही कार्य शुरू हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि यह निश्चय ही खटाई में पड़ जायेगा।

श्री लोकपति—

खटाई में नहीं पड़ रहा है। जुलाई से चालू होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जुलाई से चालू हो जायेगा, अच्छी बात है। लेकिन जो लक्षण हैं उनसे जाहिर होता है कि अभी वह अधर में ही है और अगर क्रियान्वित हो सकता है तो अच्छी बात है। मान्यवर, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं और हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। आज जब हम दूसरे देशों की तरफ नजर डालते हैं चीन की तरफ देखते हैं जहां पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नित्य नए-नए अनुसंधान किये जा रहे हैं, प्रगति हो रही है तो हमें लगता है कि यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक चुनौती जैसी बन रही है। हम उस दिशा में बहुत पीछे पड़ रहे हैं।

मान्यवर, यूनानी का हाल भी वही है। हमारे यहां दो विद्यालय यूनानी के हैं। एक इलाहाबाद का और एक लखनऊ का। कई सालों से सुन रहे हैं कि उनका प्रान्तीयकरण किया जा रहा है लेकिन वह केवल बातों में हो रहा है, अमल में नहीं हो रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि शायद प्रान्तीयकरण की दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं और उसके लिये बिल तैयार हो गया है जो माननीय मंत्री जी के सामने नहीं आया है लेकिन उस बिल की कापी इलाहाबाद कालेज के प्राचार्य के पास पहुंच गई है। मैडिकल अनुभाग से उसका लीकेज हो गया है जिसका पता माननीय मंत्री जी को नहीं है। वहां के विद्यार्थियों ने भी शायद अपनी बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। वहां पर केवल १० कर्मचारी हैं। १० में ६ लोग प्राचार्य के ही भाई भतीजे हैं। प्राचार्य ही अध्यक्ष भी हैं और वही आनरेरी सचिव भी हैं और अपने दस्तखतों से पैसा भी निकालते हैं। इस तरह का मनमानी राज्य वहां कायम है और इस मनमाने राज्य के खिलाफ छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार भी कर रखा है।

इसके साथ एक चीज यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरूआत २ अक्तूबर, १९७७ को जनता पार्टी के शासन में हुई और इसे आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत प्रचलित किया गया था। इसमें शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहां पर

दवाओं की खरीद फरोक्त में घपला न किया गया हो। माननीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी भी दी है। बहराइच, गोंडा इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बस्ती, बदायूं, सुल्तानपुर, एटा, ललितपुर, बरेली इत्यादि जनपदों में जो घपले हुए हैं उनका ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया गया लेकिन कार्यवाही के नाम पर शून्य ही है। इस सिलसिले में जो बजट में प्राविधान ४ करोड़ २० लाख का किया गया है अच्छा हो इसके लिये दवाओं की खरीद फरोख्त औषधि निर्माणशाला से कराया जाय। यहां की जो औषधि निर्माणशाला है इससे बजट का संतुलन ठीक होगा और दवाइयों की प्रमाणिकता भी ठीक रहेगी। मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रदेश के कोने-कोने में हैं जो चिकित्सा का कार्य करते हैं लेकिन वे पंजीकृत नहीं हैं। इंडियन मेडिसिन ऐक्ट की धारा ५० के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने का प्राविधान है। ६३-६४ में उसके अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद बन्द कर दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी फौज चिकित्सा के कार्य करने वालों की बन गयी। उनका कार्य हो रहा है और होता रहेगा क्योंकि उनका कार्य जीवनोपयोगी भी साबित हो रहा है। गांवों के इंटीरियर में जहां चिकित्सा की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं वहां पर उनकी सेवायें उपयोगी साबित हो रही हैं। जो लोग चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं उनसे जिले के स्तर के अधिकारी बराबर किसी न किसी तरह से पैसा लेते रहते हैं। इस ओर में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यदि धारा ५० को फिर से देखें और रजिस्ट्रेशन के कार्य को फिर से करें तो इससे शासन को फायदा भी हो सकता है और जो अवैध तरीके लोगों के बीच में चल रहे हैं, वे भी बन्द हो जायेंगे।

अब आप देखें कि प्रदेश में गाड़ियां किस विभाग को मिली हैं और किनके काम आ रही हैं। मेरे पास १९७ गाड़ियों की लिस्ट है, जो खराब पड़ी हैं, वे तो अलग से हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। जो गाड़ियां आयी हैं वे आयी हैं किसी कार्य के लिए और उनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जाता है और इन्हें प्रदेश के चिकित्साधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी की सुपुर्दगी में भी २-३ गाड़ियां उनमें से हैं। परिवार कल्याण के लिए जो गाड़ियां आयीं हैं उनको विभिन्न चिकित्साधिकारियों की सुपुर्दगी में कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वास्थ्य विभाग पर बोलते बोलते स्वस्थ परम्पराओं को भी छोड़ गये ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इन गाड़ियों में से एक गाड़ी जिसका नम्बर यू० टी० डी० २८५४ है, माननीय मंत्री जी के पास है। चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी परिवार कल्याण का भी काम देखते हैं, हो सकता है कि उस काम के लिए उन्होंने इस गाड़ी को अपनी सुपुर्दगी में रख रखा

[श्री राम आसरे वर्मा—]

हो। इन गाड़ियों पर प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से हर एक गाड़ी पर २००० रुपया प्रति वर्ष पैट्रोल पर खर्च आता है।

(श्री स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आज आपका गला भी आपका साथ नहीं दे रहा है।

श्री लोकपति—

जिस गाड़ी का नम्बर माननीय वर्मा जी ने दिया है वह मेरे पास नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि प्रत्येक गाड़ी पर २००० रुप्या प्रति वर्ष पेट्रोल का खर्चा होता है। खर्च कोई करता है और जाता है किसी मद में। अब मैं २ बड़ी ही सनसनी-खेज बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मलेरिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं गृह दर्शकों का कार्य है कि बुखार से पीड़ितों की रक्त पट्टियां बनाना और उसके लिए रैक्टिफाइड स्प्रिट की आवश्यकता होती है। वर्ष १९७८, ७९ और ८० में स्प्रिट बिल्कुल नहीं खरीदी गयी, बजट में पैसा लिया गया लेकिन वह पैसा कहां गया ? मंत्री जी जानते हैं तो अलग बात है लेकिन यदि नहीं तो उसकी जानकारी कर लें। ७५६९ सब सेन्टर्स हैं और हर सब सेन्टर के लिए लालटेनों की व्यवस्था की गयी, कहीं-कहीं पर पैट्रोमैक्स की भी व्यवस्था की गयी है लेकिन न तो इन लालटेनों के लिए और न ही इन पैट्रोमैक्सों के लिए मिट्टी के तेल की खरीद की गयी और अगर खरीद की भी गयी तो वह इन सब सेन्टर्स पर नहीं पहुंचा। हो सकता है कि ऊपर के अधिकारियों ने अपना हिस्सा बांट कर लिया हो। इन सब सेन्टर्स पर २००० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दवायें दी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या ये पैट्रोमैक्स और लालटेनें किसी विशेष तरीके से जलती हैं जिससे इनमें मिट्टी तेल की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री राम आसरे वर्मा—

यह तो मंत्री जी जानें। जो दवायें इन सब सेन्टर्स पर जानी चाहिए वे भी नहीं पहुंचती हैं।

अब मैं परिवार कल्याण पर भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। प्रदेश में जिन उपायों से परिवार कल्याण का कार्य चलाया जा रहा है और जनता उसको आत्मसात करने के लिये तैयार नहीं है इसलिये उन उपायों को छोड़ देना

चाहिये। कई जगहों पर परिवार कल्याण कर्मचारियों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भी मुझे भाग लेने का मौका मिला है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी पहुंचे, तमाम समाज शास्त्री भी आये लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम महज नौकरशाही द्वारा नहीं चल सकते अतः इनका संचालन प्रदेश और देश के समाज शास्त्रियों को करना चाहिये जिससे निश्चितरूप से जनभाव परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अनुकूल होगी . . .

श्री लोकपति—

मैं बिलकुल तैयार हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

अगर आप तैयार हैं तो मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि कर्मचारी प्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ बुलाकर बैठायें और उनसे पूछें कि कौन से तरीके अपनाये जायें जिनसे जनता इन कार्यक्रमों को आत्मसात कर सके। मैं जानता हूं कि व्यवहार में जो लोग जुड़े होते हैं जिनको इस कार्यक्रम को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों से हर समय जूझना पड़ता है और वही बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। जो घिसापिटा तरीका आपने परिवार कल्याण का चला रखा है, उसमें जो पश्चातवर्ती (फालोअप) होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। नसबन्दी के बाद फालोअप के लिये दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कहीं पर है भी तो कोई ध्यान नहीं देता। नसबन्दी हो गई अब आदमी मरे या भाड़ में जाये, उसकी किस्मत जाने चूंकि इन तरीकों के बारे में एक उपेक्षात्मक रुख अपना रखा गया है इसीलिये जनता उनको हृदयंगम करने को तैयार नहीं है। और अगर स्वास्थ्य मंत्री जी इस कार्यक्रम को समाजशास्त्रियों द्वारा चलाये जाने पर जोर दे रहे हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष से जो भी सुझाव और सहयोग सरकार चाहेगी, वह उन्हें मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, आपके ४० मिनट हो चुके हैं। अब आप विराजें।

श्री राम आसरे वर्मा—

इन बातों के साथ मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में गरीबी व बढ़ती आबादी के कारण जो स्थिति है वह दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है और उसको देखते हुए आज देश का आम नागरिक अपने स्वास्थ्य की हिफाजत के लिये अपने पैसे से, इलाज पैसा खर्च करके कोई इन्तजाम कर सकता है। यह गम्भीर समस्या है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारी इस सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जो भी त्रुटियां हो सकती थीं उसको दूर करने और नई दिशा देने में जो भी कदम उन्होंने उठाये हैं वे सराहनीय हैं। इसमें भी दो राय नहीं कि इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य जो चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सब के दिल में जनता के लिये सही दर्द है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम विरोध पक्ष में बैठते हैं तो हमारी भाषा बदल जाती है और केवल इस बात पर रह जाती है कि हम कितना विरोध कर सकें, और जब वे ही लोग सत्ता की तरफ यानी सरकार में आ जाते हैं तो वे यह सोचते हैं कि हम कहां तक हो सके उन ऐबों को ढांप करके अपनी बात कह रहे हैं। कर्मचारी या अधिकारी जो भी कहते हैं उनको ही सही साबित करने में लग जाते हैं इन बातों को यदि पिछले सत्रों की हम आप अपनी स्पीचेज उठा कर देख लें तो सही साबित हो जायेगी कोई फर्क नजर नहीं आयेगा तो इससे देश व प्रदेश की गाड़ी चलने वाली नहीं है।

सवाल यह है कि हमको अपनी बात के लिये दर्द जो हमारे दिल में दर्द है इस देश के लिये और प्रदेश के लिये उसको सही तरीके से कैसे अमली जामा पहनायें ? जो भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, चाहे वे पक्ष में हों या विपक्ष में हों अपने सुझावों के जरिये कैसे जनता को राहत दिलायें यह सोचने का विषय है। आज कोई भी इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है, जो दवाइयों की अव्यवस्था है, डाक्टर्स का जनता के साथ जो गलत व्यवहार है सब जानते हैं। जो दवाइयां जनता को अस्पताल में मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिलती हैं। और यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और इस सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि ज्यादातर दवाइयां बाजारों में बिकती जाती हैं अस्पतालों में दाखिल मरीज पैसा देकर ही दवाइयां पाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहां तक रूई भी बाजार में बिक जाती है। ज्यादातर मरीजों को दवाई तभी मिलती है जब वह डाक्टरों को घर पर जाकर पैसा दे देता है और तभी उसका इलाज भी होता है अन्यथा ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन डाक्टर लोग बाजार के लिए लिख देते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए यह आवश्यक है कि केवल कागजी कार्यवाही न की जाय। जितने अस्पताल सरकार खोल रही है उनकी हालत सोचनीय है। उनमें न तो रूई है, न दवाइयां मिलती हैं न डाक्टर्स हैं और न स्प्रिट है। मैं माननीय

मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रदेश के लिये योजना बनायें जिसमें आगामी ३० साल के लिए बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर व्यवस्था हो कि किस तरह से कब कहां अस्पतालों को खोला जाये। किसी के कहने पर या मेरे कहने पर या किसी की सिफारिश पर अस्पताल खोलने की प्रथा समाप्त की जाय। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी किस प्रकार से सही तरह से चल सके इस बात की व्यवस्था करनी होगी और वह तभी हो सकती है जब कि एक नियोजित तरीके से प्लान बनाकर काम किया जायेगा। मान्यवर, जो भी अस्पताल खोले जायें वे पूरे तरीके से खोले जायें और वहां पर सभी साधन उपलब्ध कराया जाये। केवल कागज पर अस्पताल खोलने से काम नहीं चलेगा और न ही इससे हम जनता को राहत दे सकेंगे।

मान्यवर, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में मेरी तहसील में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। मेरी समझ में उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर शायद ही कही पर किसी महिला की नियुक्ति हुई हो लेकिन अकबरपुर में एक डाक्टर अग्निहोत्री थे उन्होंने महिला रक्षक की नियुक्ति की है और उन्हीं में से एक महिला के साथ व्यभिचार किया गया और उसकी एम० पी० टी० की गयी। मान्यवर, कहना चाहूंगा कि नियमतः किसी महिला की एम० पी० टी० यदि वह विवाहित है तो वह बिना उसके पति की अनुमति के नहीं हो सकती है और यदि अविवाहित है तो बिना गार्जियन की अनुमति के एम० पी० टी० नहीं हो सकती है। लेकिन उक्त महिला जनरक्षक के मामले में इसके विपरीत कार्य किया गया है अधिकारियों की लापरवाही के कारण चन्द्रावती नामक महिला मर गयी। ३-९-८० और ९-९-८० के बीच में ए० एम० ओ० ने उसे देखा और अपनी रिपोर्ट दी कि उसके खून बह रहा था। १२ तारीख को उसकी हालत खराब हो गयी। वहां से उसको फैजाबाद अस्पताल ले जाने के लिए राय दी गयी। वहां जाकर ४ घंटे बाद वह मर गयी।

१४-९-८० को उक्त महिला अस्पताल में इस हालत में दाखिल की जाती है और जब मेल अस्पताल इमर्जेन्सी में वहां लेडी डाक्टर आती है तो देखने पर उसने कहा है कि उसका गर्भाशय सूजा हुआ था। योनि से खून बह रहा था ऐसी स्थिति में बेहोश थी, तो उसको किन कारणों से मेल अस्पताल में दाखिल किया गया था? मैं कहना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तथा विभाग के लोगों से कि इस किस्म से गरीब जनता के साथ खिलवाड़ करने की जो परम्परा बन गयी है, यह बहुत निन्दनीय है। मान्यवर मैं परसों फैजाबाद गया था, तमाम डाक्टरों ने मुझसे कहा कि माफ कर दीजिए। तो किस तरह से उसको माफ कर दिया जाय? वहां के अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है वह भयंकर है। यह आपके स्वास्थ्य विभाग पर कलंक है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जनता के साथ खिलवाड़ डाक्टर लोग खेल रहे हैं, अगर इसको रोका न गया तो यह बात सत्य हो जायगी कि डाक्टर शैतान हो गये हैं। मान्यवर, मैं स्वयं एक

[श्री प्रियदर्शी जेतली—]

ऐसे परिवार से सम्बन्धित हूं जो मेडिकल प्रोफेशन का हैं लेकिन मुझे लज्जा आती हैं इस बात को सोचते ही मान्यवर डाक्टरों ने जिस निर्दयता के साथ उक्त केस में काम किया हैं और कर रहे हैं वह बहुत ही निन्दनीय हैं। मान्यवर, मंत्री जी आपने जो विभाग का विकेन्द्रीकरण किया हैं और कर रहे हैं वह कदम सराहनीय हैं। इससे विभाग में भारी सुधार हुआ हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, वह हैं आपके डायरेक्ट्रेट की हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया हैं मान्यवर।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं डायरेक्ट्रेट के सम्बन्ध में कह रहा था। मान्यवर, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से कई बार निवेदन किया हैं कि डायरेक्ट्रेट की स्थिति को सुधारें यह बूचड़खाना बन गया हैं। कि आपके विभाग के कर्मचारियों का प्रोमोशन मिलिट्री की भांति टाइम के अन्दर प्रोमोशन हो जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस विभाग की कुछ विशेषताएं हैं कुछ विषयों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया माननीय वर्मा जी ने। मान्यवर, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जिस वक्त इस विभाग का आडिट किया जा रहा था और जब इलाहाबाद का आडिट किया गया तो वहां पर लाखों रुपये की दवाई ऐसी मिली जो पशुओं के लिए खरीदी गयीं और आदमियों के लिए बांट दी गयी। (शेम-शेम की आवाजें)। मान्यवर, यह मैं आपके विभाग की जांच के आधार पर कह रहा हूं। मान्यवर, इनके विभाग की जांच के आधार पर जो दवाइयां इंडेंट पशुओं के लिए की गयी थीं, उसे आदमियों के लिए बांट दी गयी। दूसरी उपलब्धि मान्यवर, मिसबैंडिंग की हैं। जैसे विभाग में लाखों रुपये की ऐसी कीट नाशक दवाइयां जो मिसबैंडेड हों और पकड़ी जायं और विभाग के द्वारा पकड़ी जायं और मिसबैंडिंग साबित हो जायं। यह आगरा का मामला हैं। आपके विभाग को यह सौंपा गया। यह किस प्रकार से आप अनियमितताओं को रोक पायेंगे यह आपका काम हैं। मान्यवर, २२६४ लाख के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने इस बजट में प्राविधान किया हैं, जिससे काफी दवाइयां इस प्रदेश के रोगियों को उपलब्ध हो पायेंगी।

हमें खुशी हैं कि इस प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो २२ करोड़ ६४ लाख रुपयें का प्राविधान किया हैं कि क्या वह उस व्यक्ति को मिल पायेगा जो ग्रामीण अंचलों में रहता हैं या जो शहर की झोंपड़ियों में रहता हैं या उनको ही मिल पायेगा जिनको हर चीज मुफ्त मिलती हैं। उसमें सबसे पहले तो मंत्रियों को दिया जाता हैं। उसके बाद बड़े-बड़े अधिकारियों को दिया जाता हैं, जिनकी फोर फीगर्स में तनख्वाहें होती हैं और उसके बाद तीसरे नम्बर पर विधायकों को दिया जाता हैं। मान्यवर, करोड़ों रुपये में यह खर्च आयेगा। हमारे दारुलसफा की ही डिस्पेंन्सरी को देख लें। हजारों रुपयों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान बजट में रखा हैं लेकिन हकीकत क्या हैं ? लाखों रुपयों का खर्च दवाओं पर होता हैं और किस प्रकार दवा दी जाती हैं, सभी जानते हैं। कोई विधायक अपने पैड पर लिख दे चाहे च्वनप्रास हो या वाटर-कम्पाउण्ड हो। न डाक्टरों के प्रिसक्रिप्शन की जरूरत, न कोई दूसरी बात। अगर हजारों रुपये की दवा विधायकों के पैड पर बांट दी जाती हैं, तो जो २२ करोड़ ६४ लाख का प्राविधान किया गया हैं, उसमें साधारण जनता को क्या सुविधा मिल पायेगी। इसलिये आदेश होना चाहिये कि अगर चिकित्सा अधिकारी का, क्वालीफाइड डाक्टर का प्रिसक्रिप्शन न हो, तो कई दवा विधायकों को और मंत्रियों को नहीं दी जायेगी। तभी आप राजनैतिक, भाव से उठ सकते हैं, अधिकारियों के प्रभाव से ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से दुरुपयोग होता रहा, तो जिस जनता के लिये आंसू बहा रहे हैं, और वकालत कर रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पायेगी।

अब, मान्यवर, कुछ समस्यायें अपने जनपद की रखना चाहता हूं। चिकित्सालय चाहे सीतापुर का हो, अलीगढ़ का हो, सभी जगह यही स्थिति हैं। इसी प्रकार नेहरू नेत्र चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर की स्थिति हैं। शायद वह मंत्री जी के विभाग में न हो, लेकिन ४० लाख रुपये की मशीनरी ऐसे ही पड़ी हैं जिसका आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ। उसमें मंडलायुक्त अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जिलाधिकारी ने, इस आधार पर कि मंडलायुक्त नहीं आ पायेंगे, अपने को अध्यक्ष कर लिया और अध्यक्ष हो गये। मान्यवर, पिछले ६ महीने से कोई चिकित्सा अधिकारी वहां नहीं हैं। भले ही वह स्वतंत्र हैं और आपके विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं, लेकिन आपके विभाग को हजारों लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता हैं। इसलिये आशा करता हूं कि ऐसे चिकित्सालय जो बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उनमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिये।

तहसील मुख्यालयों पर कुछ चिकित्सालयों के उच्चीकरण की बात की। मेरा क्षेत्र धंराना हैं। ऐतिहासिक कस्बा हैं। पुराने किस्म का चिकित्सालय हैं। उसमें ३० बेड क्या, ४ आदमी के लिये बन्दोबस्त नहीं हैं ? यह तहसील के चिकित्सालय की हालत हैं। दवा की स्थिति तो यह हैं कि शायद सरदर्द के लिए नोवलजीन भी प्राप्त न हो। तो, मैं आग्रह करता हूं कि जहां इस तरह का बजट प्रस्तुत करने का कष्ट किया हैं, वहीं कम से कम फील्ड में क्या हो रहा हैं, और वहां की पी० एच० सीज० की हालत क्या हैं, उसको तो जरूर देख लें।

इसी तरह से जनपदों में प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा हैं। क्या यह सही नहीं हैं कि किसी भी जनपद में कोई डाक्टर ऐसा हो जो २ घंटे अपनी ड्यूटी अस्पताल में देकर प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना समय न दे रहा हो।

आप जिस सहयोगी की तमन्ना कर रहे हैं डाक्टरों का वह सहयोग आपको मिलने वाला नहीं हैं जब तक कि आप कड़ाई के साथ बर्ताव नहीं करेंगे तथा उनको आप विवश नहीं कर देंगे नियम और आदेश मानने के लिये। एक बात मैं मेडिकों

[श्री हुकम सिंह—]

लीगल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जिस मेडिकों लीगल के सम्बन्ध अदालत द्वारा स्ट्रेक्चर पास हो गया हो भ्रष्टाचार के गलत चोट बनाने के उनको ऐसा आदेश आप दें कि दुबारा मेडिको लीगल का अधिकार न हो। आप मान्यवर, डाक्टरों के पास ऐसा अधिकार हैं जो न अदालत को हैं न वकील को हैं जब चाहे जिसके ऊपर ३०७ का मुकदमा कायम करा दें। गलत चोट बना दें, जिसकी चाहे हड्डी टूटी दिखा दें। १८ साल को २५ साल का सर्टिफिकेट दे दें। तो इस प्रकार के डाक्टरों के सम्बन्ध में आप ऐसे निर्देश दें, आदेश दें कि इनको दुबारा मेडिको लीगल का अधिकार नहीं रहेगा। सुधार की बहुत गुंजाइश हैं। हमारे स्वास्थ मंत्री जी नवयुवक हैं। जैसा आपने सिंचाई में क्रांतिकारी कदम उठाया था वैसा इसमें भी करें। सैकड़ों आदमी लाइन में खड़ा रहता हैं और वहां डाक्टर चाय और काफी पीता रहता हैं। कम से कम वह ६ घंटे तो ड्यूटी करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी को तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आज सदन में जो क्रांतिकारी घोषणायें की हैं, वह संसदीय इतिहास में बेमिसाल हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप भी डाक्टर हैं माननीय मंत्री जी का साफ करके लाते तो ठीक होता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय मंत्री जी ने आगरा में मेडिकल कालेज की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की हैं यह बहुत ही अच्छा कदम हैं। इसकी स्थापना में ३-४ वर्ष लगेंगे तब तक माननीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान इस तरफ दे दें। आज मौजूदा मेडिकल कालेज की एमरजेन्सी और अन्य अस्पताल की एमरजेन्सी फैकल्टी बिल्कुल कसाई घर हैं, कुत्ते भौंकते हैं, गंदगी का साम्राज्य हैं, जब बीमारी चलती हैं तो एक-एक बेड पर ६-६, ७-७ बच्चे रहते हैं। वहां पर चद्दर नहीं होती, तकिया नहीं होता। तो मेरा निवेदन हैं माननीय मंत्री जी से कि जब तक मेडिकल कालेज की स्थापना हो तब तक एमरजेन्सी विभाग को चालू रखने के लिये जिला अस्पताल या मौजूदा एस० एन० अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्था कर दें। यहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान, इटावा तक के मरीज आते हैं। उनकी संख्या को देखते हुये यह व्यवस्था बहुत आवश्यक हैं। नई एक्सरे मशीनों की व्यवस्था की बात माननीय मंत्री जी ने कही बहुत अच्छी बात हैं। लेकिन जो अन्य एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत हैं, इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सा प्रयोग में आने वाले उपकरण हैं।

उनको सुधारने की व्यवस्था करा दें। यह ऐसा उलझा हुआ मामला है कि इसमें ६-६, ७-७ महीने हो जाते हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई शिकायत निदेशालय में आये तो एक हफ्ते के अन्दर सुधार हो जाये।

एक्स-रे के सम्बन्ध में आगरे में महिला अस्पताल है वहां ५०-६० साल पुरानी मशीन है, वह आउट डेटेड हो गयी है, उसको बदल दिया जाये। आपने कृपा करके एक रेडियोलाजिस्ट की वहां व्यवस्था कर दी है लेकिन उसको ६ महीने हो गये काम करते हुए उसको तनखाह नहीं मिल रही है। आज के जमाने में ६-६ महीने तनखाह न मिले तो डाक्टर कैसे गुजारा करे ? इसके अलावा आगरा मेडिकल कालेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

एक निवेदन करना चाहूंगा। स्वास्थ के मद पर ३.१० तक ही बहस चल सकेगी। क्योंकि सदन के पूर्व निश्चय हो चुका है कि आज ४ बजे से कानपुर में बेहमई काण्ड के मसले पर २ घंटे का वक्त रखा गया है और उसके बीच में जो कार्यक्रम है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ३.१० पर बहस को बन्द करना होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग ५-५ मिनट ही समय लें ताकि अधिक लोगों को मौका मिल सके।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

थोड़ा सा अधिक समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो केवल सूचना दी है आप भड़क क्यों गये ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, लाल बत्ती से डर लगता है तो श्रीमन, मैं मेडिकल कालेज के बारे में बता रहा था कि वहां आज स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गयी है। छात्रों और डाक्टरों में आज बड़ा तनाव हो गया है। पोस्टरबाजी और अविश्वास का वातावरण पहुंच गया है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो अधिकारी यहां बैठे हैं वह बिल्कुल कानों में तेल डाले बैठे हैं। मैं कहता हूं कि किसी की हत्या या मर्डर हो जायेगा तब अधिकारियों की आंखे खुलेंगी आप अतिरिक्त डाइरेक्टर को वहां भेजते हैं वह माफी मांग कर वापस आ जाता है। इस पर आप कार्यवाही करें। आपके अधिकारी आपको सही तथ्यों से अवगत नहीं कराते। जब मैंने आगरा मेडिकल कालेज के बारे में विगत दिवस निवेदन किया था कि वहां की हालत भयंकर हो गयी तो आपने उच्चाधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी चाही तो उन्होंने कहा कि एक छात्र का निष्कासन कर दिया गया है। आज भी किसी छात्र का निष्कासन नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि कालेज की हालत बद से बदतर हो उससे पहले आप इसे देख लें।

इसके अलावा मेडिकल शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेडिकल एजूकेशन के लिए डाइरेक्टर अलग होना चाहिए। लेकिन

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—]

मेडिकल एजूकेशन डाइरेक्टरेट अलग करके किसी पी० एम० एस० को बैठा फिर देंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है जिस व्यक्ति को विषय की जानकारी न हो, कोई समझ न हो, अगर सी०एम०ओ० या किसी पी०एम०एस० को बैठा दें तो क्या प्रगति होगी ? मैं निवेदन करूंगा कि वहां किसी मेडिकल कालेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल या वरिष्ठ डाक्टर को उसमें बैठा दें, उसको जानकारी है, तभी कुछ होगा । आप यह हिदायत दें कि निदेशक महोदय महीने में कम से कम एक हफ्ते प्रत्येक मेडिकल कालेज में जाकर वहां बैठें ।

सारे अधिकारों को यहां पर केन्द्रित कर दिया गया है तो वह वहां पर जाएं और समस्याओं को देखें और उनका निराकरण करें । प्रधानाचार्यों को भी अधिकार प्रदान करें श्रीमन, उत्तर प्रदेश के अन्दर ३ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ मेडिसिन हैं । आगरा में भी हैं, जो दिल का दौरा पड़ता है उससे बहुत से मरीज मर जाते हैं, शुरू के तीन चार घंटों के अन्दर ५० प्रतिशत मारटेलिटी हो जाती है और अक्सर शुरू के तीन चार घंटों में ही इलाज में देर हो जाती है तो ढाई या तीन लाख रुपए की एक मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम हार्ट अटैक होता है, किसी को दिल का दर्द होता है तो मोबाइल वैन के द्वारा सुझाव विद टैलीमीटर मशीन की व्यवस्था करायें । इससे ५० कि० मी० की दूरी में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को दिल का दर्द होता है तो मोबाइल वैन के द्वारा उस मरीज का दिल का फोटो उस मेडिकल कालेज में जायगा और उसके इलाज के बारे में वरिष्ठ चिकित्सालय द्वारा सुझाव दिया जा सकेगा । इस तरह की व्यवस्था करने से काफी मारटेलिटी रेट कम हो जायेगी । यह मशीन केवल ढाई या तीन लाख की है, लाटरी फंड से यह मशीन दे सकते हैं । स्कीम निदेशालय में पड़ी है । इंटेसिव केयर यूनिटस से ४ परसेन्ट ही मारटेलिटी रेट बचा पाते हैं । अगर आपने यह मशीन लगा दी तो ५० परसेंट मारटेलिटी बचा सकते हैं ।

इसके अलावा आगरे के अन्दर न्यूरोलाजी डिपार्टमेन्ट है, डा० राम सिंह जैसे दिल के विश्वविद्यालय विशेषज्ञ वहां हैं । वहां पर कुछ मशीनों की जरूरत है । जैसे ई० ई० जी०, ई० एम० जी० तथा इंको-इन्कैफैलोग्राम आदि मस्तिष्क की रेखाओं को देखने के लिए मशीन जिनकी कीमत कुल २—४ लाख रुपए होती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसी तरह से गैस्ट्रोस्कोप मशीन जिसकी कीमत कुल १० हजार रुपए है, यह मुहैया होनी चाहिए । इसमें जो खून की उल्टी वगैरह आ रही होती है उसका पता लगाया जा सकता है कि कहां से ब्लीडिंग हो रही है । इसके अलावा अभी माननीय वर्मा जी ने बताया कि वहां पर मेंटल हास्पिटल है । श्रीमन् मैं समझता हूं कि वर्मा जी को ज्यादा जरूरत है, मेंटल हास्पिटल की ।

श्री राम आसरे वर्मा—

पहले मंत्री जी को उसका दरवाजा दिखा दें । उसके बाद मेरी जरूरत पड़ेगी तो देखा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने उसको देख लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी को दिखा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा साथ ही जायेंगे आप लोग।

श्री उदैल—

यह सबको मेंटल हास्पिटल के लिये आमंत्रित कर रहे हैं। इनको आप रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप निश्चिन्त रहें बनारस की तरफ अभी कोई मेन्टल हास्पिटल नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

अब आवश्यकता महसूस हो रही है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

वहां साढ़े-सात सौ शैय्याओं की व्यवस्था है। वहां की ई० ई० जी० की मशीन खराब है उसे बदलवाइये। वहां पर एक वायोकेमिक लैब के लिये ट्रेड पैथोलोजिस्ट की आवश्यकता है वह जो खून में लिथियम इन्वेस्टीगेशन कर सके। इससे मर्ज होने से पहले उसको रोका जा सकता है। इसमें बहुत मामूली खर्च पड़ेगा और इससे मीनिया, डिप्रेशन जैसे मर्ज का पहले से प्रिवेन्शन किया जा सकेगा।

इसके अलावा वहां पर बच्चों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। १८ साल से नीचे के बच्चे एडमिट नहीं हो सकते हैं। वहां पर बच्चों के लिए भी आप जूवेनाइन एवं चिल्ड्रेन वार्ड की व्यवस्था करा दें तो आपका बहुत उपकार होगा। मांग को देखते हुए पेइंग वार्ड की भी संख्या बढ़ाई जाए।

वर्मा जी ने अभी मेहरा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया। मैं संक्षेप में उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस कमेटी की स्थापना इसलिए की गयी थी कि ड्रग कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से मजबूत एवं सुदृढ़ बनाया जाय। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और कहा कि ड्रग कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट को मेडिकल एवं हैल्थ डिपार्टमेन्ट से अलग कर दिया जाय। ड्रग कन्ट्रोलर व सहायक ड्रग कन्ट्रोलर उनको बनाया जाय जिनको दवाओं की व फार्मास्यूटीकल विज्ञान की जानकारी हो। उनको अगर जानकारी ही नहीं होगी तो वे किस तरह से नकली दवाओं पर कन्ट्रोल कर पायेंगे?

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौंशल—]

पी०एम०एस० को आपने ड्रग कन्ट्रोलर और डिप्टी कन्ट्रोलर बना दिया, इसमें भ्रष्टाचार बहुत पनपता है और नकली दवाओं पर कोई कन्ट्रोल नहीं हो पाता। इनके रेड टेपिज्म की वजह से बहुत से दवा बनाने वाले यू० पी० छोड़ गए। डाबर को ६० लाख रुपए का एक्सपोर्ट का आर्डर मिला था नाइजीरिया वगैरह से। उसमें कुछ टेक्निकल बात के कारण वे दवा का नाम बदलना चाहते थे लेकिन उसका नाम नहीं बदला गया और वे दिल्ली चले गये और वह दवा अब दिल्ली में बन रही है। बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटकल वर्क्स लि० जो केन्द्रीय प्रतिष्ठान है को एक एक्सपोर्ट का आर्डर मिला था उसमें भी बी० पी० के स्थान पर आई० पी० करना चाहते थे लेकिन ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा इजाजत नहीं दी गयी और आज वह दिल्ली में तैयार कर रहे हैं

दूसरी तरफ इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट आइबट नगर, बरेली ने १२ साल से जानवरों की एक प्राणरक्षक औषधि शिरा वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र दिया हुआ है और उनको लाइसेन्स नहीं दिया गया। दूसरी तरफ डायरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी यू० पी० बिना लाइसेन्स के जानवरों की वैक्सीन दवा तैयार करा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की होम्योपैथिक दवायें तैयार करने के लिए लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं और आज तक उनको लाइसेन्स नहीं दिया गया। और वे सब यू० पी० छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। ड्रग कन्ट्रोल एक्ट १९७९ आज तक लागू नहीं किया गया। नतीजा यह है कि आपका डायरेक्ट्रेट जो दवा खरीदता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है कि वह कौन सी दवायें कितने पैसे में खरीदता है। यू० पी० का एक है, यू० पी० इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, यह इसलिए बनाई गई है कि यह अस्पतालों के लिए बैन्डेज, काटन, गाज इत्यादि की सप्लाई करे और १५ प्रतिशत प्लान्ट अपना कमीशन ले ले। परन्तु अब वे एप्रूव ही नहीं कराते हैं और डाइरेक्ट सी० एम० ओ० से आर्डर ले कर १५ प्रतिशत कमीशन पर थर्ड रेट गाज, उससे तो श्रीमन्, मच्छरदानी अच्छी होती है, तो इस तरह से १५ परसेन्ट कमीशन लेकर गाज अस्पतालों के लिए सप्लाई हो रहा है। आप यदि १५ परसेन्ट की कास्ट को हटा दीजिए तो जो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं.....।

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर कौंशल, अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौंशल—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के बजाय मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका प्रबल विरोध करना अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझता हूं । मंत्री उत्तर प्रदेश के चौदह करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में संकोच नहीं कर रहे हैं । पिछले साल जितनी दवाइयां खरीदी गयी हैं उसमें से ८० फीसदी दवाइयां अनएप्रूव्ड फर्म्स से खरीदी गयी हैं । यदि ८० फीसदी दवाइयां पिछले साल अनएप्रूव्ड फर्म्स से न खरीदी गयी हों तो मंत्री जी जो भी सजा चाहें मुझे दे सकते हैं । श्रीमन्, पूरे साल में दवाइयां नहीं खरीदी जाती हैं, जब बजट खत्म होता है तो १५ तारीख के आस-पास बिना कमेटी की राय लिए हुए ये दवाइयां खरीद लेते हैं, बिना यह देखे कि यह फर्म एप्रूव्ड है या नहीं, ५० फीसदी कमीशन ले कर दवाइयां खरीद लेते हैं ।

गोरखपुर अस्पताल में मार्च १९८० के लिए दवाइयां खरीदी गयीं जिसमें से मुश्किल से १० या १५ प्रतिशत काम की दवाइयां हैं बाकी सब रद्दीखाने की दवाइयां हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं कि मई, १९८० में वहां एडीशनल डाइरेक्टर ने इन्क्वायरी की और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट में सब दिया है, पर वह रिपोर्ट नीचे तहखाने में दबी पड़ी हुई है और किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज भी गोरखपुर अस्पताल के तहखाने में मच्छरदानी बहुत संख्या में पड़ी हुई हैं । अस्पताल कहता है कि हमारी नहीं हैं, तो अगर उनकी नहीं हैं तो क्या वहां उसे चोर चोरी करके रख गये हैं ? दो-तीन साल से वहां पर बहुत सी मच्छरदानियां अनक्लेम्ड पड़ी हुई हैं ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जो पैसे का आवंटन हुआ, उसे किस जिले को किस आधार पर आपने पैसा दिया, यह बात बता दें ? मैं एक बात बता दूं कि इनके डाइरेक्ट्रेट के जो बाबू हैं, जो लखनऊ शहर के हैं वे बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर अमीनाबाद के चौराहे पर दवाइयां बेचते हैं । जब हम लोग उनका नाम यहां पर ले लेते हैं तो फौरन ही दूसरे दिन उनके बोर्ड का नाम दूसरा बदल जाता है, वहीं पर से श्रीमन्, दवाइयां खरीदी जाती हैं । मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाइये तब देखें कैसे अनएप्रूव्ड फर्म्स से दवाइयां खरीदी जाती हैं । डाइरेक्ट्रेट का बाबू वहां से आने के बाद दवाइयों की सप्लाई करता है ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी न लगायें, इससे इस प्रदेश की जनता उन्हें माफ करने वाली नहीं है । एक बात और बता दूं कि इस प्रदेश के छात्र, बहुत मजबूरन बिहार या हरियाणा को शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं । आप कहते हैं कि हम उनको नौकरी नहीं देंगे । भगवान के लिए कम से कम उनके जीवन पर विचार करिये । आपके प्रदेश के वह छात्र जो हैं, उन लोगों को यहां पर नौकरी के अवसर दीजिए ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

दूसरी बात गोरखपुर मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में पिछले शासन ने निर्णय लिया था कोबल प्लान्ट लगाने का । वहां पर कैन्सर का प्राइवेट इन्स्टीट्यूट बन रहा है । गोरखपुर और देवरिया जिले के लोगों की मांग है तो हम यह चाहेंगे कि आप पहले उस काम को करें जो १९७९ की रिपोर्ट है जिसका तसकिरा आपके सामने हमने किया है । उससे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें । शासन इस ओर ध्यान दे । मैं मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा । माननीय वर्मा जी, डाक्टर साहब ने उस के बारे में कह दिया है । उस कमेटी की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करना आप का नैतिक दायित्व है । केवल उस रिपोर्ट को लागू कर के आगे की दिशा में कदम बढ़ाये जायं तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जायगा । आप उस रिपोर्ट की स्क्रूटिनी करवाना चाहें तो करा लें आप सन् १९७४ में यहां थे । जिन परिस्थितियों में उस कमेटी को बनाया गया और उस की रिपोर्ट तैयार की गई थी । उस रिपोर्ट को लागू करना अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं दो-तीन बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जनता सरकार ने एक योजना चलाई थी देहाती क्षेत्रों में दवा सप्लाई करने के लिए, चलते-फिरते अस्पताल की योजना । हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हों, हो सकता है उसमें कुछ हेरा फेरी रही हो, यह भी हो सकता है कि उसका राजनीतिक लाभ उठाया गया हो लेकिन वह एक ऐसी योजना है जिस के माध्यम से प्रदेश के हर झोपड़ी के आदमी को दवा मिल सकती है । जो दवा का वितरण का काम सामान्य रूप से जानता है उसको आप ट्रेनिंग दीजिए और उसके बाद निश्चित रूप से सचल चिकित्सालय टाइप के रूप में वह आदमी दवा लेकर हर गांव में जायें । यह यदि आप कर सकें तो बड़ी कृपा होगी । मेरा विश्वास है कि इस दिशा में इससे जो इतना भारी धन २२ करोड़ ६० लाख आप खर्च करने जा रहे हैं उससे लाभ होगा । इस प्रकार सचल चिकित्सालय की व्यवस्था आप कर दें तो इस पैसे का एक अंश उस गरीब के झोपड़े में भी पहुंच जायगा जिसने कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा, डाक्टर नहीं देखा ।

डाक्टरों के सम्बन्ध में जो सेवा शर्तों की नियमावली पे कमीशन की रिपोर्ट में आई है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है लेकिन सब से बड़ी घपलेबाजी नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स की है । नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स एक कर्स है । इसका कोई औचित्य नहीं है । कोई ऐसा डाक्टर नहीं है जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करता हो । इसको खत्म कीजिए । डाक्टर अपनी ड्यूटी के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहे तो उसको हक है । हमारे संविधान में भी अधिकार है । उसकी रक्षा होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे इलाके भिटौली में जमीन और भवन मिले हुए हैं वहां अस्पताल खुलवा दें । आपने वायदा भी किया है । यदि एक

यह काम आप करा दें तो मैं समझूंगा कि यह २२ करोड़ ६० लाख रुपया सार्थक होगा वरना आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है अगर आप गम्भीरता से सोचें तो यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह प्रदेश कहां जायेगा । इन शब्दों के साथ में पुनः जो प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया ।

मान्यवर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण तीन विभाग स्वास्थ्य के हैं और तीनों की अलग-अलग श्रेणी है । आज उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे विशालतम प्रदेश है जिसकी जनसंख्या ११ करोड़ हो चुकी है, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को जीवन दान देने वाली दवायें नहीं मिल पाती हैं, प्राण रक्षक दवायें नहीं मिल पाती हैं । उन ग्रामीण क्षेत्रों के देहातों में रहने वाली गरीब जनता के लिए अधिक से अधिक दवा, अस्पताल और अधिक से अधिक डाक्टर उपलब्ध कराये जायं । ऐसा शासन का प्रस्तावित कार्यक्रम है जो हमें यह स्वास्थ्य पुस्तिका मिली है, इससे प्रतीत होता है ।

मान्यवर, यह कहने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, हमारे तमाम दूसरे साथी विधायकों ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि आज अस्पतालों में व्यापक भ्रष्टाचार है । जो भी उम्मीद लेकर अस्पताल में जाता है दवा पाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए, उसे निराश होकर लौटना पड़ता है । जो डाक्टर हमदर्दी के प्रतीक माने जाते थे वे, एकदम कठोर हृदय हो गये हैं । सामान्य तौर से मरीज की उपेक्षा की जाती है । अस्पतालों में भ्रष्टाचार फैल गया है जिससे जनता में बड़ी निराशा फैल गयी है । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पद को संभाला है बहुत कुछ सुधार हुआ है । जो हमने कम्प्लेन्ट्स की हैं उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है । हो सकता है कि किसी जिले में न हुआ हो जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग कह रहे हैं । लेकिन हम लोगों ने जो अपने जिले के बारे में शिकायतें दी थीं उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है । . . . (व्यवधान) । मान्यवर, स्वास्थ्य की योजना जिस तरह से बनाई गई है जो रूपरेखा ग्रामीणोन्मुखी स्वास्थ्य के लिए योजना प्रस्तावित है, वह बहुत हितकर है । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां दवाएं खरीदी जाती हैं, जितने साधन गांवों के लिए जुटाये जाते हैं, उसका सही वितरण नहीं हो पाता है । यह भी देखने में आता है कि किसी-किसी जिले में अधिक सुविधाएं दी गई हैं और किसी जिले में या किसी क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है । मेरे जिले बहराइच में जहां पर ठाकुर हुकुम

[श्री सुन्दर सिंह—]

सिंह विसेन का क्षेत्र था, वहां पर उनके प्रयास से एक अच्छा अस्पताल बना था, जब वे यहां के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस अस्पताल में जेनरेटर की व्यवस्था नहीं है। जब बिजली चली जाती है तो वहां पर अस्पताल में आपरेशन करते समय बहुत परेशानी होती है। इस तरह से एक बार आपरेशन करते समय बिजली चले जाने से १-२ जानें चली गईं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं और शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बहराइच जिला चिकित्सालय में जेनरेटर की व्यवस्था की जाय और वहां की विशाल जनता को देखते हुए वहां के लिए आरथोपैडी के सर्जन और अच्छे डाक्टर भेजे जायं। हमारे विधान सभा क्षेत्र, कैसरगंज में जो हुकुमसिंह विसेन नाम का अस्पताल है, उसकी आज दयनीय हालत है। उसकी चाहरदीवारी गिर गई है और उस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर एक्सरे प्लांट नहीं है इसलिए इसकी व्यवस्था आप वहां करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि उस अस्पताल के स्तर को बढ़ाया जाय और उसे सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्तर का किया जाय। उस क्षेत्र में हुजूरपुर एक स्थान है जो कि दो नदियों के बीच में है, उस क्षेत्र में ३०/३५ किलोमीटर के बीच कोई अस्पताल नहीं है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर है जिसमें डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक महिला अस्पताल की व्यवस्था की जाय। वहां पर कोई महिला अस्पताल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले साल की तरह ही इस समय भी बहुत ऊंची घोषणायें की हैं और आश्वासन दिये हैं। पिछले साल जो घोषणाएं यहां पर की गयी थी, जो आश्वासन दिये गये थे, उनकी सूची यदि मैं यहां पर गिना दूं तो मालूम होगा कि एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। यह हालत यहां के स्वास्थ्य मंत्री की है जो कि एक वरिष्ठ मंत्री हैं, योग्यतम मंत्री हैं तो बाकी शासन की क्या हालत होगी, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं मिसाल के तौर पर कि पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और इसी सदन में दिया था, पर्वतीय विधायकों की मीटिंग में भी कहा था, साथ ही अपने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि चमोली जिले में उत्तराखन्ड विद्यापीठ में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी लेकिन अभी तक उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। (इस समय २ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।) यहां पर हम लोगों ने कहा कि पहाड़ों में डाक्टरों की बहुत कमी है, मंत्री जी ने सदन में भी हमसे कहा कि आप डाक्टरों की लिस्ट दीजिए और मैं ७

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन के अन्दर वहां डाक्टरों की नियुक्ति कर दूंगा हमने मंत्री जी के आश्वासन पर अपने यहां के बेरोजगार डाक्टरों को यहां बुलाया, उनसे प्रार्थना-पत्र दिलाये लेकिन ७ दिन कहां, ७ महीने से भी अधिक हो गये हैं, कोई नियुक्ति नहीं हुई है । इसी तरह से उन्होंने वहां पर एक हरबल इन्स्टीट्यूट खोलने के बारे में कहा था क्योंकि वहां पर कई प्रकार की जड़ी-बूटियां हैं, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ । हमारे यहां आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का कोर्स खोला गया है जिसके लिए पैसे की जरूरत है ताकि सामग्री पर खर्चा किया जा सके लेकिन आपका पर्वतीय विकास विभाग पैसा नहीं दे रहा है । लड़कों के चयन के लिए जो चयन समिति बनी है, उसमें वहां के लड़कों को नहीं लिया जाता है । पहले आयुर्वेदिक वैद्य का प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें वहां के लिए जितने भी लड़के पास होते हैं उनके लिए चयन समिति बैठती है । उनके चयन हुए एक साल हो गया है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला । आपके जो यहां पर आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं उनके आफिस में जब वह लड़के जाते हैं तो उनको नहीं बताया जाता है कि क्या स्थिति है । दूर-दूर से वह यहां आते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बताया जाता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उसे एक साल हो गया क्यों नहीं प्रकाशित किया जाता है ?

वहां के कुछ लड़के ऐसे हैं जो मैरिट लिस्ट में पास हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं लिया जाता है । इसमें बहुत धांधली है और हमारे पहाड़ के लड़कों को नहीं लिया जाता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें ।

इस समय जो अस्पताल खोले गये हैं उनका कोई आधार नहीं बना है कहीं पर एक किलोमीटर में अस्पताल खोल दिया गया है लेकिन कहीं पर १५-१५ कि० मी० तक अस्पताल नहीं हैं । पर्वतीय विकास मंत्री जी ने ९ अस्पताल एक ही ब्लाक में खोल दिये हैं जब कि मेरे पूरे जिले में दो अस्पताल भी नहीं दिये । आपने अपने अधिकारियों से इस बात की रिपोर्ट मंगाइये कि इसमें क्या धांधलेबाजी है । अस्पताल खोलने के लिए कोई आधार होना चाहिए ।

आजकल हमारे यहां शराब बन्दी है लेकिन आपने एक अमृत संजीवनी सुरा की दुकान खोलने के लाइसेन्स दे दिये हैं । वहां का सी० एम० ओ० मंत्रियों के कहने पर उसका लाइसेन्स दे देता है और वह लाइसेन्स के लिए कांग्रेस आई का मेम्बर होना चाहिए . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

वहां पर शराब बन्दी है । लेकिन सुरा के लाइसेन्स दे दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

*डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आपने मुझे स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह बजट जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने रखा है उसको मैंने देखा है । यह बहुत ही सूझबूझ से वैज्ञानिकों की राय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर मुख्यालय तक सभी से सलाह मशविरा करके करोड़ों जनता के लिए यह कल्याणकारी बजट बनाया गया है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मुझे याद है जब हमारे विरोध पक्ष के नेता श्री वर्मा जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और बाल की खाल निकालने की कोशिश की । लेकिन उसमें कोई विशेष तत्व नहीं था, उनकी आलोचना तथ्यहीन थी । स्वतन्त्रता मिलने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस देश की जनता जो पहले बहुत सी महामारियों से जैसे मलेरिया, प्लेग, चेचक आदि से मर जाती थी उसे बचाया है । आपने देखा होगा कि एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हर गांव में खोलकर और ब्लाक स्तर पर अस्पताल खोल कर जनता के लिए क्रांतिकारी योजना दी है । रोग से पीड़ित लोगो को रोग मुक्त करने का सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है । बड़ी ही सूझ-

(इस समय २ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

बूझ और मेहनत से तमाम गांवों में जनता में आरोग्यता प्रदान करने के लिए कदम उठाये गये हैं । जनता में आज सिद्ध हो गया है कि इस सरकार की परिवार कल्याण यानी परिवार नियोजन के प्रति कितनी निष्ठा है । आपने हमारी नसबन्दी के खिलाफ कुप्रचार करके चुनाव कराए थे और उस चुनाव के फलस्वरूप आपकी जो सरकार बनी वह नसबन्दी की सरकार थी, इसलिए वह सरकार अत्यन्त कमजोर सरकार थी और जिसके कारण से वह ढाई साल में ही चली गई । हमारे प्रयासों से आज जनता इतनी जागृत और समझदार हो गई है कि उसने इसके लाभों को पूरी तरह से समझ लिया है और हमारे अस्पतालों में नसबन्दी आदि कराने वालों की भीड़ स्वतः लगी रहती है । जिला जौनपुर के सी० एम० ओ० ने हमें बताया है कि अस्पताल में प्रति दिन १५—२० आदमी स्वेच्छिक रूप से नसबन्दी आदि कराने आते हैं ।

अब मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आजादी मिलने के बाद आयुर्वेदिक विज्ञान हमारे देश का महत्वपूर्ण विज्ञान रहा है । लक्ष्मण जी की मूर्छा को खत्म करने के लिए हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लाये थे, वह इसी आयुर्वेद की देन है और इसका इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । हरड़ का भी इसमें महत्व का स्थान है, कहा गया है यस माता ग्रहं नस्ति, तस्य माता हरितिकी । अर्थात् जिसके घर मां नहीं है, उसके घर में रखी हर्र मां का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

काम करती हैं। हरड़ के पेड़ हिमालय में हैं, वहां यदि उनके पेड़ों के नीचे कोई चला जाये तो उसे दस्त आ जाते हैं और उसे यदि कोई अपनी मुट्ठी में पकड़ ले तो बिना खाये ही उसको दस्त हो जाते हैं। ऐसी-ऐसी चीजों की ओर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रति औषधालयों १५ सौ रुपया दिया जाता है, यह राशि इतनी अल्प है कि इतने में कोई अस्पताल कैसे सेवा कर सकता है। मेरा अनुरोध है कि एक अस्पताल को कम से कम २० हजार रुपया दिया जाना चाहिए, अन्यथा दवाओं के अभाव में डाक्टर तथा अन्य कर्मचारियों आदि पर किया गया व्यय व्यर्थ हो जाता है। मैंने अपने मंत्री जी को लिखा है कि विधान सभा क्षेत्र बरसरी में बाजिदपुर में स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी जो धराशायी हो गयी है, उसका पुनर्निर्माण कराया जाये और क्षेत्र जगदीशपुर में सिरेरी और जमालपुर दो ऐसे स्थान हैं जहां पर २०-२० मील तक कोई अस्पताल नहीं है, वहां पर अस्पताल होना बहुत जरूरी है और वहां पर अस्पताल की स्थापना शीघ्र की जाए। जौनपुर जनपद का जो मुख्य चिकित्सालय है, वह पुराना अस्पताल है, उसका विस्तार किया जाये और नये-नये औजार जो अन्य जिलों में लगाये जा रहे हैं, उनको भी उनमें लगाया जाये। इसके साथ मैं इस योग्य बजट का समर्थन करता हूं।

[समय २ बजकर ३५ मिनट]

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, किसी भी देश या प्रदेश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो बुद्धि भी उनकी स्वस्थ होगी। स्वास्थ्य के बजट पर चर्चा चल रही है, चिकित्सालय शहरों में सड़कों पर बन रहे हैं, लेकिन घनी आबादी के गांवों में इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। आपने अपने बजट में कहा है कि प्रति ५ मील की दूरी पर प्रत्येक अस्वस्थ व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिल जायेगी। पिछले बजट के समय भी मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था, जिस तहसील से मैं विधायक होकर आता हूं, वह सलेमपुर क्षेत्र महिला चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से पूरी तरह से वंचित है। यहां के लोग जिला गोरखपुर के बरहज तहसील के महिला अस्पताल में यह सुविधा पाते हैं जो बिहार की सीमा के पास है। इस बारे में मैंने मंत्री जी को लिखकर भी दिया और उनके मंत्रालय को भी लिखा था। भवन सुविधा भी हमने दिलाई, लेकिन उसमें दूसरा कोई औचित्य और उपचार सामने नहीं आ सका है। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, स्मरण हो कि समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर दवाओं के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए काफी कुछ आया है उसे पत्रकारों ने उन्हें दिखाया है लेकिन दवाओं के बेचने वाले लोग अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। बीमार अस्पतालों में तड़फते रहते हैं, लेकिन डाक्टर द्वारा कहा जाता है कि हमें गर्म होने के लिये और ठंडा होने के लिए हमारे पास अन्य व्यवस्थायें हैं। ये डाक्टर मरीजों को तड़पता छोड़कर अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

अस्पतालों और निजी चिकित्सालयों में बैठे रहते हैं, बीमार कराहा करते हैं, इसका आप उचित उपचार करें । भारतीय चिकित्सा पद्धति की विशेषता और इसकी लाभकारी बातों को आपने माना है और भी आपने माना है कि इन पर व्यय होने वाला १५ सौ रुपया अत्यन्त अल्प है । जब जनता पार्टी शासन में आई थी तो उनके वेतन-मानों आदि में सुधार किया गया था । आप उनको आवासीय सुविधाएं दीजिए, नहीं तो उसके अभाव में उसका भत्ता दीजिए । सफाई मजदूर यहां पर मुकर्रर हैं । समान वेतन दीजिये । समान चिकित्सा सुविधाएं दीजिए । जहां कहीं जिन अस्पतालों में जेनरेटर की आवश्यकता है उन्हें पूरा कीजिए । जेनरेटर की औचित्यता को तो आपने भी स्वीकारा है । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, प्रदेश के माननीय चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग का जो बजट सदन में रखा है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विरोध पक्ष के माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके विभाग की कुछ अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इस समय चारों तरफ से यह शिकायत मिलती है कि डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं है । डाक्टर देहातों में जाना नहीं चाहते हैं परन्तु, यह कैसी विडम्बना है कि जिला स्तर पर ३-४ उप चिकित्साधिकारी को पोस्ट कर दिया गया है और उनका काम है तबादले करना, घूस लेना और महिला चिकित्सकों के साथ ऐय्याशी करना । एक ओर तो गांव के अस्पतालों में बगैर डाक्टर के मरीज मर रहा है और दूसरी ओर उप मुख्य चिकित्साधिकारी के रूप में ३-४ चिकित्सक अपनी चिकित्सीय शिक्षा को स्वाहा कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे ऐसी कुप्रथा को समाप्त करावें और चिकित्साधिकारियों को चिकित्सीय कार्य में लगावें तथा यदि तबादले ही करवाने हैं तो पी० सी० एस० आफिसर को नियुक्त कर दीजिए, तबादले करने के लिए और इन चिकित्सकों की सेवा चिकित्सा के क्षेत्र में लें तो यह चिकित्सा विभाग के लिए ज्यादा लाभदायक और हितकारी सिद्ध होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य रक्षकों की एक पोस्ट बना रखी है स्वास्थ्य विभाग ने । विश्वास मानिये कि यह एक धोखा है । यह उनको १०० रुपया महीना देते हैं । मान्यवर, जितनी उनको दवाएं दी जाती हैं वह सब बेच दी जाती है । इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ७००—८०० और १००० रु० की घूस लेकर ही प्राथमिक चिकित्सक केन्द्र का अधिकारी कोई नियुक्ति करता है । मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूं, मैं चिट्ठी लिखता हूं तो नियुक्ति नहीं होती है और

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का अधिकारी जो चाहता है, वह होता है। मैंने त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को लिखकर दिया है, प्रभू जाने कब उस पर विचार होगा, इससे पहले सब वारान्यारा हो चुका वहां पर। आपकी सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति होती है ऐलोपैथिक, इसमें निवेदन है कि यदि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को अलग करके उसको और ज्यादा गतिमान बनायें तो उसमें ज्यादा गीत आ सकती है। ऐलोपैथिक में सर्जरी के अलावा क्या है ? जो कुछ भी है सब आयुर्वेदिक और यूनानी में है। यदि आयुर्वेदिक की दवा कोई खा लेता है तो वह टनाटन हो जाता है।

जो आयुर्वेद में है वह एलोपैथी नहीं मिल सकती है। मुझे यह भी निवेदन करना है कि विधायकों के लिए जो डिस्पेन्सरी खोल रखी है बी ब्लाक में, वहां से विधायकों की ८,८ दिन दवा नहीं मिलती और ठीकेदार दवा देता है तो नकली दवा देता है और विधायकों को वहां चाकरों की तरह लाइन लगानी पड़ती है इससे ज्यादा अपमानजनक बात और क्या हो सकती है ? मेरे क्षेत्र में शरीफाबाद में आयुर्वेद और यूनानी अस्पताल की मंजूरी हो गयी है उसकी खुलने की अविलम्ब व्यवस्था होनी चाहिए। जो हैदरगढ़ की डिस्पेन्सरी है, विधायकों की मीटिंग में आपने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, बात तय हो गयी थी, उसके लिए आप स्वीकृति प्रदान कर दें। इसके अलावा मलेरिया विभाग के घुटाले की जांच कराएं।पिछले साल ४४ लाख रुपए की डी०डी०टी० खरीदी गयी उसमें आधा चूना मिला दिया गया और आधा ८१ में खरीद लिया जायगा। इन विडम्बनाओं की ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बड़ा अनुभव है। लेकिन वह अफशरशाही के चक्कर में न फंस जायं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें यह मेरी उनसे प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, पिछले सत्र के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि जो स्वास्थ्य विभाग का बजट होगा वह चार हिस्सों में क्वार्टली रिलीज किया जायगा लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो भाषण सुनाया उसमें यह जानने को मिला कि प्रोग्राम के मुताबिक दो महीने के अंदर ९९ फीसदी बजट को आवंटित कर दिया गया। पिछली बार यह आलोचना की गयी थी कि एक दम मिलने में घुटाला हो जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए किस्तों में देने की बात हुई थी। दूसरे रेट कांट्रेक्ट करने की बात कही गयी थी लेकिन अफसोस है कि अभी तक रेट कांट्रेक्ट नहीं हो पाया। तीसरे एम० ओ० की पोस्टिंग के बारे में फैसला हुआ था लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है दो करोड़ रुपए की होम्योपैथी दवाएं समस्त यू० पी० में वितरित होनी है। लेकिन उसको प्रेसक्राइब कौन करेगा ? किसके कहने से दवा वितरित की जायेगी ? जब तक डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस तरह दवा खरीदे जाने का कोई औचित्य नहीं होगा, डाक्टरों के अभाव में उन दवाओं की चोरी होगी। होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक डाक्टरों की अविलम्ब पोस्टिंग प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो जानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

चाहिए। चौथे इस विभाग में भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनेक शिकायतें हैं। शासन ने अपनी तरफ से यह प्रसारित किया कि दो करोड़ रुपए का घुटाला पकड़ा गया है। इसके लिए आपकी तारीफ की जाती है लेकिन विभाग इस घुटाले के बारे में चुप है। पिछली बार आश्वासन मिला था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इस सत्र में घुटाले के बारे में प्रश्न न किए जायं और वह स्वतः दिसम्बर में इस स्थिति में होंगे कि शासन आवश्यक कार्यवाही करे- किसको दंडित किया जाय इस सम्बन्ध में विभाग टिप्पणी सदन के सामने प्रस्तुत करेगा। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा है और हमें यह उम्मीद थी कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि बदायूं के सी०एम०ओ०, गोरखपुर, गाजीपुर और ललितपुर के सी०एम०ओ० के बारे में लिखित रूप में शिकायतें शासन के सामने हैं उनके खिलाफ प्रस्तावित दंड भी है लेकिन उन्हें दंड नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कुछ खास लोगों का संरक्षण उन लोगों को है। हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो लेकिन यह उन्हीं के लोगों के द्वारा दी गयी सूचना है इसलिए मेरी सूचना का आधार गलत हो सकता है।

अब दवाओं की खरीद के बारे में एक बात सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक निविदा १६-६-८० को किया गया और यह कहा गया कि ये स्वास्थ्य रक्षक योजना के तहत ली जा रही है। तो जो टेन्डर आमंत्रित किया गया उसमें कहा गया कि जो लोग इसमें निविदा भरे होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक वे डी०जी०एस० या मिनिस्ट्री आफ हेल्थ, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया या डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज, कानपुर, द्वारा फर्म रजिस्टर्ड हों, उनके पास मैन्यु-फैक्चरिंग लाइसेन्स हो, रजिस्टर्ड की गयी हों। २१ जनवरी को आपके विभाग की ओर से एक निविदा के लिए ऐसे प्राविधानों की उपेक्षा करके, एक आदेश जारी किया गया और २½ करोड़ रुपए की दवाएं प्राण रक्षक और स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत खरीदी गई, ऐसी फर्म्स से जो रोजस्टर्ड नहीं हैं, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेन्स भी नहीं हैं (शेम-शेम के नारे लगाए गए)। इसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इन दवाओं को किस आधार पर ले लिया गया। मेरी प्रार्थना है कि इनकी मुकम्मिल जांच करायी जाय और जो अधिकारी इसके लिये दोषी पाए जायं उनको दंडित किया जाय ?

आपने अपने निदेशालय में प्रशासनिक कार्य के लिए एक ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी को लगा रखा है जिसके ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लग चुके हैं और गुटबाजी के आधार पर लोगों को उसके द्वारा दंडित किया जा रहा है। आपने इस आई०ए०एस० अधिकारी को संरक्षित करके क्यों निदेशालय में रखा है ? जब आपके निदेशालय में डिपार्टमेंट के ही अधिकारी हैं तो प्रशासन चलाने के लिए एक आई०ए०एस० अधिकारी को ही क्यों रख रखा है ? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

चूंकि समय बहुत कम है अतः मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो सदन में बजट रखा है, उसको हृदय से स्वागत करता हूं। मान्यवर स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे इंसान की जिंदगी के जीवन और मरण का प्रश्न जुड़ा होता है मानव जिंदगी की रक्षा के लिए लाखों गरीब व्यक्तियों की प्राण रक्षा के लिए जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करते हुए इसमें जो-जो त्रुटियां हैं, इसमें जो कमियां हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी-अभी मेरे पूर्व एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। यह सही है कि बजट के प्रस्ताव का वे विरोध करें या उसके पक्ष में बोलें, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि चूंकि मैं सता पक्ष में हूं। मनुष्य की जिन्दगी से खिलवाड़ करें और मैं उनका समर्थन करूं यह कोई बात नहीं है। आज का बजट देश के लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन से संबंधित है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी काफी पुराने और सजग मंत्री हैं,।

उनके ऊपर हम लोग आशा लगाये बैठे हैं कि आज अनियमितताओं को दूर नहीं कर सकते अगर उनके माध्यम से उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता तो मैं समझता हूं कि भविष्य में यह कमियां बरकरार रहेंगी और वह कभी उनको दूर नहीं कर पाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि आजादी के बाद आयुर्वेद की पैदाइश हुई। मैं अपने सम्मानित साथी से कहना चाहता हूं कि जब इन्सान की पैदाइश हुई, उससे पहले आयुर्वेद की पैदाइस हो चुकी थी और जिस देश में आज जिस पद्धति पर लोग विश्वास करते हैं, उसको एलोपैथी के नाम से जानते हैं और जिसके ट्रीटमेंट पर अपने को डिपेंडेंट मान लिया है अगर परसेन्टेज देखा जाए तो जितना पैसा आप व्यय कर रहे हैं, उस हिसाब से जो गरीबों को या बीमारों का जो ट्रीटमेन्ट है, उसमें हमारा ख्याल है कि १०० में २५ से ज्यादा अच्छे नहीं होते इसमें उनका दोष नहीं है उसमें जो बैठे हुए हैं बड़े विद्वान लोग हमारे ही घर और परिवार के लोग हैं, हमें इसको नकारना नहीं चाहिए इसलिए कि हम सदन के अंदर बैठे हैं और दूसरों का ही भ्रष्टाचार देखा जाए। उनकी अच्छाइयों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए लेकिन जो कमियां हैं, जो विवशताएं हैं जो मजबूरियां हैं उनको दूर करने का फर्ज भी स्वास्थ्य मंत्री जी का है। यह बात बिल्कुल सही है आप मेडिकल कालेजों में जा कर देखें। मरीज दम तोड़ रहा है, बरामदे में पड़ा कराह रहा है और डाक्टर बेचारा उस रास्ते से गुजारा जा रहा है। गांव से आया वह गरीब सोंचता है कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं, मुझे राहत मिलेगी। मेरे दर्द में कमी होगी लेकिन अगर उसके पास दौलत का अभाव है तो वह दम रखते हुए भी दवा के अभाव में दम तोड़ देगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी जो बजट खर्च करने जा रहे हैं, मैंने उस बार भी कहा था कि उसका ५० प्रतिशत बजट अगर आयुर्वेद और होम्योपैथी को दे दें तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में बसने वाले गरीबों के लिए ज्यादा हितकर होगा। मैं यह चाहूंगा कि आप आयुर्वेद के उन डाक्टरों को, जिनके इन डोर भी होते हैं, आउट डोर भी होते हैं और इमर्जेन्सी वार्ड्स भी होते हैं एक ही क्वालिफिकेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र—]

होती हैं, पांच साल की पढ़ाई के बाद होम्योपैथी के डाक्टर को वही डिग्री मिलती हैं उनके साथ यह भेद-भाव क्यों बरता जाता हैं ? मैं कहता हूं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार हैं एक महानुभाव कह रहे थे कि १५०० रुपया आयुर्वेद के चिकित्सालय को दिया जाता हैं साल में आप आयुर्वेद के एड को अलग कर दीजिए होम्योपैथी के एड को अलग कर दीजिए एलोपैथी की व्यवस्था अलग कर दीजिए ताकि समता कायम की जा सके और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके ।

अभी भाई श्याम लाल जी कह रहे थे कि विधायकों की भी लाइन लगती हैं । आप सब पुराने लोग हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधायकों को लाइन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती हैं, विधायक कोई रोज बीमार पड़ता नहीं हैं, मैं समझता हूं कि विधायक एक बार तो अपने लिए दवा लेता हैं और पच्चीसों दवाए लेकर दूसरों को देता हैं । १५०० रुपया की दवा तो सुबह शाम में खर्च हो जाती हैं इसलिए आप लोगों को भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा । मैं कहना चाहूंगा कि जिस पर मुझे बहुत बुरा लगा हैं जो लेडी डाक्टर हैं, नर्सेज हैं हर नाम के साथ इस तरह की बात कहना उचित नहीं हैं आप सब पढ़े लिखे लोग हैं उनको शोभा नहीं देता । निहायत शर्म की बात हैं । हर शब्द में बलात्कार चाहे वह लेडी डाक्टर हो या कोई और हो इस प्रकार की बातों को यहां कहना शोभनीय नहीं हैं । जिस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें कही जायें वह यहां अपनी बात नहीं कह सकता हैं इसलिए यदि विधायकगण इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह सदन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग होगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं और इसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं । लेकिन दुख इस बात का हैं कि आज उनके प्रति चारों तरफ से निन्दा की बात सुनने को मिलती हैं । श्रीमन्, जब मरीज जाता हैं अस्पतालों में डाक्टरों के पास तो आधा दुख उसका डाक्टर के व्यवहार से ही दूर हो जाता हैं । लेकिन दुख इस बात का हैं कि उनका व्यवहार मरीजों के साथ अच्छा नहीं होता हैं । इसके लिए मेरा कहना यह हैं कि मेडिकल कालेजों में एक सबजेक्ट होना चाहिए इस बात के लिए कि उनका व्यवहार मरीजों के साथ कैसा हो । उनको मरीजों से कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बारे में उन्हें बताया जाय क्योंकि आधा दुख तो मरीजों का डाक्टर के व्यवहार से ही दूर हो जाता हैं ।

श्रीमन्, असल में हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ हैं और जितनी चिकित्सा व्यवस्था यहां पर हैं हम उसको देखते हुए यदि एक एक्सरे मशीन हो जाय तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ हो गया । लेकिन दुनियां आज चिकित्सा विज्ञान में बहुत आगे निकल गयी हैं । वहां तक पहुंचने में हमारे देश को अभी हजारों वर्ष लगेंगे । प्रश्न तो यह हैं कि जो कुछ भी हमारे पास हैं हमें तो उसी में सोचना हैं । जो बजट हम दे रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे हो, यह चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी हैं विभाग की मंत्री जी की जिम्मेदारी हैं और विभाग के डाइरेक्टोरेट की जिम्मेदारी हैं । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक-एक पैसा इस

मद का गरीबों की सेवा में पहुंच जाए। श्रीमन्, दुख इस बात का है कि जैसा कि अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे कि एक रिपोर्ट है जिसमें कुछ अधिकारियों का उल्लेख है। उनके नाम प्रेस में आ चुके हैं इसलिए यहां पर बता देना चाहता हूं। इनमें एक हैं मोती लाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक, डा० आई० बी० सिंह उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० बी०के० सक्सेना, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० हरेन्द्र सिंह। इनके अलावा एक सज्जन और हैं। वर्ष १९७८ में इन्होंने ४-५ लाख रुपए की दवा खरीदी और ये लोग अब जाकर सस्पैण्ड हुए हैं, लता सिंह जी ने किए हैं और इसके लिए भी उनके ऊपर बड़ा भारी दबाव पड़ा, तब उन्होंने किया। इन्होंने ५ लाख रुपए की जानवरों की दवाइयां खरीदी और उसके बाद आज तक वे अपना क्लेरिफिकेशन देते चले आ रहे हैं कि इस दवा के १० टुकड़े कर दिए जायं तो वह दवा इन्सानों के योग्य बन जाती है। यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती है कि इस प्रकार की अनियमितताएं दवाइयों की खरीद फरोक्त में की जाती हैं तथा ऐसे मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं।

श्रीमन्, इसी प्रकार आगरा में डी०डी०टी० खरीदी गयी जो कि ठीक नहीं थी और उसमें भी पैसे का गोलमाल हुआ। इन सारी बातों की तरफ विभाग के उच्चाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आप देखें कि ऊपर मैंने जिस काण्ड का जिक्र किया १९७८ से ये लोग वहीं पर रुके रहे। एक का ट्रांसफर हुआ लेकिन उसने दबाव डालकर अपने को वहीं रुकवा लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी गलत कार्य करता है उसके खिलाफ तुरन्त ऐक्शन होना चाहिए।

श्रीमन्, दूसरी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि एक्सरे की ७० मशीनों से ज्यादा खराब हैं। मेरा तो यह कहना है कि बहुत सी मशीनें १०-१० ८—८ और ७—७ साल से खराब हैं। जहां पर एक्सरे मशीनें ठीक नहीं होंगी वहां आज इलाज ठीक से हो नहीं सकता। इसलिए कृपा करके उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अस्पताल हैं, डाक्टर को नियुक्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल हों या यूनानी अस्पताल हो या होम्योपैथिक अस्पताल हों, लेकिन आप नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। डाक्टर बहुत उपलब्ध हैं, वे अब भी बेकार हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। पहाड़ों में श्रीमन लोग नहीं जा रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, उनकी आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से लोग दान के रूप में जमीन भी देना चाहते हैं और इमारत भी बनवा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान दें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने आज खामयाजा को भुगत लिया था, अब तो परिवार नियोजन हो सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल—]

हैं, फैमिली प्लानिंग का नाम माननीय मंत्री ने नहीं लिया। श्रीमन उसकी बात उन्होंने आज नहीं कही। मुझे बड़ा दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ कि जब खामयाजा भुगतना था, जब प्रतिरोध सिर के ऊपर लेना था। तब तो बड़े जोश के साथ और जबरिया नशबन्दी करवा दी थी। लेकिन आज श्रीमन्, मैं आप से सही कहना चाहता हूं, कोई मुझे गुरेज नहीं है, अर्ज करना यह है कि आज लोग अपने दिल से, तबीयत से खुशी-खुशी नशबंदी कराने के लिए औरतें, पुरुष आ रहे हैं इसके ऊपर ज्यादा रुपया रखना चाहिए, सरकार ने औरतों के लिए ३० रुपया बढ़ा दिया है, २५ रुपया पुरुष नशबंदी का बढ़ा दिया है। लेकिन हमारे जिले का सी० एम० ओ० किसी भी आपरेशन कराए हुई महिला को या पुरुष को आज तक रुपया नहीं दिया है। वह मंजूर हुआ है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को परिवार नियोजन जिसको कहते हैं, उसको जितना मजबूती से चलाने की जरूरत है, उस पर ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तौर-तरीके से खोज करनी चाहिए, ताकि आसानी से वह परिवार नियोजन हो सके और उसको ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसलिए मैं दुःख व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी को जिस कड़ाई के साथ कहना चाहिए था, उसको उन्होंने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने चिकित्सा के अनुदान संख्या ३८,३९,४०,९८ के अन्तर्गत बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। १० करोड़ से ऊपर यह आबादी इस प्रदेश की बतलाई गई है और बजट जो है, मेरी राय में तो बहुत कम मांगा गया है। पुराने जमाने में जब कि सुश्रुत और चरक हुआ करते थे, उस समय बहुत थोड़ी आबादी थी, रोगी बहुत थोड़े थे और अब आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है, रोगी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और ऐसे समय के अन्दर यह कहना कि इस खर्च में कटौती कर दी जाय, माननीय वर्मा जी का जो कहना है, १ रुपया दे दिया जाय। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश की जनता का इलाज १ रुपए में करा सकते हैं ? तो मैं तो यह कहूंगा कि जो पिछले वर्षों में अन्याय किए हैं, एक और यह जोड़ दिया जाय। मान्यवर, इसके अलावा मुझे यह भी कहना था कि हमारे जो आब्जेक्शन्स लगाए हैं, विरोधी पार्टी ने, माननीय वर्मा जी, जिन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है, जब वह अपना भाषण प्रारम्भ किए थे, मान्यवर, मैं कुछ स्वास्थ्य समीक्षा पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने जो अखबारों की कटिंग का वर्णन किया, मैंने समझा कि जिस प्रकार हाकर्स आवाज लगाते हैं अखबारों का, मैंने समझा कि हाकर्स यहां पर आ गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मुझे फौरन ही अमरीका के फिलास्फर, थोरू की याद आ जाती है। मैं यह नहीं कहता कि अखबार वाले कोई इसको उस तरह से लें। लेकिन थोरू साहब ने कहा कि चाहे आज के अखबार उठाकर देख लें या चाहे ५० साल पहले का देख लें, सबमें वे ही घटनाएं मिलेंगी—भले ही ये थोड़ा बहुत कम हों। उदाहरण के लिए ५० साल पहले २६ जनवरी का ले लें और इस २६ जनवरी का ले लें। हो सकता है इसमें ४० कत्ल हुए हों और उसमें २० कत्ल हुए हों। तो कार आदि का नोट करने के बजाय अगर हम कुछ अच्छे सुझाव दें तो जरूर उससे कुछ सबक लेते। यहां ८५ प्रतिशत जनता का काम रहता है। आज कितने प्रकार के नए रोग चल रहे हैं। जापान तक से आ रहे हैं। हम किस तरह से उन पर काबू पा रहे हैं, यह काबिले तारीफ बात है। डाक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो बात ठीक नहीं। मेरे क्षेत्र, अनूपशहर में डाक्टर को पीटा गया। कानपुर में डाक्टर को पीटा गया। तो डाक्टरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।

एक निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मान्यवर, कि हमारे क्षेत्र अनूप शहर में तहसील हेड क्वार्टर पर का अस्पताल वैसे ही चल रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए। वहां जहांगीराबाद में, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, भवन नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां ४०/५० हजार की आबादी वाला नगर है, इसलिए वहां भवन दे दें।

अंतिम मांग है कि हमारे यहां जो जिला चिकित्सालय है, माननीय मंत्रीजी ने बड़ी कृपा की और कह रहे थे कि वहां डीजल का एम्बूलेंस दे रहे हैं। लेकिन, मान्यवर मेरा निवेदन है कि वहां इमरजेन्सी वार्ड के लिए अलग भवन स्वीकृत करा दें, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, रेडियो पाकिस्तान जब खबर देता है, तो हम उसको रेडियो झूठिस्तान कहते थे। बिल्कुल आपकी आवाज में बोलता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप अखबार और रेडियो की अच्छी जानकारी रखते हैं।

श्री जसवंत सिंह विष्ठ—

मान्यवर, मैंने ७२ में नसबंदी करायी है। जरा उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा हूं। वे आपकी नसबंदी के बारे में सुन लेंगे।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस देश और प्रदेश के इन्सानों की जिन्दगी का औसत ४५ साल का है।

इसके दो कारण हैं एक तो यह है कि बच्चा जब पैदा होता है जन्म से बीमार रहता है। नबर २, पोषण के कारण बच्चे और उसकी मां जो गर्भवती रहती है पौषण आहार नहीं मिलता इसीलिए बीमारी हो जाती है। १० करोड़ हमारे प्रदेश की आबादी है। इसकी २/३ आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इसके अन्तर्गत रहने वालों को न तो दो वक्त भोजन मिलता है और न रहने के लिए मकान है न बीमारी के समय दवा दारू की व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने जो बातें अपने बजट में कही हैं यह कोई नई बात नहीं है। जबसे देश आजाद हुआ उस समय से कुछ न कुछ योजना स्वास्थ्य के लिए बनती रही है। और मंत्री हर साल बजट पेश करते हैं। जब मंत्री नया बजट पेश करते हैं तो कुछ नया परिवर्तन करते हैं और पुराना बजट जो पेश हुआ था उस वक्त दिए गये अपने आश्वासन को देखते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से उन आश्वासनों की तरफ ध्यान दें।

दूसरी चीज यह है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र रूदौली है। १९०८ से नोटीफाइड एरिया कायम हुई है, यहां की आबादी ३० हजार है। इस कस्बे में एक महिला चिकित्सालय की स्थापना हुई थी। इमारत किराए की थी, ढाई साल हो गये वहां पर कोई महिला डाक्टर नहीं है। जिसके सम्बन्ध में पिछली बार भी जब स्वास्थ्य विभाग के अनुदान पर बहस हो रही थी तो मैंने कहा था और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि महिला डाक्टर भेज देंगे। लेकिन आज तक कोई महिला डाक्टर वहां नहीं गई। इसके साथ ही साथ सितम्बर, ८० में इस सिलसिले में मैंने एक प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी ने सदन में अपने उत्तर में कहा था महिला डाक्टर भेज दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ५ महीने हो गए उत्तर दिए हुए लेकिन ३० हजार आबादी वाले इस रूदौली कस्बे में आज तक महिला डाक्टर नहीं भेजी गई। इसके साथ ही साथ सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि नोटीफाइड एरिया से एक मील दूर खैरनपुर में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को भेज दिया गया जिससे रूदौली कस्बे के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है जहां न कोई उपयुक्त बिल्डिंग है, न कोई जगह है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया था लेडी डाक्टर भेजने का, जिसकी व्यवस्था आज तक नहीं की गई यह एक उदाहरण है ब्यूरोक्रेसी का जो नहीं चाहती है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब भी वक्त है लेडी डाक्टर की व्यवस्था जल्दी कराएं। मेरे जनपद में एक अस्पताल स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के नाम से है। जिनका नाम हम सभी जानते हैं। जिसमें ब्लड और शुगर चेक करने की मशीनें पड़ी हुई हैं। मैंने एक प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने उसके उत्तर में कहा था कि जल्दी व्यवस्था हो जायेगी। वह मशीनें ढाई साल से पड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी ने वहां पैथोलिजिस्ट तो नियुक्त कर दिया किन्तु वह मशीनें खराब पड़ी हैं जिसका नतीजा यह है कि हजारों रुपया स्वास्थ्य के नाम पर खर्च हो

रहा है। इन मशीनों के लिए न तो कमरा है, न उनको लगाने की कोई व्यवस्था है दूसरी चीज यह है कि रुदौली नोटीफाइड एरिया में एक इमारत ५० रुपए पर किराए पर थी वह छोड़ दी गयी । रुदौली में एक लाला सतगुरु हैं उन्होंने एक लाख की अपनी इमारत अस्पताल के लिये डोनेट की है। और उस पर लिखा पढ़ी भी बराबर हुई, मुख्य चिकित्साधिकारियों ने इसका मुआवजा किया, पत्रावली भी भेजी गयी और मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि एक लाख की प्रापर्टी है और अस्पताल हेतु उपयुक्त है लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी । तो इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करें और अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में जो गरीब हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा, हिफाजत की जाए तो तत्काल इस पर ध्यान दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा जी, आप अपना उत्तर दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, विष्ट जी नसबन्दी के भुक्तभोगी हैं बहुत परेशान हैं, हमारे समय से २ मिनट का समय आप इनको दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आपके समय से २ मिनट का समय दे रहे हैं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं परिवार नियोजन का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है, वह घटे लेकिन उसके लिये जो तरीका अपनाया गया है वह कोई अच्छा तरीका नहीं है । मैंने स्वयं ७१ में अपनी नसबन्दी की ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अपनी इच्छा से अपनी नसबन्दी अपने हाथ से कर ली ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

उसका नतीजा जो हमने देखा और अन्य लोगों से जो मालूम हुआ तो जो नसबन्दी कराते हैं उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है ..

श्री उपाध्यक्ष—

जिन लोगों ने अपनी नसबन्दी करायी है उनके सम्बन्ध में टी० बी० पर घोषणा हुई है .. . ..

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इसके लिए ऐसा तरीका निकालें जिससे ये कमियां दूर हों। दूसरी बात जो साधारण लोगों की नसबन्दी की गई हैं तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं रह गये। वह न हल चला सकते हैं न मजदूरी कर सकते हैं। ऐसी हालत में मैं मंत्रीजी से चाहता हूं कि जिन लोगों की नसबन्दी की गई हैं उनको कुछ न कुछ सहायता दी जाए। तीसरी बात मेरा अनुभव हैं कि दुबली औरतों के बच्चे ज्यादा होते हैं . .

(हंसी)

चाहे वह किसानों की औरतें हैं मजदूरों की हों, जो कमजोर होती हैं उनको बच्चे ज्यादा होते हैं। मैंने मजदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह देखा। इसलिये मेरा सुझाव हैं कि इस पर भी आप अध्ययन करें और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वह इस बात की खोज करें ताकि उनके बच्चे कम हों। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय अंचलों में १८० डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं और मान्यवर, इसी सदन में पहले भी कहा जा चुका हैं कि १८० स्थान डाक्टरों के रिक्त हैं, नेगीजी ने भी आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कया था तो मंत्री जी ने कहा था क हम जल्दी कह रहें हैं . . .

(हंसी)

पहाड़ों में जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं। वहां एक जड़ी होती हैं जिससे टूटी हड्डी जुड़ जाती हैं। ऐसी-ऐसी दवाइयां पर्वतीय अंचलों में हैं कि वहां आयुर्वेदिक मैडिकल कालेज खोले जाए . . .

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। जसवन्त सिंह विष्ट जी जो कह रहे हैं तो उससे ऐसा महसूस होता हैं कि विष्ट जी को निजी तजुर्बा हैं या वह किसी अस्पताल में मिडवाइफ की जगह कार्य कर चुके हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह आप तथा विष्ट जी के बीच का मामला हैं। इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा—

इसका जवाब तो इनको जब मिल जाएगा जब ये अपनी नसबंदी करा लेंगे ?

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में जन तमाम माननीय सदस्यों ने भाग लिया हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। तमाम माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में इस बात से इन्कार नहीं किया हैं कि जिस मद का बजट यहां प्रस्तुत किया गया हैं उस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला हैं, अस्पतालों में दवाएं नसीब नहीं होतीं हैं और

मरीज तड़पता रहता है। सदन में जितने सदस्यों ने अपनी बातें कहीं हैं उनकी बातें मेरी भावनाओं से पूरी तरह से मिलती हैं। वह बात अलग है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने बात मेरी कही है लेकिन अनुशासन के डर से समर्थन बजट का किया हो। मान्यवर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी तमाम चिकित्सा पद्धतियों के प्रति समानता का भाव जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने भाषण के शुरू में कहा था, यदि निश्चय के साथ और ईमानदारी के साथ उसे लागू करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देखने में आता है कि अगर आयुर्वेदिक जगत में किन्हीं कारणों को लेकर उपेक्षा बरती जा रही है तो होम्योपैथिक जगत में भी वही हो रहा है और उपेक्षा बरती जा रही है। आयुर्वेदिक और यूनानी का निदेशालय है, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा जिसका सम्बन्ध जन-साधारण से है और जो सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, उसका अलग निदेशालय न होने का कारण समझ में नहीं आता है। एक उपनिदेशक जरूर है तो एक अकेले उप निदेशक की नियुक्ति काफी नहीं है। इसका एक अलग निदेशालय हो ताकि इस सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन मिल सके।

दूसरी बात भी होम्योपैथिक जगत से सम्बन्धित है, कई कालेजों का अधिगृहण किया गया है लेकिन प्रांतीयकरण का मसला अभी तक भी फाइलों में घुन रहा है। मंत्री जी ने छात्रों और तमाम उन लोगों को जो प्रांतीय करण के पक्ष में हैं आश्वासन दिया था कि जल्दी ही प्रांतीयकरण हो जाएगा। पहले आर्डिनेंस आ रहा था फिर बिल आ रहा था लेकिन आर्डिनेंस आया और न बिल आया। मालूम नहीं कि फाइल कहां लटकी पड़ी है। चाहे जिस पद्धति का सवाल हो, तमाम कर्मचारियों के प्रति वेतन आयोग ने जो संस्तुतियां की हैं, उनमें विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। उन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कम से कम स्वास्थ्य विभाग के सिलसिले में मंत्री महोदय को संकेत करना चाहिए था लेकिन मंत्रीजी ने इस तरफ संकेत नहीं किया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साज-सज्जा और मरम्मत की मद में बजट बहुत कम प्राविधानित किया जाता है जबकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाना चाहिए। बहुत से जिलों में जिला परिषदों के अन्तर्गत काम करने वाले चिकित्सालयों में मरीजों की अपार भीड़ रहती है। हरदोई में मल्लावां और हरपालपुर आदि चिकित्सालय ऐसे हैं। लेकिन चूंकि यह चिकित्सालय जिला परिषद् के अन्तर्गत काम कर रहे हैं इसलिए वहां पर वह सुविधाएं नहीं हैं जो दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मिलती हैं। मान्यवर, ऐसे चिकित्सालयों का शासन प्रांतीयकरण कर दें, इसकी अति आवश्यकता है। हरदोई में एक नेत्र चिकित्सालय है, इमारत उसके पास है, इक्विपमेन्ट है, मरीजों का भी काफी सिलसिला लगा रहता है लेकिन उसको वित्तीय मदद नहीं मिल पाती जिसके कारण वह बंद होने की स्थिति में आ गया है। मैं चाहूंगा कि उस चिकित्सालय को भी शासन अधिगृहीत कर ले तो अच्छा होगा। जो बजट माननीय मंत्री जी ने यहां पर रखा है और जो आलोचनायें सदन में सामने आई हैं, उनको देखते हुए मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री लोकपति—

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों के विचार सुनने को मिले। माननीय रामआसरे वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश किया, मुझे दुख उस पर है। कोई कांस्ट्रीक्टव एप्रोच उन्होंने नहीं दिया। एक बात उन्होंने कही जिसको मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग कन्ट्रोल का जो विभाग है वह कहा जाए कि विभाग है ही नहीं। उसका पुनर्गठन होना आवश्यक है। हमारे प्रदेश से दवा निर्माता तो जा ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों दुकानें, विशेष तौर से जो उपनगरीय क्षेत्र हैं वहां पर दवाओं के वितरण की व्यवस्था बहुत खराब है। मैं वर्मा जी का सुझाव मानता हूं कि उसमें सुधार करना चाहिए। अन्यथा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस गाड़ी की बात उन्होंने कही, वह गाड़ी मेरे पास नहीं रहती अगर कभी निदेशालय जाते समय मैं उस गाड़ी में बैठ गया हूं तो वह बात दूसरी है, उससे गाड़ी मेरी नहीं हो जाती।

श्रीमन्, कुछ बातें कही गयीं भ्रष्टाचार की। यह मामला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किसको हम भ्रष्टाचारी कहें। आप सब क्षमा करेंगे, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और भ्रष्टाचार एक दूसरे से मिला हुआ है। पिछले ३० वर्षों से जो लोग स्वेच्छा से परिवार कल्याण का काम करते थे वे भी और हमारे मेडिकल डाक्टर भी यही एडवाइज करते हैं कि यह कार्य २५ वर्ष से ४५ वर्ष के बीच में होना चाहिए। बाल विवाह सम्बन्धी कानून सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही पास हुआ। यह सही है कि आज भी प्रतिदिन हजारों शादियां ११ और १३ साल के उम्र के बच्चों की होती हैं।

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और २० तक की उम्र के आते-आते जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बालक और बालिकाएं हैं वह तीन-तीन बच्चों के माता-पिता बन जाते हैं। यह बाल विवाह रुका क्यों नहीं, क्या कारण है? इसीका कारण है कि हमारी परिवार नियोजन की बालिका की शादी अगर अ३ साल की उम्र में हो जाती है और उसी बालक से तो उसे दहेज बहुत कम देना पड़ता है और वही बालक यदि पुलिस में चला गया, इंजीनियर हो गया या डाक्टर हो गया तो उसी बालिका का पिता उसी बालक के लिए जाता है तो उसके दहेज की मांग बढ़ जाती है और उस दहेज की मांग के साथ-साथ श्रीमन् क्षमा करेंगे, कन्या पक्ष वाले यह भी जानना चाहते हैं कि इस लड़के की ऊपरी आमदनी क्या है? और यह आज के समाज की बात है, हो रही है? तो हमारा सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध है कि भ्रष्टाचार की बात जो इस सदन में उठाते हैं, इसे पहले हम समाज से दूर करने का प्रयास करें, यह हमारा उत्तरदायित्व है। समाज यदि विकृत हो रहा है तो हम उसे रास्ते पर लायें।

यहां पर चर्चा आयी कि इलाहाबाद में पशुओं की दवाइयां इंसान को खरीदकर देने के लिए। उससे सम्बन्धित लोग निलम्बित किए जा चुके हैं, उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्यवाही हो रही है। गोरखपुर की बात आयी, उसमें विजिलेन्स की जांच हो रही है। हमारे एक सी माननीय सदस्य ने कहा कि पिछली जो रेड हुई है, उसकी आज चर्चा आनी चाहिए थी। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि यह सदन बन्द होने के पूर्व उस पर विचार हो जाएगा।

दो—तीन बातें माननीय मोहन सिंह जी ने और बतायी । एक तो कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत दवाइयां खरीदने की बात । जिस फर्म को आदेश दिए गए हैं वह दिल्ली प्रदेश की स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन है, जो उसे दिया गया है, उससे लेने-देने का सवाल नहीं होगा । यह लेन-देन का प्रश्न व्यक्तियों के बीच हो सकता है एक प्रदेश की सरकार का दूसरे प्रदेश की सरकार से कैसे हो सकता है परन्तु यह दिल्ली सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है । तो मुझे नहीं लगता है कि कोई घपला है । प्रयास यह होगा कि अधिकांश दवाइयां पब्लिक अंडरटेकिंग से खरीदी जायं जहां तक सम्भव होगा, यह किया जाएगा । ऐसा ही आश्वासन पिछले बजट के दौरान मेरा भी था ।

माननीय मोहन सिंह जी ने कहा बजट प्राविधान की बात । जितना धन वोट आन एकाउंट में पास किया गया था तो पहली किश्त उसी धन से चलेगी और जो अनुदान बजट में पेश किया गया है उसकी किश्त नवम्बर, दिसम्बर में चलेगी । जुलाई में वोट आन एकाउंट पास हुआ था, सम्पूर्ण बजट अक्तूबर, १९८० में पास हुआ । दिसम्बर, १९८० तक वह प्राविधान हमने कर दिया था, उसमें कोई छिपाई हुई बात नहीं है ।

आयुर्वेदिक के लिए कहा गया कि लखनऊ में आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की और अनुसंधान की व्यवस्था करेगी और इसी प्रकार अभी हमने दी है, एक लखनऊ में है और दूसरा हरिद्वार में है । चमोली में है, कालिंजर और बुंदेलखण्ड में है, मिर्जापुर । यह अनुसंधान हाउस जड़ी, बूटियों से दवा निकालेंगे उस पर अनुसंधान करेंगे, यह प्राविधान किया जा रहा है । आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक इन शिक्षा संस्थाओं का प्रांतीयकरण करने का उद्देश्य ही नहीं है, मैं तो मानता हूं कि हो चुका है, अभी कानून नहीं बन कर आ सका है किन्हीं कारणों के वश उस पर कुछ वैधानिक अड़चनें आ गयी थी । हमारे यहां भारत सरकार की अनुमति से यह व्यवस्था है । इस सत्र में, जो चल रहा है इसे हम आपके सम्मुख लाने में सफल होंगे ।

अब आखिरी बिन्दु भी मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि वह परिवार कल्याण के सम्बन्ध में । या तो, श्रीमन, हमको बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए और या हमको यह सोचना चाहिए कि हम किस गारत की तरफ जा रहे हैं । दुनिया के नक्शे में उत्तर प्रदेश जन्म दर के मामले में प्रथम स्थान पर है यह कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है । निहायत शर्म की बात है । यह खुशी हुई हमारे उदल जी ने कहा कि आज स्वेच्छा से लोग परिवार कल्याण की तरफ जा रहे हैं । उसमें हमारी बहनों का योगदान ज्यादा है । हम पुरुष वर्ग आज भी उससे भाग रहे हैं । और विष्ट जी ने कहा कि वह परिवार नियोजन करा चुके हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं हुआ मैं भी करा चुका हूं । मैं तो १९५९ में करा चुका हूं । श्रीमन, मैंने आप सबसे एक अनुरोध किया था कि आपलोग जब सदन चल रहा है दस—दस मिनट आकाशवाणी को दे दें । आप आकाशवाणी को पत्र भेज दें और आकाशवाणी के लोग . . .

[श्री रियासत हुसैन—]

आकाशवाणी का माननीय सदस्यों से कोई संपर्क है ? मेरे ख्याल से नहीं है । १९६२ से मैं भी असेम्बली के अन्दर बैठता आया हूं मैंने तो देखा नहीं आकाशवाणी किधर बसती है ।

श्री लोक पति—

ऐसे महत्वपूर्ण बात को ऐसे मजाक में उड़ाया जाय तो कैसे काम चलेगा । मेरा तो आप सब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप आकाशवाणी को तिथि अवगत करा दें और वहां के लोग आकर के आप की बात रिकार्ड कर लेंगे ।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने पिछली बार, अक्तूबर के महीने में, चार बातें हमको कही थीं कि चार चीजें आप दीजिए । उन्होंने कहा कैन्सर इन्स्टीट्यूट दीजिए, वह कानपुर में हम स्थापित करने जा रहे हैं । इन्होंने कहा था कि हमको आप यूरोलोजी से सम्बन्धित इन्स्टीट्यूट दीजिए, आगरे में कर रहे हैं और कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर डाइलेसिस यूनिट लगा रहे हैं । इन्होंने कहा था कि लखनऊ में एक इन्स्टीट्यूट आल इंडिया बेसिस पर बने । लखनऊ में आल इण्डिया बेसिस पर ही संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट बनाया जा रहा है . . . .

श्री रियासत हुसैन—

संजय गांधी के नाम पर नहीं, कहा था . . .

श्री लोकपति—

वह हमने किया । आपने इन्स्टीट्यूट की मांग की और हमने आपको इन्स्टीट्यूट दिया । नाम हमने जोड़ा ।

नसबंदी, परिवार नियोजन, की बात आप कर रहे हैं । मैं माननीय सदन के माध्यम से, एक भ्रम है, उसका विवारण करना चाहता हूं । कुछ अखबारों में यह बात उठी कि महात्मा गांधी चिकित्सालय जो है वह संजय गांधी इन्स्टीट्यूट बनने से संजय गांधी के अन्तर्गत हो जाएगा । आज उसका नाम किंग जार्ज मेडिकल कालेज है । महात्मा गांधी चिकित्सालय जो है, वह किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नहीं है, वह तो एक अलग संस्था है महात्मा गांधी एसोसिएटेड हास्पिटल एक अलग संस्था है जहां पर किंग जार्ज मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुभव की शिक्षा उस चिकित्सालय में प्राप्त होती है । वही स्थिति वर्तमान में रहेगी । महात्मा गांधी अस्पताल एलाइड हास्पिटल में परिवर्तित होने वाला नहीं है ।

अब मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी से कहूंगा कि जो बात आपको कहनी थी, वह आपने कही और जो आपके सुझाव थे वह हमने माने । अब आप कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और अनुदान को सर्वसम्मत से पास होने दें ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम आसरे वर्मा से)—आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता । इन्होंने शब्दों के जाल में सबको बांध दिया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७९,२२,८९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,११,७४,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४०—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरक्त २४,७९,८८,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बात न करें । मतदान में भाग लें । 'हां' और 'ना' कहने पर ज्यादा ध्यान दें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७८—चिकित्सा विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७८-चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,०७,११,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत आठ सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई । बाकी सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

श्री रियासत हुसैन—

किस सम्बन्ध में थी, कौन तारीख फिक्स की गयी है, बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दी गयी सूचना इस प्रकार है २० फरवरी, १९८१ को गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा एक प्रवक्ता की पिटाई से छात्रों एवं अध्यापकों में व्याप्त भीषण असंतोष एवं उत्तेजना के संबंध में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बयान की तारीख तय हो जाय, वहां स्थिति गंभीर है ।

श्री अध्यक्ष—

२५ तारीख तक तो वक्तव्य लगे हुए हैं २६ रख लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, २६ के बदले २५ या फिर २७ तारीख रख दें तो अच्छा होगा ।

श्री संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

ठीक है, २७ तारीख रख लेते हैं ।

लखनऊ नगर में दूषित पेयजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

लखनऊ नगर में पेयजल की आपूर्ति गोमती नदी से जल प्राप्त करके, उसे स्वच्छ एवं कीटाणुरहित बनाकर वितरित किया जाता है उक्त आशय हेतु ऐशबाग स्थित पम्पिंग स्टेशन पर तीन सेटलिंग टैंक, ३३ फिल्ट्रेशन बेड्स हैं । छने हुए पानी में क्लोरीन का मिश्रण करके जल संस्थान के रसायनशाला के कड़े नियंत्रण में शुद्धता की सभी प्रक्रियायें अपनाये जाने के बाद पेयजल का वितरण नगर में किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वितरित किया जाने वाला जल मैनुअल आफ वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेन्ट के अनुसार पूर्णतः शुद्ध एवं पीने योग्य है ।

उक्त प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, वितरित किये जाने वाले जल के नमूने जल संस्थान की प्रयोगशाला एवं महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकत्र किये जाते हैं और इन नमूनों का रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण राज्य स्वास्थ्य संस्थान एवं जल संस्थान की प्रयोगशाला में नियमित रूप से किया जाता है । जब कोई नमूना परीक्षण के पश्चात् संदेहजनक अथवा असन्तोषजनक पाया जाताा है तो उस स्थान के जल के नमूने पुनः एकत्र करके उनका परीक्षण किया जाता है ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत २७ एवं २९ सितम्बर, १९८० को लिये गये नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि १० प्रतिशत नमूनों को छोड़कर शेष में क्लोरीन की मात्रा या तो कम थी या न के बराबर थी । यथार्थ में क्लोरीन की लेस मात्रा भी जल की शुद्धीकरण के लिए यथेष्ट हैं क्योंकि यह निर्धारण सिद्धान्त है कि क्लोरीन् की मात्रा यदि ट्रेसेज में भी उपलब्ध हो तो वह जल स्वच्छ एवं पीने योग्य होता है ।

वर्णित परिस्थिति में लखनऊ नगर में जो जल वितरित किया जा रहा है वह पूर्णतया स्वच्छ एवं पीने योग्य है । यद्यपि लखनऊ नगर की जल वितरण प्रणाली लगभग ८४ वर्ष पुरानी है फिर भी जल को साफ करके उसके शुद्धीकरण हेतु उसमें निरन्तर क्लोरीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर मिला कर ही जल आपूर्ति की जाती है ।

श्री ऊदल—

वक्तव्य में है कि "विगत २७ एवं २९ सितम्बर, १९८० को लिये गये नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि १० परसेन्ट नमूनों को छोड़कर शेष में क्लोरीन की मात्रा या तो कम थी या न के बराबर थी", तो इस तरह से ९० प्रतिशत नमूने जो गलत पाये गये, उस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई ? और उस वक्त जो जल जा रहा था, क्या वह स्वच्छ नहीं था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जब यह सैम्पुल लिया गया, उसके बाद जल संस्थान के जनरल मैनेजर ने एक विस्तृत पत्र दिनांक १०-१२-८० को एडिशनल डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज को लिखा

[श्री श्रीकृष्ण गोयल—]

था । वह पत्र अंग्रेजी में काफी लम्बा है, आप कहेंगे तो पढ़ दूंगा । उस पत्र में लिखा गया है कि यदि ५० परसेन्ट नमूने भी ठीक नहीं पाये जाते हैं, तब भी उसको ठीक माना जाता है, पीने के योग्य माना जाता है । उसमें क्लोरीन का अंश भी हो तो भी पीने योग्य माना जाता है । तो जल में कोई कमी नहीं थी ।

श्री ऊदल—

इसमें है कि १० परसेन्ट को छोड़कर शेष में क्लोरीन की मात्रा या तो कम थी या नहीं के बराबर थी, इसके बारे में आप बताइये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

भाषा में कोई गड़बड़ी है, १० परसेन्ट में क्लोरीन की मात्रा कम पाई गई थी, ९० परसेन्ट में ठीक था ।

श्री अध्यक्ष—

तो कहने का मतलब यह है कि १० के स्थान पर ९० होना चाहिए ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मेरा कहने का अर्थ यही है कि १० परसेन्ट नमूने को छोड़कर बाकी सब नमूने ठीक थे । जो पत्र लिखा है एडिशनल डाइरेक्टर को, उसमें यह भी लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—

तब तो यह वाक्य गलत हो गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इसमें कुछ गलत है श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यही है ।

श्री ऊदल—

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नमूने लिये गये थे, उनकी जांच का रिजल्ट क्या है ? यह जो लिखा है वह सही लिखा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूरा पत्र पढ़ दूं ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जो नमूनों की जांच हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

नतीजा जो निकला हो, वह बता दीजिए, पूरा मत पढ़िए ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, नतीजा यही निकला कि पानी पीने योग्य था ।

श्री रियासत हुसैन—

यह जो १० परसेन्ट की बात है उसे पढ़ लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

नौटियाल जी का प्रश्न हो जाने दीजिए फिर पढ़ दीजिएगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

एक प्रवक्ता ने बताया कि ९८ करोड़ गैलन पानी गोमती से लिया जाता है और ७० किलो मीटर ऐशबाग तक आता है और रास्ते में जो पानी आता है उसमें प्रदूषण हो जाता है । मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि नमूनों की संख्या २०० थी और वह १६ वार्डों से लिए गए और इनमें से बहुत थोड़े से नमूने ठीक पाये गये, बाकी तमाम नमूने गलत पाये गये । क्या ७० किलो मीटर की एरिया में पानी को शुद्ध करने के लिए कोई प्रक्रिया इन्होंने शामिल की है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, रोजाना ही सैम्पल लिए जाते हैं । पानी पोटेबिल है । पानी पीने योग्य है ।

कानपुर जिले के बेहमई ग्राम में डाकुओं द्वारा कई व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य एवं चर्चा

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, इस समय जो चर्चा होने जा रही है, उस पर व्यवस्था चाहूंगा । मैंने और कई अन्य माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के रूप में भी यही प्रश्न उठाया था तो मान्यवर, आपने उसी प्रस्ताव पर स्वीकार किया था कि हम इस पर चर्चा या वक्तव्य करा देंगे । परन्तु नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव दिये गये थे उस पर ही मुख्य मंत्री का वक्तव्य आया और उस पर ही चर्चा होने जा रही है । विशेषकर मान्यवर, मेरा कानपुर जिला है और यह घटना वहीं की है मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो घटना पर गया । कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर वक्तव्य आना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायें । उस दिन कार्य-स्थगन के रूप में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था, अस्वीकार हुआ था । नियम ५१ में स्वीकार हुआ था और मैंने उस वक्त यही कहा था और संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार किया था । चर्चा की बात उठी थी तो

[श्री अध्यक्ष—]

५१ में वक्तव्य स्वीकार हुआ था और उसी समय चर्चा भी २ घंटे की स्वीकार हुई थी। यह तो नियम ५१ में स्वीकार हो गया है। मंत्री जी जो कुछ कहना है कहें। जो चर्चा में भाग लेना चाहे, सभी लेंगे।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक १४-२-८१ को लगभग ३ बजे सायं फूलनदेवी के नेतृत्व में एक डकैतों के गिरोह ने ग्राम बेहमई, थाना सिकन्दरा, जिला कानपुर पर धावा बोला। डकैतों ने गांव वालों से लालाराम और श्रीराम नामक डकैतों के बारे में पूछताछ की। गांव वालों द्वारा अनभिज्ञता प्रकट करने पर दस्युओं ने ग्रामीणों को एक जगह एकत्रित करके गांव के घरों में लूटपाट शुरू कर दी। तदोपरान्त औरतों और बच्चों को वापस भेजकर अन्य व्यक्तियों को डकैत अलग ले गये और उन पर गोलियां चलायीं जिसके फलस्वरूप २० व्यक्ति मारे गये और ४ व्यक्ति घायल हुए। लूटपाट एवं कत्ल करके लगभग दो घण्टे बाद डकैत उस गांव से चले गये। सूचना प्राप्त होने पर पी० ए० सी० की टुकड़ियां तथा स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तदोपरान्त वायरलेस पर उस क्षेत्र की पुलिस को सतर्क किया गया और रात को करीब डेढ़ दो बजे कालपी (जिला जालौन) की पुलिस की उस गिरोह से ग्राम गढ़ा में मुठभेड़ हुई परन्तु डकैत भागने में सफल हुए। कुछ शस्त्र मौके पर बरामद किये गये।

पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके का मुआयना किया। इस क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन अभियान तीव्र कर दिया गया है और कानपुर, इटावा, जालौन व हमीरपुर की पुलिस इस कार्य में सक्रिय है। इसके अतिरिक्त जमुना घाटी व मध्य प्रदेश की सीमा पर उपलब्ध पी० ए० सी० की १९ कम्पनियां भी इस कार्य में लगी हुई हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक (दस्यु उन्मूलन) इस अभियान को कालपी से समन्वित करेंगे। पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र उक्त क्षेत्र में ही कैम्प कर रहे हैं। ग्राम बेहमई में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु पुलिस दल तैनात कर दिया गया है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा में एक मुकदमा धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीवृत्त किया गया है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लगभग ३० हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच हजार रुपये व प्रत्येक घायल को पांच सौ रुपये आर्थिक सहायता स्वीवृत्त की जा चुकी है तथा मृतकों के परिवार वालों को नियमों के अन्तर्गत पेन्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

पी० ए० सी० का दल जो ग्राम खोजा रामपुर पर था, उसके समय से घटनास्थल पर न पहुंचने की शिकायत के सम्बन्ध में जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री मोहन सिंह—

बेहमई की घटना से पिछले १० महनों में इस प्रदेश की सरकार का जो निकम्मा प्रशासन हैं, उसकी कलई खुल गयी हैं (व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

माननीय सदस्य ने जो निकम्मा शासन कहा हैं इसको वापस कराइये । इससे निकम्मा शासन उनका रहा हैं जिस सरकार के मोहन सिंह जी मंत्री रह चुके हैं (व्यवधान) अगर यह शब्द वापस नहीं होंगे तो बहस नहीं हो सकेगी । (व्यवधान)

यह संसदीय शब्द नहीं हैं कि किसी को निकम्मा कहा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जब यह कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था उसके बाद अनेकों प्रस्ताव आये थे और जब घटना के सम्बन्ध में किसी ने जानकारी प्राप्त की थी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों और शासन पक्ष के माननीय सदस्यों ने और संसदीय कार्य मंत्री ने और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने बड़ी गम्भीरता से कहा था कि इस पर वक्तव्य होना चाहिए और चर्चा चलनी चाहिए । उसी के अनुरूप आज चर्चा चल रही हैं । इसीलिए इस चर्चा के बीच में उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं हैं । यह सभी ने स्वीकार किया था कि हम इस पर बहस चाहते हैं और व्यवस्था में सुधार चाहते हैं ।

जहां तक माननीय रणजीत सिंह जूदेव जी ने जो प्रश्न उठाया और माननीय सदस्य और चीफ ह्विप, माननीय त्रिवेनी जी ने कहा, मेरा कहना हैं कि उनको काफी अनुभव होगा कि इस सदन में सरकार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अनेकों बार हुआ हैं ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने पिछले १० महीनों में दम्भपूर्ण प्रवंचना की थी कि प्रदेश का शासन नियन्त्रित कर दिया और साथ ही साथ यह बताने की कोशिश की कि पूरे देश और प्रदेश में दस्युओं के जो गिरोह हैं उनका एनकाउन्टर के नाम पर सफाया कर दिया हैं लेकिन यह सम्पूर्ण घटना शासन की थोथी दलील की द्योतक हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर सभी बोलना चाहते हैं अतः सबकी राय हो तो समय निर्धारित कर दिया जाय ।

कई सदस्य—

सब बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक हैं ५-५ मिनट बोल लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल की ओर से बोल रहा हूं । अतः मुझे कुछ अधिक समय दिया जाय ।

मान्यवर, शासन की एनकाउन्टर की नीति से यह सारी घटना पैदा होती है । बताया गया है कि हमने एनकाउन्टर के नाम से प्रदेश के दस्युओं का सफाया कर दिया है लेकिन उन ८-९ जिलों में इस समय के निकम्मे से निकम्मे जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको वहां पर पोस्ट किया गया है और वहां के दरोगा अपना रिश्ता कायम करके विक्रम के गोल में जाकर लाला राम और श्रीराम जो विक्रम के गोल के सदस्य थे, राठौर दरोगा ने सांठगांठ करके विक्रम की हत्या करायी और फिर मुस्तकीम के गोल से रिश्ता जोड़कर जिन लोगों ने हत्या की उन हत्यारों को ढूंढ़वाने की कोशिश की और जब यह पता चलता है कि एक ऐसा गांव है जो जोरासी गांव कहा जाता है, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, आपस में ही शादी विवाह करते हैं । उनका कहना है कि अगर हम बाहर अपनी रिश्तेदारियां करते हैं तो जो हमारी शक्ति है, पुरुषार्थ है, उसमें कमी हो जायेगी । तो उस गांव में संरक्षण मिला करता था और लाला राम का गिरोह और फूलन देवी के गिरोह वाले जाते हैं । अभी तक यह सुना जाता था कि प्रदेश के हरिजनों और अल्पसंख्यकों के हित आरक्षित थे लेकिन अब सामन्तशाहों के समय में उनकी बिरादरी के राजपूतों के हित भी आरक्षित होते हैं । और यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि इनकी फर्जी एनकाउन्टर की नीति ही के कारण यह सब हो रहा है । मैं जब उस इलाके में गया तो रास्ते में जो छोटे गृह मंत्री हैं वे राजपुर की चौकी पर मिले । तो मुझे मालूम हुआ कि यह जो कांग्रेस (आई) की विधायिका हैं सुमनलता दीक्षित मौके पर जीप लेकर चली गई हैं । फूलन देवी का मुकाबिला करने के लिए यदि उर्मिला अग्निहोत्री को भेजा होता तो बात और होती लेकिन भेज दिया सुमन लता दीक्षित को खैर जो भी इनका अपना कन्सीडरेशन रहा हो । मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले दो महीनों से एण्टी डकैती डी० आई० जी० कोई नहीं है । ये अपने वक्तव्य में कह रहे हैं हमारे जो एण्टी डकैती डी० आई० जी० हैं, वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पोस्टिंग १७ फरवरी के बाद हुई है इस घटना के बाद । दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीने के बाद तक कोई भी डी० आई० जी० वहां पर कार्यरत नहीं था, यह इस शासन की विफलता का एक नमूना है ।

पिछले दिनों में जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम एक विशेष बल बनायेंगे जिसका पहला काम होगा साम्प्रदायिक दंगों को रोकना और दूसरा काम दस्यु उन्मूलन का होगा । लेकिन आज तक उनकी घोषणा के बाद एक डी० आई० जी० पोस्ट कर दिया गया, ४ कमान्डेन्ट पोस्ट कर दिये गये और सबसे विडम्बना की स्थिति यह हैं कि विशेष बल के डी० आई० जी०, जिन दिनों फूलन देवी के गिरोह का नग्न तान्डव हो रहा था, बजाये वहां के निरीह नागरिकों की रक्षा

करने के, दिल्ली में एक रैली की संरक्षता कर रहे थे । मैं यह पूंछना चाहता हूं कि जिस डी० आई० जी० बासम को अप्वाइन्ट किया गया था इस काम के लिए वह १३ से १७ फरवरी के बीच कहां थे ? हो सकता है कि आपकी रैली में भी कुछ दस्यु समाट पहुंच गये हों उनसे रक्षा की आपको आवश्यकता रही हो लेकिन जिस इलाके के लिए उनकी पोस्टिंग हुई थी, वह कहां थे ? असल बात यह है कि इन एण्टी डकैती आपरेशन के डी० आई० जी० का पुलिस के अधिकारियों पर सीधा नियन्त्रण नहीं है, इसलिए इनकी कोई बात मानता नहीं । विभाग का बड़ा अफसर होने के नाते कोई दूसरे अफसर भाई चारे में इनकी सुन भी ले लेकिन डाइरेक्ट कन्ट्रोल न होने की वजह से ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते ।

कल की एक विडंवनापूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं । वहां पर जिस पुलिस था जिसके लिए इन दरोगा को इनाम देने की खबर अखबारों में छपी थी, सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि उसी दरोगा की पोस्टिंग फिर से थाने सिकन्दरापुर का इन्चार्ज बनाकर आपके गृह राज्य मंत्री जी ने कर दी है । (शेम शेम की आवाजें) ।

मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं कि एक जाति विशेष के अधिकारियों को पिछले ४-५ दिनों में पोस्ट करके उत्तर प्रदेश प्रशासन में जाति विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है । मैं अपनी आंख से रायपुर थाने को देख कर आया हूं जहां पर एक वायरलेस आया कि दस्युओं के एक गोल के ८-९ सदस्य मार दिये गये । जालौन में जिसकी खबर अखबारों में छाप दी गई मेरी मौजूदगी में वायरलेस रिपोर्ट आई । फिर दूसरी रिपोर्ट आई कि आप फौरन तैयार होकर इस आपरेशन एरिया में दमनपुर में जहां डकैत आपरेट कर रहे हैं, थाने पर जो दरोगा इन्चार्ज था, उसके हाथ पैर फूल गये उसने कहा मेरे पास चार सिपाही हैं जो आपरेशन एरिया है डकैतों का वहां उनका हमला होता है, उस चौकी में कुछ दिन पहले एक वायरलेस सेट लगा । उस क्षेत्र में जिसमें हमारे राज्य मंत्री जी, उपमंत्री जी जाकर देख आये हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल पांच सिविल पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे, उनके पास उस गांव तक पहुचने के लिए सवारी तक न थी । वायरलेस पर वायरलेस आ रहे थे उसने कहा यहां पर ऐसी झूठी खबरें रोज आती रहती हैं । हमने कहा कि भाई जब वायरलेस मेसेज है तो जनता के पास तो है नहीं यह तो शासन के पास ही है और उस पर आपको प्राम्प्ट ऐक्शन लेना चाहिए लेकिन बल के अभाव में वे लोग वहां जाने से कतराने लगे इसलिए मैं कहता हूं कि इस डकैती उन्मूलन में इनका प्रशासन तंत्र कमजोर रहा है, विफल रहा है तभी इनके युवराज ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के आई० जी० को हटाया जाये ।

मैं कहना चाहता हूं कि नौकर को दंडित करने की ओर इस प्रदेश के शासन का ध्यान चला गया लेकिन जो मालिक दोषी है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । आप क्यों अब तक

[श्री मोहन सिंह—]

अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं ? क्यों ऐसी घटनाएं निरन्तर, लगातार रोज हो रही हैं ? मान्यवर, मुझे कोई ऐतराज नहीं कि किस को मंत्री बनायें और किस को न बनायें । गृह राज्य मंत्री जी से मेरा नजदीकी सम्बन्ध है । लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब आप मंत्री बनाते हैं तो गृह विभाग जैसे सेंसिटिव डिपार्टमेन्ट को किसी परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति के हाथों में देना चाहिए । इस तरह के असन्तुलित और अपरिपक्व हाथों में आपने गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को देकर सारे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की है । मैं यह समझ सकता हूं कि आप के पास समय नहीं है, आपको दिल्ली भी जाना है, और भी बहुत से कार्य निपटाने हैं, हैं, संजय गांधी के बाद उनकी नीतियों के अनुसार राजीव गांधी चलेंगे या नहीं, यह सारी बातें आपको सोचनी हैं लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ अपने प्रदेश के बारे में भी आप सोचें । गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग आप एक अपरिपक्व हाथ में न देकर उन्हें आप कोई अन्य विभाग देकर भी उनकी प्रतिभा का लाभ उठा सकते थे । कल कुछ गांव वाले लोग मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि राज्य मंत्री जी वहां गये थे । वहां उन्होंने यह कहा कि या तो पुलिस की वर्दी रहेगी या डकैत रहेंगे । इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि पुलिस और डाकुओं में सहअस्तित्व काफी दिनों से चला आ रहा है और माननीय मंत्री जी वहां जाकर ऐसा बयान दें तो इससे क्या समझा जाये । वहां पर खुर्शीद आलम को हटाकर उनके स्थान पर त्रिपाठी को थानाध्यक्ष बना दिया । जो छुटभैया हैं उनका ट्रांसफर कर दिया । इस पर आप कहते हैं कि हम डकैतों का सफाया करेंगे ।

मान्यवर, दुख तो यह है कि आज भी लाला राम और श्रीराम का गिरोह पुलिस संरक्षण में उस पूरे इलाके में मुस्तैदी के साथ टहल रहा है । पुलिस के साथ उसकी सांठ-गांठ है । आज भी वहां पर मुस्तकीम का गिरोह, लालाराम का गिरोह और श्रीराम का गिरोह घूम रहे हैं । आज जनता को वहां पर फूलनदेवी से भय नहीं है, बल्कि अन्य गिरोहों से है और यह कैसी विडम्बना की बात है कि यह जानकारी होते हुए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है । चाहे दमनपुर हो या बेहमई हो, सारी जगहों के लोग आज अपने-अपने घरों को छोड़कर रात में कस्बों में अपने मित्रों के यहां, अपने रिश्तेदारों के यहां और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहां चले जाते हैं । ,वहां पर इतना अधिक आतंक व्याप्त है । मैंने उनसे पूछा कि प्रदेश में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है वह तुम्हारी मदद करेगी तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारा राजा तो मलखान सिंह है जो कि चम्बल से आने वाला है और वही हमारी रक्षा करेगा । आप सोचें कि जहां जनता में यह विश्वास हो जाय कि सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती, मुख्य मंत्री का जहां शासन नहीं चलता बल्कि जनता यह समझने लगे कि एक डाकू उनकी हिफाजत कर सकता है तो ऐसी स्थिति में सरकार का अस्तित्व कहां रह जाता है ? यह इस प्रशासन और सरकार के लिए लज्जा की बात है ।

मान्यवर, एक घटना अखबारों में छपी । माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने बयान दिया कि वहां पर २-३ लोगों को, जो कि एक खास जाति के थे, फूलनदेवी के गिरोह

के लोग आये और उनको उठा ले गये लेकिन रास्ते में मौजूद पुलिस ने उनको छुड़ा लिया। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल असत्य घटना अखबारों में प्रसारित की गयी है। श्रीमन्, जो लोग मारे गये हैं उनमें से सबों का पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया है। जिनका पोस्ट मार्टम किया गया वह उसी स्थान पर किया गया। अगर सबका पोस्ट-मार्टम किया जाता तो सरकार के सामने यह दिक्कत थी कि सारी बातों की असलियत खुल जाती और यह भी बात खुल जाती कि सारे लोगों की मौत थ्री नाट थ्री की गोली लगने से हुई जो कि पी० ए० सी० के लोग उनको सप्लाई करते हैं। पी० ए० सी० के लोग झूठे एनकाउन्टर दिखाते हैं, गोली चलाने की वारदातें दिखाते हैं और गोलियों को डकैतों के हाथों में बेच देते हैं जिनका उपयोग डकैत लोग करते हैं।

मान्यवर, आज उस पूरे अंचल में पुलिस की और प्रशासन की विफलता का नंगा चित्र देखने को मिल रहा है। इस पूरे प्रदेश में हमारे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का हुक्म नहीं चल रहा है बल्कि डकैतों का हुक्म चल रहा है। आज सरकार का कानून समाप्त हो गया है। जिस जाति विशेष के लोगों की हत्या फूलनदेवी ने की है उसी जाति विशेष के १० लोगों की हत्या मेरठ में कर दी गयी है। एक राजपूत इसी इलाके के भूतपूर्व विधायक, श्री छेदा सिंह चौहान की हत्या की गयी और २२ राजपूत बेहमई के मारे गये और कितने और मारे जायेंगे, यह कुछ पता नहीं है। जो सशंकित थे, वह लोग इनके राज्य में सशक्त हो गये। दम्भी प्रशासन जो कमजोर लोगों को एन-काउन्टर के नाम पर मार रहे हैं, आखिर आपकी नीति क्या है पिछले १० महीनों की ? एक भी बड़ा केस वर्क-आउट नहीं हुआ इस प्रदेश में। पहले प्रोन्नति मिलती थी पुलिस के अन्दर कि किस पुलिस अधिकारी ने कितने ज्यादा मुकदमों को अच्छी तरह से पैरवी करके दण्डित कराया। किस पुलिस अधिकारी ने सुराग लगा कर जुर्म का पता लगाया। अब प्रोमोशन इनकाउन्टर पर देते हैं। जिस डिप्टी एस० पी० और इन्सपेक्टर को सबसे ज्यादा प्रोन्नति इनकाउन्टर के नाम पर दी हुई हो, उनको फूलन देवी के पीछे करिये। अगर ये नहीं करते हैं, नहीं पकड़ते हैं, तो उनको बरखास्त करिये, वरना मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। उनमें खोज की प्रवृत्ति मरती जा रही है और थाने में बुला कर लोगों को मार कर अखबारों में खबर छपाकर इनाम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और उसको प्रोत्साहन प्रशासन की ओर से मिलता जा रहा है। पुलिस के अन्दर जो निकम्मापन समा रहा है, इनकाउन्टर के नाम पर मर्डर कराया जा रहा है, किसी भी बड़े केस को वर्क आउट सरकार नहीं कर पा रही है जो कि इस प्रशासन का निकम्मापन है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इस दुखद घटना के सम्बन्ध में मैंने अपने भाई मोहन सिंह के कुछ शब्द सुने। उनके शब्दों से मुझे और भी दुख होता है। उनके हर शब्द में कहीं

[श्री रणजीत सिंह जूनदेव—]

ठाकुर कहीं राजपूत थे । श्रीमन्, मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि दो साल पहले यह भी इस हाउस में थे, मैं भी था, जालौन जिले में एक ही दिन ८ गड़रिया मार दिये गये थे । ये उस दिन कहां थे ? ४ महीने पहले जगम्मनपुर में इसी फूलनदेवी

(शेम-शेम की आवाजें)

ने कई अपहरण किये । वहां से औरतें ले जाकर उनके साथ बलात्कार कराया । कहां थे उस समय मोहन सिंह जी ? श्रीमन्, इनके शब्द पर मुझे शर्म आती है । ठाकुर और राजपूत तो वह होते हैं जो हरिजनों के सामने ढाल बनकर आ जाते हैं और अपने प्राण दे देते हैं । कहां थे ये दो साल पहले ? इनका वही हाल है जैसे महाभारत के अन्दर कर्ण ने झूठा उपदेश दिया था । प्रदेश में जनता राज में प्रदेश का चीर-हरण हुआ कहां थे ये उपदेश मोहन सिंह जी के ? आज श्रीमन्, यह हाल हुआ, बेहमई में यह कांड हुआ । जहां तक इस कांड का सवाल है, हमने देखा है और जहां तक सरकार की नीति का सवाल है, यह सरकार में ढील का सवाल है, श्रीमन्, मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार की तरफ से कई कमी रही है । जब लोग वहां पर मारे गये, तो वहां पर सरकार की तरफ से एकदम इमदाद नहीं पहुंची । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू समाज में जब कोई मर जाता है, तो न चूल्हा जलता है और न खाना खाया जाता है । अगर उसी समय कुछ मदद पहुंचा दी जाती, तो हम भी उसमें प्रसन्न होते, हमको भी गर्व होता ।

जहां तक डकैतों का प्रश्न है, मैं भाई मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इसमें न जाति-पांति का सवाल होता है और कांग्रेस या लोकतन्त्र की बात होती है । ये कुख्यात डकैत हैं । ये हरेक वर्ग को लूटते हैं और मारते हैं । मैं खुद बुन्देलखण्ड से आया हूं जहां कि यह डकैतिन पैदा हुई है जो कि बुन्देलखण्ड के लिए एक कलंक है । मान्यवर, हमारा बुन्देलखंड हमेशा से वीर पैदा करता रहा है, लेकिन जो यह बदमाश फूलन देवी डकैत ने किया है, उससे हम सभी को दुख होता है । मान्यवर, जालौन जिला बुन्देलखण्ड कमिश्नरी में है, जहां यह घटना घटित हुई । वहां पर, मान्यवर, कोई ऐसी सम्भावना नहीं थी कि फूलन देवी का कोई दुश्मन हो । लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि उसने छापा मारा । परन्तु जहां तक उनके परिवार वालों की बात है, उनको सान्त्वना देना चाहिए । लेकिन, मान्यवर, इसके साथ हम यह प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि आगे हम लोग क्या करें कि जिससे इस तरह की घटनाएं न घटें ।

जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे राजा साहब, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हाउस में मैं तीन टर्म रहने के बाद कह सकता हूं, कि इतना स्वच्छ प्रशासन नहीं आया । मैं उनकी ईमानदारी के बारे में कह सकता हूं कि उनमें कोई ऐब नहीं लगा सकता है । हां, अगर कोई ऐब लगा सकता है, तो जैसा कि एक शायर ने कहा है, हमारे मुख्य मंत्री जी में एक ऐब है कि उनमें कोई ऐब नहीं है । तो यह बात है ।

इसी के साथ, मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बार्डर मिले हुए हैं । इस

सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बता चुका हूं कि हम लोगों की सीमाओं को ठीक किया जाना चाहिए । उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत दूर तक मध्य प्रदेश में चली जाती है और मध्य प्रदेश की सीमा बहुत दूर तक उत्तर प्रदेश में चली आती है । दोनों प्रदेश के अधिकारियों को बैठकर योजना बनानी चाहिए ।

जहां तक पुलिस का सवाल है, चाहे पुलिस हो, चाहे डकैत हों, या कोई आदमी हो, वहां सिर्फ पैदल चल सकते हैं । न जीप जा सकती है, न मोटर सायकिल चल सकती है । इसलिए इस इलाके की जो समस्या है, वह अपने हिसाब से अनोखी है । मैं चाहूंगा, मान्यवर, कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इन समस्याओं की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ।

जहां तक ठाकुरों का प्रश्न है, मान्यवर, मैं माननीय मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वह इन्सानियत की बात करें और कुख्यात डकैतों को समाप्त करने का प्रयास करें । हमारे माननीय चौधरी शंकर सिंह जी उस क्षेत्र से एम० एल० ए० हैं और वह इस इलाके में पुलिस की मदद करें जिससे इन गिरोहों का सफाया हो सके ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सामूहिक हत्या ने अब तक सभी रिकार्डों को पीछे छोड़ दिया है । यह जो संदर्भित घटना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है और पुलिस की कर्तव्यपरायणता पर कलंक है । मान्यवर, मैं इस घटना के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन घटना जिस दिन से घटी, उसमें कुछ प्रश्न जरूर हमारे सामने आते हैं । आज जो वक्तव्य माननीय राज्य मंत्री जी ने पढ़ा है या कल जो समाचार पत्रों में उनका बयान प्रकाशित हुआ है और आज भी हुआ है, उसमें जो बातें समझ में आयी हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि उसमें जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गयी है । मान्यवर, यह सरकार के निकम्मेपन की बहुत बड़ी बात है और मैं तो कहूंगा कि अगर निकम्मेपन से भी नीचे का कोई शब्द हो, तो उस तरह का कार्य इस सरकार के द्वारा किया गया है । मान्यवर, आज जो सामूहिक हत्या की बात आती है, दिनदहाड़े दहशत के साथ घटना जिस दिन हुई, उस दिन चारों ओर पी० ए० सी० के कैम्प लगे हुए थे । उनको खबर दी गयी लेकिन उन्होंने डाटकर भगा दिया कि कहीं दिन में भी डकैती होती है । इस वक्तव्य में कहा गया है कि आदेश जारी किये गये हैं, लेकिन माननीय राज्य मंत्री जी ने पुलिस का समर्थन और उसकी सफाई

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

भी देना शुरू कर दिया है । इतना ही नहीं अलग से जब लाउड स्पीकर से एलान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया जाता हैं कि जब घटना घटी २ घंटे तक संघर्ष होता रहा । एलान किया गया पी० ए० सी० और पुलिस मौके पर आई । यह भी कहा गया कि पी० ए० सी० और पुलिस वहां नहीं पहुंची । किन्तु इससे कुछ प्रश्न पैदा होता हैं । प्रश्न यह पैदा होता हैं कि पी० ए० सी० या पुलिस को सूचना कैसे मिली, वह कब पहुंची, कैसे पहुंची ? जो वहां कैम्प में पी० ए० सी० के लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? जैसा माननीय मोहन सिंह ने चर्चा की, मेरी जानकारी हैं कि वहां पर जो पी० ए० सी० मौजूद थी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इतने बड़े काम के लिए, वहां पर कोई वरिष्ठ या जिम्मेदार अधिकारी नहीं था । यह बात भी आप बताने की कृपा करें कि जो पी० ए० सी० के लोग वहां पर तैनात हैं उसमें से कितने लोग दिल्ली रैली में गये हुये थे ? मान्यवर, मेरी जानकारी हैं कि १९ में से ३ बटालियन दिल्ली रैली में गई थीं । यह सरकार डपोर शंख की घोषणा करती हैं ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी उस समय हमने डाकुओं के सम्बन्ध में विस्तार से कहा था और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि इसके लिए हम एक विशेष योजना बना रहे हैं । इनके लिए पी० ए० सी० को ऊंचे दर्जे के असलहा दिये जायेंगे । अभी जब यह घटना घटी । दिल्ली में आपने बयान दिया कि इनको अच्छे किस्म के हथियार दिये जायेंगे । यह बात इस घटना से साफ हो गई कि आज भी उनके पास इस तरह के हथियार नहीं हैं । यह बात भी सही हैं कि पुलिस और डाकुओं में सहअस्तित्व का सम्बन्ध बन गया हैं । लोग लूटे जा रहे हैं, जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लोगों के जीवन की सुरक्षा करने वाला वहां कोई नहीं हैं । मान्यवर, इतनी बड़ी घटना घटी और जैसा हमेशा किया जाता रहा हैं, नीचे के स्तर के कुछ लोगों को ट्रान्सफर कर दिया गया । इससे कुछ नहीं होगा । जैसा मोहन सिंह ने कहा मेरी बिल्कुल सही जानकारी हैं । आपने डी० आई० जी० और कमान्डेन्ट को निलम्बित तो कर दिया लेकिन उनके लिए अलग फोर्स की व्यवस्था नहीं की । केवल पद सृजित कर देने से कोई व्यवस्था नहीं होती । इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के दिवालियापन और अक्षमता का सबूत हैं ।

अभी राजा साहब, झांसी कह रहे थे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ हैं । सवाल इस बात का नहीं हैं कल क्या हुआ था । आज क्या हो रहा हैं इसकी जिम्मेदारी आप पर हैं, जनता आपसे पूछेगी । राजपूत वर्ग या किसी एक वर्ग की बात कही गई । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को राजकुमार संजय सिंह ने उजागर किया हैं । हरिजनों को मारा गया लेकिन कभी भी उनकी चुनौती सरकार के खिलाफ नहीं निकली । जब उनकी जाति के लोग मारे गये तो सरकार के निकम्मेपन की घोषणा करते हैं । मान्यवर, हम तीन बातों की मांग करते हैं । मान्यवर, हम सब संसदीय परम्परा में जनतन्त्र को स्वीकार करते हैं । नेहरू जी की बात में अगर आप विश्वास करते हैं तो उन्होंने कहा था कि अगर संसदीय स्तर से नीचे का कोई काम

हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री और कृष्णा मेनन ने कहा था कि संसदीय जनतन्त्र के माने हैं के उनको अपने पद से तत्काल त्याग-पत्र दे देना चाहिए । अगर आप इस परम्परा में किंचित भी विश्वास करते हैं तो आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए ।

दूसरी बात, जो वहां पर पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी दोषी पाये गये हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यपरायणता को पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय । तीसरी बात मैं यह चाहता हूं कि डाकुओं का सफाया करने के लिए तथा जनता की सुरक्षा हेतु इनको उसके लिए आधुनिक उपकरण और उनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है । इन तीन बातों को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

आज यह खुशी का मौका नहीं है । आज दोनों दलों को विचार करना है कि इन समस्याओं से हम कैसे लड़ सकते हैं । क्या समस्या इससे हल हो जायेगी कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दे दें, गृह मंत्री इस्तीफा दे दें । श्रीमन्, आप भी विधायक हैं, हम भी हैं, मुख्य मंत्री भी हैं. . . .

(व्यवधान) (शोर—मुख्य मंत्री विधायक नहीं हैं की आवाजें ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मोहन सिंह जी ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम बाइसों लाशों का इसलिए नहीं किया गया कि वह थ्री नाट थ्री की गोली से मरे थे और पी० ए० सी० उनको कारतूस सप्लाई करती हैं । इसका सारा भार मुख्य मंत्री को सौंप रहे हैं कि वे इस्तीफा दें । इस प्रकार की वहां के लोगों ने सूचना दी थी कि वहां की पी० ए० सी० को हटा कर सीतापुर तथा गोरखपुर की पी० ए० सी० भेजी जाये यह सूचना आई० जी० को दी गई थी । इसमें अगर ढिलाई हुई हो और आई० जी० महोदय ने न किया हो तो गलती मुख्य मंत्री जी की है, शासन इस जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता । परन्तु आप लोगों से आग्रह है कि इस को सुलझाने में मदद करें । जाति बिरादरी की बात न करें । मुख्य मंत्री जी उसी बिरादरी के हैं । कोई भी आदमी जब मुख्य मंत्री होता है तो सारी बिरादरियां उसकी बिरादरी हैं । मुझे एक चीज से और तकलीफ होती है कि कहा है हर जगह यह है लेकिन ६ माह पहले के उरई का जिक्र नहीं किया । ३ से ५ तक मामला चलता रहा और उस समय पी० ए० सी० वहां से इतने नजदीक रही लेकिन पहुंची नहीं, इस पर हमको सक्ती के साथ ऐक्शन लेना चाहिए । केवल भाषण गरमागरम करके विरोधी दल चाहते हैं कि हमारे शासक दल में खलल पड़े ।

श्री अध्यक्ष—

भंडारी जी, कृपया शांत रहें । सबके लिए इसका महत्व है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

विरोधी दल के जो हमारे साथी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस दृष्टिकोण को छोड़ दें कि कांग्रेस में उलट-पुलट होती रहे, एक आये और दूसरा जाता रहे । बहुमत हमारा बहुत सबल है, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं चाहता हूं प्रदेश पर फर्क पड़े इसके लिए हम सुझाव चाहते हैं । केवल छिद्रान्वेषण किया जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है । २ से ५ के बीच तक कितनी दूरी पर पी० ए० सी० थी और कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और कहते हैं कि आई० जी० की कोई जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, हमारी फैक्ट्री से कोई सामान चोरी चला जाये चारों तरफ चौकीदार लगे हैं, तो जिम्मेदारी चौकीदार की न हो और मैनेजिंग डाइरेक्टर को सस्पेन्ड कर दें ? नौकर को कुछ नहीं कहेंगे ? कि इन चीजों पर सख्ती से कार्य करें । तीन से पांच बजे में वह लोग कहां थे ? दूसरा प्वाइन्ट यह है कि आज तक आई० जी० ने गोरखपुर और सीतापुर से वहां पी० ए० सी० भेजी कि नहीं भेजी । कुछ लोगों का चार्ज है कि अभी विरोधी दल के साथी कह रहे थे कि कुछ अधिकारी जो मुरादाबाद में फेल हो गये थे, वह कानपुर में भेजे गये थे तो इन चीजों को देखें और अगर ऐसा है तो सख्ती से कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं विरोधी दल के लोगों से आग्रह करूंगा कि सही और सोच समझ कर सुझाव दें ताकि यह दस्यु उन्मूलन हम कर सकें ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह घटना जो हुई मैं उसको नाममात्र भी किसी भी जाति से नहीं जोड़ता । मैं केवल यह मानकर चलता हूं कि प्रदेश के अन्दर जो पुलिस के अधिकारियों की झूठे इनकाउन्टर दिखलाने की प्रथा बन गयी है, इनाम हासिल करने के लिए उसी चीज का यह परिणाम है । अगर १३ अगस्त, ८० को जिस वक्त विक्रम को रामसिंह ने मारा था गोली से और उसके दूसरे साथी लाला राम ने उस फूलन का गला पकड़ा था और उसके सामने मर्डर किया था तो इंचार्ज साहब ने इनाम लेने के लिए इनकाउन्टर दिखलाया न होता तो शायद आज यह घटना न होती । मैंने उस वक्त कहा था, माननीय सदन की प्रोसीडिंग के अन्दर मौजूद है, विक्रम के इतिहास को रिफर किया था कि विक्रम के चोट लग गयी है वह इलाज राजस्थान में करा रहा है लेकिन पुलिस खुश हो गयी कि विक्रम मारा गया है । तीन साल के बाद वह वापस आ गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो इस सदन के अन्दर मैंने इस बात का ध्यान दिलाया था कि यह विक्रम कहां से आ गया यह तो मारा जा चुका है और इनाम भी बंट चुका है तो फिर यह विक्रम कहां से आ गया ? तो फिर जब विक्रम यहां आया और गैंग बनाया तो फिर अखबारों में छपा तो मैंने सदन में कहा था । लेकिन पुलिस के अधिकारी खुश हो गये कि फूलन देवी से ज्यादा खूबसूरत कुसुमा नाइन नाम की लड़की गैंग में आ गयी है लिहाजा वह आपस में लड़कर मर जायेंगे । उनकी रकाबत चली नतीजा हुआ कि विक्रम मारा गया और उसके बाद में वहां के एस० ओ० महराज ने इनकाउन्टर दिखाकर इनाम हासिल किया ।

आज बड़ा भारी प्रश्न बन गया है कि डेढ़ सौ किलोमीटर लम्बाई और ५० कि० मी० चौड़ाई में मलखान सिंह की हुकूमत है या आपकी हुकूमत है । उस क्षेत्र में आपकी हुकूमत नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन भी जब १९ तारीख को यह मसला आया था तो माननीय रिजवी साहब आप थे आप नहीं थे, रिजवी साहब ने कहा था कि १९ कम्पनियां पी० ए० सी० की लगा दी गयी हैं । वहां पर जो फोर्स है उससे मालूम हुआ है कि हर तीन किलोमीटर पर एक चौकी है और १९ कम्पनी पी० ए० सी० लगी है और सारी फोर्स लगी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां डाकू लोगों को कैसे किडनैप करके ले गये ? खबर आ गयी है कि मलखान सिंह उत्तर प्रदेश में आ गया है मध्य प्रदेश से और वहां पर डकैत इकट्ठा हो गये हैं ।

आपके डी० आई० जी० साहब का बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, "हमीरपुर, जालौन और कानपुर जिले में यमुना के किनारे चम्बल घाटी के इलाकों में सरगर्म डाकुओं के गिरोह का सफाया करने का पुलिस बराबर कोशिश कर रही है लेकिन मुस्तकीम और फूलन देवी जैसे डाकुओं के गिरोह उसकी पहुंच के बाहर मालूम दे रहे हैं । पुलिस का यह भी खयाल है कि डाकुओं के दस गिरोह एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं । पच्चीस साला फूलन देवी विक्रम की मौत के बाद आजादाना तौर पर उसके गिरोह की सरगना है । कानपुर रेंज के डी० आई० जी० मि० वी० के० जैन ने गुजिस्ता रोज बताया था कि डाकुओं का गिरोह चूंकि जात-पांत की बुनियाद पर सरगर्म है इसलिए उनके खातमे के लिए पुलिस की जद्दो-जहद मुश्किल हो गई है ।" श्रीमन्, इन बातों से काम नहीं चलेगा । आपकी पुलिस रेप में नम्बर एक है, इनकाउन्टर में नम्बर एक है, गैर जिम्मेदाराना कार्य में नम्बर एक है । बहादुरी दिखाने में मुसलमानों पर गोली चलाने में उसका मनोबल बहुत ऊंचा है लेकिन यहां उनका मनोबल कहां गया ? मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि अगर पुलिस के सिपाही से आई० जी० तक यही हालत पुलिस की रहेगी तो इससे अच्छा आप ६ महीने के लिए पुलिस को टोटली सस्पेन्ड कर दीजिए और देखिये कि बिना पुलिस के कानून और व्यवस्था की स्थिति इससे अच्छी होती है या खराब होती

[श्री रियासत हुसैन—]

हैं । जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने पटवारियों को बिलकुल सस्पेन्ड कर दिया था उसी तरह आप पुलिस को सस्पेन्ड करके देखिये ।

*श्री राम आँतार दीक्षित—

अध्यक्ष महोदय, इस बेहमई कांड से मानवता का सिर झुक जाता हैं । मुझे भी शर्म आती हैं कि एक ऐसा बुरा कांड हुआ । लेकिन मानवता और दानवता का संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं हैं । डकैत फूलन देवी कोई नई डकैत नहीं हैं । डकैतों ने न जाने कितने इस तरह के जघन्य अपराध किये और डकैतों का सफाया पुलिस द्वारा ही हुआ । रियासत हुसैन जी ने कहा कि श्रीराम गैंग द्वारा विक्रम का सफाथा कराया गया । तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के पास कोई नजूम भी नहीं हैं और न वह कोई ज्योतिष जानती हैं जिसके माध्यम से वह डकैतों का सफाया करे । डकैतों का सफाया करने के लिए डकैत ही माध्यम बना करते हैं । मैं अपने मित्रों से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी में इतनी जागरूकता हैं कि डाकुओं के सफाये के लिए आज आगे आये ? हमारे मित्रों को मालूम होने पर भी कि अमुक डकैत फलां जगह पर टिका हुआ हैं उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती । हम पुलिस पर आरोप लगाते हैं, हम यह नहीं सोचते कि हम उसकी कितनी मदद करते हैं । जब तक पुलिस का साथ देने के लिए हम आप आगे नहीं आयेंगें तब तक पुलिस इन डाकुओं का सफाया नहीं कर सकती हैं ।

जहां तक इन २० हत्याओं का सवाल हैं, मेरी निश्चित जानकारी हैं कि जहां यह गांव बसा हुआ हैं वहां आवागमन का कोई साधन नहीं हैं । वहां इस तरह की गैंग्स हमेशा मुकाम पाती रही हैं । किसी समय विक्रम के गिरोह का सफाया इसी गांव के माध्यम से किया गया था । उनका मकसद जहां तक, फूलन देवी का मकसद अपने विरोधी डकैतों को मारने का था । उनको कहीं से इस बात की सुराग लग गयी कि लाला राम और श्रीराम दोनों इस गांव में पनाह पा रहे हैं । मेरा निश्चित मत हैं कि इन दोनों आदमियों की जांच पड़ताल के लिए फूलन देवी ने ऐसे जघन्य अपराध को किया हैं कि अब तो वे सामने आवेंगे । चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबका मस्तक शर्म से झुक चुका हैं । पुलिस को इनकरेज करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए । जब तक हम और आप उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो मुझे वह माध्यम बतलाया जाय कि किस माध्यम से पुलिस इन डकैतों का सफाया करे । मैं पुलिस की वकालत नहीं कर रहा और न ही करना चाहता हूं लेकिन मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से इस बात की जानकारी जरूर चाहता हूं कि अगर पुलिस इन डकैतों का सफाया करे तो किस माध्यम से करे जिससे इन दुस्साहसी डकैतों का सफाया किया जा सके ।

अभी-अभी हमारे मित्रों ने इस बात का आरोप लगाया कि इनकाउण्टर्स बहुत हो रहे हैं । मैं यह मानकर चलता हूं कि १०० इनकाउन्टर्स में दो-चार गलत भी मिल सकते हैं लेकिन ९८ प्रतिशत जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकार्ड हैं अगर आप

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इस बात को चाहते हैं तो पुलिस के माध्यम से उनकी प्रीवियस हिस्ट्री की जानकारी के लिए देखें। आपको यह विश्वास हो जायेगा कि जिन लोगों का इनकाउन्टर्स किया जाता है उनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है ?

यहां एक प्रश्न और हमारे सामने आता है हमारे मित्र राजा साहब ने कहा कि हमारे क्षेत्र से चौधरी शंकर सिंह चुनकर आते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में चाहे भला आदमी हो या बुरा आदमी हो, दोनों पक्ष के आदमियों की जानकारी मुझे रहती है।

फूलन देवी के सफाये में हमारे उस क्षेत्र के विधायक महोदय से सहयोग की अपेक्षा है और निश्चित रूप से वह इस मामले में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं जिससे वहां की पुलिस फूलन देवी का सफाया कर सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीक्षित जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव —

मान्यवर, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस तरह से बेहमई काण्ड है और वहां पर २२ आदमियों की निर्मम हत्या कर दी गयी और मंत्रियों ने शोक सभायें करके विषय समाप्त कर दिया उसी प्रकार आज भी बिना किसी सार के ये महत्वपूर्ण चर्चा समाप्त हो जायेगी, केवल माननीय मुख्य मंत्री जी जो दुख दलन कर्त्ता के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका सारहीन भाषण हो कर चर्चा समाप्त हो जायेगी और इससे आगे कुछ और होना हवाना नहीं है। यह सरकार क्यों निकम्मी है और इसकी अक्षमता कहां तक है, यह सबके सामने है। इस इलाके में सिकन्दराबाद एवं भोगनीपुर थाना है। २७-१२-८० को ग्राम मोहाना के २३ घर लूटे गये और कई आदमियों को मारा गया तथा कुछ के चोटें भी आयीं। २८-१२-८० को फिर २० घर लूटे गये और तीन आदमियों को खत्म कर दिया।

अगर इन सब घटनाओं को गम्भीरता से लिया गया होता या, प्रशासन थोड़ी भी रुचि लेता या प्रशासन कुशल होता तो इसका नतीजा कुछ और ही होता। किसी गांव के २०-३० घर को लूटना कोई साधारण घटना नहीं है, और आज ये दर्दनाक घटना घटित नहीं होती। परन्तु शासन ने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई उसी के उपरान्त यह घटना घटित हुई। मान्यवर, फूलनदेवी ने क्या सोचा कि बेहमई गांव भर के लोगों को मारने का यह सब से अच्छा मौका है क्योंकि इस क्षेत्र में जो पी० ए० सी० पड़ी हुई थी उस की तीन कम्पनी किसान रैली में चली गई। उस को मौका अच्छा मिला। इतनी निर्मम हत्याएं जो इतिहास में कभी नहीं हुई। डकैती पड़ती है, हत्यायें होती हैं, इन का जो भी आपरेशन होता है वह रात में होता है लेकिन यह जो घटना घटी वह ढाई बजे दिन में घटित हुई। इस घटना के बाद १९ तारीख को मैं पहला विधायक हूं जो वहां पहुंचा। सत्तादल के कानपुर में ग्यारह विधायक हैं परन्तु घटना स्थल पर कोई नहीं पहुंचा। सब के सब किसान रैली में चले गये। पूरा मंत्री परिषद् किसान रैली में चला गया। किसी को इसकी चिन्ता भी नहीं हुई।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह बात गलत कह रहे हैं . .

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

आप बोल लीजिएगा आपको समय मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो थाना सिकन्दरिया के सी० आई० डी० के डी० एस० पी० और एक इन्स्पेक्टर साहब दो घन्टे से टहल रहे थे कि कोई जीप मिले तो बहमई उनको पहुंचाये। आश्चर्य की बात है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने मुझ से निवेदन किया कि श्रीवास्तव साहेब आप का आभारी हूंगा यदि आप अपनी जीप में हमें ले चलें। मैंने कहा आप चलें और वे मेरे साथ गये उन के सामने मैंने सिकन्दरिया थाने के पी० ए० सी० के सिपाहियों से पूंछा कि क्या बात है आप लोग डाकुओं के सफाया करने में क्यों विफल होते हैं ? ऐसी कौन सी बात है कि २०-२५ मील की एरिया में आप डाकुओं को नहीं ढूंढ पाते। पी० ए० सी० के जवानों ने, कि हम को एक महीने तक तीन रुपये रोज मिलते हैं। उस के बाद हम को एक रुपया रोज खाने को आज कल दिया जा रहा है। खाने बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम समय ढूढते हैं कि आज किस गांव वाले के यहां पेट भरा जाय। दूसरी बात उन्होंने यह बतलाई कि थ्री नाट थ्री राइफल जो हमारे पास है वह थ्री नाट थ्री राइफल इन डाकुओं के पास भी है। डाकू अपनी जान पर खेल रहे हैं, सोचते हैं कि उन्हें तो एक दिन मरना है। जबकि हम साहब नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हम फायर करेंगे तो देख कर करेंगे। ये आवाज पर फायर करते हैं चाहे कोई मर जाय इन का मुकाबला इन राइफलों से तो संभव नहीं है। यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उसके उपरान्त मैंने गांव में जाकर जानकारी की। गांव वालों ने मुझे बताया कि एक लड़का भाग कर के ख्वाजा रामपुर कैम्प गया जहां पी० ए० सी० का कैम्प था कैम्प वहां से तीन किलोमीटर दूर है। साइकिल से १० मिनट का रास्ता था। उन्होंने बताया कि १९ आदमी हम यहां पर थे। ३-४ आदमी हम को अपने हथियार देखने को रखने पड़ते हैं। हम १९ आदमियों से इन ३९ डाकुओं का थ्री नाट थ्री राइफल से मुकाबला नहीं कर सकते। माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के सभी सदस्य यह जान जांय कि जब तक सिपाहियों को आधुनिक और दूर मार करने वाले हथियारों से लैस नहीं किया जायेगा तब तक इस समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। दूसरी बात, वहीं गांव के आदमियों ने मुझे बताया कि तीन महीने पहले, ६ महीने पहले, एक साल पहले, उन्होंने राइफल के लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्र दिये हैं लेकिन वह थाने में पड़े रहते हैं। थाने में ५०० रुपये दो तब वह सी० ओ० के पास जाता है, सी० ओ० को रुपये दो तब वह आवेदन पत्र एस० पी० के पास जाता है और जा कर कलैक्टरेट में पड़ा रहता है। जब मैं मंत्री था मैंने डी० एम० और एस० पी० से उन गांवों में लाइसेन्स देने को कहा जहां डकैती पड़ती रहती है परन्तु राइफल का लाइसेन्स देने के लिए दो हजार रुपये लिये गये परन्तु आज तक लाइसेन्स नहीं दिया गया। मैं सुझाव देता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों को लाइसेन्स दें और उन की एक लिस्ट बना लें। उन को प्रशिक्षण दें मेरा विश्वास है कि पी० ए० सी० से पहले वे लोग जो वहां रहते हैं डाकुओं को मार देंगे। मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। यह इतनी असक्षम सरकार है। यमुना नदी बीच

से बहती हैं। दोनों तरफ का डाकू ग्रस्त इलाका हैं। अगर ४-६ मोटर बोट में शस्त्रों से लैस होकर घूमें तो कम से कम उस इलाके के डाकुओं का इलाका दो भागों में बंट जायेगा। कानपुर के एस० पी० को मैंने फोन से ये बात बताई थी धिक्कार की बात हैं आपको यह पता नहीं चला कि डाकू दल किधर गया। केवल यह बता दिया कि कालपी में इन्काउन्टर हुआ। पुलिस के पास सब कुछ था, वायरलेस सेट था, एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना भेज सकते थे। आपका कोई प्रभुत्व प्रशासन में नहीं रहा। हमारे एक साथी ने कहा कि आप मुख्य मंत्री को त्याग-पत्र के लिये क्यों कहते हैं मान्यवर, लोकतंत्र के अन्तर्गत सारी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की होती हैं। मुरादाबाद में जो कांड हुआ उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री ने सदन को सौंप दी शायद आज भी सौंप दें। मुख्य मंत्री जी में आपको आगाह करता हूं कि आप इस्तीफा दें या न दें जनता के अन्दर आपके प्रति आस्था नहीं रह गई हैं, प्रदेश में कोई प्रशासन नहीं रह गया हैं और एक दिन उसके दबाव से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा हैं कि आज ही आप अपना त्याग-पत्र सदन में दे दें।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

श्रीमन्, इस दुखद घटना पर जो १४ तारीख को हुई उस पर हमारे माननीय सदन के साथियों ने अपनी-अपनी राय दी लेकिन अफसोस यह हैं कि राय देते वक्त इस बात का ध्यान हरगिज-हरगिज नहीं रखा गया कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाय कि हम सब मिलकर किस तरह से ऐसे वाक्यात का मुकाबला कर सकें और ऐसी मशीनरी जिसमें कुछ ऐसे तत्व हैं उनका खात्मा कर सकें और आइन्दा इस तरह के वाक्यात न हो सकें। मैं कहता हूं कि क्या ३० साल के पीरियड में कोई ऐसा पीरियड था, हो सकता हैं आपका रहा हो कि डकैत खुश हो गये हों और डकैती न डालते हों। मान्यवर, मुझे माफ करेंगे, मैं किसी की तरफ नहीं कह रहा हूं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम सबको बैठकर हम सब को सोचना चाहिए। हम अपने विधायक होने का फख्र करते हैं तो हमको कुछ ऐसी तजवीज पेश करनी चाहिए ताकि ऐसे वाक्यात आगे न हों।आपने वह काम नहीं किया जो हमने किया हैं, यह सब जानते हैं। मुझे कहना हैं कि जिस प्रकार फौज में ऊपर से एयर फोर्स का फ्लाइंग स्क्वेड चलता हैं तो उसके अनुसार नीचे से सेना का सिपाही चलता हैं। जैसा कि माननीय हरी किशन जी ने कहा उसमें रिस्क इन्वाल्व होता हैं। डाकू अपनी जानपर खेलकर किसी को भी मार सकते हैं लेकिन आपका कर्मचारी या आप खुद इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते और उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। हर इन्सान को अपनी जान प्यारी होती हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरह से फौज में अपने जहाज को लेकर दुश्मन के घेरे में जाकर वह उसको ध्वस्त कर देता हैं और अपनी जान दे देता हैं, उस तरह से क्या आप अपने स्क्वेड को नहीं बना सकते हैं ? इन्काउन्टर की बात कही जाती हैं। ऐसे अफसरों को आप उस फ्लाइंग स्कवेड में रखें। मान्यवर, मुझे खास तरह से यह कहना हैं कि १४ तारीख को जो घटना हुई उसमें भी आप देखें कि क्या ये डाकू लालची नहीं होते। १४ तारीख को जब यह वाक्यात होता हैं और उसके फौरन बाद चारों तरफ से सड़कों को घेर लिया जाता हैं ताकि किसान रैली पूरी न हो सके। मैं मांग करता हूं अपने

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

[श्री खान गुफरान जाहिदी—]

गृह राज्य मंत्री से कि इसकी जांच करते समय वे इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं रुपया दे कर यह कांड करा दिया गया हो और यहां पर हंगामा कर दिया गया हो । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये । किस तरह से गाड़ियां रोकी गयी, पहिये जाम कर दिये गये । जुल्म जुल्म है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिये । आपको सुझाव देना चाहिये कि इसका क्या उपाय है एक दो सुझाव आपने दिये कि किस तरह से डकैतों को खत्म किया जा सकता है । यहां पर मलखान सिंह आदि का नाम लिया गया लेकिन उसको खतम करने में आपको भी सहयोग देना होगा । मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक फ्लाइंड स्क्वेड बनाया जाय जो पूरी तरह से इनका सफाया करे । मैं समझता हूं कि इस समय जिस तरह से कार्यवाही हो रही है उसको सियासी तौर से नहीं लेना चाहिये आपस में मिल बैठ कर उसे दूर करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह १४ तारीख की घटना इतिहास में बेमिशाल है । इसके बारे में मेरा ख्याल है जैसा साथियों ने कहा कि इसकी मुख्य जिम्मेदारी तो मुख्य मंत्री जी की है, चाहे उन्हें हम राजा कहें या प्रजा कहें चाहे कुछ भी कहें भाई मोहन सिंह जी के शब्दों में सर्वोदयी कहें लेकिन जिम्मेदारी मुख्य मंत्री और शासन की है । आज यह डकैतियां जो हो रही हैं यह केवल हमारे यहां ही नहीं हो रही हैं, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी डकैतियां हो रही हैं, यह एक बहुत बड़ा गैंग है इनका सफाया करना कोई आसान कार्य नहीं है । जब तक इनके सफाये के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें दृढ़ निश्चय न करें तब तक इनका सफाया नहीं हो सकता है ।

दूसरा, जब तक बीहड़ इलाकों को समतल नहीं किया जाता तब तक वहां के निवासी शांतिमय तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं इस पर बहुत अधिक खर्च होगा ।

तीसरा, जब तक पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस नहीं किया जाता है तब तक सफाया नहीं होगा ।

चौथा, जैसा माननीय हरी किशन जी ने कहा पुलिस के अन्दर यह बात रहती है कि उनके भी बाल बच्चे हैं उनको भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसके लिए भी सोचने की बात है । यह भी कहा जाता है कि पी० ए० सी० और पुलिस के लोग डकैतों से मिले होते हैं ।

पांचवां, यह कि फर्जी इनकाउंटर दिखा कर वाह-वाही लूट लेते हैं यह सच है ऐसे ९० फीसदी केसेज मिलेंगे कि पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर दिखा देते हैं । इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये । यह डकैती उन्मूलन योजना आज से नहीं बनी है आज से २० वर्ष पहले इस योजना को इस हाऊस में स्वीकार किया गया था । मैं चाहता हूं

कि तब से लेकर आज तक इस योजना पर कितना रूपया खर्च किया गया और इस पर लगे हुए लोगों ने कितना काम किया और कितने डकैत मारे, इसका मूल्यांकन होना चाहिये। मैं एक घटना की बात बताना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त ने एटा के पास एक पेट्रोल पम्प पर गाड़ी खड़ी की वहां एक जगह पर डाका पड़ रहा था थोड़ी दूर पर अलीगढ़ क्षेत्र का नामी डकैत है वहां कहा गया डकैती पड़ रही है तो डी०एस०पी० व एस० ओ० बैठे थे, वह बात कर रहे थे कि यह डकैत बहुत अच्छा है गरीब आदमियों को मदद करता है उनको रूपया देता है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से पुलिस विभाग को होम डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है उसी तरह से एक डकैती उन्मूलन विभाग अलग से बनाया जाय और उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी आपके जो द्वितीय सचिव भूरे लाल जी हैं, उनको आप इसका इंचार्ज बनाइये। ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि देखिये उनसे डाकुओं को उन्मूलन होता है या नहीं। यह जो आई० ए० एस० अफसर हैं, पंडित भूरे लाल जी उनके अधीन आप पूरे का पूरा डाकू अभियान चलाने की बात करें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनसे डाकुओं का अन्त होगा और इस कार्य में शासन को उल्लेखनीय सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप इस डाकू उन्मूलन योजना की पूरी ओवरहालिंग करिये–जितने पी० ए० सी० के लोग हैं, जितने सिविल पुलिस के लोग लगाये गये हैं, उनकी पूरी की पूरी ओवरहालिंग होनी चाहिए। पुलिस में अब भी सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी के बयान में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि डाकुओं का या तो खात्मा कीजिये या अपनी वर्दी उतारिये। तो इस ओछेपन के वक्तव्य से, इस तरह से जवाब से समस्या का हल होने वाला नहीं है। इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों के साथ तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके और भारत सरकार से सहयोग लेकर आप अपनी डकैती उन्मूलन योजना प्रारम्भ करें। इसमें आपको सफलता मिलेगी और डाकू खत्म हो जाएंगे।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आज माननीय सदन के समक्ष सम्मानित सदस्यगण जो गम्भीर विचार प्रकट कर रहे हैं, मैं उनकी गम्भीरता को अपने हृदय के हर तरह के भावों से अंगीकार भी कर रहा हूं और साथ ही साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूं . .

एक सदस्य—

आप इस्तीफा दे रहे हैं ? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं आपका चाहा हर काम कैसे कर दूं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के कुछ उन वाक्यों की ओर कहना चाहूंगा खास कर माननीय सदस्य मोहनसिंह जी से, जिनका शायद कोई अलग स्कूल है परिपक्वता और अपरिपक्वता का सर्टीफिकेट देने का वैसे प्रयाग विश्वविद्यालय में मैं उनका बड़ा भाई था, उस वक्त मैं अपरिपक्व था या नहीं, लेकिन आज लग रहा है जब यह कुछ दिन पहले मंत्री हो गये थे और मैं कुछ दिन बाद मंत्री बना, तो मैं अपरिपक्व हो गया । मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं यह राणा साहब आज हमसे कुछ नाराज हैं । उसका कारण मैं बाद में बता दूंगा । माननीय सदस्य की उस भावना से तो शासन पूर्ण रूपेण सहमत है और उसके साथ अपनी भावना को जोड़ता है, लेकिन एक भावना से मैं पूरे सदन को आगाह करना चाहता हूं, जातीय लड़ाई तथा वैमनस्यता, वर्ग और मजहब के आधार पर लड़ाई कराने के जो षड़यंत्र तैयार किये गये हैं । माननीय मोहन सिंह जी का भाषण उस ओर एक इशारा था, क्योंकि उनके भाषण में कभी राजकुमार था, मेरी नजर में तो वह भी एक राजकुमार थे जब वह मंत्री थे, आज हैं या नहीं, यह नहीं मालूम । लेकिन किसी दल विशेष में जिसकी संस्कृति जाति और मजहब की हो तो उसमें पड़कर इस तरह की संस्कृति बन जाए तो अलग बात है । परन्तु जाति, वर्ग और मजहब से ऊपर उठकर जिसका नेता इस बात का द्योतक हो उसका नेता, उसका मुख्य मंत्री, उसका पुराना इतिहास सैकड़ों वर्ष का इस बात का द्योतक है कि आज तक औरों से ऊपर शासन किया है, बलिदान किया है औ उन बलिदानों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं । मान्यवर, यह लोग फूलनदेवी के बारे में जो कह रहे हैं, यदि आप कृपा करके ध्यान दें तो मालूम हो जायेगा कि अभी एक एन्टी डकैती पोस्टिंग डी० आई० जी० १७ तारीख को कर दी गई है । इस तरह से कोई अधिकारी जिसको पोस्ट किया जाता है, यदि वह किसी कारण से छुट्टी ले लें, आकस्मिक अवकाश ले लें और यदि यह निश्चय हो जाय कि छुट्टी लेने की वजह से उसे बदल दिया जाये तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी और इस सदन की आज्ञा स्वीकार करना भी मेरा कर्तव्य होगा । लेकिन मान्यवर, जैसा कि देश में, नौकरियों में और सर्विसेज में यह नियम होता है कि कोई भी आकस्मिक अवकाश पर जा सकता है और आकस्मिक अवकाश की जब ज्यादा अवधि हो तभी कोई कार्यवाही की जाय । यदि वह पद ज्यादा दिन से रिक्त हो तो उस पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की जाय । इसी के तहत ७ फरवरी को शासन ने दूसरे एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी और उन्होंने उस कार्यभार को सम्भाला । मान्यवर, एक बात मैं राना साहब की तरफ . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिए ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वह आकस्मिक अवकाश नहीं था । सुपरसीड किया गया था एक अधिकारी को इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए उसने ३ महीने की छुट्टी ले ली ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

हो सकता हैं मा० सदस्य को ज्यादा जानकारी हो या उस अधिकारी ने इन्हें कुछ लिखकर दिया हो या इनसे कहा हो। अच्छा होगा यदि वे उसे मेरे पास भेज देंगे तो सब बातें साफ हो जायेंगी। वासन को दिल्ली बुला लिया गया। शासन के किसी उच्च पद पर वह नियुक्त हैं। वह एन्टी डकैती में नहीं हैं। यह शायद उनकी परिपक्वता हैं जैसा कि अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि .. ..।

श्री मोहन सिंह—

इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं। यही इनकी अपरिपक्वता हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने जैसे गुप्ता जी ने और भाई रियासत हुसैन ने कुछ सुझाव दिए। मैं बहुत आभारी हूं उनका और ऊदल जी का भी जो उन्होंने यह कहा कि समस्या पर दल विशेष को छोड़कर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और दल विशेष को आरोप और प्रत्यारोप से हटकर कार्य करना पड़ेगा। इस वर्तमान सदन में इन समस्याओं के निदान के लिए इनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया हैं और कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनके परिणामस्वरूप दो दिन पहले ही एक विशेष गैंग जाता हैं जो संकट उन लोगों के सामने था, उसे आपने समाचारपत्रों में पढ़ा था। जगराम गैंग का एक दिन के अन्दर सफाया किया गया। अगर पुलिस की सक्रियता नहीं थी तो जगराम गैंग का सफाया कैसे एक दिन के अन्दर हो सकता था? माननीय सदस्य के पदार्पण करने से पूर्व ही एक गैंग का सफाया हो चुका था। जैराज गैंग जो कि अंग्रेजी शस्त्रों से लैस था, उसका भी सफाया आपकी इसी वर्तमान शासन की पुलिस ने किया। श्रीमन एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी कुछ दिन पहले माननीय सदन, विधान परिषद् में एक चर्चा चल रही थी तो एक प्रश्न उठा था और शायद यहां के भी माननीय सदस्यों को चिंता हुई होगी पढ़कर कि दो व्यक्तियों का अपहरण हो गया। पुलिस की कार्यवाहियां तीव्र से तीव्रतर होती गयी तो डाकू उनको एक जगह बन्द करके भाग गये और उनको अपने साथ नहीं ले जा सके इसके लिये विरोध पक्ष के सदस्यों ने दो शब्द भी तारीफ में नहीं कहे। पुलिस का काम खराब रहा लेकिन यह काम तो अच्छा था। जो लोग जान देने को तैयार रहते हैं उनको इससे बिल मिलता हैं। यहां कहना तो बहुत आसान हैं लेकिन उन बीहड़ों को देखिये। उनमें कार्य करने की प्रणाली बहुत दुष्कर तथा दुरूह हैं। जान कैसे दें इसकी चिन्ता हरीकृष्ण जी को बहुत हैं लेकिन मैं बतला दूं माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में, वर्तमान प्रशासन में हम समवेदनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हैं, सचेत हैं। जो इंकाउंटर करते हुये सिपाही या अधिकारी मारा जायेगा उसके लड़के को बिना इम्तहान और इंटरव्यू के अगर उसमें क्षमता हैं, तो सीधे सीधे दरोगा बना दिया जायेगा एक कहावत हैं कि सावन के अन्धे को हरियाली ही हरियाली दिखायी देती हैं लेकिन अगर कोई जेठ की दोपहरी में अन्धा हो जाय तो उसे दोपहरिया ही दिखाई देगी, यह हालत

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

विरोधी दल के सदस्यों की हैं । आखिर में मैं चन्द शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि पुलिस कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी शाबाशी देने के लिये, उनको ईनाम देने के लिये जहां शासन जागरूक हैं, वहां पुलिस का कोई कर्मचारी अगर गलत काम करता हैं तो उसे अविलम्ब सजा भी दी जाती हैं जैसे सुल्तानपुर के डी० एस० पी० ने गलती की तो कल की तारीख में उनको नौकरी से निकाल दिया गया । जहां तक जातीय संकीर्णता का आरोप लगाया जाता हैं, यह सरकार उससे परे हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, असलियत छिपती नहीं हैं । यह बड़ा शर्मनाक कांड हुआ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जैसा मोहन सिंह ने कहा शासन का निकम्मापन साबित हो चुका हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । आज भले ही मुख्य मंत्री जी बड़े-बड़े वालों वाली टोपी लगा कर बैठते हों लेकिन उस टोपी से उनका गंजापन नहीं छिप सकता, टोपी उतारने पर गंजापन सामने आ जायगा उसी तरह सरकार का खोखलापन भी सामने आ गया हैं, सरकार बेकार हो गयी हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जो घटना घटी हैं पिछले सत्र में मैंने शासन को आगाह कर दिया था कि विक्रम को पुलिस ने नहीं मारा हैं, उसके साथियों ने ही मारा हैं(व्यवधान तथा शोरगुल) ये सभी गिरोह से मिले हुए हैं । सच बात सुन नहीं सकते हैं । इनमें इतना हौंसला नहीं हैं कि हमारी बात सुन सकें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं । मैं आशा करूंगा कि सदन में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग शांत रहें और अपना वक्तव्य जारी रखें और बोलते समय अपना अपना संतुलन कायम रखें । माननीय शंकर सिंह जी आपका संतुलन नहीं दिखायी पड़ रहा हैं ।

कई सदस्य—

इस प्रकार के आरोपों का हम विरोध करते हैं । जिन शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य ने किया हैं, वह उचित नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं । इस चर्चा के बीच में जितना असंतुलित ढंग से शोर होता हैं उससे यह आभास मिलता हैं कि इस मामले में गम्भीरता कितनी हैं ? मेरा निवेदन हैं कि

अब गम्भीरता बनी रहेगी, जहां यह कहा जाता है कि इस घटना से सब को बड़ा दुःख है तो उसमें हल्ला नहीं होता है बड़ी भावुकतापूर्ण बात होती है।

श्री शंकर सिंह—

हमारे विरोधी साथी बड़े ही उत्तेजित हो रहे हैं। मान्यवर, मेरे हाथ में एक दैनिक "कर्मयुग प्रकाश" जो बुन्देलखंड का समाचार पत्र है, जो उरई से निकलता है। यह दिनांक ४ नवम्बर, १९८० का है। इसमें लिखा हुआ है कि नगर कांग्रेस (आई) के महामंत्री ने कालपी से मुस्तकीम गैंग द्वारा अपहृत एक एडवोकेट के पुत्र को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। क्या माननीय सदस्य ने आपके पास इस पत्र की कोई प्रतिलिपि पहुंचायी है जो ये इस समय पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी कोई प्रति मेरे पास नहीं पहुंची है। ये अपने भाषण में उसका रैफरैन्स दे रहे हैं। वे अपने भाषण में इस प्रकार का रैफरैन्स दे सकते हैं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इसमें साफ बताया गया है कि विगत ३० सितम्बर को कालपी नगर से दस्यु राज बाबा मुस्तकीम के गैंग ने एडवोकेट, श्री नारायण प्रसाद त्रिपाठी के पुत्र, राजू का अपहरण कर लिया था। युवा नेता, श्री ओम प्रकाश शर्मा व श्री अखिलेश विद्यार्थी ने साहस के साथ बाबा मुस्तकीम गैंग व उनके साथियों से भयकर जंगल व दुर्गम पहाड़ियों के बीच दो बार सद्भावना पूर्ण वातावरण में वार्ता की। बाबा मुस्तकीम ने वार्ता के बाद अपहृत युवक राजू को मुक्त कर दिया। उक्त युवा नेताओं द्वारा बाबा मुस्तकीम से आत्मसमर्पण के बारे में वार्ता की। बाबा ने कहा कि अन्य दस्यु दलों से विचार विमर्श किया जायेगा। यदि परिस्थितियां व शर्तें अनुकूल हुयीं तो २ माह में आत्म समर्पण करना सम्भव हो सकता है। श्री शर्मा व श्री विद्यार्थी ने उक्त अपहृत युवक को मुक्त कराने में पुलिस अधीक्षक श्री बाजपेयी के सहयोग की सराहना की।

आपकी पुलिस यह कह रही है और कांग्रेस के नेता लोग डकैतों से मिलते हैं। नेता युवक दलील करते हैं। बीच में वे लोग पैसा खाते हैं। इसका जीता जागता सबूत है कि उनको पुलिस से सहयोग मिलता है स्थिति को चम्बल घाटी समकक्ष रखा जा रहा है और इसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है स्थिति उतनी विषम नहीं है। यमुना के इस तरफ ३-४ किलोमीटर तक क्षेत्र राजपुर और उधर ३-४ किलोमीटर तक कालपी क्षेत्र में डाकू लोग रहते हैं लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन पुलिस जो है, उनका कुछ नहीं करना चाहती है। पुलिस बंधी हुई है थाने पर पहुंचने वाले बधे हुए पैसे से। मैं आपको बताता हूं कि पिछले डी० आई० जी० कुछ

[श्री शंकर सिंह—]

नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास थाने से सीधे पैसा आता है आप इसकी जांच करवा लें । आपने उनका स्थानान्तरण किया इसके लिये बधाई देता हूं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह टकराहट उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन विक्रम को उसके साथियों ने मार डाला था । २० नवम्बर को ग्राम धमना में जो कि मेरे कालपी क्षेत्र में पड़ता है एक साथ छः लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया था उस वक्त इनके कान में जूं नहीं रेंगी ग्राम काठपुरवा में (शोरगुल) (लाल बत्ती जलने पर) भाग लगाकर दो को गोली से मार दिया तब भी कान नहीं खुले ।

एक मिनट और दें दें । सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस जगराम के गिरोह को एक दिन में समाप्त कर सकती है तो इन गिरोहों को क्यों नहीं समाप्त करती जब आपका हंटर इनकी पीठ पर पड़ा और नौकरी इनको खतरे में दिखाई दी एक ही दिन में जगराम का गिरोह खत्म हो गया लेकिन इससे पहले कोई गैंग साफ नहीं कर सके । आप अपने युवा नेताओं की दलाली को खत्म कीजिये, इनको समझाइये, डी० आई० जी० और थाने की दलाली बंद करें ।

(विपक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गई ।)

*श्री इंद्रजीत—

मान्यवर, बहमई गांव में जो दर्दनाक घटना हुई है इसकी शुरूआत १५ तारीख से हुई जब कि मेरे इलाके में ४ बसेज जा रही थीं और दो बसेज गाजीपुर से जा रही थीं, उस वक्त यह प्लान था कि पांच बजे राजपुर गांव का ट्रैफिक रोक दिया जाये । आठ बजे सुबह से ही सारे ट्रैफिक को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा था हजारों ट्रक खड़े हुए थे । डी० आई० जी० ३ बजे के करीब अपनी गाड़ी से राजापुर पहुंच गये हमारे जनपद से जो लोग रैली में जा रहे थे, उनको रोक लिया गया था । बेहमई में जब जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक मौके पर जाना चाहते थे तो कुछ राजनीतिक दृष्टि से उन अधिकारियों को उस गांव में गाड़ियों से न जाने देने के लिये कहा गया कि जब तक मुख्य मंत्री नहीं आ जाते, तब तक किसी को गांव में नहीं जाने दिया जायेगा । मैं उस समय वहां पर मौजूद था । लगभग ४ बजे उस गांव से वापिस आया । वे लोग किसी की गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे । उनका कहना था कि मुख्य मंत्री को रैली जाने का शौक है । वहां पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि यहां आने की बात नहीं है आपकी जो कठिनाई है वहां के स्कूल के जो प्रिंसिपल और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सबने अपनी समस्याएं रखीं और यह मांग की कि दस गांवों के लोगों को असलाह दिये जायें कि उनमें असुरक्षा व्याप्त है उसके बाद उन्होंने पी० ए० सी० की मांग की जो पी० ए० सी० वहां पर मौजूद थी, वालीबाल खेल रही थी, वह गांव में नहीं पहुंची । इस पर अधिकारियों ने कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे । फिर भी वहां के लोगों ने कहा कि जब तक मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री नहीं आयेंगे हम पहिये का चक्का नहीं चलने देंगे। हमने कहा कि जो लोग मारे गये हैं, उनके प्रति आपकी हमदर्दी क्यों नहीं है इसकी योजना राजनीतिक कारणों से पहले से बनी हुई थी कि किसान रैली में जो बसेज जायेंगी उनको रोका जायेगा क्यों कि उनकी मांग थी कि हमारे क्षेत्र में असुरक्षा व्याप्त है। इस बात की चर्चा समाचार-पत्रों में भी हुई और सरकार के अक्षम होने की चर्चा हुई लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस प्रकार की बात करते हैं तो मेरे ऊपर भी कातिलाना हमला करने का प्रयास किया गया। वे मुझे मारने के लिये आमादा थे। हमारे साथ की जो गाड़ियां और मोटर थीं, उनकी हवा निकाल दी गई।

तो मेरा कहना यह है कि जो दस्यु उन्मूलन की बात आप कह रहे थे, उस प्रतिपक्ष से तो उन दस्युओं को जो आपने पिछले दो सालों में पनाह दी है, उसकी सजा आपको १९८० में मिल गई है जो परिणाम आया वह आपके सामने है और जनता ने आपको सन् ८० में दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हमको गलत व्यक्तियों को पनाह नहीं देनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि चरित्रवान व्यक्तियों को और अच्छे व्यक्तियों को पनाह दें। यहां पर केवल भाषण करने से ही काम नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत—

जब तक आप लोग इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते रहेंगे तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अद्वितीय हृदय विदारक और कांग्रेस सरकार के इतिहास को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना बेहमई गांव में हुई है। मान्यवर, उससे भी ज्यादा दुःख और शर्म की बात यह है कि उस इलाके के थानों के वही थानेदार ज्यों के त्यों आज दिन तक कायम हैं। कानपुर जिले में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ज्यों के त्यों कायम हैं और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नारायनपुर काण्ड जैसे काण्ड पर सरकार से त्याग-पत्र मांगने वाले लोगों की शर्म और हया मर गयी है उनकी आंख का पानी मर गया है क्योंकि कि वे आज भी सरकार में कायम हैं। नैतिक स्तर का तकाजा था कि मुख्य मंत्री ने इस घटना के तुरन्त बाद इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न देने के लिए तैयार हैं।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें ७५ प्रतिशत, मान्यवर, सब पुलिस की जानकारी में हो रहे हैं और पुलिस

[श्री मोती लाल दहलवी—]

संरक्षण में हो रहे हैं और उसी पुलिस को वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार सख्त होती, अगर सरकार दृढ़ निश्चय की होती तो मान्यवर, जैसे ही विक्रम डाकू मारा गया था, यह सरकार सतर्क हो जाती और बेहमई गांव को इस तरह से लावारिस न छोड़ देती जो डकैतों का अड्डा बना रहा। मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलें तो इस बात को बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि लाला राम डकैत श्री राम डकैत के भाई लाला राम डकैत ने पुलिस से कहा कि हमारे साथ चलें, मैं लाला राम हूं। हम और तुम दोनों मिल कर आज फूलन देवी को घेर लें। मान्यवर, जब लाला राम ने पुलिस से अपने को कहा कि मैं लाला राम हूं। क्या पुलिस का यह फर्ज नहीं था कि एक डकैत के सरदार को वहीं घेर लेते और कम से कम उसी का इनकाउण्टर करते ? लेकिन नहीं किया गया। यह सबूत है इस बात का कि पुलिस डकैतों से मिली हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मान्यवर, कि ३०३ बोर के कारतूस वहां पर पड़े हुए थे, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में जानबूझ कर इसको छिपाया। यह शासन उन अपराधियों को छिपाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से तो शासन के जरिये अपराध और भी बढ़ते जायंगे और बेहमई के अन्दर व अन्य गांवों में पता नहीं कितने अपराध बढ़ते जायंगे। ३०३ बोर कारतूस के स्थान पर १२ बोर के कारतूस क्यों डाले गये ? ढाई घंटे तक लगातार डकैत लूटते रहे। लगातार ढाई घंटे तक क्या प्रबंध था ? क्या इन्तजाम था ? जब पुलिस को खबर मिली, उस गांव के नवजवान खबर लेकर गये कि हमारे यहां डकैती हो रही है। पुलिस क्यों नहीं गयी ? पुलिस पहुंचती है शाम को ६ बजे। इससे ज्यादा और शर्म की बात और क्या हो सकती है यह आपकी पुलिस है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि घटना की असलियत को छिपाने के लिए पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम नहीं कराया। मान्यवर, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, जब कि एक नियम है कि ऐसी लाश पर पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया ? सिर्फ इसलिए कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो ३०३ बोर के कारतूस निकलते उनकी जिस्म से, और सिद्ध होता कि वे पुलिस के दिये गये कारतूस थे यही वजह है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। यह सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि पुलिस डकैतों से मिली हुई है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जब तक यही स्थिति रहेगी, अपराध बढ़ते जायंगे और इससे बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री मोती लाल दहलवी—

माननीय मुख्य मंत्री को जन हित में आज तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह अक्षम साबित हो चुके हैं।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या कहना है वर्मा जी, माननीय मुख्य मंत्री जी आप बैठ जायं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि मुझे भी थोड़ा सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

दो घंटे का समय था चर्चा के लिए । चर्चा माननीय मोहन सिंह ने प्रारम्भ की और प्रारम्भ में उन्होंने कहा कि मैं नेता विरोधी दल के स्थान पर बोल रहा हूं लिहाजा मैंने उनको अमीमित समय दिया, जितना चाहें आप बोलें । उसके बाद निर्धारित हो गया ५-५ मिनट का समय और अब पौने ६ बज रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहते हैं और १५ मिनट समय माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए बचा हुआ है । चर्चा का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, बात ठीक है । दो घंटे समय निर्धारित हुआ था । लेकिन चूंकि ऐसे सदस्य रह गये हैं, जैसे राम स्वरूप वर्मा जी हैं, जिनका वह विधान सभा क्षेत्र ही है । ऐसे २-३ आदमी रह गये हैं । तो आधा घंटा समय बढ़ा दें तो उचित होगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—(मुख्य मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में जो बोलना चाहें, बोल लेने दें । १५ मिनट समय बढ़ा दें ।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट समय सर्वसम्मति से बढ़ाया जाता है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रदेश की सबसे दर्दनाक घटना घटित हुयी और क्यों घटित हुयी, हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी जानकारी

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

के मुताबिक बात कही। मान्यवर, पूर्व में यह इलाका सबसे ज्यादा शान्त इलाका था। यहां डकैती की घटनायें नहीं होती थीं। यह तो कोई एक साल हुआ, जब से इस तरह से डकैतियों की संख्या वहां बढ़ने लगी। जब मैंने सरकार का ध्यान खींचा, तब चुनाव चल रहे थे। जब मैंने बार-बार कहा, तो सरकार ने पी० ए० सी० लगायी। उसके बाद, मान्यवर, जगैय्यापुर नेवादा को एक दिन में लूटा। फिर, नदना, अलहनीपुर और इटरखुदा आदि कई गांवों में डकैतियां पड़ीं। मैंने सदन में भी कहा कि सरकार इस काम को रोकने के लिये असमर्थ है। क्यों नहीं रोक पा रही है यह देखना सरकार का काम है। लेकिन सरकार किसी प्रकार भी क्षेत्र का नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने सदन में भी ध्यान दिलाया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर भी हमारे इलाके के लोग डाकुओं के डर से रात में सो नहीं पा रहे थे। डकैतियां इतनी जोर पर हैं और पी० ए० सी० निष्क्रिय है। मैं दो बातें शासन से पूंछना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में क्यों सबसे ज्यादा डकैतियां पड़ी और क्यों हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा असुरक्षित रहा। लेकिन मुख्य मंत्री जी के कान पर इससे जूं तक नहीं रेंगी। मैं प्रशासन को इसलिये हटा देता हूं। लेकिन जब प्रशासन निष्क्रिय हो जाय तो शासन की जिम्मेदारी हो जाती है। मैंने सदन में कहा है। मैंने इस सदन में कहा है और पब्लिक मीटिंग्स में कहा ताकि सी० आई० डी० के जरिये और अखबार से भी खबरें आयीं कि उस इलाके में सबसे ज्यादा डकैतियां पड़ी। इसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस तरह की घटना घटने का अवसर आ गया। ६२ आदमी, मान्यवर, मारे गये और ९ लापता हैं। ९ आदमियों का पता नहीं कि वे कहां गये, उनका क्या हो गया? इस तरह से ३१ आदमियों का हादसा है। मुझे अफसोस है कि उधर के माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित होते हैं? यह घटना सदन के किसी सदस्य के यहां घटती तो उनको सहज दर्द होता। अगर आपमें मानवीय दर्द है, तो अवश्य इसकी ओर तवज्जह देंगे। यह कोई इधर या उधर बैठने वालों का सवाल नहीं है। यह मानवता का सवाल है। सरकार की इसमें सोलहों आने जिम्मेदारी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके लिये यह सदन है और सभाएं हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सभाओं में और सदन में भी ध्यान आकर्षित किया। इन दोनों जगहों पर ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया, तो यह घटना घटी।

घटना के बाद, मान्यवर, मैं मौके पर गया। जितनी असुरक्षा है उस इलाके में कि मैं कह नहीं सकता। वहां से लोग हमारे पास आये हैं। क्षेत्रीय मंत्री भी आये हैं। सभी लोग कहते हैं कि वहां अनेकों गांव के लोग हमारे इलाके के दूसरे गांवों में रहते हैं। शाम ६-०० बजे खाना खाकर आ जाते हैं और दूसरे गांव में रहते हैं। हम वहां गये हैं। हमारा दल कोई आपकी तरह नहीं। घटना घटने के तुरन्त बाद हमारे क्षेत्रीय मंत्री वहां पहुंच गये हैं। मैं वहां गया जरूर और जानकारी हासिल की।

मान्यवर, एक ही बात मुझे सरकार से कहनी है माननीय मुख्य मंत्री जी हर जिम्मेदारी को वहन करते हैं। मुरादाबाद की नैतिक जिम्मेदारी सम्भाली और इस जिम्मेदारी को भी सम्भालेंगे। उनकी इस जिम्मेदारी को उस बहादुर की संज्ञा दूं जो फौज में भर्ती होना चाहता था। वह फौज में भर्ती होने गया और फौज के अफसर से कहा मैं बहुत बहादुर हूं फौज में भर्ती होना चाहता हूं। अफसर ने कहा आप कितने बहादुर हैं? उसने कहा मैंने एक आदमी का पैर काटा है अफसर ने कहा पैर क्यों काटा, सिर क्यों नहीं काटा? उसने कहा साहब अगर सिर होता तो पैर कैसे काटने देता। जिम्मेदारी हर चीज की है लेकिन निर्वाह एक का भी नहीं करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अक्षम हो गये हैं उनको इस्तीफा देना चाहिये। उनके इस्तीफे के बाद शायद कुछ परिस्थिति बने। इसलिये मुख्य मंत्री इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है १५ मिनट का समय बढ़ाने के बाद आपने मुझे मौका नहीं दिया आप मुझे बोलने का अवसर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर आपने अपने विचार व्यक्त किये थे। जो माननीय सदस्य समय के अन्दर बोल सकते थे उनको बोलने का मौका दिया।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

अन्य सदस्यों ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बोले थे आज भी बोले हैं। मान्यवर, मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर—

आप मुझे अवसर नहीं देंगे तो मैं मुख्य मंत्री का भाषण नहीं सुनूंगा। मुझे जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये हमारे सूबे को बख्श दिया जाय।

श्री खैरुल बशर—

मैं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप जा सकते हैं।

श्री खैरुल बशर—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री खैरुल बशर—

नहीं सुनूंगा।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय शंकर सिंह जी ने टोपी की बात कही। देहलवी जी बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं ? हमने भले ही टोपी लगाकर अपना गंजापन छिपा लिया है लेकिन माननीय शंकर सिंह जी ने अपनी फसल जो है उनके सिर पर, उसके नीचे क्या खाद-गोबर है, वह नहीं छिपाते। माननीय वर्मा जी ने क्षेत्र की बात अपनी कही, मान्यवर, आप बड़े कृपालु हैं, आपने बड़ी कृपा की कि उन्हें समय और दे दिया और कहते हैं घटना की बात कि ९ लोग गायब थे। हमारी कोई सूचना नहीं है। कितने लोग गायब हुए लेकिन उनमें से एक वर्मा जी जरूर गायब थे। घटनास्थल पर वह नहीं पहुंचे हों उनका आदमी पहुंचा। घटना के बाद पहुंचा या पहले, यह नहीं कहा मान्यवर, यह उन्होंने कहा कि बिना सर के हैं तब पांव काटे लेकिन गायब होने के बाद न उसका सर है न पैर है। और रही इनकाउण्टर की बात। मोहन सिंह जी ने इनकाउण्टर की बात कही। वह तो विवाद का विषय हो सकता है कि झूठ है या सही है। लेकिन यहां पार्लियामेण्ट्री इनकाउण्टर जरूर कर दिया वह भी बैठे हुए। और यह भी बात आयी माननीय सदस्यों से इनकाउण्टर की इस्तीफा मांग कर के। मान्यवर, जिम्मेदारी की बात आयी तो सारी खामियों की, तो मैं विरोध पक्ष की खामियों की भी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दूं। लेकिन उसमें खतरा यह है कि आपने यह सुझाव दिया कि सारा मलखान सिंह इन्तजाम करेंगे, मुख्य मंत्री वह हो जायें। आपने कहा कि इस व्यवस्था में एक अधिकारी ने ३ कांड की छुट्टी ले ली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(हंसी) (मेजों की थपथपाहट ।)

मोहन सिंह जी ने सुपरसीड कर दिया नेता विरोधी दल को तो कुछ घंटों के लिए ही । अब मान्यवर, मैं उत्तर देता हूं और आप उसे सुन लें । पूरी पुलिस फोर्स को जिस तरह से आक्षेप लगाया और उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, आप जरूर करें, हम लोगों की करें, सरकार की करें, सब की करें लेकिन इसी वर्ष १० पुलिस के नौजवानों ने अपने लहू से जो शहादत दी है उसका अपमान न करना । कम से कम अपने कहने में इतना तो जोड़ दें कि पूरी पुलिस फोर्स में १० ऐसे जवान थे जिन्होंने अपने प्रान्त की, जनता की रक्षा में अपने हस्ताक्षर लहू से किये हैं । मान्यवर, यह सदन जो सम्मानित सदन है, यह एक न्याय का स्थान भी है, जनता जब सुनेगी कि जिन परिवारों के लोग अपनी जानें दी हैं, जिन विधवाओं ने सिंदूर पोंछा है, उनके मुंह पर कालिख न लगायें, उनके पति को गद्दार कह कर उनका अपमान न करें । जहां तक प्रश्न उठाया गया है पोस्टमार्टम का, वहां पर पी० ए० सी० बगल में रही और पहुंची या नहीं, इन सब की जांच हो रही है ।

मान्यवर सुल्तानपुर जिले में घटना हुयी । उसकी जांच की रिपोर्ट आई कि अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसको निकाल दिया गया ।

मान्यवर, कहा गया कि तथ्य छिपाये जा रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि क्या तथ्य छिपाये जा रहे हैं ? तथ्य आपसे क्या छिपाये जा सकते हैं, जब वायरलेस आता है तो मोहन सिंह जी थाने पर रहते हैं । उन्होंने कहा कि पुलिस और डाकू साथ हो गये हैं तो वह तो साथ हो गये हैं । लेकिन आप किसके साथ हैं । तो तथ्य छिपाने की बात नहीं है, अभी जगराम मारा गया, छविराम के गिरोह के डाकू रक्षपाल और दफेदार मारे गये, मुस्तकीम के गिरोह का डाकू अशोक मारा गया, जयराज खंगार से भी मुठभेड़ हुयी जिसमें पुलिस अधीक्षक को चोटें आयीं । तो यह झूठे इनकाउंटर नहीं हैं, तथ्य छिपाने की कोई बात नहीं है ।

एक सदस्य—

बकवास है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

बकवास तो उस समय समझ में आयी जब दीक्षित जी ने कहा कि यह ऐसी घटना है जिससे मानवता का सिर झुकता है, जब दीक्षित जी ने यह कहा तो तालियां पीटीं । जब मानवता का सिर झुकता है तो उधर खुशी होती है ।

मान्यवर, अभी जो सुझाव ऊदल जी ने दिये मैं समझता हूं कि वह बहुत ही रचनात्मक सुझाव थे और हरीकिशन श्रीवास्तव जी ने जो सुझाव दिया कि मोटर बोट से पेट्रोलिंग की जाय और राजस्थान, मध्य प्रदेश का हो सके तो ज्वाइंट ऐक्शन किया जाय । मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि एस० एल० आर० की तीन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

महीने की ट्रेनिंग ले करके जवान आ गये हैं। ३६० एस० एल० आर० लगाये जा रहे हैं। २९ पी० ए० सी० की कम्पनियां लगायी जा चुकी हैं। बेरी लाइट जिससे रात में देखने की सुगमता हो उसका प्रबन्ध वहां पर किया गया हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

माननीय फिरंगी प्रसाद जी आप तो न हसें और लोगों को हंसने दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक बात और उठायी गयी थी कि रैली आयी और उसमें सब दस्यु मम्राट चले गये। दस्यु सम्राट चले गये या रह गये, यह भी सोचने की बात हैं। हमारे माननीय रणजीत सिंह जी ने जिक्र किया था कि वहां पर पेंशन इत्यादि के सिलसिले में तो वहां पर ५ हजार कपेंसेशन भेजा जा चुका हैं। पेंशन का भी प्रबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज का और दुख हुआ जब मोहन सिंह जी ने जातिवाद की बात उठायी।

एक सदस्य—

संजय सिंह ने उठायी थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जातिवाद की बात नहीं उठायी थी। मान्यवर, इंसान की जाति हो सकती हैं, हम लोग अपने को विभक्त कर लेते हैं लेकिन इंसान के खून की जाति नहीं हैं। आज दुख हैं कि माननीय मोहन सिंह जी इंसान के खून में भी जाति देख रहे हैं। इंसान का खून एक सा लाल होता हैं। यह न भूल जाइये कि इन्हीं में से श्री लाला राम और श्री राम दस्युओं ने २ ठाकुरों की जान ली हैं और लहू लिया हैं उसी गांव में जरायम करने वाले की कोई जाति नहीं होती और मरने वाले की कोई जाति नहीं होती। आज फूलन देवी के गिरोह ने जो काम किया हैं, उन घरों में आग लगी हुई हैं लेकिन आपसे प्रार्थना हैं कि इस तरह की आग अपने दिलों में लगाने का प्रयास न करें। जो रक्त बहा हैं उसको देखते हुए और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि दलों से ऊपर होकर मानवता के आधार पर हम लोग इसका मुकाबला करें।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

२३ फैरवरी, १९८१ ई०।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

वर्ग—२ में लोक सेवा आयोग से अनुमोदित तथा वर्ग—१ में तदर्थ रूप से कार्यरत ।

१—श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
२—श्री शिव प्रताप नारायण सिंह
३—श्री शुकुरुला खां
४—श्री मु० रजा खां
५—श्री मुसई प्रसाद गुप्ता
६—श्री राम फल सिंह त्यागी
७—श्री श्याम बहादुर तिवारी
८—श्री तेज प्रकाश शर्मा
९—श्री योगेश्वर प्रसाद गुप्ता
१०—श्री राम प्रताप सिंह
११—श्री शेख जुम्मन
१२—श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अवध नारायण सिंह
१३—श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव
१४—श्री दीना नाथ राम
१५—श्री शान्ति प्रकाश यादव
१६—श्री सुदामा त्रिपाठी
१७—श्री राम सुन्दर चौधरी
१८—श्री मो० इसराइल सिद्दीकी
१९—श्री राम सजीवन रिशि
२०—श्री राम निवाज
२१—श्री सुरेश कुमार पांडे
२२—श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव
२३—श्री जगदीश चन्द्र
२४—श्री शम्भू नाथ शुक्ला
२५—श्री राम अभिलेख पाठक
२६—श्री मंगू लाल सक्सेना
२७—श्री मुनेश्वर सिंह
२८—श्री जगदीश नारायण सिंह
२९—श्री पारावर नाथ श्रीवास्तव

२०—श्री बालेश्वर राय
२१—श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह
२२—श्री राम सिंहासन पांडे
२३—श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
२४—श्री धर्म देव पांडे (प्र० नि०)
२५—श्री मनी राम चौधरी
२६—श्री रमा शंकर प्रसाद
२७—श्री नशरत अली
२८—श्री राम प्रसाद सिंह
२९—श्री जगमोहन सहाय सक्सेना
४०—श्री वेद पाल सिंह राठौर
४१—श्री मान सिंह
४२—श्री फतेह कुमार सिंह
४३—श्री शीतला पाठक
४४—श्री चन्द्र भूषण सिंह (प्र० नि०)
४५—श्री मारकण्डे राय
४६—श्री राज नारायण सिंह
४७—श्री चन्द्र केश सिंह
४८—श्री सूबेदार सिंह
४९—श्री राम सूरत राम
५०—श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
५१—श्री गजपाल सिंह
५२—श्री श्रीराम
५३—श्री विजेन्द्र सिंह
५४—श्री शेष नारायण तिवारी
५५—श्री रमाशंकर सिंह पुत्र श्री भगवती सिंह
५६—श्री राम केवल तिवारी
५७—श्री बलबीर मणि तिवारी
५८—श्री गोपाल नारायण सिंह
५९—श्री पुल्लन सिंह
६०—श्री हरी शंकर
६१—श्री शम्भू नाथ पांडे
६२—श्री राम लखन राम
६३—श्री विजय पाल सिंह
६४—श्री राम औतार द्विवेदी
६५—श्री अनिरुद्ध नारायण त्रिपाठी
६६—श्री राम नगीना सिंह

६७—श्री सुखपाल सिंह
६८—श्री अख्तर अली
६९—श्री रमाशंकर सिंह
७०—श्री जगराम सिंह
७१—श्री जगदीश नारायण
७२—श्री राकेश बिहारी श्रीवास्तव
७३—श्री रामानन्द राय
७४—श्री रामानन्द राव
७५—श्री जबर सिंह विष्ट

शासनादेश सं० १९/८/७५(१)—का-१, दिनांक १४-५-७९ के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ग-२ में विनियमित तथा वर्ग-१ में तदर्थ रूप से कार्यरत।

१—श्री वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव
२—श्री बद्री नारायण सिंह
३—श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा
४—श्री दया राम सिंह
५—श्री रमेश चन्द्र भाटी
६—श्री मारुत नारायण मालवीय
७—श्री राम नरेश सिंह
८—श्री राम बहादुर राम
९—श्री फूल बदन राम
१०—श्री शंभू नाथ तिवारी
११—श्री रणजीत सिंह

वर्ग-२ में नियमित नियुक्ति तथा वर्ग-१ में तदर्थ रूप से कार्यरत

१—श्री गिरजा प्रसाद सिंह
२—जानकी प्रसाद नैथानी
३—श्री एन० एस० नेगी
४—श्री जगदेव प्रसाद मिश्रा
५—श्री हरीवंश राय
६—श्री रूप किशोर शुक्ला
७—श्री सुदामा प्रसाद
८—श्री नारायण दत्त डालाकोटी
९—श्री मथुरा राय
१०—श्री प्रेम स्वरूप भटनागर
११—श्री श्रीनाथ सिंह
१२—श्री प्रताप नारायण राय

१३—श्री दीप चन्द्र शर्मा
१४—श्री जयन्ती शरण श्रीवास्तव
१५—श्री महेन्द्र सिंह
१६—श्री बाल चन्द्र सिंह
१७—श्री अजमतउल्ला
१८—श्री सुन्दर लाल कटियार
१९—श्री हरीश चन्द्र माथुर
२०—श्री राम सुन्दर पांडे
२१—श्री मुहम्मद यासीन
२२—श्री ओम प्रकाश सिन्हा
२३—श्री रघुराज सिंह बलियान
२४—श्री लल्लन प्रसाद श्रीवास्तव
२५—श्री शिवराज सिंह
२६—श्री जनेश्वर दास
२७—श्री शिवदत्त अवस्थी
२८—श्री गोकुल देव शर्मा
२९—श्री मातवर सिंह रावत
३०—श्री राम लखन शर्मा
३१—श्री इकबाल सिंह
३२—श्री शिव प्रकाश सिंह
३३—श्री गोपाल शरण सिंह सेंगर
३४—श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
३५—श्री प्रताप नारायण पांडे
३६—श्री तेजपाल सिंह नेगी
३७—श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
३८—श्री वीरपाल शर्मा
३९—श्री जगवीर सिंह
४०—श्री लाल बहादुर उपाध्याय
४१—श्री महाबल यादव
४२—श्री प्रेम सिंह रावत
४३—श्री विजय सिंह
४४—श्री हसरत अली
४५—श्री ब्रह्म सिंह

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर)

संलग्न सूची

क्रम-संख्या	जनपद	मई 80 को उठाया गया उर्वरक			जून 1 से 8 तक उठाया गया उर्वरक		
		यूरिया	डी० ए० पी०	एम० ओ० पी०	यूरिया	डी० ए० पी०	एम० ओ० पी०
1	सहारनपुर	.. 375-000-000	..	125-000-000	..	..	..
2	मुजफ्फरनगर	.. 700-000-000	..	..	55-000-000	..	..
3	मेरठ	.. 1039-000-000	290-000-000	..	230-750-000	..	..
4	गाजियाबाद	.. ..	..	..	..	..	..
5	बुलन्दशहर	.. 130-000-000	..	..	..	..	..
6	बिजनौर	.. 20-000 000	..	..	..	..	..
7	बरेली	.. 300-000-000	..	..	..	..	..
8	बदायूं	.. 75-000-000	..	0-500	21-000-000	2-500-000	0-500-000
9	मुरादाबाद	.. ..	..	..	..	..	..
10	पीलीभीत	.. 300-000-000	..	..	60-000-000	..	..
11	रामपुर	.. ..	..	..	..	..	..
12	अलीगढ	.. ..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3			4	5	
13	नैनीताल	300-000-000	..	82-783-000	130-566-000	22-450-000	3-500-000
14	अल्मोड़ा	208-500-000	65-180-000	..	32-582-000	8-220-000	1-508-000
15	पिथौरागढ	12-600-000	59-838-000	..	8-074-000	7-842-000	1-642-000
16	पौड़ी- गढवाल	37-000-000	..	..	42-500-000	..	..
						70-000-000	
					27-500-000		
17	चमोली	13-500-000	..	..	..	..	..
18	टिहरी-गढवाल	30-000-000	34-000-000	1-040-000	..	..	..
19	उत्तरकाशी	..	12-000-000	..	..	..	..
20	देहरादून	..	..	..	..	..	..
21	इलाहाबाद	..	160-000-000	..	112-500-000	..	..
22	फतेहपुर	4-000-000	..	..	..	2-000-000	..
23	कानपुर	..	..	..	..	..	..
24	इटावा	..	..	..	..	..	..
25	फर्रुखाबाद	..	..	..	..	..	..
26	लखनऊ	200-000-000	..	..	..	..	..
27	उन्नाव	..	..	..	35-678-000	2-240-000	1-500-000
28	रायबरेली	20-000-000	..	..	30-000-000	..	..
29	सीतापुर	255-909-000	..	..	70-000-000	..	..
30	हरदोई	20-000-000	..	..	..	..	..
31	खीरी	400-000-000	..	..	..	..	..

32	झांसी	..	..	..	..	4–100–000	0–250–000	..
33	ललितपुर	..	..	..	..	3–050–000	2–060–000	..
34	जालौन	..	..	..	..	38–450–000	20–777–000	8–000–000
35	बांदा	..	..	..	..	4–414–400	2–100–000	0–100–000
36	हमीरपुर	..	..	..	..	1–350–000	..	..
37	बाराबंकी	..	..	..	..	121–000–000	17–000–000	3–000–000
38	गोन्डा	..	29–345–000	..	..	7–000–000	..	2–500–000
39	प्रतापगढ	..	..	45–000–000	..	29–000–000	..	..
40	सुल्तानपुर	..	37–500–000	..	..	..	..	..
41	फैजाबाद	..	400–000–000	..	..	10–000–000	..	..
42	बहराइच	..	400–000–000	..	..	..	..	..
43	वाराणसी	..	22–950–000	6–000–000	6–000–000	32–000–000	22–000–000	..
44	बलिया	..	270–000–000	..	..	39–000–000	10–000–000	15–000–000
45	जौनपुर	..	..	..	..	30–000–000	5–000–000	..
46	गाजीपुर	..	52–000–000	12–500–000	12–000–000	53–000–000	49–000–000	10–000–000
47	मिर्जापुर	..	70–000–000	..	60–000–000	110–000–000	35–000–000	15–000–000
48	आगरा	..	229–000–000	..	..	67–000–000	..	..
49	मथुरा	..	320–000–000	..	..	..	..	..
50	एटा	..	248–000–000	..	..	60–000–000	..	..
51	मैनपुरी	..	..	..	72–000–000	..	..	..
52	गोरखपुर	..	483–000–000	..	..	49–495–000	..	..
53	देवरिया	..	..	72–000–000	..	..	..	..
54	बस्ती	..	112–5000–00	..	..	40–000–000	..	..
55	आजमगढ़	..	800–000–000	..	..	..	..	..
56	शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..
	योग	..	7914–804–000	756–518–000	234–323–000	1680–009–400	268–439–000	62–240–000

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 130 का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर)

राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों का नाम	नस्ल	दिसम्बर, 1977 के अन्त में कार्यरत भेड़ें				दिसम्बर, 1978 के अन्त में कार्यरत भेड़ें				दिसम्बर, 1979 के अन्त में कार्यरत भेड़ें				अक्तूबर, 1980 के अन्त में कार्यरत भेड़ें			
		मेंढ़ा	भेड़	मेंमना	योग	मेंढ़ा	भेड़	मेंमना	योग	मेंढ़ा	भेड़	मेंमना	योग	मेंढ़ा	भेड़	मेंमना	योग
कोपड़धार (टिहरी)	1—रैम्बुले ..	5	85	18	108	2	52	2	56	2	46	9	57	5	..	..	5
	2—मेरीनों	1	31	10	42	2	21	3	26	2	21	5	28	..	..	..	..
	3—एफ-1 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2
	4—एफ-2 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22	..	22
	5—एफ-3 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	28	..	28
	6—एफ-4 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2
	7—इन्टर ब्रैड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	39	23	64
	योग ..	6	116	28	150	4	73	5	82	4	67	14	85	7	93	23	123
खलियांमबांगर (टिहरी)	1—रैम्बुले ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	76	14	95
	2—मैरीनों ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	16	11	29
	3—एफ-1	..	9	..	9	..	4	..	4	..	4	12	16	..	..	2	2
	4—एफ-2	2	60	6	68	1	56	..	57	1	47	8	56	..	..	1	1
	5—एफ-3	..	41	9	50	..	43	..	43	..	33	..	33	..	..	..	..
	6—एफ-4	..	..	2	2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..
	7—इन्टर ब्रैड	1	..	2	3	1	..	24	25	1	21	21	43	..	..	..	..
	योग ..	3	110	19	132	2	105	24	131	2	107	41	150	7	92	28	127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

सूची—१

विकास खण्ड करनैलगंज	लम्बाई कि० मी०
१—कटरा महवाजपुर से बरगदी	२.०००
२—हरिगवां से खजुरिया	२.०००
३—खजुरिया से लालेमऊ	२.०००
४—लालेमऊ से धनावां	६.०००
५—सरजू स्टेशन से सढौलिया	२.०००
६—पारा से भभुवा	१.५००
७—बबुरास से चिन्तापान्डे पुरवा	०.५००
८—परसपुर करनैलगंज से बबुरास	०.२५०
९—चचेरी मार्ग से चतरोली	१.०००
१०—लखनऊ गोण्डा मार्ग से बरवलिया	०.८१०
११—चचेरी मार्ग से बरजोरपुरवा	०.५००
१२—चचेरी मार्ग से पारा	०.२००
१३—रेलवे गुमटी से महराजपुर	०.१००
१४—मसौलिया से प्रहलादगंज	३.०००
१५—मसौलिया से कौथेली	३.०००
१६—प्रहलादगंज से डढ़ियापुर	१.०००
१७—बेलहरा से गौर सिंहनापुर	६.०००
१८—बन्था मार्ग से केशईपुरवा	३.०००
१९—बबुरास से रशियामऊ	१.०००
२०—गोण्डा लखनऊ रोड से कटरा शहबाजपुर	०.५००
२१—पाण्डेचौरा से जगन्नाथपुर	१.५००
२२—शाहपुर से धनावां	१.०००
	३७.८६० कि० मी०

विकास खण्ड परसपुर	लम्बाई कि० मी०
१—पी० डब्ल्यू० डी० रोड से मिश्रपुरवा	०.३७६
२—कढेला से मलांव	३.०००
३—कन्दहापुल से गुरेटी	२.०००
४—पी० डब्ल्यू० डी० रोड से तटहुंआ	०.५१०
५—पी० डब्ल्यू० डी० रोड से पूरे राम भरोसे	०.२५०
६—बांध से अकोहरी	०.६००
७—चांदपुर स्कूल से पुरेवाढी	२.८००
८—पी० डब्ल्यू० डी० रोड से अकोहरी	३.०००
९—पुरोनी से भोरीगंज बांध	५.०००
	१६.७३६ कि० मी०

२—उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से वर्ष ७९-८० में विकास खण्ड करनैलगंज में २३.०६५ कि० मी० लम्बाई की क्रमांक १ से १६ तक अंकित सड़कें पूर्ण की गयी हैं तथा क्रमांक १७ से १९ तक अंकित सड़कों में से ५.६४३ कि० मी० कार्य पूर्ण हुआ है शेष पर कार्य किया जाना शेष है। उक्त के अतिरिक्त क्रमांक २० से २२ तक की सड़कों पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

सूची—२

वित्तीय वर्ष १९८०-८१ हेतु विकास खण्ड करनैलगंज में निम्नलिखित सड़कों पर कार्य प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

१—गोण्डा, लखनऊ रोड से कटरा, शहबाजपुर	०.५००
२—पान्डे चौरा से जगन्नाथपुर	१.५००
३—शाहपुर से धनावां	१.०००

विकास खण्ड परसपुर के निम्न छः सम्पर्क मार्गों पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१—पी० डब्ल्यू० डी० रोड से विहरी	०.३००
२—सम्पर्क मार्ग बिशुनपुर कलां	२.०००
३—पुरना से डेहरास एवं कटैलासाहढ	३.०००
४—सम्पर्क मार्ग सेमरी से गुरेटी	२.०००
५—आटा से हटठी बोहान	२.५००
६—सहकारी संघ परसपुर से हरिजन कालोनी तक	०.३००